खण्ड-364, अंक-8
गुरूवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1905
(23 फरवरी, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 364 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1069–1073
प्रश्नोत्तर	1075–1155
मन्त्रियों द्वारा प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	1155–1156
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	1156
श्री राज्यपाल के अभिभाषण में दिए गए आश्वासनों को शासन की ओर से दिया गया आश्वासन न माने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	1157–1159
उत्तर प्रदेश मासिक पत्रिका में लिखे लेख 'प्रयाग महात्म्य'के धर्मनिर्पेक्षता व संविधान विरोधी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1159–1160
आई0आर0डी0 योजना के अन्तर्गत भुगतान किए गये धन की वसूली में गयादीन नाभक हरिजन की मृत्यु के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1160
लखीमपुर खीरी के बीहड़ क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा नहर के निर्माण से किसानों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1160–1161
पिलखनी डिस्टिलरी तथा फार्मेसी डेरी फैक्ट्री, सहारनपुर के गन्दे पानी से जन-स्वास्थ्य को हानि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1161
श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं को राज्य चीनी निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1161–1162
वाराणसी के दैनिक "सन्मार्ग" के पत्रकार श्री विन्ध्यवासिनी मिश्र को जेल में कैद किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1162
कृष्ण चित्र मन्दिर मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ के मालिकों द्वारा कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .	1162
मैलानी लोध से सेमरा भामनगर जाने वाली विद्युत लाइन के तारों के टूटने से हुई मृत्युओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1163
सण्डीला की वनस्पति मिल का उद्घाटन श्री राजीव गाँधी एम0पी0 से कराए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	1163–1164
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय घटित घटना से सम्बन्धित दिनाँक 22 फरवरी, 1984 को पारित प्रस्ताव के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	1164–1166
फैजाबाद, बहराइच तथा गोण्डा जनपदों के नागरिकों को साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने पर बधाई देने के प्रस्ताव को 5 मार्च, 84 तक स्थगित किए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	1166
श्री मेंहदी असगर तथा श्री परमाई लाल द्वारा दल परिवर्तन की सूचना ..	1167
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	1167–1174
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) ..	1174–1230
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1230
चमोली में भोटिया जनजाति के लोगों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के सम्बन्ध वक्तव्य	1230–1235
फाजिलनगर (देवरिया) विधान सभा क्षेत्र में उप चुनाव के दौरान तीन लोगों की हत्या के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री का वक्तव्य	1235–1241
नत्थियाँ	1242–1249

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनाँक 23 फरवरी, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 371

अकबर अहमद, श्री	नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अजहर ईमाम, श्री	मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ
अनवार खां, श्री	अलीगढ़
अन्वार मोहम्मद खाँ, श्री	फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर
अमीरुद्दीन, श्री	बिजनौर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर
अलमेलू अम्माल, कुमारी	बस्ती
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद
आजाद कुमार कर्दम, श्री	आगरा
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या)	खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा
ऊदल, श्री	वाराणसी
ए0सी0 ग्राइस, श्री नाम निर्देशित	आंग्ल-भारतीय
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री	बरेली
कल्लू राम रत्नाकर, श्री	मिर्जापुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
कुदसिया बेगम ,श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)	हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
कृष्ण वीर सिंह, श्री	बदायूं
केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
केदार नाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
केशोराम, श्री	बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव, श्री (एडवोकेट)	एटा
कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
खरपत, श्री	वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री	मुरादाबाद
खुर्शीद अहमद, श्री	बहराइच
खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गजेन्द्र सिंह श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गुलाम नबी, श्री	आगरा
गेन्दा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
गोवर्धन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा

गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो०	बांदा
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भान सिंह, श्री	बांदा
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोण्डा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जटा शंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री	मथुरा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जितेन्द्र शाह, श्री	जालौन
जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती', श्री	फैजाबाद
झग्गड़ सिंह, श्री	मेरठ
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेजबहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
थम्मन सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
दयाल कृष्ण, श्री	मथुरा
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
दलसिंगार, श्री	आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीनानाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोण्डा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच

देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धरमपाल, श्री	बहराइच
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ध्रुव प्रसाद राय, श्री	देवरिया
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नाजिर अली, श्री	शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
निर्मल खत्री, श्री	फैजाबाद
नेत्र पाल सिंह राघव, श्री	एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुष्पा चौहान, श्रीमती	अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया

बलराम सिंह यादव, श्री	इटावा
बलवीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	ननीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुद्धपाल सिंह "खुजवाला", श्री	बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भूप सिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज)	गोण्डा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री	आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	आगरा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मान बहादुर, श्री	गोण्डा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोण्डा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर

मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोण्डा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रतीराम, श्री	बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
रवीन्द्र, श्री	आजमगढ़
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राज मंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
रामकरन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा०	जौनपुर
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी

रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट)	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम यश सिंह, श्री	सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सहारनपुर
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बाँदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहाँपुर
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
लटूरी सिंह, श्री	एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, जी	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
वृद्धि नारायण सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बाँदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बाँदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
संजय सिंह, श्री	सुल्तानपुर
सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहाँपुर
सन्त बख्श रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती	बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री	प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर

सिकन्दर अली खां नवाब, श्री	शाहजहाँपुर
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता, श्रीमती	कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सोमाँश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हरगोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बाँदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरीशंकर, श्री	हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हेमचन्द्र निमेष, श्री	मेरठ

सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 23 फरवरी, 1984 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय, लखनऊ की गायब की गयी पत्रावलियां

**1—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि संयुक्त निदेशक, भूमि सीमारोपण शहरी क्षेत्र कार्यालय, लखनऊ से सीमा से अतिरिक्त भूमि सम्बन्धी 8000 फाइलें गायब होने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो मामले की गम्भीरता को देखते हुए इसमें क्या जांच एवं कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास एवं आवास राज्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)—

जी हां । जांच कराये जाने पर सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण लखनऊ के कार्यालय की 8232 पत्रावलियां अनुपलब्ध पाई गयी है । सम्बन्धित कर्मचारियों के दायित्व निर्धारण एवं अनुपलब्ध पत्रावलियों के पुनर्गठन की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

श्रीमन्, यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है कि किसी कार्यालय से 8232 पत्रावलियां अतिरिक्त भूमि सीमारोपण की गायब हो जायं और यह सब मान्यवर, पैसे वाले बड़े लोगों ने बड़े अधिकारियों से मिलकर किया है, तो आज तक उस सम्बन्ध में उस कार्यालय के तत्कालीन अधिकारी और कर्मचारी को निलम्बित क्यों नहीं किया गया ? और किया गया तो किनको-किनको किया गया? उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी और यदि नहीं की गयी तो उसका क्या कारण है? क्या इसमें सबकी साजिश तो नहीं है, जो सभी को बचाया जा रहा है?

श्री अरुण कुमार सिंह—

मान्यवर, अब तक उस कार्यालय से संबंधित अधिकारी, जो प्रथमदृष्टया दोषी पाए गये थे, उनको चार्जशीट दी जा चुकी है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

जैसा मैंने निवेदन किया यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है कि 8232 फाइलें अतिरिक्त भूमि सीमारोपण की गायब कर दी जायं और उस पर मंत्री जी कह रहे हैं कि केवल चार्जशीट दी गयी, तो क्या कारण है कि जो तत्कालीन सक्षम अधिकारी थे, उनको और उनके कार्यालय के अन्य लोगों को निलम्बित करके वहां से नहीं हटाया गया ? क्या बड़े अधिकारी सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

ऐसा नहीं है कि किसी को बचाया जाएगा । जो दोषी पाए जाएंगे, उनको दंडित किया जाएगा । इंक्वायरी हो रही है । गृहसचिव को निर्देश देकर सी0 आई0 डी0 इंक्वायरी लगा दी गयी है, जिसके आदेश 3-2-84 को गृह सचिव को दे दिये गये हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इमरजेंसी के समय सरकार ने बेघरबार लोगों को आवास हेतु जमीन देने के लिए हदबन्दी कानून बनाया था, किन्तु उसकी धज्जियां प्रदेश की राजधानी में ही उड़ायी जा रही हैं। इसमें अब तक केवल चार्जशीट दी जा रही है और मामला सी0 आई0 डी0 को दिया जा रहा है तो सी0 आई0 डी0 को मामला देने का परिणाम यह तो नहीं है कि आपका चार्जशीट देना और उसके आगे की भी कार्यवाही रुक जाए ? जो अब तक प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये, उनको अब तक कार्य करते रहने का मौका देना कहां तक उचित है ? और जो एक अधिकारी मिस्टर सिद्दार्थ हैं, जिन्होंने थाना हजरतगंज में यह रिपोर्ट लिखायी है और आपको भी दिया है कि उन पर प्राणघातक हमले किये जा रहे हैं और उनकी जान को भारी खतरा है उन्हीं लोगों से, तो ऐसे लोग जो इस स्कैण्डल में फंसे हुए हैं, उनको कार्य करते रहने का मौका देने का क्या कारण है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जैसा माननीय सदस्य ने बताया, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी गयी है (व्यवधान) उनकी जान-माल की सुरक्षा की कुल जिम्मेदारी सरकार ने ले रखी है।

मैंने निवेदन किया कि प्रथमदृष्टा में जो दोषी पाये गये, उनको चार्जशीट दे दी गयी है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने यह पूछा है कि जो लोग दोषी पाये गये, उन लोगों के उसी स्थान पर काम करते रहने का क्या कारण है ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

प्रथमदृष्टा में दो व्यक्ति दोषी पाये गये, आखिरी फाइल जिनके यहां रिसीव हुई, उनको चार्जशीट दी गयी है। यह जनवरी, 1984 में दी गयी . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, शासन के बड़े-बड़े कुछ भूतपूर्व अधिकारी तथा बड़े लोगों की साजिश से यह हुआ है, ऐसे गम्भीर मामले में दोषी को वहां से हटाया क्यों नहीं गया ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

उनको हटा दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मैं चौंकाने वाली कुछ बातें बतलाना चाहता हूं मान्यवर, सदन के सामने। इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री बी0 बी0 लाल के एक रिश्तेदार और एक श्री निगम सेवा निवृत्त आई0 ए0 एस0 के उत्तराधिकारी तथा भूतपूर्व राजे महाराजे इसमें शामिल हैं जिनकी मिलीभगत से यह हुआ है। उक्त हरिजन अधिकारी श्री संतबली सिद्दार्थ की जांच करते समय बाहरी गुन्डों और बाबुओं ने पीटा और उनको अपनी

जान का खतरा अब भी बना हुआ है । क्या यह मामला शासन के प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की ? वही गुन्डे अब भी दफ्तर में घूम रहे हैं और वही कर्मचारी आज भी काम कर रहे हैं ।

श्री अरुण कुमार सिंह—

यह बात शासन की जानकारी में नहीं है । दोषी कर्मचारी पहले ही निलम्बित किये जा चुके हैं । (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मैं यह जानना चाहता हूं कि लखनऊ प्रापर से संबंधित कितनी फाइलें हैं जो गायब हैं, और उनमें 5 बड़े-बड़े कौंसेज कौंस से हैं?

श्री अरुण कुमार सिंह—

लखनऊ की फाइलों की संख्या 2,768 है जिनको नोटिस दिया गया है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

यह मामला शासन के प्रकाश में कब आया?

श्री अध्यक्ष—

सदन की भावनाओं को देखते हुए, मैं प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं अतः इनको स्थगित करता हूं ।

गेहूं, चावल एवं दाल के मूल्य में वृद्धि

**2—श्री सरदार सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत कुछ माह से प्रदेश में खाद्यान्नों (गेहूं, चावल एवं दालों) की कीमतें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं ? यदि हां, तो शासन कीमतों को कम करने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

प्रदेश में गत कुछ माह (जुलाई 83 से दिसम्बर, 83 तक) से गेहूं के औसत थोक भाव में वृद्धि नहीं हुयी है । माह जनवरी, 84 में अवश्य थोड़ी वृद्धि हुयी है, परन्तु पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी कम है । चावल के औसत थोक मूल्य प्रायः इन महीनों में गिरे हैं । दालों के औसत थोक भाव में अवश्य कुछ वृद्धि हुयी है ।

खुले बाजार में खाद्यान्नों का मूल्य नियंत्रित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से उचित मूल्य पर गेहूं तथा चावल का वितरण कराया जा रहा है । इसके अतिरिक्त जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं की उचित मूल्य की दुकानों से भी खाद्यान्नों का वितरण कराया जा रहा है तथा जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सचल दुकानें भी खोली गयी हैं, जिनके माध्यम से खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण शासन द्वारा कराया जा रहा है । उपभोक्ता सहकारी संघ तथा राज्य खाद्य एवं आदश्यक वस्तु निगम के सचल जनता स्टोर भी उचित मूल्य पर खाद्यान्न का वितरण कर रहे हैं ।

व्यापारियों की जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश रखने हेतु शासन द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा रही है और इस कार्यवाही के फलस्वरूप अप्रैल, 83 से दिसम्बर, 83 तक लगभग 4·60 करोड़ रुपये की आवश्यक वस्तुएं चोर बाजारी में पकड़ी गयी हैं ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, इस समय भी बाजार में उरद और अरहर की दाल 8 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये 25 पैसे से 3 रुपये तथा चावल 3 रुपये से लेकर 4 रुपये तक बिक रहा है । मेरी जानकारी को सही मानते हुये क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जो भाव बढ़ते जा रहे हैं और आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है तो भावों को नीचे लाने का प्रयास करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, चावल के भाव गिर रहे हैं हमको 25 हजार क्विंटल चावल केन्द्र से मिलता है । दालों की कमी है इसलिये भाव बढ़ रहे हैं । माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसके पालन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, दूर दराज के क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट पर काफी खर्च होने के कारण खाद्यान्न के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे चीजें मंहगी बिकती हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी यह व्यवस्था करेंगे, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देंगे ताकि खाद्यान्न सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकें, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, माननीय सदस्य सुझाव देंगे, तो व्यवस्था में सुधार कर दिया जायगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि जनवरी, 84 में खाद्यान्न के दाम बढ़े हैं । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जनवरी में (जनवरी, 83 में) और इस वर्ष जनवरी, 84 में खाद्यान्न के दाम क्या थे और इस समय कितने बढ़े हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, 83-84 के जनवरी माह में खाद्यान्न में जो चावल था, इसका भाव तो कम है, गेहूं का भाव बढ़ा और दालों के भाव भी बढ़े हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, ये कह रहे हैं कि बहुत कम है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? कितना प्रतिशत पहले था और अब क्या है ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनवरी 84 में कुछ खाद्यानों के दामों में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा कम, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 83 के जनवरी, माह में क्या प्रतिशत खाद्यान्न का भाव था और 84 में क्या बढ़ोत्तरी हुई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

श्रीमन्, 82 में गेहूं का भाव 179.5 और 83 में 166.75 और 83-84 में जाकर 223.4 था, 84 में 179.50 हो गया । चावल का भाव 243.79 वर्ष 1983 में था और 84 में 280.60 हो गया । इसमें मान्यवर, बढ़ोत्तरी हुई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, हम लोग संतुष्ट हैं, हो गया ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी की मदद कर रहा हूं। श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी, इस वक्त पर उपभोक्ता को जो भाव मिल रहे हैं, 3-4 चीजों के मैं आपको भाव बताऊंगा । 82 में उर्द की दाल का भाव रु 4.90 पैसे किलो था, जो इस वक्त बढ़कर 8 रु0 प्रति किलो हो गया । अरहर की दाल का भाव रु0 5.00 से बढ़कर 8 रुपया हो गया । जो मोटा चावल है, उसका भाव रु0 2.20 पैसे था, वह रु0 5 प्रति किलो हो गया । बासमती चावल 6 रु0 से बढ़कर 10 रु0 हो गया है । लकड़ी 50 रु0 कुंटल से बढ़कर 100 रु0 कुंटल हो गयी । कोयला 55 रु0 से बढ़कर 100 रु0 कुंटल हो गया। यह उपभोक्ता को बाजार में मिलने वाले भाव हैं । आप शायद थोक फरोख्त का भाव बता रहे हैं । आप यह बतायें कि उपभोक्ता को यह जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो उनकी जिन्दगी के लिए, उनको सस्ते दामों पर दिलाने की बात करते हैं, उनको बाजार से किस भाव पर मिल रहे हैं? जो चीजें कन्ट्रोल की दूकानों पर नहीं मिल रही हैं, जैसे दाल, लकड़ी आदि हैं, उनके लिए आप क्या प्रबन्ध करेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

मान्यवर, दाल की कमी है, क्योंकि पैदावार कम हुई है, तो इस कमी के कारण, तो भाव अवश्य बढ़ेंगे। ऐसा है कि जब उस की आमद कहीं से नहीं हो रही है और न सरकारी दूकानों पर बिक रही है, तो भाव अवश्य बढ़ेंगे, क्योंकि यह फुटकर भाव में बिक रही है, तो अवश्य ही दाम बढ़ेंगे।

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस सरकार की ढुलमुल नीति के कारण बाजार में भाव बढ़ते हैं। गेहूं के लिए जो सपोर्ट मूल्य निश्चित किया जाता है, वह किसान की लागत से कम होता है। अतः किसान के यहां से गेहूं कम कीमत पर जाता है और बाद में बाजार में दुगनी कीमत पर बिकता है तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसान के यहां से बिकने के समय मूल्य और बाद में बाजार में बिकने वाले मूल्य से अनुपात लेकर गेहूं का सपोर्ट मूल्य निश्चित करने की कृपा करेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

चावल हमको केन्द्र सरकार से उतना नहीं मिल पा रहा है, जितने की आवश्यकता है। गेहूं की कीमत कम है। राशन की दुकानों पर अधिक दाम में बिक रहा है। गेंहूं की कीमत कम है।

श्री विजय सिंह राना–

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री हुकुम सिंह–

मैं मंत्री जी से केवल यह जानकारी चाहूंगा। आप भी जानते हैं कि ग्रामीण अंचलों में राशन कार्ड किसी को नहीं मिला है। कभी मिला था, तो पुराना हो गया। 81 से रोक लगी हुई है। क्या ऐसी व्यवस्था मंत्री जी करायेंगे कि ग्रामीण अंचलों में भी लोगों को राशन कार्ड दुबारा वितरित किया जाय ताकि सस्ते मूल्य से चीजें उपलब्ध हो सकें?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

राशन कार्डों की जांच हो रही है, फिर जांच के आदेश कर दिये गये हैं। फर्जी राशन कार्डों को समाप्त किया जायेगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नगर स्थानीय निकायों के निर्वाचन की मांग

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री विद्या सागर नौटियाल, श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी तथा श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों के चुनाव कब कराये जायेंगे तथा जिन स्थानीय निकायों के वार्डों के परिसीमन का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है वह कब तक पूर्ण हो जायगा?

श्री अरुण कुमार सिंह–

शासन द्वारा नगर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन शीघ्र ही कराये जायेंगे। उक्त चुनाव के पूर्ण परिसीमन का कार्य पूर्ण कर लिया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के संदर्भ में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा अनेकों बार घोषणा की गई इस आदरणीय सदन में कि चुनाव शीघ्र करायेंगे, पिछली बार तिथि की घोषणा के बाद उसको स्थगित कर दिया गया, शीघ्र का तात्पर्य समय निर्धारित करके मंत्री जी बतायेंगे या केवल वेग टर्म में बतायेंगे? मंत्री जी निश्चित बतायें एक महीने में दो महीने में तीन महीने में चुनाव करा देंगे?

श्री अरुण कुमार सिंह–

ऐसा है शासन की मंशा शीघ्र चुनाव कराने की थी, लेकिन अब कुछ प्रशासनिक अड़चनों के कारण, नई नगरपालिकाओं के सृजित होने के कारण कुछ टाउन एरिया बढ़ी हैं, उनका क्षेत्र बढ़ा है इसलिये परसीमन का कार्य नहीं हो सकता और चुनाव नहीं हो सके। शासन शीघ्र चुनाव करायेगा।

श्री भीखालाल–

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों और जिला परिषदों की निर्वाचक नियमावली का पुनरीक्षण कराने और छपवाने के शासन ने अनुपूरक अनुदान में पैसा लिया है। इस पैसे को 31 मार्च तक खर्च होना है। क्या 31 मार्च तक चुनाव हो जायेंगे?

जन स्वास्थ मंत्री (श्री लोकपति)–

जैसा माननीय सदस्य भीखालाल जी ने कहा 31 मार्च तक चुनाव कराना सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपस में बात न करें।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या मंत्री जी इस बात की गम्भीरता पर गौर करते हुए कि जब-जब इस प्रदेश की सरकार ने, या मंत्री जी ने स्थानीय निकायों की सूचना दी होगी उस वक्त रामनरेश जी रहें हों पूर्व की सरकार रही हो या मौजूदा सरकार, या तो उस मंत्री का विभाग बदल गया या सरकार बदल गई, तो यह इस बात पर गौर करते हुए यह करेंगे कि चुनाव करायें?

श्री लोकपति–

1985 के पूर्व जब यह सदन बदलेगा चुनाव हो जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो सवाल मैंने पहले किया था उसका संदर्भ मंत्री जी ने देते हुए कहा कि कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों से चुनाव नहीं करवाए उसमें कुछ कठिनाई रही होगी लेकिन उसके बाद घोषणा की गयी कि दो ग्रुपों में कर दिए जायेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में 85 प्रतिशत नगरपालिकायें ऐसी हैं, जिनमें न तो प्रशासनिक दिक्कत है और न अन्य नगरपालिकाओं की परिधि में आती है, तो वह 85 प्रतिशत नगर पालिकाओं के चुनाव तत्काल न कराने के क्या कारण है? इन चुनाव को कराने में सरकार को कौन सी कठिनाई है?

श्री लोकपति–

टाउन एरिया, नोटीफाईड एरिया और नगरपालिकायें जिनकी जन संख्या एक लाख के करीब है उनका एक चक्र में हो जाएगा प्रथम चक्र में इनका हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारा सवाल जो आप ग्राह्य करते हैं, उस सवाल का उत्तर मंत्री जी देने के लिए बाध्य हैं। यदि मंत्री जी हैं।

श्री लोकपति–

प्रश्न करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने सवाल किया कि 85 प्रतिशत नगरपालिकायें हैं, जिनमें मतदाताओं की सूची तैयार है, तो उन 85 प्रतिशत नगरपालिकाओं के चुनाव तत्काल न करने के क्या कारण हैं क्योंकि पहले प्रश्न के उत्तर में प्रशासनिक बाधाओं का हवाला दिया गया तो मैंने पूछा जहां प्रशासनिक बाधायें नहीं हैं, उन 85 फीसदी नगरपालिकाओं में चुनाव कराने में क्या आपत्ति है?

श्री लोकपति–

जो 85 प्रतिशत नगरपालिकायें हैं, जितनी नगरपालिकायें परिसीमित हैं, मतदाता सूची तैयार हो चुकी है, उनका चुनाव बहुत शीघ्र कर दिया जाएगा।

श्री श्यामलाल वाजपेयी–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि शीघ्र चुनाव करायेंगे प्रशासनिक कारणों से समय नहीं है, ठीक है समय नही है लेकिन जब तक सरकार चुनाव कराने में समर्थ न हों, टाउन एरिया नोटीफाइड एरिया म्यूनिसिपल बोर्ड इसे अफसरशाही के पंजों से निकल कर जनता के कार्यकर्ताओं को वहां नियुक्त कराने की कृपा करेंगे?

श्री विद्यासागर गौतिशाल–

मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी समस्याग्रस्त नगरपालिकायें कितनी हैं, पूरे प्रदेश के अन्दर, जिनकी वजह से वह चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं? जहां प्रशासनिक समस्या है जो समस्याग्रस्त हैं उनकी कुल संख्या कितनी है जिनके कारण पूरे प्रदेश के अन्दर संख्या अस्त व्यस्त हो गयी है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, इस समय टाउन एरिया की संख्या 25 है। टाउन एरिया में जो सीमावृद्धि हुई है, उनकी संख्या 3 है नगरपालिकाओं की संख्या 13 है, जो नवसृजित हैं और जिनकी सीमावृद्धि हुई है वह 9 हैं।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, आपको विदित होगा कि जब उत्तर प्रदेश में एक पार्लियामेन्ट और 5 असेम्बली के बाई इलेक्शन्स होने थे, तब इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गयी थी। किन्तु चुनाव के पहले ही 23 तारीख को रेडियो पर घोषणा कर दी गयी कि चुनाव स्थगित कर दिये गये। कारण कोई नहीं बतलाया जिसकी वजह से प्रोग्राम स्थगित किया गया। तो पहले प्रोग्राम बनाकर मुल्तवी क्यों कर दिया गया, बताने की कृपा करेंगे?

श्री लोकपति–

श्रीमन्, पहले ही अनुरोध कर चुका हूं कि उस समय परिसीमन और मतदाता सूचियां, नगरपालिकाओं की तैयार नहीं हुई थी, अतएव नहीं हुए।

शाहजहांपुर जिले में महामारी से हुई मृत्यु

*2–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 की अंतिम छमाही में का क्या कारण था तथा इसकी रोकथाम में ढिलाई बरतने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों के जनपद शाहजहांपुर में भीषण महामारी में सैकड़ों मौतें हुईं? यदि हां, तो इस महामारी विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

जनपद शाहजहांपुर में अपर रिसप्रेटरी ट्रेक्ट इन्फेक्शन, टाइफाइड, वायरल हिपेटाइटिस, दस्त व पेंचिस, क्षय रोग, पेट के कीड़े, कुपोषण तथा मलेरिया आदि से माह सितम्बर, अक्टूबर, 1983 में कुल 830 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इस क्षेत्र में रोग नियंत्रण एवं चिकित्सा सुविधा युद्ध स्तर पर उपलब्ध कराई गई है। स्थिति नियंत्रित रखने में एवं समयानुसार कार्यवाही करने में ढ़िलाई बरतने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों में से मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा संबंधित उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की पदावनति कर दी गयी है। जिला मलेरिया अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है तथा प्रभावी क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के 4 चिकित्सा अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं और क्षेत्र के संबंधित 7 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसका भी पूरा उपाय किया गया है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें 830 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि अपर रिसप्रेटरी ट्रेक इनफेक्शन, टाइफाइड, वायरल हिपेटाइटिस, दस्त व पेंचिस, क्षय रोग, पेट के कीड़े, कुपोषण तथा मलेरिया आदि से माह सितम्बर, अक्टूबर, 1983 में यह मृत्यु हुई। इस क्षेत्र में एक टीम भारत सरकार की इसके कारणों की जांच करने आयी। प्रदेश सरकार की ओर से माननीय मंत्री जी ने कई टीमें भेजीं। तो इन दोनों टीमों की जांच आख्या में कोई भिन्नता थी और क्या भारत सरकार की टीम ने माना कि यह मलेरिया वायरस था, जिसकी वजह से इतनी मौतें हुई? दूसरी बात यह कि क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर को सूचना मिली कि इतने बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए तो उन्होंने इसकी सूचना शासन को क्यों नहीं दी?

श्री लोकपति–

मान्यवर, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो टीमें गयीं और उन्होंने जो रिपोर्ट दी, वह रिपोर्ट एक है। उन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। इसका कारण यह है कि जो पहले स्प्रे होना चाहिये था, तीन स्प्रे मलेरिया को रोकने के लिये होने चाहिये, उसमें से एक ही कर पाए । इस कारण से सी0 एम0 ओ0 को दंडित किया गया । वर्षा की वजह से वहां ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है । अधिकांश ूएं जल-प्लावन में डूबे गये, फलस्वरूप उन कुंवों का पानी अशुद्ध हो गया, जिनका शुद्धीकरण हमारे विभाग द्वारा नहीं किया गया। इसी कारण उस क्षेत्र के जो चिकित्साधिकारी थे, उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई। शासन को जो सूचना दी गई थी, वह अधूरी थी। सितम्बर, अक्टूबर मास में जो मलेरिया से मौतें हुई हैं, जिसमें एक क्षेत्र तिलहर है तथा दो अन्य विकास खण्ड हैं, उसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं किया गया। वैसे हमारे जो क्षेत्र हैं मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, मैनपुरी, एटा, मथुरा, और आगरा, इन जिलों में छिड़-

काव का कार्यक्रम सघन रूप से चलाना है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके। वैसे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में अभी मलेरिया का प्रभाव हो रहा है, इसके लिए हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि एक बार पुनः मलेरिया उन्मूलन का अभियान चलाया जाय, उस पर केन्द्र सरकार विचार कर रही है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं, वैसे उन्होंने अपने विभाग के निकम्मेपन को तसलीम कर लिया है। और यह भी स्वीकार कर लिया है कि मरने वालों की जिम्मेदारी विभाग पर जाती है, कि जो लोग इस मलेरिया से मरे हैं, उनके परिवारजनों को आप मुआवजे के रूप में कुछ पैसा देंगे? यदि नहीं तो आपके पास इसका अखलाकी जवाब है? वैसे मान्यवर, अभी रामपुर में भी काफी लोग इस रोग से मरे हैं, शायद उनकी सूचना आप तक नहीं पहुंच पायी।

श्री लोकपति—

मान्यवर, माननीय सदस्य के निकम्मेपन को शिरोधार्य करते हुए मैं इसको "ना" करता हूं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, एक बात उनके ध्यान में लाते हुए, जानना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि शाहजहांपुर में मलेरिया का प्रकोप अभी भी चल रहा है। यदि तत्काल मलेरिया की रोकथाम के लिए सघन कार्यवाही नहीं की गयी, तो आने वाली वर्ष में वहां महामारी फैलने की संभावना हो सकती है?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, इसको स्वीकार करते हुए, मैं इस सदन को अवगत करा चुका हूं कि सघन छिड़काव की व्यवस्था की जा रही है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बस्ती जिले के कतिपय कस्बों में राज्य खाद्य सचल दल श्री वी0डी0शर्मा, खाद्य निरीक्षक द्वारा मारा गया छापा

*1—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ के खाद्य सचल दस्ते ने दि0 1-1-83 से 16-1-83 तक की अवधि में बस्ती जनपद के कई कस्बों में छापे डाले थे? यदि हां, तो सचल दस्ता किसकी शिकायत पर किन-किन जगहों पर छापे डालने के लिए भेजा गया था और उसके कौन-कौन सदस्य थे? उक्त दस्ते ने किन-किन प्रतिष्ठानों पर छापा डाला और किसका-किसका चालान किन-किन आरोपों में किया गया?

श्री सीताराम निषाद–

जी हां। श्री चतुर प्रसाद शुक्ल, ग्राम सिसवा बुजुर्ग, थाना इटवा, जिला बस्ती की शिकायत पर राज्य खाद्य सचल दल, लखनऊ से एक मात्र सदस्य श्री बी0डी0शर्मा, खाद्य निरीक्षक को श्री जगन्नाथ हलवाई की इटवा बढ़नी रोड स्थित दुकान से मिठाई व नमकीन का नमूना लेने हेतु भेजा गया था। श्री शर्मा ने 16-1-1983 को वहां पहुंच कर उस दुकान से नमूना लेने की कार्यवाही की थी, किन्तु उसी प्रयास में स्थानीय दुकानदारों से झगड़ा हो जाने पर श्री शर्मा उक्त दुकान की मिठाई आदि का कोई नमूना नहीं ले सके । उस विवाद के फलस्वरूप इटावा के दुकानदारों ने तथा श्री शर्मा ने एक दूसरे के विरुद्ध पुलिस थाना इटवा में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ खण्ड गोरखपुर द्वारा की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, प्रश्नगत अवधि में ही उक्त श्री शर्मा को सामान्य प्रणाली के अधीन ही दिनांक 8 व 10 जनवरी, 1983 को भी जांच हेतु बस्ती भेजा गया था, जहां उन्होंने श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री हुकुम चन्द्र, निवासी बढ़नी बाजार, बस्ती की दुकान से जर्दा तम्बाकू तथा श्री हरिद्वार, पुत्र श्री सुखदेव प्रसाद निवासी तेतरी बाजार, बस्ती की दुकान से सफेद जीरा के नमूने लिए थे । इन नमूनों की जांच उपरान्त केवल श्री रमेश चन्द्र की दुकान से जर्दा तम्बाकू का लिया गया नमूना अपमिश्रित पाया गया है और उसके आधार पर न्यायालय में अभियोजना चलाए जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि श्री चतुर प्रसाद शुक्ल की शिकायत कब और किसके माध्यम से प्राप्त हुई तथा श्री बी0डी0 शर्मा को इटवा जाने के आदेश कब और किसके द्वारा दिये गये? क्या यह सत्य है कि श्री बी0डी0 शर्मा इटवा क्षेत्र के निवासी हैं और वहां के लिये अक्सर फर्जी दौरे बनाकर, अपने घर पर जाते हैं और वहां के निवासियों से अनियमित धन वसूल करते हैं?

श्री लोकपति–

श्रीमन्, 13 जनवरी, 1983 को यह शिकायत डाक के द्वारा हमारे कार्यालय को प्राप्त हुई थी और मैंने उस पर आदेश दिये थे कि इसकी जांच की जाय। श्री बी0 डी0 शर्मा राज्य खाद्य सचल दल, लखनऊ के कर्मचारी हैं। यह कहां के रहने वाले हैं, यह मैं नहीं जानता।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यह मेरे बगल के रहने वाले हैं। यह मेरे क्षेत्र के हैं। मान्यवर, श्री शर्मा जी वहां पर गये। मान्यवर, मैं सदन को सत्यता से अवगत करा हूं। मान्यवर, यहां वह हर 15 दिन पर जाते हैं और वहां के दुकानदारों से सेम्पलिंग के बहाने पैसा ले लेते हैं। इस बार जब वे वहां गये, तो वहां के दुकानदारों ने उनसे पूछा कि आप कोई अधिकृत रूप से हैं कि नहीं। इसकी बाबत वे उनको थाने ले गये। वहां पर स्थानीय डाक्टर को बुलाया गया। लेकिन अधिकृत रूप से होने की बाबत वे कोई सी0एम0ओ0

की स्लिप नहीं प्रस्तुत कर पाये। मान्यवर, जिस हलवाई की दुकान का हवाला दिया गया है, उसमें वस्तुस्थिति यह थी कि वे उस हलवाई से 12 सौ रुपये मांग रहे थे, जबकि वे हलवाई 500 रु0 दे रहा था। उस हलवाई ने इनके पैसों पर 500रु0 रख दिये, तो इन्होंने उन रुपयों पर लात मार दी। जब वाद-विवाद बढ़ गया, तब उसके बाद वहीं के इटवा के दुकानदारों ने उनको पकड़कर थाने के हवाले किया और मुकदमा लगाकर बन्द कराया। मान्यवर, यह सारी कार्यवाही हुई। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है कि शासन स्तर पर भी इस तरह का फर्जी काम होता है। मान्यवर, यह सारी पत्रावली बाद में तैयार की गयी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री बी0डी0 शर्मा वहां पर गिरफ्तार किये गये थे? और, क्या उनके साथ स्वास्थ्य विभाग का एक वेक्सीनेटर, जो सिस्वा बुजुर्ग का रहने वाला है, जो वसूली करवा रहा था, पकड़ा गया था? शासन को इसकी जानकारी है?

श्री लोकपति–

मान्यवर, मेरी समझ में इनका प्रश्न नहीं आया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, सरयूपारीणों की नाव डूबने वाली है, इसलिए नहीं समझ पाये।

मान्यवर, मैं पूछ यह रहा था कि जिस बी0डी0 शर्मा का यहां उल्लेख किया गया है, वह तो अकेले सचल दस्ते के रूप में सेम्पल टेस्टिंग के लिये गये थे, क्या वे अपने साथ स्वास्थ्य विभाग के एक वेक्सीनेटर को, जो सिसवा बुजुर्ग का रहने वाला है, लेकर हलवाई की दुकान पर गये थे? और, इन दोनों पर मुकदमा लगाकर के चालान हुआ है?

श्री लोकपति–

बी0डी0 शर्मा बस्ती के सी0एम0ओ0 से आज्ञा-पत्र लेकर गये थे, बी0डी0 शर्मा के पास उनका अपना कार्ड था, जब उन्होंने पीले रंग की मिठाई और नमकीन का नमूना लेना चाहा तो दुकानदारों ने उन्हें रोका।

(व्यवधान)

सत्य बात सुनने से आप जरूर परेशान होंगे। बी0डी0 शर्मा ने रंगीन मिठाई और नमकीन का नमूना लेने का प्रयास किया। उस समय उस दुकानदार ने और अगल-बगल के दुकानदारों ने उनको पीटा और थाने में बन्द करवा दिया। जब उन्होंने थाने वालों को अपना कार्ड और सी0एम0ओ0 का आज्ञा-पत्र दिखाया तो थानेदार ने कह दिया कि सब फर्जी है। उनको माता प्रसाद जी का संरक्षण रहा होगा। बी0डी0 शर्मा ने भी एफ0आई0 आर0 नोट करायी, 24 घंटे बाद उनको जमानत पर छोड़ा गया यह सारा मामला सी0आई0डी0 को सुपुर्द कर दिया गया है और सी0आई0डी0 जांच कर रही है।

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें मैंने श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी को बुलाया है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

अभी मा0 मंत्री जी ने यह बताया है कि मा0 मंत्री जी को 13-1-83 को पत्र प्राप्त हुआ था डाक द्वारा जिस पर उन्होंने स्वयं बी0डी0 शर्मा को वहां जाने के लिये आदेशित किया था। मैंने 7-5-83 को इस सदन में प्रश्न किया था जब सितम्बर का सत्र चला था। उसमें माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जब मा0 मंत्री जी के कार्यालय में पत्र प्राप्त हुआ था, जब उन्होंने स्वयं निर्देशित किया था, वह पत्रावली लखनऊ में ही उपलब्ध थी तो कौन सी सूचना मई से सितम्बर तक नहीं एकत्रित हो पायी थी? क्या यह सही है कि मेरे उस प्रश्न के बाद यह सारी कहानी बी0डी0 शर्मा को बचाने के लिये बनायी गयी है?

श्री लोकपति–

जी नहीं।

23 फरवरी, 1984 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सरदार सिंह तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

द्वितीय सत्र 83 के 1ले गुरुवार को तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस शासनादेश संख्या 432/12 सी–2–85/77, दिनांक 17-5-83 का उल्लेख किया है, उसमें तृतीय श्रेणी के अस्थायी सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण का कोई प्राविधान नहीं है जबकि प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 10-2-1982 के पत्र में शासन से यह स्पष्ट सिफारिश की थी कि "स्नातक एवं उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड के सहायक के स्थायी पद पर अस्थायी तौर पर 28-2-82 को कार्यरत तथा बैंक में कम से कम 6 माह का अनुभव रखने वाले कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाय? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही न करने का क्या कारण है तथा कब तक कार्यवाही कर दी जायगी?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 17-5-83 में यह प्राविधान कर दिया गया है कि भर्ती करने वाली सहकारी समिति के अधीन किसी विशेष श्रेणी के पद पर तदर्थ रूप से पहले से कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए उनकी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट होगी। इस छूट का प्रभाव यह होगा कि जो कर्मचारी सहकारी संस्थाओं में तदर्थ रूप से कार्य कर रहे हैं, उन्हें संस्थागत सेवा मंडल द्वारा किये जाने वाले चयन के समय अधिकतम सेवा तथा अनुभव का लाभ मिलेगा। प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक ने जो प्रस्ताव बैंक में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने हेतु भेजा था, उसमें निहित उद्देश्य उक्त सीमा तक पूरा हो जाता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब निदेशक की स्पष्ट सिफारिश थी कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड के सहायक के स्थायी पद पर

अस्थायी तौर पर 28-2-82 को कार्यरत तथा बैंक में कम से कम 6 माह का अनुभव रखने वाले कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाय, इसका अनुपालन अब तक न होने का क्या कारण है? जिस शासनादेश को संदर्भित किया गया है, उसमें केवल यह दिया गया है कि आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट तदर्थ रूप से पहले से कार्यरत अभ्यर्थियों के लिये होगी। उससे कुछ सीमा तक तो लाभ होगा, लेकिन जो प्रबन्ध निदेशक का सर्कुलर था, उसका पूरा-पूरा लाभ नहीं हो सकेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो प्रबन्ध निदेशक का निदेश था, उसका अनुपालन जैसे का तैसा न कराने का क्या कारण है?

श्री बच्चा पाठक–

कर्मचारियों का स्थायीकरण सेवा मंडल द्वारा होता है। प्रबन्ध निदेशक की सिफारिश का यह अर्थ था कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाय। जो हमारे आदेश हैं, उसमें यह निहित है। दूसरे स्थायी करने के लिए जो योग्यता है, उसमें 5 वर्ष की छूट दे दी जाती है, इससे जो मा0 सदस्य की मंशा है, वह पूरी हो जाती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले भी आए होंगे कि जो बैंक के पुराने कर्मचारी हैं, वह उस समय की पुरानी निर्धारित योग्यता में आ जाते हैं, यदि वह इस योग्यता में आ जाते हैं, तो उन्हें वह छूट दी जानी चाहिए जो उन्हें नहीं मिल रही है, इसमें उन कर्मचारियों का क्या दोष है, क्योंकि वह जब वहां पर सेवा में आए, तो वह योग्यता उनके लिए थी, इसलिए क्या इन तमाम कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार कोई रास्ता निकाल रही है कि इतने दिनों का सेवा लाभ लेकर उनको कंफर्म कर दिया जाए।

श्री बच्चा पाठक–

यह जी0ओ0 इसी बात पर आधारित है कि जो लोग बैंक सेवा में हैं, काफी दिनों से, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी,

साधन सहकारी समिति, जोख बलिया, जिला बस्ती के सचिव श्री जनार्दन पाण्डेय के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*2–श्रीमती कमला साहनी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, साधन सहकारी समिति जोख बलिया, वि0 क्षेत्र जोगिया, जनपद बस्ती (श्री जनार्दन पाण्डेय) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 23-9-83 शासन को प्राप्त हुआ है? क्या सरकार सम्बन्धित सचिव को तत्काल कार्यालय से सम्बद्ध कर आरोपों की जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

सचिव को निलम्बित कर उन्हें प्रधान कार्यालय से सम्बद्ध करने हेतु आदेश दिये गये थे, परन्तु उन्होंने अभी तक मुख्यालय पर योगदान नहीं किया है। उन्हें आरोप पत्र दिया गया है। मामले की जांच हो रही है।

श्रीमती कमला साहनी–

माननीय मंत्री जी का मान्यवर, यह जवाब बहुत ही गुमराह करने वाला है क्योंकि इस मामले में बस्ती के ए0आर0 और सचिव की मिलीभगत है, इन लोगों ने फर्जी नामों से कर्जा लिया है। इस सम्बन्ध में मैं कई बार मा0 मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित कर चुकी हूं। और दूसरी बात मान्यवर, जब जांच चल रही है तो सचिव को किस आधार पर निलंबित किया गया है? मान्यवर, मेरा निश्चित मत है है कि इस मामले में सचिव के खिलाफ कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि उसे ऐसी ही जांच के आधार पर एक दिन बहाल कर दिया जायेगा। इसलिए इस संदर्भ में मैं मा0 मंत्री जी से यह जानकारी चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 37 के अनुसार उस सचिव के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री बच्चा पाठक–

सचिव को निलम्बित कर दिया गया है और उनके खिलाफ जांच हो रही है ।

श्रीमती कमला साहनी–

मान्यवर, निलम्बित तो कर दिया है और जांच भी हो रही है, लेकिन उसका चार्ज लेकर उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 37 के अधीन कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है? क्या इसके अधीन कार्यवाही अब करवायेंगे?

श्री अध्यक्ष–

नियम 37 क्या है?

श्रीमती कमला साहनी–

इसके तरहत मान्यवर, यह है कि उसका चार्ज लेकर, जांच किसी अन्य के द्वारा करवाई जाए।

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, जो जांच चल रही है, अगर मा0 सदस्य उससे संतुष्ट नहीं होंगी तो दूसरी जांच करवा देंगे ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, वह जब से निलम्बित किये गये हैं, परन्तु उन्होंने चार्ज नहीं दिया है और सारे कागजात उन्हीं के पास मौजूद हैं, जिन कागजात में लाखों रु0 के गबन के मामले हैं, लेकिन कोई भी कागजात उन्होंने दिए नहीं हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि जिलाधिकारी, पुलिस फोर्स के जरिये उनसे शीघ्र ही चार्ज लिया जाए और सहकारिता विभाग में पुलिस इसीलिए रक्खी गयी है कि वह ऐसे मामलों को टेकअप करे। क्या मा0 मंत्री जी इस आशय के तहत आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक–

मा0 सदस्य यदि कहते हैं कि उनसे कागजात नहीं लिए गए हैं या उन्होंने दिए नहीं हैं, तो इस ओर अब शीघ्र ही कर्यिवाही करायी जायेगी ।

श्री लालसा–

मा0 मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी द्वारा जांच करायी जा रही है और कब से हो रही है ?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, यह जांच पहले ए0डी0सी0ओ0 के माध्यम से शुरू हुई थी परन्तु अब अतिरिक्त जिला नियोजन अधिकारी के माध्यम से हो रही है । यह शिकायत पत्र शासन को 23-9-83 को प्राप्त हुआ है और जांच 15-11-83 से आरम्भ हुई है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धर्मापुर के प्रभारी चिकित्साधिकारी, डा0 सूर्यनाथ सिंह के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*3–श्री मोहन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य धर्मापुर के प्रभारी चिकित्साधिकारी (डा0 सूर्यनाथ सिंह) के विरुद्ध जांच की रिपोर्ट शासन को माह जुलाई, 1983 में प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो उसमें क्या तथ्य पाए गए तथा उसके आधार पर क्या-क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति–

जी हां, जांच रिपोर्ट सितम्बर, 1983 में प्राप्त हुई है जिसमें डा0 सूर्यनाथ सिंह के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताएं तथा अपने कर्तव्यों का समुचित पालन न करने के तथ्य प्रकाश में आये । उक्त रिपोर्ट के आधार पर वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

*4–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

[मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

लखनऊ स्थित लारेन्स टेरेस कालोनी के फ्लैटों को आवंटियों को बेच दिए जाने की मांग

*5–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित लारेन्स टेरेस कालोनी जिसका निर्माण लगभग तीस वर्ष पूर्व हुआ था, के फ्लैट्स आवंटियों को ही बेच देने का प्रस्ताव शासन को विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय हो जायगा और इसकी शर्तें क्या होंगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

(क) जी हां ।

(ख) निर्णय शीघ्र होगा ।

(ग) शर्तों के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अब तक, जो प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शासन को भेजा गया है, उसमें बिक्री की दर के बारे में क्या लिखा गया है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, अभी यह मामला मंत्रिपरिषद् के विचाराधीन है, विचारोपरांत निर्णय का पता चलेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह प्रस्ताव कितने दिन पहले प्राप्त हुआ है और उस समय से लेकर अब तक इसमें कितनी कार्यवाही की गयी है?

श्री लोकपति–

विभाग से मंत्रिपरिषद् के सम्मुख यह मामला आ गया है और मंत्रिपरिषद् उस पर विचार कर रहा है । उसके विचारोपरान्त ही कोई कार्यवाही की जायेगी।

साधन सहकारी समितियों एवं किसान सहकारी समितियों के चुनाव कराने की मांग

*6–श्री नन्दकिशोर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समितियों का चुनाव मार्च, 84 तक कराने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं।

प्रशासनिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण उक्त चुनाव मार्च, 1984 तक कराया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री नन्द किशोर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इसमें प्रशासनिक और व्यावहारिक क्या कठिनाई है, दूसरे इसके एक साल पहले पूरे प्रदेश में पर्चा दाखिल कराया गया और 25-25 रु0 लिए गए। दो चुनाव कराये गये, तो इसमें कठिनाई क्या है कि चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं, जो फार्म का रुपया जमा हुआ है क्या उसको आप वापस करायेंगे ?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, इसमें व्यावहारिक कठिनाई गांव सभा के चुनाव और प्रशासनिक दृष्टिकोण से परिसीमन की वजह से चुनाव नहीं कराये जा सके ।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, यह देखते हुए जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि चुनाव अभी नहीं कराये जा रहे हैं, तो क्या यह आदेश ए0आर0सी0एस0 के जरिए सारे जिलों में पारित करायेंगे? जो बकायेदार वहां एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए गए हैं, उनको क्या वहां से आप हटायेंगे ?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, इसका प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर जिले के रेउसा स्थित अस्पताल के उच्चीकरण की मांग

*7–श्री मुख्तार अनीस–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 82-83 की जिला योजना में रेउसा (सीतापुर) के अस्पताल के उच्चीकरण की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है तथा जिला योजना में धन आवंटित हो गया है? यदि हां, तो इसके निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है?

श्री सीताराम निषाद–

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था 1983-84 के बारे में परन्तु यहां आ गया है 1982-83 के बारे में। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं वह जानते हैं कि मेरे यहां के लिए अस्पताल मंजूर हो गया था, परन्तु पैसा सेन्सर कर दिया है। उसमें काम कब शुरू होगा, आप उद्घाटन कब करेंगे यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री लोकपति–

मान्यवर, जिला योजना में 1983-84 में रेउसा चिकित्सालय स्वीकृत हुआ। जिला योजना में उसके लिये पूरे धन की व्यवस्था नहीं थी, अतः शासन ने उसे 1984-85 में ले लिया है, मार्च के बाद काम शुरू हो जायेगा।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, जिला योजना से इसके लिये 3 लाख रु0 आवंटित किया गया और आपके विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की जिसका नतीजा यह हो रहा है कि वह 3 लाख रु0 लैप्स होने जा रहा है। वहां पर जो भूमि है यदि उस पर आप तत्काल कार्यवाही करवा देंगे, तो जिला योजना से पैसा और मिल जायेगा। काम शुरू होने के पहले आप एक दिन वहां आकर शिलान्यास तो करिये तभी तो काम शुरू हो पायेगा?

श्री लोकपति–

रुपए 3 लाख नहीं बल्कि 5 लाख जिला योजना के अंतर्गत रेउसा चिकित्सालय के लिए दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ तीन चिकित्सालय और बन रहे हैं और 1984-85 में उन चिकित्सालयों का काम शुरू हो जायेगा।

श्री मुख्तार अनीस–

यह कोई बात हुई कि आपने मेरा पैसा काट दिया और दूसरे अस्पतालों के लिये दे दिया इसलिए मान्यवर, मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मुख्तार अनीस सदन त्याग कर चले गये।)

जंगीपुर, टाउन एरिया, गाजीपुर की सड़क की मरम्मत

*8–श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जंगीपुर, टाउन एरिया जनपद गाजीपुर के मुख्य बाजार की सड़क पर विगत कई वर्षों से पानी के जमाव एवं गन्दगी की समस्या चल रही है जिसकी वजह से स्थानीय नागरिकों तथा क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है? क्या सरकार इस दिशा में कोई प्रभावी कदम उठा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां।

सड़क की दशा को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि जंगीपुर, टाउनएरिया जनपद गाजीपुर के मुख्य बाजार की सड़क पर विगत कई वर्षों से पानी का जमाव एवं गन्दगी की समस्या चल रही है, जिसकी वजह से स्थानीय नागरिकों को परेशानी है तो मंत्री जी ने उत्तर दिया "जी हां"। लेकिन इस समस्या का क्या निदान किया गया है, इसके बारे में कोई जवाब नहीं मिला है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब शासन के संज्ञान में यह जानकारी है कि वहां की मुख्य बाजार में पानी का जमाव है और गन्दगी है, तो क्यों नहीं इस समस्या के निदान के लिए कार्यवाही की गयी?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, यह मार्ग, जो है यह भारत सरकार का राजकीय मार्ग है यानी कि नेशनल हाई वे है। भारत सरकार के राज्य परिवहन विभाग को लिखा जा रहा है और कार्यवाही चल रही है, सड़क को ऊंचा करने के लिए कच्ची नालियों के निर्माण के लिए, सीवर लाईन के लिए यह विभिन्न कार्यवाहियां हो रही हैं।

श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)–

मान्यवर, यह अपनी जिम्मेदारी भारत सरकार पर डाल रहे हैं। टाउन एरिया की सफाई की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार की है न कि भारत सरकार की। उत्तर प्रदेश की सरकार वहां के नागरिकों की समस्या के लिए क्या कार्यवाही कर रही है, जिससे कि जो पानी का जमाव है, तथा गन्दगी है, उसे दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्री अरुण कुमार सिंह–

इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा एक लाख रु0 आवंटित हो चुके हैं, खड़ंजे की व्यवस्था मार्च, 1984 तक हो जायेगी। शेष कार्य 1984-85 में धन उपलब्ध हो जाने पर करा दिया जायेगा।

नगर महापालिका, लखनऊ के चिकित्साधिकारियों का निलम्बन

*9–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 10 मार्च, 1982 को नगर महापालिका, लखनऊ के चार चिकित्सा अधिकारी निलम्बित किए गये थे, जिन्होंने आरोप पत्रों के उत्तर लगभग 6 माह पूर्व दे दिए हैं? यदि हां, तो इनके बारे में क्या निर्णय किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरुण कुमार सिंह–

नगर महापालिका, लखनऊ के 4 चिकित्साधिकारी 20 मार्च, 1982 को निलम्बित किये गये थे। इनमें दो चिकित्सा अधिकारियों ने अभी तक आरोप-पत्रों का अंतिम उत्तर नहीं भेजा है। दो चिकित्साधिकारियों के मामले में जांच कार्यवाही पूरी हो चुकी है, जिसमें एक को प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ बहाल कर दिया गया था तथा एक चिकित्साधिकारी का मामला अंतिम निर्णय के लिए शासन के विचार-धीन है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एक चिकित्साधिकारी का मामला है, जिसमें 4 चिकित्साधिकारी एक ही आरोपों पर निलम्बित किये गये। श्री आर0 सी0 जौहरी का निलम्बन निरस्त कर दिया गया और वे सेवा में आ गये। श्री पी0 अरोरा को बहाल कर दिया गया और 2 चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध जो कागजात हैं, उनको मांगने पर दिया नहीं जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि एक से ही आरोपों पर जब 4 चिकित्साधिकारियों के निलम्बन हुए हैं, तो उनकी जांच के लिए अलग-अलग अधिकारी क्यों बनाये गये हैं?

और दूसरी यह कि जब बहाल कर दिया तो उन दो का दो साल तक उत्पीड़न करने की क्या आवश्यकता थी?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, कुछ कागजात उनको दिखाये जा चुके हैं और कुछ के लिए उन्होंने पुनः मांग की है और उसके अंतिम जवाब का समय मांगा है। कार्यवाही करने के लिए दो अलग-अलग विभागों को इसलिए दिया गया कि यह जो चिकित्साधिकारी थे–जैन और गुप्ता–जब जवाब मांगा गया, तो उनको हार्ट अटैक हो गया। यहीं पर घपला हुआ, अगर जवाब समय पर दे दिया गया होता, तो उसी समय निर्णय ले लिया गया होता।

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

मान्यवर, 4 चिकित्साधिकारी निलम्बित किए गए, तो उनकी अलग-अलग इन्क्वायरी कराने का क्या कारण था?

श्री अरुण कुमार सिंह–

ऐसा था कि वह दो कैटेगरी में आते थे, जो मेडिकल डिपार्टमेन्ट से संबंधित थे, उनकी जांच डाइरेक्टर ने की और जो नगर महापालिका से सम्बन्धित थे, उनकी जांच नगर महापालिका द्वारा की गयी इसलिए अलग-अलग की गयी।

जिला पूर्ति अधिकारी, उप नगर खाद्य अधिकारी के पदों पर की गयी पदोन्नति एवं ज्येष्ठता सूची

*10–श्री तपेश्वर–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 3-3-82 को जिन क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों की तदर्थ प्रोन्नति जिला पूर्ति अधिकारी/उप नगर खाद्य अधिकारी के पद पर की गयी थी उस प्रोन्नति सूची में किन-किन क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों का नाम चयन समिति द्वारा अनुमोदित था ? क्या यह सही है कि चयन समिति द्वारा अनुमोदित सभी क्षेत्रीय खाद्य

अधिकारियों की प्रोन्नति नहीं की गयी थी ? और अन्य लोगों की प्रोन्नति की गयी ? क्या यह भी सही है कि विभागीय क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों की अभी तक ज्येष्ठता सूची नहीं बनाई गयी है? यदि हां, तो प्रोन्नति करने का आधार क्या है? तथा क्या शासन ज्येष्ठता के आधार पर उनकी पदावनति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

दिनांक 3-3-82 के आदेश द्वारा प्रोन्नति किये गये सभी जिला पूर्ति अधिकारी/उप नगर खाद्य अधिकारी चयन समिति द्वारा अनुमोदित थे तथा उक्त दिनांक को रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण सभी अनुमोदित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को प्रोन्नत करना सम्भव नहीं था। अभी विभागीय क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची नहीं बनाई गयी है अतः प्रोन्नति उनसे निचले पद वरिष्ठ निरीक्षक के पद की ज्येष्ठता के आधार पर की गयी है। यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री तपेश्वर--

मान्यवर, मुझे यह कहना है कि माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि 3-3-82 को जिनकी प्रोन्नति हो गयी है, उनके नाम चयन समिति में थे । 3-3-82 तक जिनका नाम अनुमोदित था, उन्हीं की प्रोन्नति की गयी है, तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह नाम अनुमोदित थे और यदि हां तो किन-किन के नाम थे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, जो चयन समिति बैठी थी, उसने 13 नाम स्वीकार किए थे । उनमें 5 डाइरेक्ट थे और 8 ऐसे थे, जो प्रमोशन से आये थे, उसी विभाग के इस तरह से 13 आदमियों का अनुमोदन किया गया था । 3-3-82 को जब जगह खाली हुई, तो उसी हिसाब से 3 डाइरेक्ट लिये गये और 6 लिये गये प्रमोशन वाले। इस प्रकार से मान्यवर, 9 आदमियों का प्रमोशन कर दिया गया है ।

श्री तपेश्वर--

मान्यवर, 3-3-82 को कौन-कौन से लोग चयन समिति द्वारा अनुमोदित किए गये थे, उनके नाम क्या हैं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, जो नाम बताये हैं उनमें जो डाइरेक्ट वाले हैं उनके नाम हैं--श्री शीतल प्रसाद, श्री महेश प्रसाद, श्री मोहन सिंह, श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव और श्री शशिकान्त राय । जो विभाग में थे वे 8 आदमी थे । उनके नाम हैं--श्री पी0 पी0 सक्सेना, श्री शमसाद अली खां, श्री अमरेन्द्र निगम, श्री सी0 बी0 श्रीवास्तव, श्री जंग बहादुर चौहान, श्री सुन्दर लाल (अनुसूचित जाति), श्री गोपाल राम टम्टा, (अनुसूचित जाति) तथा श्री फूलचन्द्र (अनुसूचित जाति)। ये 13 व्यक्ति थे।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 5 नाम पहले से अनुमोदित थे उनमें तीन का नहीं किया और जो 9 नाम थे उनमें से एक को कर लिया और दोबारा प्रोन्नति जब फिर से की गयी तो जो दो नाम थे, उनको प्रोन्नत न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

श्रीमन्, शासन के आदेश हैं कि डाइरेक्ट वालों में 50 प्रतिशत और जो प्रोन्नत होंगे, वे 50 प्रतिशत होंगे। लेकिन जो 3 आदमी बढ़े हैं वे अनुसूचित जाति के थे और उनका कोटा पूरा नहीं हो रहा था। इसलिये उसको पूरा करने के लिये उन्हें लिया गया है और इसलिये आधे-आधे किये गये हैं।

*11–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

[4 थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री सी0 बी0 मित्तल, हरदेवगंज, जिला आगरा की नसबन्दी से संबंधित जांच रिपोर्ट

*12–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि विगत आपातकाल में श्री सी0बी0 मित्तल (अविवाहित) निवासी 4/148 हरदेवगंज, बेकनगंज, आगरा की जबरन नसबंदी एवं नस बन्दी से उत्पन्न जटिलताओं के प्रति चिकित्सकों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण श्री मित्तल विकलांग हो गये हैं ? क्या यह सही है कि प्रश्नगत मामले में सचिव, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित भारत सरकार के पत्रांक यू0 पी0/सी0 332/79 जी0सी0 दिनांक 13 जून, 1979 द्वारा संपूर्ण मामले की विस्तार से जांच करके पूर्ण रिपोर्ट भारत सरकार को भेजने के हेतु लिखा था ? यदि हां, तो इसकी जांच किसके द्वारा कराई गयी तथा सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री सीताराम निषाद–

श्री सी0 बी0 मित्तल (नसबन्दी के आवेदन-पत्र पर दो बच्चों के पिता सत्यापित) की स्वेच्छा से नसबन्दी की गयी थी। उन्हें हाथ पैर कांपने की बीमारी है जिसका नस-बन्दी से कोई संबंध नहीं है।

जी हां।

भारत सरकार के पत्र के साथ संलग्न श्री मित्तल के शिकायती पत्र की जांच मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा द्वारा करायी गयी है।

जांच आख्या संलग्न है।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 1242 पर।)

श्री सन्त बख्श रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि जिस समय श्री सी0 बी0 मित्तल का आपरेशन हुआ, उस समय क्या श्री मित्तल के हाथ पैर कांपते थे, उस समय आपरेशन होना चाहिए था या नहीं? क्यों आपरेशन किया गया अथवा आपरेशन की गड़बड़ी से वे विकलांग हो गये? दूसरी बात यह है कि श्री मित्तल ने जो पत्र दिया था, उसमें जो जांच हुयी, उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री लोकपति–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आज तक 20 लाख 78 हजार नसबन्दी हो चुकी है और मैं सन् 58 में नसबन्दी करा चुका हूं। मेरे हाथ पैर तो नहीं कांपते हैं। श्रीमन्, नसबन्दी कराने से किसी के हाथ पैर नहीं कांपते इसलिये कोई प्रश्न नहीं उठता। दूसरी बात यह है कि श्री मित्तल एक बेरोजगार नवयुवक हैं, अस्पताल में रहना चाहते हैं और निःशुल्क भोजन चाहते हैं और यही उनकी बीमारी का कारण है।

श्री सन्तबख्श रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि श्री मित्तल अविवाहित हैं, उनके कोई बच्चे नहीं हैं, निराश्रित हैं । ऐसी स्थिति में उनका आपरेशन हुआ । मैं जानना चाहता हूं कि उनका आपरेशन क्यों हुआ और जब आपरेशन हो गया, तो क्या सरकार उनको सहायता देगी ?

श्री लोकपति–

जी नही । श्री मित्तल ने एक प्रार्थना-पत्र दिया, जिसमें उनके प्रेरक के दस्त-खत हैं । सन् 76 में उन्होंने यह पत्र दिया था । वे दो बच्चों के पिता हैं । संसद में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि अगर किसी के साथ जबरन नसबन्दी हुई हो, तो वह उसके बारे में लिखकर भारत सरकार को दें । उत्तर प्रदेश ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है अत: आप भारत सरकार से बात कीजिये ।

अयोध्या को प्रदूषण से बचाने के लिये विचाराधीन योजना

*13–श्री निर्मल खत्री–

क्या सरकार "अयोध्या" तीर्थ स्थली को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु किसी योजना को लागू करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

अयोध्या में सरयू नदी के जल को प्रदूषण से बचाने के लिये एक योजना पर्यावरण विभाग द्वारा मेसर्स इन्टरनेशनल इंजीनियरिंग ग्रुप, नई दिल्ली में बनवाई जा रही है। अभी योजना प्रतीक्षित है। इसलिए यह कहना सम्भव नहीं है कि उसे कब से लागू किया जा सकेगा।

श्री निर्मल खत्री–

मान्यवर, यह योजना जल्दी बन सके इसके लिए क्या माननीय मंत्री जी स्मरण-पत्र भेजने का कष्ट करेंगे संबंधित संस्था को ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मान्यवर, यह पर्यावरण विभाग भारत सरकार से संबद्ध है । माननीय सदस्य की भावना को जरूर भारत सरकार को पहुंचा देंगे कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण किया जाय ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के कर्मचारियों के स्थालीकरण की मांग

*14–श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री रियासत हुसैन–

द्वितीय सत्र 83 के दिनांक 12-9-83 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सन्दर्भ में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में क्या संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि 1-1-1979 और 1-5-1983 के मध्य कार्य कर रहे कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जायेगा और इस संबंध में उक्त कर्मचारियों के पदों के विरुद्ध किये गये विज्ञापन को वापस ले लिया जायेगा ? यदि हां, तो सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ के 54 असिस्टेंटों के पदों हेतु सेवा मण्डल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक जून/जुलाई, 83 को किये गये विज्ञापन को वापस लेने पर विचार करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया था वह सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिये यह नियम बना है कि जो तदर्थ रूप से नियुक्त हैं, उनको स्थायी करने का निर्णय हो गया है। माननीय मंत्री जी आपके जो कोआपरेटिव विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी भी लम्बी सेवायें हैं और अनुभव प्राप्त हैं तथा उन पदों के लिए पूरी योग्यता रखते हैं । ऐसी स्थिति में जब वह ओवरएज भी हो गये हैं, तो उनको भी सरकारी कर्मचारियों की भांति स्थायी करने में क्या कठिनाई हो रही है, उनकी कठिनाईयों को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों की भांति मानवीय आधार पर स्थायी करने की कृपा करेंगे?

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, सहकारी सेवा मण्डल के माध्यम से सहकारी कर्मचारियों को स्थायी किया जाता है और माननीय सदस्य ने जो बात कही है, तो उनके अनुभव के आधार पर ही उम्र में 5 वर्ष की छूट दी गयी है ।

एलर्जी सम्मेलन से संबंधित शिकायती-पत्र

*15–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री मसरूर जाफरी, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री राम आसरे पासवान, श्री कुबेर भण्डारी, श्री राम सागर तथा श्री यमुना प्रसाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वश्री राम आसरे पासवान, मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, माता प्रसाद पाण्डेय, स्व0 श्री दलगंजन सिंह, राम सागर, कुबेर भण्डारी, हरिवंश सहाय, नन्द किशोर सिंह, राम करन, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या 452 दिनांकित 1-3-83 सचिव स्वास्थ्य को दिनांक 19 नवम्बर, 1982 से प्रारम्भ होकर 21 नवम्बर, 1982 को समाप्त होने वाले एलर्जी सम्मेलन के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त मा0 सदस्यों द्वारा दिये गये उक्त पत्र की जांच किस से कराई गयी और क्या तथ्य प्रकाश में आए और उसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सीता राम निषाद–

जी हां, शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ है । उसमें उल्लिखित आरोपों की जांच अभी जारी है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, हमने जो पत्र दिया है वह 1-3-83 को दिया है और अब एक साल से ज्यादा हो गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कोई निश्चित तिथि बतायेंगे कि किस माह तक इसकी जांच पूरी करके सदन के पटल पर उसे रख देंगे क्योंकि यह बड़ा गम्भीर मामला है?

श्री लोकपति–

जब आदेश कर रखा है कि जांच पूरी होने के दौरान माननीय विधायकों को जिन्होंने शिकायत की है उनको भी साथ लें तो वह आपके सामने आयेंगे और वह शीघ्र हो जायेगा ।

जल निगम द्वारा प्रदेश के ग्रामों में लगाये गये हस्त चालित पम्प

*16–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के ग्रामों में जल निगम द्वारा लगाये गये हस्तचालित पम्प उचित रख-रखाव के अभाव में खराब हो गये हैं? यदि हां, तो कब तक उनको ठीक कराया जायेगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

प्रदेश के ग्रामों में जल निगम द्वारा लगाए हस्तचलित पम्प साधारणतया खराब नहीं हुए हैं । जिन हैण्ड पम्पों के खराब होने की सूचना उत्तर प्रदेश जल निगम को प्राप्त हुई है उन्हें ठीक करा दिया गया है अथवा कराया जा रहा है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि समस्या मेरे ही चुनाव क्षेत्र में नहीं है बल्कि आम समस्या है, सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र में है, यह हैण्डपम्प नयी टैकनीक के हैं और आम आदमी इन्हें ठीक नहीं कर सकता है । जब हम जल निगम वालों से कहते हैं, उनके स्थायी खण्ड वालों से जो इनको लगाता है वह कहते हैं कि हमारा काम लगाने का है, ठीक करने या रख-रखाव का नहीं है, तो क्या वह यह व्यवस्था करेंगे कि ब्लाक स्तर पर जिन हैण्ड पम्पों की सूचना आ जाय उनके लिये जल निगम के कोई विशेष कर्मचारी एक या दो ब्लाक में नियुक्त किये जायं जो इन हैण्ड पम्पों को ठीक करायेंगे नहीं तो यह सरकारी धन का दुरुपयोग है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जैसा माननीय सदस्य ने कहा निश्चित ही यह जल पम्प इस ढंग के हैं कि इनकी टैकनिकल एप्रोच गांव के साधारण आदमी की समझ में नहीं आती है । तो मान्यवर, उसके लिए जल निगम द्वारा एक बुकलैट दी गयी है जो ग्राम प्रधान को दी गयी है कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाय, व्यवस्थित रूप से रखने की प्रक्रिया उसमें बताई है। मान्यवर, जहां तक जानकारी के लिए मैं कह रहा हूं कि विभाग द्वारा यह भी किया गया है कि एक तरह के पोस्टकार्ड ब्लाक स्तर पर भेजे जा रहे हैं जिनको ग्राम पंचायतों और ग्राम प्रधानों को पहुंचाया जायेगा, उनमें मुख्य-मुख्य पुर्जों, आइटम, के नम्बर लिखा दिये गये हैं, जो खराब हो सकते हैं क्योंकि जनरली गांव के लोग इतना पर्याप्त पढ़े नहीं है, इसलिये उनकी सहायता के लिये यह किया गया है कि वह उसको खराब पुर्जे के नम्बर पर टिक कर दें । टिक करने के बाद वह पोस्टकार्ड पोस्ट कर दें जो अधिशासी अभियन्ता के पास आ जायेगा, जिसको वह देख लेंगे और फिर ठीक करा दिया जायेगा । मान्यवर, शुरू में यह कठिनाई आयी थी और तय नहीं हो पा रहा था कि लगने के बाद इसका रख-रखाव का काम कौन विभाग करेगा, जल निगम या ग्रामीण

[श्री अरुण कुमार सिंह]

संस्थाएं । इसलिए जब चीज इस्तेमाल होगी, तो वह खराब भी हो सकती है, जिसका निस्तारण किया जायेगा । मान्यवर, मेन्टीनेन्स के लिये 25 लाख रुपये उपलब्ध करा दिये गये हैं, यदि कहीं शिकायत है, तो शासन को उसकी जानकारी करायें, तो उसको ठीक करा दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री रियासत हुसैन–

मेन्टीनेन्स कौन विभाग करेगा ?

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मेन्टीनेन्स कौन विभाग करेगा, इसका उत्तर दिलवा दें?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

(व्यवधान)

श्री फूल चन्द्र, जिलापूर्ति अधिकारी, उन्नाव की पदावनति और अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र

*17–श्री हरगोविन्द वर्मा–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फूलचन्द्र, जिला पूर्ति अधिकारी, उन्नाव की पदावनति क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से वरिष्ठ निरीक्षक के पद पर दिनांक 13-7-78 को किन कारणों से की गयी थी? क्या यह सही है कि श्री फूलचन्द्र ने दि0 30-5-77 को गोण्ड जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र अतिरिक्त जिला अधिकारी (आपूर्ति) वाराणसी से प्राप्त किया था जबकि वह सक्षम अधिकारी नहीं थे और फिर भी विभाग ने बिना किसी आपत्ति के उसे स्वीकार करके दि0 14-7-77 को अनुसूचित जाति के कोटे में प्रोन्नति दी जबकि वह पिछड़ी जाति (कहार) के हैं? यदि हां, तो क्या विभाग पदावनति करके उनके तथा सम्बधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करेंगे,

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति) वाराणसी के श्री फूल चन्द्र को दिनांक 30-5-77 को अनुसूचित जाति का होने के प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के पद पर तदर्थ प्रोन्नति दी गई थी, परन्तु जिलाधिकारी देवरिया की रिपोर्ट दिनांक 7-6-78 जिसमें उन्होंने श्री फूलचन्द्र को अनुसूचित जाति का नहीं बताया के आधार पर उनकी पदावनति वरिष्ठ निरीक्षक के पद पर दिनांक 13-7-78 को की गयी थी जिसके विरुद्ध श्री फूल चन्द्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका अभी तक विचाराधीन है।

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया

लखनऊ नगर के कतिपय सिनेमाघरों का क्षेत्रफल एवं उनको प्रदान की गयी स्वीकृति

*18–श्री केदारनाथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ मास्टर प्लान के अनुसार पार्किंग स्थल को सम्मिलित करते हुए सिनेमा हाल के लिए 0.50 एकड़ से 0.75 एकड़ तक का क्षेत्रफल आवंटित किया जाना चाहिए? यदि हां, तो मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मास्टर प्लान की स्वीकृति के उपरान्त लखनऊ नगर में जिन दस सिनेमा गृहों (शिल्पी, तुलसी, गुलाब, लीला, जयभारत, उमराव, अलंकार, प्रतिभा, माधव और अंजुमन सिनेमा गृहों) के भवनों की स्वीकृति यथास्थिति नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र या उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दी गयी, उनमें से किन-किन सिनेमा गृहों का क्षेत्रफल 0.50 एकड़ से कम था और उन्हें किन परिस्थितियों में और किसके द्वारा लखनऊ मास्टर प्लान के उक्त उपबन्ध से छूट दी गयी?

पंचायती राज, ग्राम्य तथा नगर विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)–

जी हां।

मास्टर प्लान में ऐसा प्राविधान है जिसके अनुसार ही सभी सिनेमा भवन जिनका क्षेत्रफल 0.50 एकड़ से ज्यादा है की स्वीकृति प्रदान की गई। केवल अलंकार, शिल्पी तथा जयभारत सिनेमा जो नगर के पुरानी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है, उनका क्षेत्रफल अवश्य कम है। महायोजना दि0 27-1-1970 को शासन द्वारा स्वीकृति तथा दिनांक 27-2-1970 से प्रभावी हुई थी शिल्पी सिनेमा का भवन मानचित्र महायोजना लागू होने से पूर्व दिनांक: 13-11-1969 को स्वीकृत हुआ। शेष दो सिनेमा गृह (अलंकार, जयभारत) के भवन क्रमश: 23-6-1972 एवं 25-7-1975 को स्वीकृत हुए थे।

इन सिनेमा भवनों के मानचित्र सिनेमाटोग्राफ एक्ट के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् नियत प्राधिकारी ने स्वीकृति की है।

*19–श्री जैराज गौतम–

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

प्रदेश के मेडिकल कालेजों के लिये गवर्निंग बाडी बनाये जाने की मांग

*20–श्री रेवती रमण सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0 प्र0 में मेडिकल कालेजों की व्यवस्था का ध्यान में रखते हुए क्या सरकार हर मेडिकल कालेज के लिए गवर्निंग बाडी बनायेगी जिसमें मन्त्री, स्वास्थ्य निदेशक एवं सचिव, स्वास्थ्य तथा प्रत्येक मेडिकल कालेज से पांच लोग विभिन्न विभाग के प्रोफेसर तथा एक-दो विशिष्ट लोग बाहर से रखे जिससे व्यवस्था में सुधार किया जा सके? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री लोकपति–

जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

बलरामपुर, केन्द्रीय सहकारी बैंक, गोण्डा के सम्बन्ध में की गयी जांच

1—श्री अकबाल हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के जिला सहकारी बैंक के भू0 पू0 चेयरमैन श्री महेश्वर दत्त सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार अथवा गबन के सम्बन्ध में कोई जांच सरकार ने वर्ष 1974-75 में कराई थी ? यदि हां, तो वह जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं ।

जो जांच करायी गयी थी, वह बलरामपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के संघटन कार्य संचालन तथा वित्तीय दशा के सम्बन्ध में थी ।

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, मोदीनगर, गाजियाबाद के कर्मचारियों का स्थायीकरण

2—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क0 रा0 बी0 चिकित्सालय, मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के कर्मचारियों को शासनादेश संख्या 45/1/72 ओ0एण्ड0एन0 दिनांक 4 जून, 1975 के अनुसार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक कितने कर्मचारियों को अस्थायी से स्थायी किया गया ?

श्री लोकपति—

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद में कार्यरत 88 कर्मचारियों में से 59 कर्मचारियों को स्थायी किया जा चुका है । शेष कर्मचारी स्थायीकरण के लिए अभी अर्ह नहीं है ।

3—श्री कुंवर सिंह नेगी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने कारण निरस्त]

डा0 आर0बी0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षक जिला चिकित्सालय, सीतापुर द्वारा मेसर्स ग्रोवर एण्ड कं0 से खरीदी गयी दवाएं

4—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 आर0बी0 श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सीतापुर ने मेसर्स ग्रोवर एण्ड कं0, लखनऊ तथा अन्य निम्न स्तर की फर्मों से कितने मूल्य की औषधियों का क्रय किया ? उक्त फर्म से औषधियां क्रय करने के कारण वहां के तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, उप मु0 चि0 अधिकारी निलम्बित किए गये परन्तु डा0 आर0 बी0 श्रीवास्तव के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? वर्ष 1978-79 के बजट से कितना अधिक व्यय जिला चिकित्सालय, सीतापुर में किया गया ?

श्री लोकपति–

डा0 आर0 बी0 श्रीवास्तव तत्कालीन अधीक्षक जिला चिकित्सालय, सीतापुर ने मेसर्स ग्रीवर एण्ड कम्पनी से वर्ष 1979-80 में रुपये 83404.78 के मूल्य की औषधियां क्रय की थीं । सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी सतर्कता विभाग के जांच के फलस्वरूप निलम्बित किये गये । डा0 आर0 बी0 श्रीवास्तव के विरुद्ध कोई सतर्कता जांच नहीं की गयी । चूंकि सीतापुर से सम्बन्धित सभी अभिलेख अभी तक सतर्कता अधिष्ठान के पास थे अतः डा0 श्रीवास्तव द्वारा किये गये क्रय के सम्बन्ध में अभी तक जांच नहीं की जा सकी । अब सभी अभिलेख प्राप्त हो गये हैं अतः उनके द्वारा किये गये क्रयों के सम्बन्ध में जांच के आदेश निदेशक को दे दिये गये हैं । वर्ष 1978-79 में औषधियों के क्रय हेतु कुल बजट 1,28,700 रुपये था, जब-कि कुल 7,21,921.58 रुपये व्यय किया गया।

श्री वी0 बी0 सिन्हा, जिलाधिकरी मुरादाबाद की मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति

5–श्री जितेन्द्र पाल सिंह तथा श्री जीराज सिंह मौर्य–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद मुरादाबाद में श्री वी0 बी0 सिन्हा, जिलाधिकारी, मुरादाबाद जून, 1982 में शासन द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किये गये थे? यदि हां, तो इस नियुक्ति की अवधि व नोटीफिकेशन की तारीख क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव–

शासकीय अधिसूचना दिनांक 29-3-1981 के अनुसार आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। मंडलायुक्त श्री अरविन्द वर्मा के स्थानान्तरण के फलस्वरूप नियुक्ति विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 21-8-1982 में श्री विपिन बिहारी सिन्हा, जिलाधिकारी, मुरादाबाद को दिनांक 22-1-82 से 15-6-82 तक के लिए आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल भी नियुक्त किया गया था और मण्डलायुक्त की हैसियत से श्री सिन्हा ने उक्त प्राधिकरण में अध्यक्ष का कार्य देखा।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, लखनऊ में सहायक अभियन्ता यांत्रिक के पद पर नियुक्ति

6–श्री सरदार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में सहायक अभियन्ता यांत्रिक के कितने पद 1-1-1980 से अब तक रिक्त पड़े हुए हैं ? क्या यह सही है कि बिना लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के सहायक अभियन्ता यांत्रिक के पद पर दिसम्बर, 1982 में किसी कनिष्ठ टेक्नालोजिस्ट की नियुक्ति की गयी ? क्या लोक सेवा आयोग द्वारा कब उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से नाम मांगे गये थे ? यदि नहीं, तो बिना लोक सेवा आयोग द्वारा नाम मांगे अथवा निदेशालय द्वारा बिना किसी साक्षात्कार के केवल एक व्यक्ति को प्रोन्नति देने का आधार क्या था ?

श्री लोकपति–

कोई पद रिक्त नहीं है । विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल में सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद को कार्यहित में तदर्थ प्रोन्नति द्वारा भरे जाने का निर्णय वर्ष 1982 में लिया गया था जिसके अनुसार उक्त सेल में टेक्नालोजिस्ट (यांत्रिक) के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों में से ज्येष्ठता, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए, के आधार पर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर विधिवत तदर्थ प्रोन्नति दिसम्बर, 1982 में कर दी गयी थी । अतः यह कहना सही नहीं है कि किसी कनिष्ठ टेक्नालोजिस्ट की उक्त पद पर नियुक्ति की गयी थी । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, लखनऊ में विद्युत यांत्रिक अनुरक्षण सेल के टेक्नोलाजिस्ट के पद हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा कथित चयन

7–श्री सरदार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के विद्युत यांत्रिक अनुरक्षण सेल में लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद से वर्ष 1981-82 में टेक्नालोजिस्टों को उनके मूल पद पर स्थायी करने हेतु कोई साक्षात्कार करने के बाद वरिष्ठता सूची भेजी गयी थी ? यदि हां, तो मन्त्री जी उपरोक्त ग्रेडेशन लिस्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति–

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, लखनऊ में सहायक अभियन्ता यांत्रिक के पद पर नियुक्ति का आधार

8–श्री सरदार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में 1 दिसम्बर, 1982 को टेक्नोलाजिस्ट से सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर जो पदोन्नति की गयी थी, उसका आधार क्या था ? क्या यह सही है कि उस समय इसी विभाग में कई अन्य वरिष्ठ टेक्नोलाजिस्ट कार्यरत थे? क्या मंत्री जी वरिष्ठ टेक्नोलाजिस्ट को सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्त करने हेतु आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति–

टेक्नोलाजिस्ट से सहायक अभियन्ता(यांत्रिक) के पद पर दिनांक 1 दिसम्बर, 1982 को जो पदोन्नति की गयी थी वह विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल में की गयी और वह उक्त सेल में टेक्नोलाजिस्ट (यांत्रिक के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों में से ज्येष्ठता, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए, के आधार पर की गयी थी। चूंकि इस पदोन्नति की पात्रता क्षेत्र में केवल विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण सेल में टेक्नोलाजिस्ट (यांत्रिक) के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी ही आते हैं अतः शेष प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किया गया परिवार कल्याण कार्यक्रम

9–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जून, 1980 से लेकर अब तक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत बांदा विधान सभा क्षेत्र में क्या-क्या कार्य किये गये? इसका पूर्ण ब्योरा क्या है?

श्री लोकपति–

बांदा विधान सभा क्षेत्र में जून, 1980 से अब तक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति आकर्षित करने के लिए फिल्म शों, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ड्रामा, प्रदर्शनी आदि भिन्न स्थानों पर आयोजित की गयी। फलस्वरूप निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल हुई।

	नसबन्दी	लूपनिवेशन
1–दिनांक 1-4-80 से 31-3-81 तक	69	67
2–दिनांक 1-4-81 से 31-3-82 तक	247	241
3–दिनांक 1-4-82 से 31-3-83 तक	658	555
4–दिनांक 1-4-83 से 31-12-83 तक	1787	1764

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धर्मापुर, जौनपुर के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

10–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि (डा0 सूर्य नाथ सिंह) प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 के0 धर्मापुर, जौनपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत जनवरी, 1983 से अब तक विभिन्न सांसदों द्वारा कितने शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुए? उन में कौन-कौन तथ्य थे तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति–

जनवरी 1983 से अब तक दो सांसदों के शिकायती पत्र प्राप्त हुये जिनमें डा0 एस0 एन0 सिंह प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धर्मापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गयी है। डा0 सिंह के विरुद्ध जांच करायी गयी जिसके आधार पर डा0 सिंह को धर्मापुर से स्थानान्तरित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यालय अधीक्षक अभियन्ता, जल निगम, कानपुर के समक्ष स्वरूपनगर के वर्क चार्ज कर्मचारियों का अनशन

11–श्री कुबेर भंडारी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय निवास अधीक्षण अभियंता पंचदश मंडल, उ0प्र0 जल निगम पाण्डु नगर, कानपुर के समक्ष दिनांक 1 अगस्त, 1983 से चतुर्थ अस्थायी निर्माण शाखा, स्वरूप नगर के वर्कचार्ज कर्मचारियों द्वारा क्रमिक अनशन चलाया जा रहा है? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा उनमें से ओदर एज हो रहे कर्मचारियों को सरकार खपाने की कार्यवाही करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव–

क्रमिक धरना दिनांक 1 अगस्त, 83 से चल रहा था, जो 5 अक्टूबर, 83 को समाप्त हो गया। मांगों की सूची संलग्न है। उनकी मुख्य मांग नियमितीकरण की थी, जिसके बारे में जल निगम द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि से निरन्तर कार्यरत ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारियों को जो आगे सेवा में बनाये रखने योग्य पाये जायेंगे, नियमित कार्य प्रभारित अधिष्ठान में आवश्यक विनियम बनाकर खपाया जायेगा। कार्य प्रभारित कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 1243 पर।)

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद की बांदा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

12–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 17-6-1982 का बांदा भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण किये जाने की सूचना के संबंध में प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो 30 सितम्बर, 1983 तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां, जांचोपरान्त ज्ञात हुआ कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की बांदा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, में समाविष्ट खसरा भू-खण्ड संख्या 972 जो नजूल भूमि है पर "डाल सिंचाई खण्ड" द्वारा कुछ अस्थाई निर्माण करा लिया गया है। अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

बांदा जिले में नर्सिंग सेन्टर की स्थापना का कथित निर्णय

13–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा वर्ष 1981 में बांदा में एक नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर खोलने का निर्णय किया गया था? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा नगर में महिला चिकित्सालय भवन का निर्माण

14–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की ओर से बांदा नगर में महिला चिकित्सालय भवन निर्माण की घोषणा की जा चुकी है? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

जी हां। बांदा नगर में महिला चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की जा रही है। परिव्यय उपलब्ध होने पर ही कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

बांदा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं पर व्यय की गयी धनराशि

15–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जून, 1980 से लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कौन-कौन सी योजनायें लागू की गयीं तथा इन पर कितना-कितना धन व्यय हुआ?

श्री लोकपति–

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ग आगे पृष्ठ 1244 पर।)

संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन, गोरखपुर मण्डल द्वारा किया गया स्वास्थ्य निरीक्षकों का स्थानान्तरण एवं नियुक्तियां

16–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन गोरखपुर मंडल ने वर्ष 1982-83 में कितने स्वास्थ्य निरीक्षकों का स्थानान्तरण कब-कब किया? क्या उक्त आदेशों का परिपालन हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

एक स्वास्थ्य निरीक्षक का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29 जून, 1982 को पारित किया था।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

17–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 82-83 में उक्त अधिकारी ने कितने नये लोगों की नियुक्तियां की? क्या यह सच है कि ये नियुक्तियां बिना स्थान सृजन एवं पद विज्ञापित किए ही की गयी? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति–

सूचना एकत्र की जा रही है।

18–19–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

20–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-103 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जिला सहकारी बैंक लि0 हरदोई की शाखा बेहदर के प्रबंधक, श्री राजा बख्श सिंह के विरुद्ध जांच रिपोर्ट एवं स्थानान्तरण

21–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0 हरदोई **की शाखा बेहदर के शाखा प्रबंधक (श्री राजा बख्श सिंह) के द्वारा एकीकृत ग्राम्य विकास** योजना के अंतर्गत वर्ष, 1983 में की गयी अनियमितताओं की जांच परगना अधिकारी संडीला (श्री रावत) ने करके आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा था? यदि हां, तो क्या मंत्री

जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

परगनाधिकारी, संडीला की जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री राजा बख्श सिंह को तत्काल शाखा बेहदर से स्थानान्तरित कर दिया गया। अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु श्री श्रीनाथ गुप्ता, की परसोनेल, जिला सहकारी बैंक लि0, हरदोई को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री सिंह के विरुद्ध कोई गबन/धन दुरुपयोग का मामला प्रकाश में नहीं आया, किन्तु उनकी कार्यों के प्रति उदासीनता अवश्य परिलक्षित हुई, जिसके लिए श्री सिंह की चरित्र-पंजिका में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गयी है।

22–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

लखनऊ स्थित लारेंस टेरेस कालोनी, की सड़क के मरम्मत की मांग

23–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित लारेंस टेरेस कालोनी के बीच सड़क का जीर्णोद्धार विगत कितने वर्षों से नहीं हुआ है और इसका जीर्णोद्धार कब तक करा दिया जायेगा?

श्री बलराम सिंह यादव–

प्रश्नगत कालोनी के मध्य जो सड़क है वह भारी यातायात के प्रयोग में नहीं जाती है इसलिए इसका जीर्णोद्धार विगत कई वर्षों से कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस सड़क की आवश्यकतानुसार प्रति वर्ष पैच-मरम्मत करायी जाती रही है।

लखनऊ स्थित लारेन्स टेरेस कालोनी की मरम्मत

24–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित लारेंस टेरेंस कालोनी जिसका निर्माण लगभग तीस वर्ष पूर्व इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा कराया गया था और वर्तमान समय में जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन आती है के फ्लैट्स की मरम्मत का प्राविधान समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री बलराम सिंह यादव–

लारेंस टेरेंस कालोनी के फ्लैट्स की मरम्मत का प्राविधान समाप्त नहीं किया गया है।

संभल नगरपालिका की सीमा के अंतर्गत ग्राम धुघावली में श्री फरीदुद्दीन द्वारा क्रय की गयी भूमि पर कब्जा एवं चुंगी भवन का निर्माण एवं उसका क्षेत्रफल

25–श्री रमाकान्त मिश्र–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 6ठे गुरु के लिए निर्धारित अता0प्र0सं0 53 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस भूमि पर चुंगी की इमारत थी उक्त भूमि को श्री फरीदुद्दीन खां द्वारा क्रय कर लिया गया? यदि हां, तो यह भूमि कब और किसके द्वारा बेची गयी है?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत भूमि लिक्वीडेशन आफिसर/एस0 डी0 एम0 सम्भल द्वारा नीलाम कर दिनांक 5-2-73 को बेची गयी थी।

26–श्री रमाकान्त मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त चुंगी का पुराना भवन कितने क्षेत्रफल में निर्मित था एवं नया भवन कितने क्षेत्रफल पर बनाया गया है? क्या दोनों भवनों के क्षेत्रफल बराबर हैं या कुछ अन्तर है? क्या चुंगी का पुराना भवन स्थानान्तरण करने से पूर्व मूल्यांकित कराया गया था तथा क्या नये भवन जिसके विपरीत उक्त भवन स्थानान्तरित किया गया है, का भी मूल्यांकन स्थानान्तरण करने से पूर्व किया गया था? क्या दोनों भवनों के मूल्यांकन में कोई अन्तर था? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

चुंगी का पुराना भवन 1554.00 वर्ग फीट में निर्मित था व नया भवन 1848.60 वर्ग फीट में निर्मित किया गया है।

नये भवन का क्षेत्रफल अधिक है।

पुराने भवन का मूल्यांकन नहीं कराया गया था क्योंकि वह जीर्ण-शीर्ण दशा में था। नये भवन, जिसमें कुल सामग्री नयी लगवायी गयी, का मूल्यांकन निर्माणोपरान्त किया गया था।

27–श्री रमाकान्त मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्री फरीदुद्दीन खां द्वारा संबंधित ग्राम घोंघावली नगरपालिका संभल के क्षेत्र के खसरा नं0 2 में कुल कितनी भूमि अर्जित की गई है? क्या श्री फरीदुद्दीन खां द्वारा जितनी भूमि क्रय की गई है, उतनी ही भूमि पर उनका आधिपत्य है? यदि उससे अधिक पर कब्जा है तो उसको हटाने के लिए नगरपालिका संभल क्यों बिलम्ब करा रही है?

श्री बलराम सिंह यादव–

श्री फरीदुद्दीन खां द्वारा 35 बीघा 5 बिस्वां आराजी नीलाम के द्वारा क्रय की गयी थी।

मौके पर, क्रय की गई भूमि से कम भूमि पर श्री फरीदुद्दीन खां का आधिपत्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले के कतिपय विकास खण्डों के किसानों को खाद में दिया गया अनुदान

28–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80-81 में सीमान्त व लघु किसानों को खाद में 25 प्रतिशत व 33 प्रतिशत का अनुदान सरकार द्वारा दिया गया था? यदि हां, तो जनपद देवरिया के विकास खंड रुद्रपुर, देसही देवरिया, गौरीबाजार, बैतालपुर तथा रामपुर कारखाना के सीमान्त तथा लघु किसानों को खाद में अनुदान न देने का कारण क्या है? क्या इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगरपालिका देवरिया के भुजौली मोहल्ले में पेयजल की व्यवस्था

29–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका देवरिया के वार्ड 1 भुजौली मुहल्ले के लोगों के पेयजल, जल निकास तथा विद्युत की कोई व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

देवरिया नगर पालिका वार्ड नं0 1 के भुजौली मोहल्ले में पेयजल की व्यवस्था है परन्तु जल निकासी की व्यवस्था विचाराधीन है।

30–श्री हरगोविन्द शर्मा–

–[दिनांक 1-9-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या-84 द्वारा उत्तरित।]

साधन सहकारी समिति धौरा, कुइयां मदारपुर, जिला उन्नाव के सचिव का स्थानान्तरण और उनके विरुद्ध शिकायती-पत्र

31–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष 1982 से अब तक साधन सहकारी समिति धवरा कुइयां मदारपुर, तह0 हसनगंज जनपद उन्नाव के वर्तमान सचिव का कितने बार स्थानान्तरण किया गया? क्या यह भी सही है कि स्थानान्तरण तथा रिलीव होने के बाद भी उनकी पुनः उपरोक्त साधन सहकारी समिति में ही नियुक्ति की गयी? यदि हां, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

विगत वर्ष 1982 से अब तक साधन सहकारी समिति धौरा कुइयां, मदारपुर, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के वर्तमान सचिव का चार-बार विभिन्न परिस्थितियों में स्थानान्तरण किया गया।

जी हां। ऐसा जनहित में किया गया।

32–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या सहकारिता मंत्री को यह जानकारी है कि साधन सहकारी समिति धौरा कुइयां मदारपुर, तहसील हसनगंज उन्नाव के वर्तमान सचिव के लेखा जोखा में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पाये गये जिनकी शिकायत भी वर्ष 1983 में क्षेत्रीय सुपरवाइजर (सहकारी) ने सहायक निबंधक, उन्नाव के पास भेजी ? यदि हां, तो उक्त शिकायतें क्या थी और उसकी जांच किस अधिकारी ने कब की तथा उसके अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक–

साधन सहकारी समिति लि0, धौरा कुइयां, मदारपुर तहसील हसनगंज, जनपद, उन्नाव के वर्तमान सचिव के विरुद्ध क्षेत्रीय सुपरवाइजर (सहकारिता) द्वारा सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उन्नाव को एक शिकायती पत्र दिनांक 31-10 83 प्रेषित

किया गया था । शिकायती पत्र की प्रति संलग्न है । इसकी जांच सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता), विकास खण्ड, हसनगंज ने दिनांक 7-12-83 को की थी ।

जांच से शिकायतें निराधार पायी गयी । अतः उनपर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 1245 पर ।)

33–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया ।]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोपागंज, आजमगढ़ के चिकित्साधिकारी, डा0 एस0 एन0 प्रसाद द्वारा दिया गया लिपिक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

34–श्री तपेश्वर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी, (डा0 एस0 एन0 प्रसाद) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोपागंज, आजमगढ़ ने अपने लिपिक के विरुद्ध कोई लिखित शिकायत उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी घोसी के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ को दी थी ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या थीं ? तथा उस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति–

जी, हां ।

मुख्य शिकायतें एक पेंशन प्रकरण के त्वरित निस्तारित न किये जाने, आदेशों की अवहेलना एवं हरिजन कर्मचारियों के साथ बुरे व्यवहार के विषय में थी। मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ द्वारा सम्बन्धित लिपिक का स्थानान्तरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडरांव कर दिया गया था किन्तु बाद में उनके स्थानान्तरण को रोक दिया गया ।

गढ़वाल एवं कुमांऊ मण्डलों के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

35–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल एवं कुमाऊं में सभी प्रकार के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं? इन रिक्तियों को पूर्ण करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं, तथा रिक्तियां कब तक पूर्ण की जायेंगी?

श्री लोकपति–

गढ़वाल एवं कुमाऊं में सभी प्रकार के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के निम्न पद रिक्त हैं:–

(1) एलोपैथिक	427 पद
(2) आयुर्वेदिक	60 पद
(3) होम्योपेथिक	11 पद

रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है ।

अयोध्या के कार्तिक पूर्णिमा मेले के प्रान्तीयकरण की मांग

36–श्री निर्मल खत्री–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "अयोध्या" के कार्तिक पूर्णिमा मेले का प्रान्तीयकरण सरकार करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा प्रान्तीयकरण के क्या मापदण्ड अपनाये जाते है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

अयोध्या के कार्तिक पूर्णिमा मेले को प्रान्तीयकृत करने का प्रस्ताव शासन ने विचारोपरान्त फिलहाल अस्वीकृत कर दिया है ।

मेलों को प्रान्तीयकृत करने हेतु मापदण्ड निर्धारित किये जा रहे हैं ।

कर्मचारियों का वेतन बैंक से लिये जाने के संबंध में प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद का आदेश

37–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज इलाहाबाद द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनका वेतन बैंक के माध्यम से लेने हेतु विवश किए जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

जी, हां ।

प्रधानाचार्य ने ऐसी व्यवस्था की थी । किन्तु अब उन्हें कर्मचारियों को वेतन का नकद भुगतान करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

इन्दिरानगर कालोनी में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था

38–श्री मथुरा प्रसाद पाण्डे–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरानगर स्थित राजकीय कर्मचारियों की कालोनी, में स्ट्रीट लाईट की अभी तक क्या व्यवस्था की गयी है तथा नालियों एवं पार्कों के अनुरक्षण की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

इन्दिरा नगर स्थित राजकीय कर्मचारियों की कालोनी में इलेक्ट्रिक पोल्स में ट्यूब लाइट लगाकर स्ट्रीट लाइट की समुचित व्यवस्था की गयी है। उक्त राजकीय कालोनी में अन्य सेवाओं की भांति नालियों की सफाई तथा पार्कों के अनुरक्षण का कार्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा किया जा रहा है ।

महिला चिकित्सालय, लखनऊ में श्रीमती कनीज फातिमा की मृत्यु एवं डाक्टरों की कथित लापरवाही की जांच

39–श्री राम आसरे पासवान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24 अक्तूबर, 1982 को महिला चिकित्सालय, लखनऊ में श्रीमती कनीज फातिमा, पत्नी श्री मोहम्मद शफीक, प्रवर वर्ग सहायक, उ0 प्र0 सचिवालय की मृत्यु अस्पताल के अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही से होने के बारे में कोई विभागीय जांच करवाई गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति–

जी, हां ।

परन्तु जांच में यह साक्ष्य नहीं मिला कि श्रीमती कनीज फातिमा की मृत्यु चिकित्सा अधिकारियों या कर्मचारियों की लापरवाही से हुई ।

जांच लखनऊ मण्डल के संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक द्वारा करायी गयी।

अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

चौपटिया, लखनऊ के पूर्ति निरीक्षक, श्री अव्वल सिंह वर्तवाल के लापता होने की घटना एवं उनकी देय धनराशि

40–श्री कुंवर सिंह नेगी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे गुरुवार के प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 86 के उत्तर के संबंध में क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लापता पूर्ति निरीक्षक, श्री अव्वल सिंह वर्तवाल के उत्तराधिकारियों को देय धनराशि एवं पारिवारिक पेंशन का भुगतान क्यों नहीं किया गया? भुगतान में विलम्ब का क्या कारण है तथा भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

श्री अव्वल सिंह वर्तवाल, लापता पूर्ति निरीक्षक के किसी उत्तराधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण अपेक्षित कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है । वांछित आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए श्री वर्तवाल के पिता को लिखा गया है, जिनसे आवेदन पत्रों के प्राप्त होने पर देय भुगतान की दिशा में कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

श्री एस0 के0 मुकर्जी, तत्कालीन आर0 एफ0 सी0 गोरखपुर द्वारा कतिपय कर्मचारियों की नियुक्ति

41––श्रीमती कमला साहनी–

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि श्री एस0 के0 मुकर्जी तत्कालीन आर0 एफ0 सी0 गोरखपुर द्वारा 1975 में साक्षात्कार के आधार पर 28 लिपिकों, 42 लेखा लिपिकों तथा कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को, लेबी में कार्य करने हेतु चयनित किया गया था? यदि हां, तो उक्त चयनित व्यक्तियों में से कितने को रेगुलर सेवा का अवसर दे दिया गया है तथा शेष को कब तक रेगुलर सेवा में ले लिया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

जी हां,

खरी क्रय योजना 1975-76 में विभाग के छटनी शुदा कर्मचारियों के मध्य से तथा सेवायोजन कार्यालय से आये हुये अभ्यार्थियों में से साक्षात्कार के आधार पर किये गये चयन द्वारा सीजनल पदों पर तदर्थ रूप से 15 जुलाई 1975 तक के लिये ये नियुक्तियां की गयी थी ।

समय-समय पर रिक्तियों के उपलब्ध होने पर क्रमागत कर्मचारियों में से लेखाकार, तृतीय श्रेणी लिपिक, ज्येष्ठ लेखा लिपिक, चतुर्थ श्रेणी लिपिक, कामदार तथा चौकीदार के क्रमशः 1, 1, 7, 2, 2, तथा 16 पदों पर नियमित नियुक्तियां की जा चुकी

हैं और एक कामदार की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है । शेष कर्मचारियों को रिक्तियों के उपलब्ध होने पर ही नियमित रूप से सेवा में लिया जा सकेगा । अतएव निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कब तक कर दिया जायेगा।

42–श्री कुंवर सिंह नेगी–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जल संस्थान, लखनऊ के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

43–श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान लखनऊ के अन्तर्गत तीन वर्षों की अवधि से अधिक कितने कर्मचारी व श्रमिक किन-किन पदों पर कब से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि उक्त प्रकार के दैनिक कर्मचारी व श्रमिकों में से कुछ लोग स्थायी किये गये हैं? यदि हां, तो उनकी सेवा अवधि क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जल संस्थान लखनऊ के अन्तर्गत तीन वर्षों की अवधि से अधिक केवल 22 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 4 लिपिक, 1 उप पम्प चालक तथा 17 गैंगमैन/बेलदार कार्यरत हैं जिनमें से 13 कर्मचारी 3-4 वर्षों से कार्य कर रहे हैं तथा एक कर्मचारी 5 वर्ष से कार्यरत है इनमें से किसी कर्मचारी को अभी तक स्थाई नहीं किया गया है ।

44–श्री रघुवीर सिंह यादव–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

प्रदेश की नगरपालिकाओं, टाउन एरिया एवं नोटीफाइड एरिया के लिये समिति बनाने की मांग

45–श्री रघुवीर सिंह यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया व नोटीफाइड एरिया व नगर-पालिकाओं यदि के चुनाव न होने तक उनके कार्य संचालन देखने के हेतु पब्लिक के लोगों की कोई कमेटी बनाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी नहीं।

शासन ने स्थानीय निकायों के चुनाव शीघ्र कराने का निर्णय लिया है अतः कमेटी के गठन की आवश्यकता नहीं है।

उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

46–श्री अम्बिका नाथ सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 में उ0प्र0 को-आपरेटिव बैंक लि0 लखनऊ में दैनिक वेतन, संकलित वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को बोनस दिये जाने हेतु विधिक राय न्याय विभाग से ली गयी थी? यदि हां, तो समान परिस्थितियों में वर्ष 1978-79 तथा 79-80 के बोनस दिये जाने हेतु दोबारा विधिक राय लिये जाने का क्या औचित्य है?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां। वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के बोनस भुगतान हेतु उस समय विधिक राय नहीं मांगी गयी थी, अतएव बैंक ने यह आवश्यक समझा कि उक्त वर्षों के बोनस भुगतान हेतु भी विधिक राय प्राप्त कर ली जाय।

बस्ती जिले की टाउन एरिया बढ़नी एवं कतिपय ग्राम सभाओं में चीनी न मिलने की कथित शिकायत

47–श्रीमती कमला साहनी–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया बढ़नी, वार्ड 2 और 8 तथा ग्राम सभा सिसवा ग्राम सभा खजुरिया एवं रमनगरा, विकास क्षेत्र बढ़नी, जनपद बस्ती आदि में आज तक मिट्टी तेल एवं राशन तथा चीनी कई महीनों से न दिये जाने के संदर्भ में परगना अधिकारी, नौगढ़ को प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 20-9-83 को पत्र लिख कर दिया गया? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

प्रश्नगत पत्र दिनांक 20-9-83 परगनाधिकारी नौगढ़, जनपद बस्ती को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम राजेपुर, जनपद जौनपुर के ग्रामीण गोदाम का विचाराधीन निर्माण

48–श्री प्रभूनारायण सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 7वें गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम राजेपुर का वह ग्रामीण गोदाम, जिसके लिए धन तथा भूमि उपलब्ध है, क्या निर्मित करा दिया गया? यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में उसे बनवा दिया जायगा?

श्री बच्चा पाठक–

ग्राम राजेपुर के ग्रामीण गोदाम के लिए जो भूमि उपलब्ध करायी गयी थी, वह बाद में सर्वेक्षण करने पर उपयुक्त नहीं पाई गई। जब तक समिति द्वारा किसी वैकल्पिक उपयुक्त भूमि की व्यवस्था नहीं कराई जाती, तब तक इस गोदाम का निर्माण संभव न हो सकेगा।

वाराणसी जिले की ग्राम सभा बरवां में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र का विचाराधीन निर्माण

49–श्री उदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बरवां, ब्लाक भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना आराजी नं0 218 में प्रस्ताव पास करके ग्राम सभा बरवां ने दे दिया है और तहसीलदार ज्ञानपुर ने मौके पर जाकर सीमांकन भी कर दिया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसको बदल कर अब श्री गणेश प्रसाद इण्टर कालेज बरवां, वाराणसी के सामने मातृ शिशु कल्याण केन्द्र बनाने की योजना बनाई गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति–

जी हां।

पुनर्परीक्षण के उपरान्त मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना हेतु श्री गणेश प्रसाद इण्टर कालेज, बरवां के निकट की आराजी संख्या 597, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त पाया गया।

वाराणसी जिले के ब्लाक बड़ागांव व पिण्डरा के अन्तर्गत लगाये गये हैण्ड पम्प

50—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल योजना के अन्तर्गत ब्लाक बड़ागांव व पिंडरा, जिला वाराणसी में एक भी हैण्डपम्प न लगाने का कारण क्या है? क्या यह सही है कि दोनों ब्लाकों में सैकड़ों गांव के कुंए सूख गये हैं? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

ब्लाक बड़ा गांव व पिंडरा जनपद वाराणसी में हैन्डपम्प लगाने का कार्यक्रम फिलहाल नहीं है क्योंकि शासन की वर्तमान नीति के अनुसार छठीं पंचवर्षीय योजना काल में वर्ष 1972 में हुए सर्वेक्षण के आधार पर बनायी गयी सूची के समस्याग्रस्त ग्रामों में ही प्राथमिकता के आधार पर हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं। वर्ष 1972 के सर्वेक्षण के अनुसार ब्लाक बड़ा गांव के 25 तथा ब्लाक पिंडरा के 16 ग्राम समस्याग्रस्त थे, इन सभी ग्रामों को पाइप लाइन द्वारा पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है।

विगत सूखे के दौरान दोनों ब्लाकों के अन्तर्गत अनेक ग्रामों में जल-स्तर नीचे चले जाने के कारण कुएं सूख गये थे, वहां वैकल्पिक व्यवस्था पर पेयजल उपलब्ध कराया गया था।

काटन मिल, चौकाघाट, जनपद वाराणसी, की भूमि का अधिग्रहण

51—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र के दिनांक 8 सितम्बर, 83 के अतारांकित प्रश्न संख्या 129 व 130 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि काटन मिल चौकाघाट, वाराणसी की जमीन करमचन्द थापर को नहीं छोड़ी गयी थी तो किसको धारा 20 में कृषि कार्य हेतु छोड़ी गयी थी और उक्त जमीन को विकास प्राधिकरण वाराणसी ने किस रेट पर एक्वायर किया था? क्या सरकार उक्त शासनादेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी जिसमें काटन मिल की जमीन छोड़ी गयी है? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने मंत्री जी को 9-9-83 को पत्र भेजा है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बलराम सिंह यादव—

काटन मिल चौकाघाट वाराणसी की 7.81 एकड़ कृषि उपयोगी भूमि धारण करने की छूट भू-धारक मेसर्स जगजीत काटन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड को दी गई थी।

विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा छूट की 5.38 एकड़ भूमि शामिल करते हुए 8.41 एकड़ भूमि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत बाजार दर पर अर्जित की गई है।

नगर भूमि अनुभाग (धारा 20 सेल) के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1858 जी/49-511 (900) यू0 सी0/79 दिनांक 31 अक्टूबर, 1979 जिसके द्वारा उपरोक्त छूट दी गई थी, की प्रतिलिपि संलग्न है।

इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा नगर विकास मंत्री जी को प्रेषित पत्र दिनांक 9-9-83 प्राप्त हुआ जिसका उत्तर दिनांक 25-1-84 को प्रश्नकर्ता को भेजकर उन्हें स्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 1246 पर।)

नगरपालिका फैजाबाद व अयोध्या को सड़कों के लिए स्वीकृत अनुदान

52–श्री निर्मल खत्री–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फैजाबाद व अयोध्या नगरपालिका को विगत पांच वर्षों से साधारण सड़क अनुदान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या सरकार इस सम्पूर्ण राशि को देने हेतु व्यवस्था करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव–

वर्ष 78-79 में नगरपालिका अयोध्या तथा फैजाबाद को साधारण सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया था। नगरपालिका अयोध्या द्वारा पूर्व में स्वीकृत सड़क अनुदानों का अपने अंशदान सहित उपभोग न कर पाने के कारण अभी तक तदानुवर्ती वर्षों में साधारण सड़क अनुदान नहीं स्वीकृत किया गया है। परन्तु नगरपालिका फैजाबाद द्वारा वर्ष 1983-84 में पूर्व में स्वीकृत समस्त अनुदानों का उपभोग कर लेने के फलस्वरूप, साधारण सड़क अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जिले की नगरपालिका कर्वी के अधिशासी अधिकारी, श्री घनश्याम दास अग्रवाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

53–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बांदा के कर्वी, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी (श्री घनश्याम दास अग्रवाल) के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री आलोक द्विवेदी, मंत्री, प्रेस क्लब, कर्वी का कोई दिनांक 3-9-83 का ज्ञापन शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो 10 अक्टूबर, 1983 तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नही, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां, । इस मामले में जांच की जा रही है।

54–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

बांदा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना का निर्माण और उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा किया गया पंजीकरण

55–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि बांदा नगर में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की गृहस्थान योजना कब तक लागू की जायेगी और ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने बांदा नगर में बांदा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–1, बांदा प्रस्तावित की है जिसका क्षेत्रफल 34 एकड़ तथा अनुमानित लागत रु0 38.43 लाख है। योजना के संबंध में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 7/17 के आदेश/अधिसूचना शासन द्वारा दिनांक 23-3-83 तथा 24-6-83 को निर्गत किया गया है। योजना में समाविष्ट भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु बोर्ड द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ को दिनांक 21-11-83 को भूमि अध्याप्ति कागजात भेजे जा चुके हैं। भूमि का कब्जा शीघ्र ही मिलने की सम्भावना है। कब्जा प्राप्त किए जाने के उपरान्त विकास तथा निर्माण कार्य तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

56–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या बांदा नगर में गृहस्थान योजना के लिए उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् ने जनता से रजिस्ट्रेशन वर्ष 82-83, 83-84 में 10-10-1983 तक करा लिया है? यदि हां, तो ब्योरा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हाँ। वर्ष 1982-83 एवं 83-84 में किये गये पंजीकरण के श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:–

(1)	दुर्बल आय वर्ग	68
(2)	अल्प आय वर्ग	66
(3)	मध्यम आय वर्ग	27
(4)	उच्च आय वर्ग	02
(5)	भू-खण्ड	78
	योग	241

बांदा नगर पालिका को विकास हेतु दिया गया अनुदान

57–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या बांदा, नगरपालिका को जून, 1980 से लेकर अब तक विकास हेतु अनुदान दिया गया है? यदि हां, तो वर्षवार पूर्ण ब्योरा क्या है?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

वर्ष वार विवरण निम्नवत् है:-

वर्ष	स्वीकृत धनराशि	प्रयोजन
1980-81	1,62,000	साधारण सड़क अनुदान।
1980-81	3,00,000	विशेष सड़क अनुदान।
1980-81	62,250	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु अनुदान।
1981-82	2,00,000	विशेष सड़क अनुदान।
1982-83	1,00,000	बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु अनुदान।
1982-83	2,86,950	मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार हेतु अनुदान।
1983-84	3,00,900	
1983-84	40,000	बाढ़ एवं अतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु अनुदान।
योग	14,52,100	

मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत के कार्यालय के कर्मचारियों का कार्यकाल

58-श्री बाबूलाल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा अधिकारी पीलीभीत के कार्यालय में कितने लिपिक ऐसे कार्यरत हैं जिनको इस जनपद में लगातार कार्य करते हुए दस वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो उनको अन्यत्र कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीभीत के कार्यालय में एक वरिष्ठ लिपिक तथा पांच कनिष्ठ लिपिक ऐसे हैं जो दस वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं। मध्य सत्र होने के कारण इनमें से किसी के स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की प्रबन्ध समितियों में ब्लाक प्रमुखों को सदस्य बनाने की मांग

59-श्री प्रभूनारायण सिंह-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार संबंधित विकास खण्ड के ब्लाक प्रमुख को उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की प्रबन्ध समिति का सदस्य बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की उपविधियों के अन्तर्गत भूमि विकास बैंक की शाखाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन भूमि विकास बैंक की प्रबन्ध समिति द्वारा ही किया जाता है। अतः ब्लाक प्रमुखों को सरकार द्वारा भूमि विकास बैंक की शाखाओं की प्रबन्ध समितियों का सदस्य बनाने का प्रश्न नहीं उठता है।

60–श्री प्रभुनारायण सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

मिर्जापुर जिले के ग्राम मुइलीखास में हैण्ड पम्प का निर्माण

61–श्री राम चरण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 25-6-83 को मुइलीखास, ब्लाक जमालपुर जिला मिर्जापुर में मीठा पेयजल आपूर्ति के संबंध में उन्हें लिखा था? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां, ग्राम मुइलीखास में 10 गहरे हैण्ड पम्प पूर्व में ही लगा दिये गये हैं, जिनमें से 4 का पानी संतोषजनक (मीठा) है, इस लिए इस ग्राम में वर्तमान में और कुछ करना अपेक्षित नहीं है।

जनरल मेडिकल स्टोर, सिकन्दराराऊ, अलीगढ़ के विरुद्ध शिकायती पत्र एवं लाइसेंस का निरस्त्रीकरण और उक्त दुकान का निरीक्षण

62–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान लोक सभा सदस्य, श्री चन्द्रपाल शैलानी, अलीगढ़ ने दिनांक 8-5-83 को जनरल मेडिकल स्टोर सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ के विरुद्ध उनको शिकायती पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उक्त स्टोर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति–

जी हां, प्रश्नगत फर्म को ड्रग एक्ट के अन्तर्गत फार्म संख्या 20 तथा 21 पर स्वीकृत औषधि विक्रय लाइसेन्स मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

63–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी भी संबंधित अधिकारी ने उक्त मेडिकल स्टोर का कभी निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो किस साल व किस माह में? क्या यह सत्य है कि उक्त मेडिकल स्टोर का लाइसेन्स निरस्त होने पर अब भी वह दवायें बेच रहा है और कैश मेमो भी नहीं देता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

जी हां, प्रश्नगत फर्म का निरीक्षण औषधि निरीक्षक, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 11 मई, 1983 को किया गया। उसके पश्चात् ज्येष्ठ औषधि निरीक्षक मेरठ मंडल ने औषधि निरीक्षक अलीगढ़ के साथ उक्त फर्म का निरीक्षण दिनांक 3 सितम्बर, 1983 को

किया। तदोपरान्त औषधि निरीक्षक अलीगढ़ ने उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ के साथ उक्त फर्म का दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 को पुनः आकस्मिक निरीक्षण किया और स्टाक में उपलब्ध एलोपैथिक औषधियों को जब्त कर लिया। इस निरीक्षण के दौरान दुकानदार एलोपैथिक औषधियां बेचता हुआ नहीं पाया गया। अतः शेष प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय, रामपुर में उपचार हेतु लाये गये थ्रेशर मशीन से दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक

64—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रामपुर स्थित जिला राजकीय अस्पताल में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 15 मार्च, 1982 से लेकर 15 जून, 1982 तक कितने श्रमिक को गेहूं थ्रेशर मशीन पर कार्य करते हुए दुर्घटनाओं में हाथ कटने पर उपचार हेतु लाया गया एवं सरकार ने उन्हें क्या राहत दी ?

श्री लोकपति—

जिला चिकित्सालय, रामपुर में 15 मार्च, 1982 से 15 जून, 1982 तक 3 (तीन) श्रमिक थ्रेशर मशीन से दुर्घटनाग्रस्त होकर उपचार हेतु लाये गये और उन्हें चिकित्सा सुविधा प्रदान की गयी ।

65—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रामपुर में स्थित जिला राजकीय अस्पताल में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार 15 मार्च, 1983 से लेकर 15 जून, 1983 तक कितने श्रमिक को गेहूं थ्रेशर मशीन पर कार्य करते हुए दुर्घटनाओं में हाथ कटने पर लाया गया एवं सरकार ने उन्हें क्या राहत दी ?

श्री लोकपति—

जिला चिकित्सालय, रामपुर में 15 मार्च, 1983 से 15 जून, 1983 तक एक श्रमिक थ्रेशर मशीन से दुर्घटनाग्रस्त होकर उपचार हेतु लाया गया और उसे चिकित्सा सुविधा प्रदान की गयी ।

चिकित्सा विभाग द्वारा ऐसे मामलों में कोई वित्तीय राहत नहीं दी जाती है।

विधान सभा मार्ग के दोनों ओर के भाग का आरक्षण और श्रीमती ऊषा कौशल, श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल व श्री आहूजा के मकानों का आरक्षण

66—श्री केदारनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा मार्ग लखनऊ के दोनों ओर का भाग महायोजना में आवासीय उपयोग के अतिरिक्त अन्य किन-किन उपयोगों के लिये आरक्षित है?

श्री बलराम सिंह यादव—

विधान सभा मार्ग, लखनऊ के दोनों ओर का भाग महायोजना में आवासीय उपयोग के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यालय तथा व्यावसायिक भू-उपयोग हेतु आरक्षित है ।

67—श्री केदारनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा मार्ग के जिस भाग में श्रीमती ऊषा कौशल, श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल व श्री आहूजा के व्यापारिक भवन स्थित है, वह भाग लखनऊ मास्टर प्लान में किस भू-उपयोग के लिये आरक्षित है?

श्री बलराम सिंह यादव–

श्रीमती ऊषा कौशल, श्रीमती मीनावती अग्रवाल व श्री आहूजा के भवन लखनऊ मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र (आर-3) हेतु आरक्षित हैं।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को लखनऊ मास्टर प्लान में परिवर्तन करने का कथित अधिकार

68–श्री केदारनाथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोग में परिवर्तन कर दें ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जगदीश चन्द्र बोस मार्ग लखनऊ क्षेत्र में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत आवासीय भवन चित्र

69–श्री केदारनाथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को 18 मई, 1979 को यह लिखा था कि क्विक्टन रोड, लखनऊ जो लखनऊ महायोजना में कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन हेतु आरक्षित है में लखनऊ मास्टर प्लान के प्रवृत्त होने के पश्चात आवासीय भवन चित्र स्वीकृत किये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि सरकार ने अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के इस निर्णय को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 41 (3) के अन्तर्गत पुनरीक्षित भी किया था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार लखनऊ मास्टर प्लान में क्विक्टन रोड को आवासीय क्षेत्र घोषित करने के लिये आवश्यक संशोधन करने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव–

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को 18 मई, 1979 को यह लिखा था कि जगदीश चन्द्र बोस मार्ग स्थित 'क्षेत्र में पहले ही से बहुत से आवासीय भवन बने हुए थे तथा पूर्व में आवासीय भवन चित्र में स्वीकृत भी किये गये हैं । इस क्षेत्र में अब काफी भूमि नहीं बचती है अतएव इस क्षेत्र को कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन हेतु आरक्षित रखना उचित प्रतीत नहीं होता है'। उक्त पत्र में क्विंटन रोड का उल्लेख नहीं है ।

जी नही ।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

शिवाजी मार्ग, लखनऊ के दोनों ओर व्यावसायिक क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव

70–श्री केदारनाथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने लखनऊ महायोजना में संशोधन करके शिवाजी मार्ग, लखनऊ के दोनों ओर के 25-25 फुट क्षेत्र को व्यावसायिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त संशोधन की प्रति-लिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव–

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला चिकित्सालय, बरेली में उपचार हेतु लाये गये थ्रेशर मशीन से दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक

71–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बरेली में स्थित जिला राजकीय अस्पताल में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 15 मार्च, 1982 से लेकर 15 जून, 1982 तक कितने श्रमिकों को गेहूं थ्रेशर मशीन पर कार्य करते हुए दुर्घटनाओं में हाथ कटने पर उपचार हेतु लाया गया ?

श्री लोकपति–

जिला चिकित्सालय, बरेली में 15 मार्च, 1982 से 15 जून, 1982 तक 23 (तेईस) केसेज थ्रेशर मशीन से दुर्घटनाग्रस्त होकर उपचार हेतु लाये गये ।

72–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बरेली में स्थित जिला राजकीय अस्पताल में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 15 मार्च, 1983 से लेकर 15 जून, 1983 तक कितने श्रमिकों को गेहूं थ्रेशर मशीन पर कार्य करते हुए दुर्घटनाओं में हाथ कटने पर उपचार हेतु लाया गया ?

श्री लोकपति–

जिला चिकित्सालय, बरेली में 15 मार्च, 1983 से 15 जून, 1983 तक 18 (अठ्ठारह) केसेज थ्रेशर मशीन से दुर्घटनाग्रस्त होकर उपचार हेतु लाये गये।

नगर पालिका, बुलंदशहर में मकानों के नक्शे के निस्तारण हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

73–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि बुलन्दशहर जिले की नगर पालिका, बुलन्दशहर में मकानों का नक्शा पास कराने संबंधी कितने मामले ऐसे हैं जिनके प्रार्थना पत्र 6 मास से अधिक पुराने हो गये हैं परन्तु अभी तक उनका निस्तारण नहीं हुआ था तथा ऐसे कितने हैं कि जिनके प्रार्थना पत्र 1 मार्च, 83 से जुलाई, 83 के भी प्राप्त हुए, उनमें से कितनों का निस्तारण हुआ ? तथा बाकी का क्यों नहीं हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव–

245 मकानों के नक्शों के प्रार्थना-पत्र 6 माह से अधिक पुराने निस्तारण हेतु शेष हैं । 1 मार्च, 83 से जुलाई, 83 तक कुल 121 मानचित्र प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 49 मानचित्र प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण हुआ तथा बाकी का निस्तारण कराया जा रहा है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोदलामऊ सीतापुर में सी0एच0ओ0 के चयन में बरती गयी कथित अनियमितता

74–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 2रे गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 46 के उत्तर के बारे में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनियमितता के लिए जिम्मेदारी किसकी पाई गयी तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति–

तृतीय वर्ष के चयन हेतु ग्राम प्रधानों से प्राप्त प्रस्ताव अधूरा, त्रुटिपूर्ण तथा निर्धारित प्रारूप पर नहीं थे। इसके लिये किसी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है ।

75–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

76–श्री प्रभू नारायण सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, रतनपुर, जौनपुर का भवन

77–श्री प्रभू नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, रतनपुर, जौनपुर का अपना कोई भवन नहीं है और वह स्थानीय कालेज के भवन में चलता है ? यदि हां, तो क्या उक्त कालेज को सरकार किराया देती है ? क्या यह सत्य है कि उक्त अस्पताल के भवन निर्माण हेतु शासन से धन स्वीकृत होने पर भी आज तक उसे बनवाया नहीं गया ? क्या सरकार शीघ्र इस अस्पताल का अपना भवन निर्मित करायेगी ?

श्री लोकपति–

जी हां ।

जी नहीं । चिकित्सालय भवन नि:शुल्क है ।

भवन निर्माण हेतु शासन ने कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की है । अत: उक्त चिकित्सालय भवन के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता । इस चिकित्सालय के भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

अयोध्यानगर के लिये विचाराधीन आवासीय योजना

78–श्री निर्मल खत्री–

क्या नगर विकास मंत्री व आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे अयोध्या नगर में आवास विकास विभाग द्वारा कोई आवास योजना लागू करने पर विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी नहीं ।

अयोध्या नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है । परिषद के अधिकार क्षेत्र में किसी अमुक नगर को शामिल करने का मुख्य आधार उस नगर की वर्तमान जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि की दर तथा भवनों की कमी एवम् मांग रहती है। वर्ष 1981 की जन-गणना के अनुसार अयोध्या नगर की जनगणना केवल 30,500 है ।

अयोध्या नगर वासियों की सुविधा हेतु लखनऊ-गोरखपुर मार्ग पर फैजाबाद नगर में आवासीय योजना प्रस्तावित है जो अयोध्या मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना के नाम से 70.75 एकड़ की है । इस प्रस्तावित योजना से अयोध्या नगर के निवासियों की आवासीय आवश्यकता की पूर्ति होगी ।

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना

79–प्रो0 चन्द्रप्रकाश शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1 जून, 1980 के बाद बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत अब तक कौन-कौन से कार्य किये गये हैं? इसमें कितना धन व्यय हुआ?

श्री बलराम सिंह यादव–

1 जून, 1980 के बाद बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना भाग–1 एवं 2 की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके अन्तर्गत 30-9-83 तक निम्न कार्य कराए गए है :–

1–1×1 मी0 एस0 डब्लू0 ड्रेन	=23 मी0
2–0.60×0.60 मी0 एस0 डब्लू0 ड्रेन	=164 मी0
3–के0 एण्ड सी0 ड्रेन क्रासिंग	=1840 मी0
4–के0 एण्ड सी0 ड्रेन क्रासिंग	=31 मी0
5–मार्गों पर खड़ंजा	=3500 वर्ग मी0

उक्त योजना के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 1983 तक रु0 1,147 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कुष्ट रोग, नेत्ररोग एवं क्षयरोग सम्बन्धी नियंत्रण योजना

80–प्रो0 चन्द्रप्रकाश शर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 जून, 1980 से अब तक बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुष्ठ रोग, नेत्र रोग तथा क्षय रोग को समाप्त करने के लिए क्या-क्या कार्य किये गये ? पूर्ण ब्योरा क्या है ?

श्री लोकपति–

कार्य का पूर्ण ब्योरा इस प्रकार है:–

कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत

54,760 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया जिनमें 1178 नये तथा 4724 पुराने कुष्ठ रोगियों को उपचार प्रदान किया गया। 552 कुष्ठ रोगी रोग से मुक्त हुए।

नेत्र उपचार

14377 नेत्र रोगियों की जांच की गयी । नेत्र उपचार हेतु 452 रोगियों का मेजर तथा 562 रोगियों का माइनर आपरेशन किया गया ।

क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

4539 नये क्षय रोगी खोजे गये 4453 क्षयरोगियों को उपचार प्रदान किया गया तथा क्षयरोग से बचाव के लिये 20 वर्ष से कम आयु वाले 9604 लोगों को बी0 सी0 जी0 का टीका लगाया गया ।

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेल्थ सेन्टर एवं सब्सीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र

81–प्रो0 चन्द्रप्रकाश शर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि 1 जून, 1980 के बाद बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में अब तक कितने प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र सब्सीडियरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा हेल्थ सब-सेन्टर खोले गये ?

श्री लोकपति–

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जून 1980 के बाद से अब तक खोले गये विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या निम्नवत् है:–

(क) स्वास्थ्य उप केन्द्र 9
(ख) सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर . . . . शून्य।

82–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

साधन सहकारी समिति, अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद के सचिव, श्री राम लड़ैते अग्निहोत्री के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

83–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के विकास खंड राजेपुर की साधन सहकारी समिति अमृतपुर के सचिव श्री रामलड़ैते अग्निहोत्री के विरुद्ध गंभीर अनियमितताओं के आरोपों में माह जून एवं जुलाई, 1983 में ए0 डी0 ओ0 (सहकारिता), विकास खंड राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद ने जांच कर अपनी आख्या सहायक निबंधक को दे दी थी? यदि हां, तो इसके आधार पर सचिव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता

साधन सहकारी समिति, अमैय्यापुर फर्रुखाबाद के सेल्स मैन, श्री ओम हरी की सेवा समाप्ति

84–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के विकास खंड, राजेपुर की साधन सहकारी समिति, अमैय्यापुर में एक ऐसे व्यक्ति को सेल्स-मैन नियुक्त किया गया है जिस पर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुकदमा कायम हो चुका था? यदि हां, तो ऐसे व्यक्ति को सेल्समैन नियुक्त करने का औचित्य क्या था तथा इस नियुक्ति को अब तक क्यों निरस्त नहीं किया गया है?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां। श्री ओम हरी पुत्र होरी लाल निवासी अमैय्यापुर की नियुक्ति आंकिक कम सैल्समैन के पद पर की गयी थी।

सेल्समैन के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज होने की जानकारी नहीं थी। और जानकारी प्राप्त होने पर उसकी सेवाएं दिनांक 31-5-83 को समाप्त कर दी गई हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिंगटनगंज, फैजाबाद में श्री विश्राम, निवासी सोनबरसा की नसबन्दी के बाद हुई मृत्यु के सम्बन्ध में की गयी जांच

85–श्री मित्रसेन–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिंगटनगंज, जनपद फैजाबाद में दिनांक 9-12-76 को नसबन्दी कराने के फलस्वरूप श्री विश्राम पुत्र गुलाम निवासी ग्राम सोनबरसा, तहसील बीकापुर, खंड हरिंगटनगंज, फैजाबाद की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में मृतक की पत्नी श्रीमती लखपती को आर्थिक सहायता देने विषयक तत्कालीन मुख्य मंत्री को अपनी रिपोर्ट सहित संबोधित स्वास्थ्य मंत्री के पत्र एम 95274, दिनांक 18-12-78 के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

प्रश्नगत विषय पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को संबंधित तथा मुख्य मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को पृष्ठांकित श्रीमती लखपती, पत्नी श्री विश्राम ग्राम सोनबरसा, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद का शिकायती पत्र भारत सरकार के माध्यम से राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी फैजाबाद से करायी गयी। जांच में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद ने श्री विश्राम की नसबन्दी दिनांक 19-12-76 को सम्पन्न होना तथा मृत्यु दिनांक 13-3-77 को दिल का दौरा पड़ने के कारण होना बताया है। अतः नियमानुसार आर्थिक सहायता अनुमन्य नहीं है।

नगरपालिका, मैनपुरी, घंटाघर पार्क स्थित दुकानों को हटाने की योजना

86–श्री लल्लू सिंह चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मैनपुरी नगर पालिका के अन्तर्गत घंटाघर पार्क स्थित लकड़ी की दूकानों को हटवाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो इन खोखामालिकों के लिए नगरपालिका मैनपुरी, ने तहसील के निकट अनेक पक्की लेन्टर की मजबूत दुकान कई वर्ष पूर्व क्यों बनाई थी?

श्री बलराम सिंह यादव–

मैनपुरी नगरपालिका के अन्तर्गत घंटाघर पार्क स्थित लकड़ी की दुकानों को हटवाने का प्रश्न जिला स्तर पर विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कम्प्यूटर-कम-क्लर्क के रिक्त

87–श्री यमुना प्रसाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक साल से अधिक समय से सैकड़ों कम्प्यूटर-कम-क्लर्क के पद रिक्त पड़े हैं?यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री इन पदों को शीघ्र ही भरे जाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री लोकपति–

जी हां। प्रश्नगत रिक्त पदों पर चयन अब लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

गौतमबुद्ध मार्ग, लखनऊ पर स्व0 श्री युधिष्ठर मेहता द्वारा दुकानों का अनधिकृत निर्माण

88–श्री केदारनाथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को श्री राम प्रकाश, 38 गन्ने वाली गली, लखनऊ का 25 अगस्त, 1982 का कोई पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि 68-ए, गौतम बुद्ध मार्ग पर स्वर्गीय श्री युधिष्ठर मेहता ने दो दुकानें और ऊपर एक बड़ा हाल कमरा बिना भवन चित्र स्वीकृत करवाये वर्ष 1978 में बनवा लिया था? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अधीन इस अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी। अनधिकृत निर्माण के शमन हेतु पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर शमनित न हो सकने वाले अनधिकृत निर्माण को गिरा दिये जाने और शमनित हो सकने वाले ऐसे निर्माण के शमन हेतु भवन चित्र प्रस्तुत करने के निदेश दिये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के लाभ का विवरण

89–श्री मुईद अहमद–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम में 1980 से लेकर 1983 तक अलग-अलग वर्षों में लाभ का ब्योरा क्या है? 1981-82 के बाद लाभ में यदि गिरावट आयी है, तो उसके क्या कारण हैं तथा उसके निवारण हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि नही, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

वर्ष 1979-80 से 1982-83 तक के लाभ के वर्षवार आंकड़े निम्नवत हैं:–

(धनराशि लाख रुपयों में)

वर्ष	लाभ कर पूर्व	करोपरान्त
1979–80	16.39	6.61
1980–81	38.41 (औपबन्धिक)	14.81
1981–82	74.61 (औपबन्धिक)	30.49
1982–83	60.22	25.44

वर्ष 1982-83 में लाभ में गिरावट होने का कारण खाद्यान्न का बाजार भाव शासन द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत निर्धारित दरों से अधिक रहने के कारण निर्धारित लक्ष्य से कम क्रय होना रहा। वर्ष 1982-83 में उक्त योजना के अन्तर्गत गेहूं ग्रेड-1 व ग्रेड-2 का क्रय मूल्य क्रमशः 141 रु0 व 139 रु0 प्रति कुन्तल रहा जबकि प्रदेश में मई, 1982 से जनवरी, 1983 तक की अवधि में गेंहूं का थोक बाजार भाव न्यूनतम रु0 149.20 व अधिकतम रु0 223.24 प्रति कुन्तल रहा। इसी प्रकार मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में पैडी कामन, फाइन व सुपरफाइन का क्रय मूल्य क्रमशः रु0 122.00, रु0 126.00 व रु0 130.00 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया था जिसके विपरीत माह नवम्बर, 1982 से जनवरी, 1983 की अवधि में धान का थोक बाजार भाव न्यूनतम रु0 127.85 व अधिकतम रु0 141.06 प्रति कुन्तल रहा। लाभांश में इस गिरावट के बावजूद अन्य निगमों को देखते हुए यह स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी रही।

फैजाबाद जिले के ग्राम गौरा की कृषि सहकारी समिति की स्थापना एवं लेखे का सम्परीक्षण

90–श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद के ग्राम गौरा में कोई कृषि सहकारी समिति स्थापित है? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना के समय कितने सदस्य थे? उक्त समिति के लेखा जोखा का नियमानुसार सम्परीक्षण विभाग द्वारा किया गया? कितना कर्ज किस-किस कार्य के लिए कब-कब उक्त समिति को दिया गया?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

समिति की स्थापना दिनांक 5-12-1964 को हुई।

स्थापना के समय 21 सदस्य थे।

जी हां। 1969-70 तक के अभिलेखों का किया गया है।

समिति को विभिन्न मदों के अन्तर्गत दिए गए ऋण का विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	मद	धनराशि	अभियुक्ति
1964–65	कृषि उत्पादन ऋण	4000.00	
1964–65	पशुपालन एवं गोदाम ऋण	5000.00	1200.00 अनुदान
1964–65	राज्य साझेदारी	1500.00	
1964–65	प्रबन्धकीय अनुदान	150.00	
1965–66	प्रबन्धकीय अनुदान	5500.00	
1966–67	उद्योग ऋण	5000.00	
1966–67	भूमि सुधार ऋण	5000.00	

स्थानीय निकायों के चुनाव न होने पर नया कर न लगाये जाने की घोषणा

91—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों के चुनाव होने तक कोई भी नए कर न लगाने के संबंध में शासन ने कोई घोषणा सितम्बर, 1982 में की है? यदि हां, तो 8 सितम्बर, 1982 के पश्चात् लगाए गए अथवा पूर्व निर्धारित किए गए करों को तुरन्त निरस्त करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां।

ऐसा किया जाना विधितः सम्भव नहीं है क्योंकि करारोपण सम्बन्धित अधिनियमों में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

92—श्री जैराज गौतम—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

93—श्री जैराज गौतम—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

फर्रुखाबाद जिले के किराचिन में होम्योपैथिक डिस्पेंसरी की स्थापना की मांग

94—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद की जिला योजना में 1982-83 के लिए ग्राम किराचिन में स्वीकृत होम्योपैथिक डिस्पेंसरी खोल दी गई है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

वर्ष 1982-83 में ग्राम किराचिन में होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थापित करने हेतु जनपद फर्रुखाबाद की जिला योजना समिति का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। अतः प्रश्नगत अवधि में कोई होम्योपैथिक्व चिकित्सालय ग्राम किराचिन में नहीं खोला। गया।

नगरपालिकाओं और महापालिकाओं की चुंगियों को नीलाम किये जाने की मांग

95–श्री श्यामलाल वाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री नगरपालिकाओं और महापालिकाओं की आय बढ़ाने के लिए टाउन एरियाओं की तरह चुंगी की वार्षिक नीलामी प्रथा लागू करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

टाउन एरियाओं में चुंगी कर लागू नहीं है। अतः नगरपालिकाओं और महापालिकाओं में टाउन एरियाओं की तरह चुंगी की वार्षिक नीलामी प्रथा लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्प

96–श्री रेवतीरमण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में पहले जल निगम द्वारा नल लगाने की योजना थी जिसे बदल कर अब प्रत्येक गांव में हैण्ड पाइप लगाने की योजना बनायी गयी है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक हैण्ड पाइप में खर्चा अधिक आता है और हैण्ड पाइप शीघ्र खराब हो जाते हैं तथा उन्हें ठीक कराने में काफी विलम्ब होता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां, परन्तु जहां पानी अत्यधिक गहराई पर है, अथवा पानी खारा है, और पानी पीने योग्य नहीं मिलता है वहां पाइप द्वारा पेयजल की व्यवस्था अभी भी की जाती है।

एक इंडिया मार्क–11 हैण्ड पम्प पर लगभग रु0 10,000/- औसतन खर्चा आता है, परन्तु पठारी क्षेत्रों में जैसे बुन्देलखंड अथवा मिर्जापुर जहां चट्टानी जमीन है, यह खर्चा लगभग 15,000/-आता है। नलकूप की गहराई कम अथवा अधिक होने पर खर्चा भी कम अथवा इससे अधिक होता है।

अनुभव के आधार पर आम तौर से यह सही नहीं है कि उपरोक्त प्रकार के हैण्ड पम्प शीघ्र खराब हो जाते हैं, बल्कि यह मजबूत किस्म के पम्प हैं व उचित देखभाल करने पर अधिक समय तक सुचारु रूप से चलते हैं।

गोरखपुर के जिला पूर्ति अधिकारी, श्री गोवर्धन लाल के विरुद्ध शिकायती पत्र

97–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या खाद्य मंत्री जी विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 1ले गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या 158 के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि जिन बिन्दुओं पर पुलिस सेल द्वारा जांच हो गयी है उस पर कौन सी कार्यवाही की गई तथा प्रश्नकर्ता

के एक बिन्दु के संबंध में खाद्य विभाग के पुलिस सेल द्वारा जो रही जांच में कौन से तथ्य प्रकाश में आये? तथा उस पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

जिन बिन्दुओं के संबंध में पुलिस सेल द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उसके परीक्षण के दौरान कुछ अग्रेतर जांच की आवश्यकता हुई। अतः पुलिस सेल द्वारा अग्रेतर जांच कराई जा रही है। कथित एक बिन्दु के संबंध में आरोप की पुष्टि नहीं हुई।

लखनऊ जिले की टाउन एरिया गोसाईगंज एवं अमेठी में जल निगम द्वारा निर्मित पेयजल योजना

98–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद की टाउन एरिया गोसाईगंज एवं अमेठी में जल निगम, लखनऊ द्वारा विगत एक वर्ष से नागरिकों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु धनराशि की धनराशि तैयार है, किन्तु व्यय का समुचित लेखा जोखा प्रशासक टाउन एरिया, अमेठी एवं गोसाईगंज को न दिये जाने के कारण टंकियों का हस्तान्तरण संबंधित कस्बों को नहीं किया जा सका है? क्या सरकार शीघ्र ही नागरिकों को पेयजल उपलब्ध करायेगी?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां।

टाउन एरिया कमेटी गोसाईगंज एवं अमेठी में निर्मित पेयजल योजनाओं पर हुए व्यय की सूचना जल निगम द्वारा प्रशासकों को प्रेषित कर दी गई है एवं टंकियों के हस्तान्तरण के लिये उनसे अनुरोध कर दिया गया है।

लखनऊ जिले में जल निगम द्वारा हैण्ड पम्प का निर्माण

99–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या नगर विकास मंत्री कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता प्रथम बाढ़ शाखा उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या 2232/डब्लू–12/79 दिनांक 16-6-83 का लखनऊ जनपद में जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है, के संलग्नक के अनुसार जनपद में 7 ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाये गये हैं? यदि हां, तो क्या इस चयन की प्रक्रिया में जनपद के विधायकों से राय ली गई है? यदि नहीं, तो क्या शासन भविष्य में चयन की कोई नीति निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार करेगा?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां

जी नहीं, ग्रामों का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार तथा 1972 में किये गये सर्वेक्षण पर आधारित है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नये समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची बनाने हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम को शासन के निर्देश दिये जा चुके हैं जिसके अन्तर्गत समस्त जिलाधिकारियों को लिखा गया है। जिलाधिकारी से सूची प्राप्त होने पर यह सर्वेक्षण किया जायेगा कि वह ग्राम भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार समस्याग्रस्त है या नहीं।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, फूलबेहड़ जनपद लखीमपुर खीरी के फार्मेसिस्ट स्व0 श्री विष्णु कुमार की ग्रेच्युटी एवं प्राविडेण्ट फण्ड

100–श्री हरगोविन्द वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय फूलबेहड़ में श्री विष्णु कुमार फार्मेसिस्ट का दिनांक 10 दिसम्बर, 1982 को सायंकाल में ही स्वर्गवास हो गया था और मृतक के प्राविडेण्ट फण्ड, ग्रेच्युटी, इनकैशमेन्ट, मेडिकल लीव व पेंशन के सम्पूर्ण कागजात डिवीजनल आयुर्वेदिक और यूनानी आफिस, सीतापुर में 21 फरवरी, 1983 में जमा कर दिये गये थे? यदि हां, तो क्या उपरोक्त सम्पूर्ण धन श्री विष्णु कुमार वर्मा के उत्तराधिकारी को दिला दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों और उपरोक्त बकाया धन कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री लोकपति–

जी हां ।

स्वर्गीय श्री विष्णु कुमार के उत्तराधिकारी श्रीमती गंगाजली को लीव इनकैशमेन्ट, मेडिकल लीव के पैसे व सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। स्वर्गीय श्री वर्मा के उत्तराधिकारी उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन रु0 200 मासिक तथा ग्रेच्युटी का भुगतान कोषागार, सीतापुर से प्राप्त करने के आदेश महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जारी किये जा चुके हैं ।

स्वर्गीय श्री वर्मा के जी0पी0एफ0 की धनराशि का भुगतान करने के लिये महालेखाकार से अनुरोध किया गया है । महालेखाकार की स्वीकृति मिलने के उपरान्त ही जी0पी0एफ0 का भुगतान हो सकेगा ।

न्यूनाइट कारपोरेशन, लखनऊ के मालिक श्री के0 एस0 खुराना द्वारा शहर में लगाये गये अनधिकृत विज्ञापन पट्ट से सम्बन्धित मुकदमा

101–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि न्यूनाइट कारपोरेशन, लखनऊ (मालिक श्री के0 एस0 खुराना) द्वारा शहर में अनधिकृत विज्ञापन पट्ट लगाये जा रहे हैं जिससे नगर महापालिका, लखनऊ को लाखों रुपये का नुकसान प्रतिवर्ष हो रहा है ? यदि हां, तो इस दिशा में वर्तमान उप प्रशासक नगरमहापालिका ने इसको रोकने के संबंध में क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव–

यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

102–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री को यह भी जानकारी है कि उक्त फर्म के विरुद्ध 1970 को एक डिग्री इजराय करने के संबंध में 1982 में नियुक्त अधिवक्ता ने पहली पेशी में ही असीमित स्थगन आदेश रद्द करा दिया जिसकी सूचना तत्काल मिलने पर भी उप प्रशासक ने उक्त फर्म के विरुद्ध तथा उसके द्वारा लगाये गये अनधिकृत विज्ञापन पट्टों को हटाने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

इसकी जांच की जा रही है ।

103–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या यह भी सही है कि वर्तमान उप प्रशासक के निदेशानुसार उक्त इजराय के विरुद्ध नगरमहापालिका द्वारा दाखिल किया गया एतराज को प्रेस न करके खारिज होने दिया गया ? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

महापालिका द्वारा अपने विधि परामर्शदाता के परामर्श के अनुसार ऐसा किया गया।

104–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार उक्त विषय पर किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच कराके उप प्रशासक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव–

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जिले की नजूल भूमि को नगरपालिका को हस्तान्तरण करने की मांग

105–श्री निर्मल खत्री–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्यपालों की भांति फैजाबाद की नजूल भूमि को नगरपालिका को हस्तान्तरित करने की योजना शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक किया जायेगा तथा क्या नजूल भूमि का पट्टा देने में विलम्ब होने की वर्तमान प्रक्रिया को सुधारा जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव–

शासन में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि फैजाबाद नजूल की वर्तमान व्यवस्था कायम रक्खी जाय ।

बांदा नगर में पेयजल टंकी का निर्माण और पाइप लाइन डाले जाने की मांग

106–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा नगर में 14-10-83 को कितनी पेयजल टंकियों का निर्माण कार्य चल रहा है । इनकी टंकियों की लागत क्या है ? इन टंकियों के कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

बांदा नगर में दिनांक 14-10-83 को एक उच्च जलाशय के निर्माण का कार्य चल रहा था ।

इस टंकी की अनुमानित लागत लगभग 18.00 लाख रुपया है । यह टंकी सितम्बर 1984 तक बन जाने की सम्भावना है ।

107–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा नगर में कई मुहल्लों के हिस्सों में पेयजल लाइन डालने का प्रस्ताव 10 जून, 1980 से लेकर अब तक विचाराधीन है? यदि हां, तो निर्णय लेकर पाइप लाइन कब तक डाली जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव–

बांदा नगर के कई मोहल्लों में पाइप लाइन डालने का प्रस्ताव वर्ष 1980 से झांसी जल संस्थान, झांसी को प्राप्त होते रहे हैं परन्तु अभी जल संस्थान की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपने संसाधनों से इस कार्य पर होने वाला व्यय वहन कर सकें।

जिला सहकारी बैंक, सुल्तानपुर के संचालक श्री इन्द्र भद्र सिंह को भवन निर्माण हेतु दी गयी धनराशि की वसूली

108–श्री यमुना प्रसाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र (1983) के प्रथम गुरुवार दिनांक 10-2-83 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्द्र भद्र सिंह को दिये गये भवन निर्माण अग्रिम रु0 20,000 पर किस दर से अब तक कितना ब्याज किन-किन तिथियों में वसूल किया गया, कितना मूलधन अभी देय है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि श्री सिंह द्वारा बैंक को उपलब्ध कराया गया भवन पर उक्त अग्रिम स्वीकृति की तिथि तक कितना मासिक किराया लिया जाता रहा है और अग्रिम स्वीकृति के उपरान्त क्या मासिक किराया में वृद्धि की गई ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री बच्चा पाठक–

श्री इन्द्र भद्र सिंह से भवन निर्माण अग्रिम मूलधन रु0 20,000 पर 9 प्रतिशत ब्याज दर से मु0 4,286.64 रुपये ब्याज तथा समस्त मूलधन वसूल कर लिया गया है यह वसूली दिनांक 13-1-84 को एक मुश्त की गयी है और अब उनके ऊपर भवन अग्रिम के मूलधन का कोई अवशेष नहीं है ।

श्री इन्द्र भद्र सिंह को अग्रिम ऋण दिनांक 18-6-81 तथा 18-8-81 को दिया गया। उन्होंने निर्मित भवन दिनांक 24-10-81 को बैंक को हस्तान्तरित किया था। अग्रिम स्वीकृति की तिथि तक श्री सिंह को कोई किराया नहीं दिया गया था ।

अग्रिम स्वीकृति के उपरान्त दिनांक 24-1-83 से 165 रुपये प्रतिमाह किराये में वृद्धि की गयी है । इस प्रकार सम्प्रति 290 रु0 प्रति माह किराया निर्धारित किया गया है ।

आजमगढ़ जिले के जहानागंज को टाउन एरिया बनाने की मांग

109–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जहानागंज, आजमगढ़ को टाउन एरिया बनाने हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 3-9-83 का या इसके आसपास की तिथि को उन्हें मिला है ? यदि हां, तो कब तक टाउन एरिया की घोषणा कर दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां ।

आजमगढ़ जिले के जहानागंज को टाउन एरिया बनाये जाने के प्रस्ताव की वांछित अर्हताएं न रखने के कारण शासन ने विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया है ।

डा0 एस0 सी0 श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला बस्ती की जांच रिपोर्ट

110—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 3रे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या डा0 एस0 सी0 श्रीवास्तव मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती की जांच पूरी हो गयी ? यदि हां, तो कौन से तथ्य सामने आये और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

जी हां । कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए । मामला समाप्त कर दिया गया है ।

गोरखपुर तथा झांसी के मेडिकल कालेजों के बायोकेमिस्ट्री विभाग में प्रोफेसर के रिक्त पद

111—श्री भीखा लाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर तथा झांसी मेडिकल कालेजों के बायोकेमिस्ट्री विभाग में प्रोफेसर के पदों का सृजन अभी तक नहीं किया गया है जबकि शासन के पंचवर्षीय योजनावधि 1978–83 के बजट में इसमें होने वाले अनुमानित व्यय को सम्मिलित किया जा चुका है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री लोकपति—

जी हां । परन्तु पदों के सृजन के लिये निर्धारित मापदण्ड पूरा न होने के कारण इन पदों का सृजन सम्भव नहीं हो पाया है ।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में बायोकेमिस्ट्री विभाग को फिजियोलाजी विभाग से अलग करने की मांग

112—श्री भीखालाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के सभी मेडिकल कालेजों में मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया की संस्तुति के अनुसार बायोकेमिस्ट्री विभाग को फिजियोलोजी विभाग से अलग कर दिया गया है और हर मेडिकल कालेज में बायोकेमिस्ट्री विभाग अलग से प्रोफेशनल एम0 बी0 बी0 एस0 के छात्रों की परीक्षा सम्पन्न कराता है परन्तु के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में अभी तक यह नियम लागू नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री लोकपति—

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में बायोकेमिस्ट्री विभाग को फिजियोलाजी विभाग से पृथक किये जाने के प्रस्ताव पर शासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

बाराबंकी जिले की टाउन एरिया हैदरगढ़ के लिये स्वीकृत जल सम्पूर्ति योजना

113—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत टाउन एरिया हैदरगढ़ में पानी की टंकी पेयजल व्यवस्था के लिये स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो अब तक कार्य प्रारम्भ न करने का क्या कारण है ? क्या निकट भविष्य में शासन हैदरगढ़ टाउन एरिया निवासियों को पेयजल सुलभ कराने हेतु पानी की टंकी का शीघ्र निर्माण शुरू करेगा ? यदि हां, तो किस तिथि से काम प्रारम्भ होगा ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां ।

नागरीय जल सम्पूर्ति योजनाओं के लिये सीमित परिव्यय के कारण योजना का कार्यान्वयन अभी तक नहीं हो पाया है ।

अभी सम्भव नहीं है तथा नागरीय जल सम्पूर्ति में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होने पर ही विचार करना संभव होगा ।

मिर्जापुर जिले की दुद्धी टाउन एरिया को टाउन एरिया घोषित किये जाने की मांग

114–श्री विजय सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी टाउन एरिया की आबादी सन् 1981 की जनगणना के अनुसार क्या है और किसी बस्ती को टाउन एरिया घोषित करने के लिये कितनी जनसंख्या चाहिए ?

श्री बलराम सिंह यादव–

मिर्जापुर जनपद के दुद्धी टाउन एरिया की आबादी सन् 1981 की जनगणना के अनुसार 7231 है।

किसी बस्ती को टाउन एरिया घोषित करने के लिये उसकी आबादी 10,000 या उससे अधिक होनी चाहिए।

वाराणसी जिले के ग्राम जाठी निवासी श्री गुलाब विश्वकर्मा की गोली मारकर हत्या एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विलम्ब

115–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुलाब विश्वकर्मा गांव जाठी थाना फूलपुर जिला वाराणसी को गोली लगने की वजह से तारीख 27-8-83 को घायल होकर बी0 एच0यू0 अस्पताल में भर्ती किया गया था जिसकी मृत्यु अस्पताल में 28-8-83 को हो गयी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि मृतक गुलाब का पोस्ट मार्टम चौथे दिन 31-8-83 को किया गया ? इसका क्या कारण है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि 28 अगस्त (लगायत) से 31 अगस्त, 83 तक पोस्टमार्टम हेतु कौन-कौन डाक्टर लगाये गये थे तथा पोस्ट मार्टम क्यों नहीं हुआ ?

श्री लोकपति–

जी हां । गोली से घायल श्री गुलाब विश्वकर्मा को दिनांक 27-8-83 को बी0 एच0 यू0 अस्पताल, वाराणसी में भर्ती किया गया था तथा उनकी मृत्यु उसी अस्पताल में दिनांक 28-8-83 को अपराह्न 12.40 बजे हो गयी । मृतक का पोस्ट मार्टम दिनांक 31-8-83 को किया गया । इसका कारण पुलिस द्वारा पंचायतनामा तथा मृत्यु का प्रमाण-पत्र संबंधित चिकित्सा अधिकारी को विलम्ब से उपलब्ध कराना है ।

पंचायतनामा पत्रावली एवं लाश काशी विश्वविद्यालय के फोरेन्सिक विभाग में दिनांक 29-8-83 को पहुंचाई गयी । उस दिनांक को डा0 वी0 कुमार द्वारा पोस्ट मार्टम होना था पुलिस द्वारा मृत्यु का प्रमाण-पत्र दाखिल न किये जाने के कारण उन्होंने पोस्ट मार्टम नहीं किया व पुलिस को पत्रावली इस आशय के साथ वापिस की कि मृत्यु का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अस्पताल से लेकर पत्रावली के साथ संलग्न करें । पुलिस उस दिन पत्रावली को पूर्ण करके नहीं ला सकी ।

दिनांक 30-8-83 को डा0 पी0 एन0 गुप्ता को पोस्ट मार्टम करना था परन्तु उस दिन भी पुलिस आवश्यक कागजात पूर्ण करके नहीं ला सकी । दिनांक 31-8-83 को डा0 डी0 पी0 सिंह को पूर्ण पत्रावली दी गयी और उन्होंने सबसे पहले प्रश्नगत शेव का परीक्षण किया ।

बस्ती जिले की साधन सहकारी समिति जोखवलिया के सचिव, श्री जनार्दन पाण्डेय का स्थानान्तरण

116–श्रीमती कमला साहनी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति जोखवलिया वि0 क्षेत्र, जोगिया जनपद बस्ती के सचिव एवं सहकारी समिति, गौरा वि0 क्षेत्र बर्डपुर जनपद बस्ती के सचिव को जनपद बस्ती में कार्य करते 15 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है ? क्या सरकार की नीतियों के अन्तर्गत 12 वर्ष से अधिक एक ही स्थल पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री बच्चा पाठक–

साधन सहकारी समिति जौखवलिया जनपद बस्ती के सचिव श्री जनार्दन पाण्डेय, बस्ती जनपद की विभिन्न समितियों में सचिव एवं आंकिक के पदों पर 15 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं । जौखवलिया में वे 24-11-82 से सचिव पद पर तैनात हैं ।

सहकारी समिति गौरा नाम की कोई समिति विकास खण्ड बर्डपुर (बस्ती) में नहीं है ।

सचिव का जनपदीय कैडर है उनका स्थानान्तरण दूसरे जनपद में नहीं किया जा सकता । उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1976 के नियम 13 के अन्तर्गत जनपद के विभिन्न समितियों में स्थानान्तरित करने के लिये गठित जनपदीय कमेटी सक्षम है । श्री जनार्दन पाण्डेय किसी भी समिति में सचिव के पद पर 3 वर्ष से अधिक नहीं रहे ।

गोरखपुर जिले की टाउन एरिया पीपीगंज के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

117–श्रीमती गौरी देवी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया पीपीगंज जनपद गोरखपुर में विगत 4 वर्षों से कार्यरत लिपिकों को सफाई कर्मचारियों व चपरासियों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया और उन्हें निर्धारित वेतन भी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या कारण है और कब तक स्थायी करके निर्धारित वेतन दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां ।

यह नवसृजित टाउन एरिया है। शासन की मितव्ययिता की नीति के कारण आयोजनेत्तर पक्ष में पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ।

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम अमृतपुर में हैण्ड पम्प का निर्माण

118–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर के अमृतपुर ग्राम समूह में जल निगम द्वारा पेयजल योजना निर्माण कराने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा जिलाधिकारी, फतेहगढ़ को लिखे गये पत्र संख्या 100/का/83 दिनांक 22-4-83 में अब तक क्या कार्यवाही की गई? इस योजना पर निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ होगा?

श्री बलराम सिंह यादव–

प्रश्नगत पत्र जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार उनको प्राप्त नहीं हुआ प्रतीत होता है।

अमृतपुर ग्राम समूह नामक कोई कार्यान्वित नहीं की जा रही है। ग्राम अमृतपुर तथा इसके आसपास अन्य समस्याग्रस्त ग्रामों में शासन की वर्तमान नीति के अनुसार इण्डिया मार्क II हैण्ड पम्पों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

बाराबंकी जिले के स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर के खाद्य निरीक्षक, श्री एस0 के0 वर्मा के विरुद्ध की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि

119–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि खाद्य निरीक्षक (श्री एस0 के0 वर्मा) के विरुद्ध 1973-74 में स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर बाराबंकी के चिकित्साधिकारी डा0 आर0 पी0 पाण्डे और करनल ए0 सी0 चोपड़ा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इनके सम्बन्ध में गम्भीर प्रविष्टि दी थी जिसमें सत्यनिष्ठा न प्रमाणित करना तथा प्रोन्नति के योग्य न होने का उल्लेख था? यदि हां, तो इनकी प्रोन्नति राज्य सचल दल में कैसे कर दी गयी?

श्री लोकपति–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जौनपुर जिले के मुंगरा बादशाहपुर की मतदाता सूची का प्रकाशन

120–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुंगरा बादशाहपुर (जौनपुर) की मतदाता सूची में ग्रामीण निर्वाचकों के नामों को छपाने की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रकाश तिथि 8-9-83 के बाद भी उक्त पालिकावासियों के अवलोकनार्थ नगर पालिका कार्यालय पर व्यवस्था न करने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

निर्वाचक नामावली की संशोधित सूची का आलेख प्रकाशन दावे तथा आपत्ति हेतु दिनांक 8-9-1983 को नगरपालिका कार्यालय पर किया गया था जो प्रकाशन के दिनांक से सात दिनों तक नगरवासियों के निःशुल्क निरीक्षण हेतु नगरपालिका कार्यालय पर उपलब्ध करायी गयी थी।

गोरखपुर जिले के बृजमनगंज स्थित बेला हरैया चिकित्सालय के प्रान्तीयकरण की मांग

121—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद्, गोरखपुर द्वारा प्रेषित बृजमनगंज, जिला गोरखपुर स्थित बेला हरैया चिकित्सालय का प्रान्तीयकरण करने हेतु कोई प्रस्ताव दिसम्बर, 30 में चिकित्सा अनुभाग—7 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ वह अपूर्ण था । उसे पूर्ण कराने की कार्यवाही स्वास्थ्य सेवा निदेशक के माध्यम से कराई गई । पूर्ण प्रस्ताव अब शासन को उपलब्ध करा दिया गया है किन्तु जिला परिषदों द्वारा संचालित चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण किये जाने विषयक योजना के संबंध में नीति विषयक निर्णय शासन के विचाराधीन होने के कारण अभी उपर्युक्त प्रस्ताव पर कोई अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो सका है ।

गोरखपुर जिले के लक्ष्मीपुर के डा0 के0 सी0 गुप्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

122—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री मुरारी लाल गुप्ता का शिकायती-पत्र जो 22-6-83 को उन्हें भेजा गया है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो डा0 के0 सी0 गुप्ता, एम0 ओ0, लक्ष्मीपुर, गोरखपुर के विरुद्ध बिन्दुवार आरोपों की जांच में कौन से तथ्य सामने आये और उन पर कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री लोकपति—

जी हां। जांच में सभी आरोप निराधार पाये गये।

वाराणसी जिले की साधन सहकारी समिति मरुई व छतांव के ग्रामीण गोदाम की छत में कथित खराबी

123—श्री उदल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति मरुई व छतांव ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी की ग्रामीण गोदाम की वर्षा काल में छत खराब होने से पानी अन्दर गिर रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में विभाग द्वारा कितने ग्रामीण गोदाम विश्व बैंक परियोजना में सन् 80 से अब तक बनाये गये हैं क्या उनमें छत को बहुत कम सीमेन्ट लगाकर बनाया गया है ?

श्री बच्चा पाठक—

वाराणसी जनपद के विकास खण्ड पिंडरा की साधन सहकारी समिति मरुई छतांव के ग्रामीण गोदाम की छत से पानी अन्दर गिरने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

गोदाम की जांच नवम्बर, 1983 में कराने पर जानकारी हुई कि कान्सट्रक्शन ज्वाइंट के न होने से वर्षा में आगे के भाग की छतों के कुछ भाग में सीलन आयी हुई प्रतीत होती है । इस कमी को ठीक कराने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद वाराणसी में वर्ष 80 से नवम्बर, 1983 के अन्त तक परियोजना के अन्तर्गत 71 ग्रामीण गोदामों का निर्माण कराया गया है, जिनमें बहुत कम सीमेन्ट लगाकर छत बनाये जाने की कोई शिकायत नहीं पायी गयी।

गोरखपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटहट की दाई को नियमित करने की मांग

124—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की पी0एच0सी0 भटहट से संबंधित किन-किन पार्ट टाइम दाइयों को नियमित करने हेतु प्रश्नकर्ता ने एक पत्र राज्य मंत्री, स्वास्थ्य को दिनांक 20 से 22 मार्च, 83 के मध्य दिया जिसकी प्राप्ति स्वीकृति पत्रांक 460 एस0एम0एच0, दिनांक 22-3-83 ई0 द्वारा किया है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित परिवार कल्याण केन्द्रों में 50 रु0 प्रति माह नियत वेतन पर केवल अंशकालिक (पार्ट टाइम) दाई नियुक्त की जाती है । अतः अंश कालिक दाइयों को नियमित किया जाना संभव नहीं है ।

लघु उद्योग इकाइयों द्वारा फिनाइल उत्पादन करने संबंधी कथित आदेश

125—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 114352 पी/18-10 198-77 दिनांक 5-12-1979 के अनुसार फिनाइल का उत्पादन लघु उद्योग इकाई के लिये सुरक्षित किया गया है तो यू0 पी0 डी0 पी0 एल0 जो एक बड़ा उद्योग है इसका उत्पादन लोन लाइसेन्स पर क्यों कर रहा है ?

श्री लोकपति—

ऐसा कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया है।अतः शेष प्रश्न नहीं उठता

गोरखपुर जिले के कोयले के थोक विक्रेताओं को स्लैक एवं साफ्ट कोक का आवंटन

126—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा विगत 1 अप्रैल, 1982 से लेकर 30 जून, 1983 तक कोयले के थोक विक्रेताओं (अभिकर्ताओं) को कितनी मात्रा में स्लैक एवं साफ्ट कोक का नियमित एवं अतिरिक्त आवंटन किया गया ? इसमें से कितना कोयला गोरखपुर जनपद में आया और नियमित एवं अतिरिक्त आवंटन का उस अवधि के अन्तर्गत कितना स्लैक एवं साफ्ट कोक गोरखपुर जनपद में नहीं आ सका और उसके कारण क्या थे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

1 अप्रैल, 1982 से 30 जून, 1983 तक जनपद के थोक कोल अभिकर्ताओं के मध्य शासन ने प्राप्त कोटे के अन्तर्गत स्लैक कोल की नियमित स्पांसनिंग सड़क मार्ग से 79,568 मी0 टन तथा अतिरिक्त कोटे के अन्तर्गत 184950 मी0 टन आयात करने

हेतु स्पांसरिंग की गई है जिसमें से 1,22,107 मी0 टन कोयला कोयलरीज से प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई है । अवशेष नियमित कोटे का 45412 मी0 टन तथा अतिरिक्त कोटे का 96999 मी0 टन कुल 1,42,411 मी0 टन का आयात नहीं हुआ है । कोलरीज से अच्छी किस्म तथा समय-समय पर कोलरीज द्वारा माल रिलीज न करने के कारण अवशेष कोयले का आयात कोल एजेन्टों द्वारा नहीं किया गया है तथा विगत वर्ष 82-83 में भट्ठों के जल्दी बन्द हो जाने तथा 83-84 में ईंट-भट्ठों के न चलने की वजह से स्लैक कोल की मांग भी नगण्य रही है तथा स्पांसरिंग की वैधता तिथि भी समाप्त हो गयी है इसलिये उपरोक्त की वजह से अवशेष कोयले का आयात नहीं हो सका है ।

साफ्ट कोल का आवंटन शासन द्वारा इस जनपद के थोक कोल अभिकर्ताओं को उपरोक्त अवधि में 13946 मी0 टन साफ्ट कोल सड़क मार्ग से आयात करने हेतु स्पांसर किया गया है जिसमें से 7536.5 मी0टन कोलरीज से प्राप्त होने की सूचना मिली है, अवशेष 6409.5 मी0 टन कोलरीज से अच्छी किस्म का कोयला न मिलने के कारण तथा समय-समय पर कोलरीज द्वारा कोल रिलीज न होने एवं अनुपलब्धता के कारण आयात नहीं हुआ है ।

कानपुर जिले के मोहल्ला लाजपतनगर में पार्क का निर्माण

127–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में मुहल्ला लाजपतनगर में पक्का तालाब के निकट कोई सार्वजनिक पार्क बनाया गया है? यदि हां, तो निर्माण होने से अब तक प्रतिवर्ष अलग-अलग कितना धन शासन द्वारा देखभाल में व्यय किया गया ? क्या सार्वजनिक पार्क में माली की भी व्यवस्था है ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी हां ।

पार्क नगर महापालिका का है। शासन द्वारा व्यय करने का प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति कोई व्यवस्था नहीं है ।

देवरिया जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भागलपुर के डा0 एम0 एम0 सिंह के विरुद्ध शिकायती-पत्र

128–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 6-4-83 को चिकित्साधिकारी (द्वितीय), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भागलपुर, देवरिया (डा0 एम0 एम0 सिंह) के विरुद्ध कई ग्राम प्रधानों द्वारा हस्ताक्षरित एक शिकायती पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो (अक्तूबर, 1983) तक उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उनके विरुद्ध शासन में कोई कार्यवाही विचाराधीन है ?

श्री लोकपति–

जी हां । शिकायती पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया को भेजा गया था परन्तु डाक की गड़बड़ी के कारण पत्र गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंच सका है। शिकायती पत्र की दूसरी प्रति उपलब्ध होने पर अग्रिम कार्यवाही करायी जावेगी ।

गोरखपुर जिले में कोयले के थोक लाइसेन्स एवं सीमेन्ट के लाइसेन्स का आवंटन

129—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के वर्तमान जिला-पूर्ति अधिकारी द्वारा एक अप्रैल, 1982 से लेकर 30 जून, 1983 तक कितने कोयले के थोक, कोल्ड डिपो तथा लेवी सीमेन्ट एवं नान लेवी सीमेन्ट के लाइसेन्स निर्गत किये गये? इन लाइसेन्सों की सूची उनके स्थायी एवं अस्थायी पते के साथ देते हुए क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इनमें से कितने लाइसेन्स वरीयता क्रम वाले संस्थाओं, अनुसूचित वर्ग, राजनीति पीड़ित एवं अन्य अभ्यर्थियों को जारी किये गये हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

1 अप्रैल, 1982 से 30 जून, 1983 तक 61 कोयले के थोक लाइसेन्स, 50 कोल डिपो के लाईसेन्स स्वीकृत किये गये । वरीयता के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के एक थोक कोल लाईसेन्स तथा दो कोल डिपो लाईसेन्स निर्गत किये गये। थोक कोयले के लाइसेन्सियों एवं कोल डिपो लाइसेन्सियों के नाम की सूची संलग्न है। वरीयता में आने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई आवेदन-पत्र कोल डिपो के लाईसेन्स हेतु पेन्डिंग नहीं है। कोयले के थोक एवं कोल डिपो होल्डरों को उत्तर प्रदेश कोयला नियंत्रण आदेश, 1977 के प्राविधानों के अन्तर्गत लाइसेन्स स्वीकृत किये जाते हैं।

प्रश्नगत अवधि में 27 लेवी सीमेन्ट के लाइसेन्स स्वीकृत किये गये। लाइसेन्सियों का नाम एवं वरीयता का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है । नान लेवी सीमेन्ट का लाईसेन्स सीमेन्ट फैक्ट्रियों द्वारा प्राप्त नियुक्ति पत्र के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी के स्वीकृति के बाद जारी हुए हैं जिनका विवरण †संलग्न है।

बांदा जिले में परिवार नियोजन शिविरों का आयोजन

130—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा नगर में जून, 80 से 5-10-83 तक परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने कैम्प किन-किन तिथियों में लगाये गये।

श्री लोकपति—

इस अवधि में बांदा नगर में कुल 51 शिविरों का आयोजन निम्न तिथियों में किया गया :—

16-9-81
19-10-81
20-11-81
19-12-81
27-1-82
28-1-82
26-2-82
17-3-82

†(छापा नहीं गया।)

6-8-82
11-9-82
28-9-82
9-10-82
8-11-82
4-12-82
14-12-82
30-12-82
4-1-83
7-1-83
17-1-83
20-1-83
21-1-83
22-1-83
27-1-83
28-1-83
29-1-83
5-2-83
19-2-83
25-2-83
2-3-83
14-3-83
24-3-83
4-4-83
11-4-83
26-4-83
26-6-83
4-7-83
11-7-83
18-7-83
23-7-83
25-7-83
30-7-83
1-8-83
16-8-83
22-8-83
29-8-83
5-9-83
12-9-83
19-9-83
22-9-83

विधान सभा

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

हाट निरीक्षक, जलेसर (एटा) द्वारा दिनांक 18-6-83 को जलेसर स्थित आगरा बस स्टैण्ड के पास के एक कमरे से बरामद किया गया 26-52-000 कुन्तल गेहूं श्री नाहर सिंह, प्रधान पटना का था। श्री सिंह इस गेहूं को एग्रो राजकीय खरीद एजेन्सी के कांटे पर बेचने के लिए लाये थे परन्तु गाड़ी खराब हो जाने के कारण उसे उक्त कमरे में रख दिया था। यह गेहूं सरकारी खरीद में खरीद लिया गया और उसका भुगतान श्री नाहर सिंह को कर दिया गया।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम बिहारी शुक्ला, भूतपूर्व कोषाध्यक्ष, जिला सहकारी संघ, सीतापुर के बकाये वेतन का भुगतान

135—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, 81 में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र सहकारिता मंत्री को श्री श्याम विहारी शुक्ला, भूतपूर्व कोषाध्यक्ष, जिला सहकारी संघ लि0 सीतापुर को समस्त वेतन सम्बन्धी बकाया भुगतान कराने के सम्बन्ध में दिया था उसमें क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां। श्री शुक्ला के समस्त बकाया का भुगतान मनीआर्डर द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर, 1983 को भेज दिया गया है।

सुल्तानपुर जिले के जगदीशपुर को टाउन एरिया घोषित किये जाने की मांग

136—श्री राम गोविन्द—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर को टाउन एरिया बनाये जाने का मामला विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक बन जाने की आशा है?

श्री बलराम सिंह यादव—

जगदीशपुर को दिनांक 24 जून, 1983 को टाउन एरिया घोषित किया गया था, परन्तु प्रशासनिक कारणों से इसे 1 दिसम्बर, 1983 से विखण्डित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

कैंसर अस्पताल, कानपुर में रेडियोथेरेपी के लेक्चरर पद पर नियुक्ति

137—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कैंसर अस्पताल, कानपुर में विगत 2 वर्षों से रेडियोथेरेपी में ऐसे दो लेक्चरर नियुक्त हैं जिनकी योग्यता मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुकूल नहीं है? यदि हां। तो फिर इनकी नियुक्ति करने का आधार क्या है?

श्री लोकपति—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

26-9-83
3-10-83

बांदा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सालयों में डाक्टरों के रिक्त पद

131–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में किन-किन प्राइमरी हेल्थ सेन्टर तथा राजकीय चिकित्सालयों में कितने-कितने डाक्टरों के पद दिनांक 14 अक्टूबर, 1983 को रिक्त थे तथा इनको न भरने के क्या कारण हैं और कब तक सभी पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी?

श्री लोकपति–

जी हां, दिनांक 14 अक्टूबर, 1983 को जनपद बांदा में रिक्त पदों की सूची संलग्न है। इनको न भरने का कारण डाक्टरों का अभाव है। महिला डाक्टरों के पांच रिक्त पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। शेष पदों पर भी शीघ्र नियुक्ति की जायेगी।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ 1247–1248 पर।)

132–श्री रामधनी–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

उन्नाव जिले की सहकारी संघ लि0, मोहान विकास खण्ड के भवन की मरम्मत की मांग

133–श्री मोहन सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ मोहान, विकास खण्ड हसनगंज, जनपद उन्नाव का भवन पूर्ण रूप से कमजोर है? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त संघ के प्रभारी अधिकारी ने दिनांक 22-11-78 को जिला सहायक निबंधक, उन्नाव को आवेदन पत्र देकर भवन के मरम्मत के लिए निवेदन किया था? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

सहकारी संघ लि0, मोहान का भवन पूर्ण रूप से कमजोर नहीं है। दिनांक 22-11-1978 को जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, उन्नाव को आवेदन पत्र भवन की मरम्मत के लिये भेजा गया था। संघ के भवन कोष में धनाभाव के कारण मरम्मत की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

हाट निरीक्षक जलेसर, जिला एटा द्वारा बरामद किया गया श्री नाहर सिंह निवासी पटना का गेहूं

134–श्री बदन सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाट निरीक्षक जलेसर (एटा) ने दिनांक 18-6-83 को जलेसर (एटा) के एक खाद्य व्यापारी (शंकर लाल) के यहां से लगभग 100 कुन्टल अवैध गेहूं पकड़ा था? यदि हां, तो उस व्यापारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

आजमगढ़ जिले के ग्राम शीतलपुर निवासी श्री इन्द्रजीत के नाम से साधन सहकारी समिति दरगाह दोहरीघाट का फर्जी ऋण

138–श्री मित्रसेन–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री इन्द्रजीत आत्मज हरखू, ग्राम शीतलपुर, पत्रालय बी0बी0 पुर सा0 स0 समिति दरगाह दोहरीघाट, आजमगढ़ द्वारा लिये फर्जी ऋण के संबंध में कोई शिकायती पत्र मा0 झारखंडे राय, संसद सदस्य के दिनांक 28-3-83 को प्रेषित किया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां ।

शिकायत की जांच सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, आजमगढ़ तथा विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारिता द्वारा संयुक्त रूप से कराई जा रही है ।

गोरखपुर जिले के जिला अस्पताल के डाक्टरों, नर्सों आदि का विचाराधीन स्थानान्तरण एवं उनके विरुद्ध शिकायती पत्र

139–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर के जिला अस्पताल के सीनियर फिजीशियन, अधीक्षक व सिस्टर्स व स्टाफ नर्सेज कौन-कौन हैं जिनका कार्यकाल तीन साल से अधिक हो गया है और इसी जिले में बनी हुई हैं ? इनका स्थानान्तरण अब तक क्यों नहीं किया गया ? इनको कब तक यहां से हटा दिया जायेगा ?

श्री लोकपति–

जिला अस्पताल, गोरखपुर के सीनियर फिजीशियन डा0 पी0 एन0 अवस्थी का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक हो गया है । इसके अतिरिक्त संलग्न सूची में उल्लिखित सिस्टर्स व स्टाफ नर्सेज का कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक हो गया है। डा0 पी0एन0 अवस्थी तथा स्टाफ नर्स आई0 वी0 राबिन्सन के स्थानान्तरण के आदेश जारी किये जा चुके हैं । सिस्टर्स व स्टाफ नर्सेज के स्थानान्तरण की नीति शासन के विचाराधीन थी और अब यह निर्णय लिया गया है कि कार्मिक विभाग द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण के संबंध में निर्धारित नीति के अनुसार उपचारिका संवर्ग में भी वार्षिक स्थानान्तरण किये जायं । तदनुसार आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(देखिए नत्थी ''छ'' आगे पृष्ठ 1249 पर।)

140–श्री फिरंगी प्रसाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के जिला अस्पताल के किन-किन चिकित्सकों, स्टाफ नर्सेज, नर्सेज आदि के विरुद्ध प्रश्नकर्ता व सांसद आदि ने माह जून, 83 से अब तक शिकायती पत्र व तार शासन को दिया है? ऐसे लोगों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें हैं और क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों?

श्री लोकपति–

प्रश्नकर्ता व सांसद आदि से माह जून, 1983 से अब तक प्राप्त शिकायती पत्र व तार में डा0 पी0 एन0 अवस्थी, सिस्टर पी0 के0 ओवेडायाह, सिस्टर रेखा बनर्जी, स्टाफ नर्स शिरोमणि, सिस्टर मैसी व स्टाफ नर्स टी0 सिंह के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई ।

जांच के उपरान्त डा0 अवस्थी को गोरखपुर से स्थानान्तरण एवं उनकी चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने तथा स्टाफ नर्स आई0 वी0 राबिन्सन को गोरखपुर से स्थानान्तरण एवं निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। शेष के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए।

141—श्री नन्द किशोर सिंह—

[दिनांक 21-2-84 के अतारांकित प्रश्न संख्या 146 द्वारा उत्तरित।]

142—श्री भूधर नारायण मिश्र—

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—115 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

143—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नगरपालिकाओं एवं नगर महापालिकाओं के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एवं पेंशन की सुविधा

144—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिकाओं एवं नगर-महापालिकाओं के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एवं पेंशन की सुविधा दे दी गई है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

पालिका के केन्द्रीयित कर्मचारियों के लिए पेंशन एवं ग्रेच्युटी की सुविधा के आदेश दिनांक 27 जून, 1981 में जारी किये जा चुके हैं। कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद एवं लखनऊ महापालिकाओं के अकेन्द्रीयित कर्मचारियों को उक्त सुविधा प्रदान की जा रही है। शेष अन्य महापालिकाओं के कर्मचारियों को उक्त सुविधा प्रदान करने हेतु नियमावली बनायी जा रही है।

नगरपालिकाओं के अकेन्द्रीयित कर्मचारियों को उक्त सुविधा प्रदान करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जिले की अंगूरी बाग, आवास विकास कालोनी के लिए भूमि का अधिग्रहण

145—श्री निर्मल खत्री—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद शहर में निर्मित अंगूरी-बाग आवास विकास योजना में भू-खण्ड नजूल नं0 1043 को भी अधिग्रहीत किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि नं0 के संदर्भ में सरकारी अभिलेख 1309 फसली बंदोबस्त खसरा वर्ष 1904 में कर्बला भूमि (ताजिया दफनाने का स्थान) दर्ज है?

श्री बलराम सिंह यादव—

उपलब्ध नजूल अभिलेखों के आधार पर भू-खण्ड संख्या 1043, दो भागों—1043/1 और 1043/2 में था जिनमें से 1043/2 के बारे में दर्ज है कि——मजरूईन ताजिया दफन होते हैं किन्तु वर्तमान में नजूल भू-खण्ड संख्या 1043, जिसका वर्तमान नम्बर 680 है, वर्तमान समय में श्रीमती शिवराजी बेवा श्री प्रभू के नाम दर्ज है जिसे ही परिषद् द्वारा अधिग्रहीत किया गया है ।

देवरिया जिले में हैजा एवं मैस्ट्रो का प्रकोप तथा मृतकों की संख्या

146–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हैजे की बीमारी के कारण जनपद देवरिया में 1 सितम्बर, 83 से 20 अक्तूबर, 83 तक 100 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गयी है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

हैजा से केवल एक महिला ग्रसित हुई जो उपचारोपरान्त स्वस्थ हो गयी । किन्तु गैस्ट्रो से 19 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी । बीमारी का कारण बासी भोजन था। उपचार संबंधी कार्यवाही तुरन्त की गयी अतएव किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

नगरपालिका, जालौन के अधिशासी अधिकारी, श्री पी0 के0 अग्रवाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

147–श्री मोहन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25-10-83 को नगरपालिका, जालौन के कार्याधिकारी श्री पी0 के0 अग्रवाल के विरुद्ध श्री गया प्रसाद वर्मा का कोई शिकायती-पत्र अग्रसारित करके उन्हें भेजा था? यदि हां, तो इस मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा और कब करायी गयी और इससे कौन-कौन से तथ्य प्रकाश में आये और उन तथ्यों की रोशनी में शासन ने अभी तक कौन सी कार्यवाही की?

श्री बलराम सिंह यादव–

मा0 विधायक श्री मोहन सिंह के पत्र दिनांक 24 अक्टूबर, 83 (न कि पत्र दिनांक 25-10-83) के साथ श्री गया प्रसाद वर्मा का श्री पी0 के0 अग्रवाल अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था शिकायतों की प्रारम्भिक जांच सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 17-11-83 को की गई जिससे अधिशासी अधिकारी द्वारा अपनी मां के इलाज के लिये नगरपालिका से धनराशि प्राप्त करने, एक नजूल भूमि पर नाम दर्ज कराने तथा सड़क निर्माण और पालिका कार्यालय के एक कमरे के निर्माण में अनियमितताएं प्रकाश में आयीं । उक्त मामले में अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।

कानपुर के जाजमऊ स्थित टैनरियों का गन्दा पानी

148–श्री भूधर नारायण मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जाजमऊ, कानपुर स्थित टैनरियों द्वारा सड़क पर बहाये जा रहे गंदे पानी के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव–

जाजमऊ, कानपुर स्थित टैनरियों द्वारा सड़क पर गन्दा पानी नहीं बहाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

कानपुर नगर के राधा किशन हाता एवं मलिन बस्तियों का मुख्य मंत्री द्वारा निरीक्षण

149–श्री भूधर नारायण मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मुख्य मंत्री ने 30 अप्रैल, 1983 को राधा किशन का हाता 65/8, 9 एवं 10 मलिन बस्ती, कानपुर का निरीक्षण किया था? यदि हां, तो निरीक्षण के दौरान पाये गये दोषों का निरीक्षण के समय दिये गये सुझावों के अनुसार, सुधार हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव–

(क) जी हां।

(ख) निरीक्षण के समय एक सामुदायिक भवन के निर्माण की मांग जनता ने की थी। कुछ विधिक कठिनाइयों के कारण इसका निर्माण सम्भव नहीं हो रहा है। प्रश्नगत अहाते के निकटवर्ती एक अन्य अहाते में दो शौचालय की मरम्मत तथा नाली एवं खडंजा नगरमहापालिका ने अपने स्रोतों से ठीक करा दिया है।

श्री बल्देव आयुर्वेदिक कालेज, बड़ागांव वाराणसी के ट्रेण्ड कम्पाउण्डरों/फार्मासिस्टों की राजकीय सेवा में नियुक्ति

149-ए–श्री उदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बल्देव आयुर्वेदिक कालेज, बड़ागांव, जिला वाराणसी में कल्पक (आयुर्वेदिक), का दो वर्षीय कोर्स चलाया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेज के पास किये हुए ट्रेण्ड कल्पकों को आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कल्पक के पद पर नियुक्ति करती है?

श्री लोकपति–

जी हां।

श्री बल्देव कालेज, बड़ागांव, जिला वाराणसी के आयुर्वेदिक कल्पक (कम्पाउन्डर) राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिये अर्ह है।

150–श्री उदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्ष से कल्पक नाम बदल कर फार्मासिस्ट कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सन् 78-79 से लगातार 82-83 तक पास किए हुए कल्पकों को जगह नहीं दी गयी है? क्या सरकार पूर्व वर्षों में पास किये हुए कल्पकों की सीनियारिटी मानकर नियुक्ति करेगी?

श्री लोकपति–

जी हां। जुलाई, 80 से कल्पक का नाम बदलकर 'आयुर्वेदिक भैषज्य कल्पक' (फार्मासिस्ट) कर दिया गया है।

आयुर्वेदिक व यूनानी कम्पाउण्डर सेवा नियमावली के अनुसार इनकी नियुक्ति के लिये चयन होता है । इन चुनावों में 1978-79 से 82-83 तक श्री बल्देव आयुर्वेदिक कालेज बड़ागांव, जिला वाराणसी से पास किये हुए 35 कल्पक चुने गये हैं, उनकी ही नियुक्ति हुई है ।

सेवा नियमों के अनुसार ऐसा करना संभव नहीं है।

151–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इस प्रश्न पर भी विचार करेगी कि जब तक पुराने पास कल्पकों की नियुक्तियां नहीं हो जाती तब तक नये निकले हुए फार्मासिस्टों की नियुक्तियां नहीं की जायेंगी ?

श्री लोकपति–

सेवा नियमों के अनुसार ऐसा करना संभव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धकों का वेतनमान

152–श्री केशरी प्रसाद पाण्डे–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में कितने लोग प्रभारी क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर कब से कार्यरत हैं ? यदि उनसे क्षेत्रीय प्रबंधक का कार्य लिया जा रहा है तो क्या उसका वेतनमान दिया जा रहा है? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड से प्राप्त सूचना के अनुसार बैंक में निम्नलिखित प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक उनके नाम के सामने अंकित तिथि से कार्यरत हैं:–

1–श्री श्रीगोपाल गुप्ता	4-4-76
2–श्री ओ0 पी0 मित्तल	1-4-76
3–श्री एस0 के0 श्रीवास्तव	16-4-76
4–श्री के0 के0 शर्मा	9-7-76
5–श्री आर0 के0 दीक्षित	4-5-77
6–श्री आर0 के0 सिंह	12-6-78
7–श्री सी0 एल0 त्रिपाठी	4-3-78
8–श्री इन्दर सिंह राना	30-7-83
9–श्री जोखू राम शुक्ल	26-7-83

उक्त अधिकारियों को क्षेत्रीय पदों पर पदस्थ करने पर नियमानुसार रु0 50 प्रतिमास वेतन के अतिरिक्त दिया जाता है । इनकी पारस्परिक ज्येष्ठता विवादग्रस्त होने एवं मामला न्यायालय में लम्बित होने के कारण इन्हें नियमित रूप से क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर प्रोन्नत करना इस समय संभव नहीं है ।

टिहरी जिले की पयाकोटी पेयजल योजना का निर्माण

153–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट व श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा पयाकोटी विकास खण्ड कीर्तिनगर जनपद टिहरी में कब पेयजल योजना मंजूर हुई, कब कार्य प्रारम्भ हुआ और कब तक चलेगा ? बागियों वाले जल स्रोत से कितना पानी आवेगा, यह पानी ग्राम कुन्याड मरगांव व भयाधार कूल को मिलेगा एवं पाईप लाईन जमीन में कितने फुट गहराई में बिछाई जायेगी ? क्या यह सही है कि पयाकोटी की दोनों पानी की टंकी पानी पड़ने से पहले ही फट रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव–

ग्राम सभा पयाकोटी, विकास खण्ड, कीर्तिनगर, जनपद टिहरी की पयाकोटी ग्राम समूह पेयजल योजना वर्ष 1980 में मंजूर हुई थी। इसी वर्ष कार्य प्रारम्भ हुआ । यह योजना मार्च, 1983 में पूर्ण हो चुकी है ।

बागियों वाले जल स्रोत पर विवाद होने के कारण योजना अन्य स्रोतों से कार्यान्वित की गयी है । बागियों वाले स्रोत पर विवाद व ग्रामवासियों के आपत्ति के कारण ग्राम मरगांव (तोक) को पेयजल से लाभान्वित नहीं किया गया है ।

पाइप लाईन जमीन में कार्यस्थल की स्थिति के अनुसार लगभग 30 से 60 से0मी0 तक दबाई गयी हैं ।

पयाकोटी की दोनों पानी की टंकी पानी पड़ने से पहले नहीं फट रही है बल्कि पयाकोटी पेयजल योजना के निर्मित चारों जलाशयों द्वारा पानी सुचारु रूप से चल रहा है।

154–श्री पंचानन राय–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

श्री राम चन्द्र राय, ग्राम महुला, जिला आजमगढ़ द्वारा राजकीय चिकित्सालय के भवन के किराये की मांग

155–श्री पंचानन राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम चन्द्र राय, ग्राम व पोस्ट महुला, आजमगढ़ का प्रार्थना-पत्र दि0 3-9-83 जो राजकीय चिकित्सालय के किराये के भुगतान से संबंधित है प्रश्नकर्त्ता के पत्र दि0 6-9-83 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति–

जी हां।

श्री राम चन्द्र राय ने प्रश्नगत राजकीय चिकित्सालय भवन के किराये के संबंध में यह इकरारनामा भरा था कि जब तक राजकीय चिकित्सालय का सरकारी भवन नहीं बन जायेगा तब तक वह भवन का किराया नहीं लेंगे। इसी कारण श्री राय के पत्र पर जो भवन के किराये के भुगतान के संबंध में था किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

आजमगढ़ जिले के ग्राम जीयनपुर के मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना के संबंध में प्रार्थना-पत्र

156–श्री पंचानन राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मातृ शिशु कल्याण केन्द्र जीयनपुर, आजमगढ़ को स्वीकृत स्थान पर स्थापित किये जाने से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दि0 1-10-83 मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री लोकपति–

जीयनपुर के नागरिकों का एक आवेदन पत्र दिनांक 16-9-83 प्रश्नकर्त्ता के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अजमतगढ़ (आजमगढ़) को ग्राम जीयनपुर में उप केन्द्र खोले जाने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

बाबा राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में ई0एन0टी0 प्रोफेसर का विचाराधीन पद

157–श्री केदार नाथ सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में ई0एन0टी0 प्रोफेसर के पद के सृजन का मामला शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उस पर कब निर्णय ले लिया जायगा?

श्री लोकपति–

जी हां। औपचारिक कार्यवाही पूर्ण होने पर ही यह निर्णय लेना संभव होगा।

फैजाबाद जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र

158–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमेश कुमार शर्मा, संगठन मंत्री, जिला लोकदल द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद आदि के विरुद्ध भेजा गया शिकायती-पत्र दि0 8-10-83 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी तथा जांच के दौरान शिकायतकर्त्ता के लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य लिये गये? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

जी हां। संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मंडल को जांच सौंपी गई है। जांच अभी जारी है।

आजमगढ़ के जिला सहकारी बैंक महराजगंज शाखा के प्रबंधक, श्री पारसनाथ सिंह के विरुद्ध शिकायती पत्र

159–श्री गित्रसेन–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कैलाश यादव, प्रशासक, सहकारी सेवा संघ, महराजगंज, जनपद आजमगढ़ का दिनांक 5-7-83 को श्री पारसनाथ सिंह, शाखा प्रबंधक, शाखा महराजगंज, आजमगढ़ के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र में कौन-कौन तथ्य हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

शिकायती पत्र की जांच करवाई गयी, जिसमें श्री पारसनाथ सिंह शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक महाराजगंज शाखा व श्री हंसनाथ सिंह सचिव, अतरौलिया क्षेत्रीय सहकारी समिति दोषी पाये गये। श्री हंसनाथ सिंह, सचिव अतरौलिया क्षेत्रीय सहकारी समिति लि0, पहले से ही निलंबित हैं व श्री पारसनाथ सिंह, शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक, शाखा महराजगंज के विरुद्ध कार्यवाही के लिये सचिव जिला सहकारी बैंक को लिखा गया है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम जीयनपुर की पेयजल योजना के विरुद्ध शिकायती-पत्र

160–श्री पंचानन राय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महामंत्री, ब्लाक कांग्रेस कमेटी (ई) आजमतगढ़, आजमगढ़ का जीयनपुर में पेयजल योजना के अंतर्गत लाई गयी लाइनों के संबंध में शिकायती-पत्र प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 11-7-83 के साथ अधिशासी अभियंता, जल निगम, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बलराम सिंह यादव–

जी नहीं।

आजमगढ़ जिले के श्री चन्द्रका सिंह, सुपरवाइजर, दीदारगंज का निलम्बन एवं निर्वाह भत्ता

161–श्री पंचानन राय–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्रका सिंह, सुपरवाइजर, दीदारगंज, तह0 फूलपुर, जनपद आजमगढ़ पिछले कई वर्षों से निलंबित हैं, किन्तु उन्हें निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

अन्य बातों के अतिरिक्त निर्वाह भत्ते का भुगतान संबंधी मामला भी न्यायालय में विचाराधीन होने के फलस्वरूप इस संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

आजमगढ़ जिले के अधिशासी अभियंता, जल निगम के विरुद्ध शिकायती-पत्र

162–श्री पंचानन राय–

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान, ग्राम सभा पूना ज्ञानपुर, तह0 सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का उक्त गांव में पेयजल की सुविधा उत्पन्न कराने से सम्बन्धित पत्र दि0 17-8-83 प्रश्नकर्त्ता का पत्र दि0 27-8-83 के साथ अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार यह पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता।

होम्योपैथिक विभाग के श्रेणी प्रथम दर्जे के पद पर अनुसूचित जाति का आरक्षण

163—श्री खैरुल बशर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में होम्योपैथिक विभाग में श्रेणी प्रथम दर्जे के पद पर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति नियुक्ति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी नहीं । एकल पद के लिए नियमानुसार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्राविधान नहीं है ।

नैनीताल जिले की वन श्रम संविदा सहकारी समिति, रामनगर, के विरुद्ध शिकायती-पत्र

164—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वन श्रम संविदा सहकारी समिति लि0, रामनगर, जिला नैनीताल, पंजीकृत संख्या 1413 दिनांक 16-9-78 के विरुद्ध समिति के वैधानिक संस्थापक सदस्यों द्वारा उक्त समिति के फर्जी सदस्यों की जांच करने बाबत दिनांक 30-9-81 को "निबंधक सहकारी समितियां, उ0 प्र0, लखनऊ को शिकायती-पत्र दिया गया है जिस पर जांच करने के उपरान्त पाए गये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां । शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी थी । कोई दोषी नहीं पाया गया। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रियों द्वारा प्रश्नों के सुसंगत उत्तर न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं और मुख्य रूप से जब से नये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तब से "कोढ़ में खाज हो गया है"। मान्यवर, आज ही नगर विकास राज्य मंत्री जब उत्तर दे रहे थे, तो प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ । मान्यवर, नियम 38 को आप देखें उसमें व्यवस्था है कि प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय में सुसंगत होंगे और आगे आपको अधिकार दिया है। हम जब अनुपूरक प्रश्न करते हैं और ग्राह्य होने पर आप मंत्री को बुलाते हैं तो अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर प्रश्नों से सुसंगत देंगे । आज मैंने 9 उदाहरण नोट किये हैं । जब नगर विकास मंत्री उत्तर दे रहे थे, तो कई मा0 सदस्यों ने पूछा कि हैंडपम्पों का मेन्टीनेंस कौन विभाग करेगा लेकिन इसका उत्तर नहीं आया और कहा कि 25 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी और पत्र लिख दिया गया है, किन्तु रख-रखाव के बारे में कुछ नहीं

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

बताया। मान्यवर, इसी तरह खाद्य मंत्री जब उत्तर दे रहे थे, तो मा0 हुकुम सिंह ने महत्वपूर्ण प्रश्न किया था कि ग्रामों में कटाई के बाद 70-80 फीसदी ऐसे लोग हैं जो गल्ला खरीद कर खाते हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं बने हैं, तो सवाल किया कि राशन कार्ड गांवों में क्या सरकार बनवायेगी । इसका उत्तर हां या नहीं में दे सकते थे चूंकि उन्होंने 1981 की पंचायत राज विभाग की राजाज्ञा जो जारी हुई, उसको संदर्भित किया था कि कोई राशन कार्ड नहीं बनेगा, अपरिहार्य कारणों को छोड़कर, तो इसका उत्तर दोनों हां या नहीं। किन्तु उत्तर दिया फर्जी राशन कार्डों की जांच करायी जा रही है, इसलिये सवाल दूसरा और जवाब दूसरा, तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं । इस-लिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि नियम 38 के तहत, प्रश्नों के सुसंगत उत्तर मिलने चाहिए, हां मिले या नहीं । हमको जो यहां उत्तर मिलेगा उसको हम जनता में उजागर करते हैं, इसलिये सुसंगत उत्तर मिलने चाहिए । मान्यवर, आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं। यह आपका काम है कि हमारे उत्तर सही दिलायें। क्या उत्तर दें इससे हमें मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यह बात सही है शासन के लोगों से हमने कई बार कहा है। जो सदन में प्रश्न किये जाते हैं उनके उत्तर सही प्रकार से नहीं होते हैं। आप इस पर विशेष ध्यान दें। संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें विशेष रुचि लेने की आवश्यकता है . . . (व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह–

कई लोग प्रश्न कर रहे थे इसलिये यह बात हुई, मैंने ठीक ही समझकर उत्तर दिया है . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

क्योंकि जब प्रश्नों के उत्तर ठीक से नहीं आते । इसीलिए एक प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति बनायी गयी, जिसके नामों की सूचना मैं देने वाला हूं, जहां पर उनकी छानबीन हुआ करेगी । उनको वह सभी अधिकार हुआ करेंगे, ताकि वह गहराई से उन पर कार्य कर सकें और उस पर कार्यवाही कर सकें।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाए

[समय 12 बजकर 25 मिनट]

श्री अध्यक्ष––

नियम 301 के अन्तर्गत हमें 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । उनमें से 7 को मैंने स्वीकार किया है और शेष को अस्वीकार किया है। श्री अम्बा प्रसाद वर्मा व जयदीप सिंह बरार की सूचना 200 शब्दों से अधिकतम की है । माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री की भी दो सौ शब्दों से अधिक की है। सर्वश्री हरगोविन्द वर्मा, ईश्वर शरण विद्यार्थी तथा मोहम्मद नबी खां की भी सूचना 200 शब्दों से अधिक की है, इनको अस्वीकार किया है । 7 सूचनाओं को स्वीकार किया है और इनको मिलाकर शेष सभी को अस्वीकार किया है ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में दिये गये आश्वासनों को शासन की ओर से दिया गया आश्वासन न माने जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री केदारनाथ सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आपकी पीठ से जारी की गयी प्रक्रिया संबंधी करण संख्या 91 का जरा अवलोकन करें। करण 91 में आपने यह व्यवस्था दी है कि राज्यपाल के सम्बोधन में निहित आश्वासनों को सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन नहीं माना जाएगा। मान्यवर, यह आपकी पीठ से दी गई व्यवस्था है। राज्यपाल का भाषण मंत्रिपरिषद् द्वारा तैयार किया जाता है। इसलिए सामान्यतः सदन के सदस्य और प्रदेश की जनता उससे यह अपेक्षा करती है कि सम्बोधन में वर्णित नीति एवं कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू करने की गारन्टी सरकार लेती है। दूसरी तरफ जो करण 91 है, वह इस आशा पर पानी फेर देता है। आपकी व्यवस्था को किसी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती है और मैं चुनौती देना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन यहां पर दो ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जिनसे बहुत बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो गया है . . .

श्री अध्यक्ष–

जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उसे आप लिखकर भेजिये। उनकी छान-बीन मैं करा रहा हूं।

श्री केदारनाथ सिंह–

ऐसा है कि मिस्टर न्यूटन बहुत बड़ा विद्वान हुआ है, लेकिन उसके कमरे में एक बिल्ली घुस आती थी, उसमें एक झरोखा था उससे घुस जाती थी।

श्री अध्यक्ष–

आप कहानी न कहें, आप कह चुके हैं, अब बैठिए।

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ सिंह–

मान्यवर, उस दिन हमें मौका आपने नहीं दिया था। जरा सुन लें, राज्यपाल का भाषण विधान सभा के सदन में दिया गया भाषण है अथवा नहीं? इस पर विचार करने के उपरान्त ही आपकी पीठ द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि "राज्यपाल के सम्बोधन में निहित आश्वासनों को सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन नहीं माना जायेगा।" लेकिन करण 91 जो बना हुआ है, मैं इस सम्बन्ध में व्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस समय यह व्यवस्था की गयी थी उसके कारणों को आपको देखना होगा। जिन परिस्थितियों में यह करण बना उसे यदि देखें तो इसके बनने का कारण स्पष्ट हो जायेगा। अतः राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन की कार्यवाही का चलना नहीं माना जाता है।

दो प्रकार की यदि व्यवस्थाएं होंगी तो संवैधानिक संकट पैदा हो जायेगा। 27 जनवरी को राज्यपाल का सम्बोधन होने वाला था। हम लोग आये। महामहिम

[श्री केदार नाथ सिंह]
राज्यपाल का यहां संदेश मिला कि वह नहीं होगा। स्थगित हो गया और हम लोगों के उस दिन का दैनिक भत्ता नहीं मिला। इसका आखिर क्या कारण है?

(व्यवधान-शोर)

डाक्टर बृजकिशोर मिश्र–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह किस नियम से बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें। व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था नहीं होती।

श्री केदारनाथ सिंह–

मान्यवर, उस दिन का हमको डी0ए0 भी नहीं मिला. . .

श्री अध्यक्ष–

इतना लम्बा व्यवस्था का प्रश्न आपको पहले मुझे लिख कर देना चाहिए था, मैं उसे देखता। आप लिख कर दे दें।

श्री केदारनाथ सिंह–

जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण समाप्त होता है तो उसके बाद हम लोग रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हैं, उस दिन जब अभिभाषण स्थगित हुआ तो नहीं किये आपकी ही यह व्यवस्था है कि वह सेशन नहीं माना गया। माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हाजिरी रजिस्टर पर राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात् इसी अभिप्राय से होते हैं इस सम्बन्ध में माननीय विधान सभा के अध्यक्षों के सम्मेलनों में कई निश्चय हुए हैं। अब इसके ठीक विपरीत कल आपने यह व्यवस्था माननीय आजम खां साहब के विरुद्ध लाये गये सत्ता पक्ष के प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह दे दी कि अभिभाषण के समय सदन की कार्यवाही चल रही थी ऐसा मान लिया।

यदि ऐसा है तो फिर सदन में माननीय राज्यपाल का भाषण सदन में दिया गया भाषण मान कर और मंत्रि परिषद् द्वारा तैयार किया होने के कारण तथा राज्यपाल द्वारा आश्वासन दिये जाने के कारण सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन मान कर करण 91 को निकाल दें।

यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी कल की दी गयी सदन में व्यवस्था को वापस लेना चाहिए। दोनों संवैधानिक दृष्टि से सम्भव नहीं है और यदि दोनों व्यवस्था बनी रहीं, जो एक दूसरे के प्रतिकूल हैं तो निश्चित ही सक्षम न्यायालय में चुनौती दिये जाने पर भारी संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ नजीरें दी। वह बहुमत द्वारा लिया गया एक निर्णय है। जैसा कि बहुतों द्वारा प्रायः करा लिया जाता है। बहुमत द्वारा अनुचित कार्यवाही न किये जाने की गारन्टी माननीय अध्यक्ष द्वारा हमें मिलती है। जो नजीरें कल दिखायी गयी वह बहुमत द्वारा हठधर्मी से लिया गया निर्णय है।

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी बात कह दी अब बैठिये।

श्री केदारनाथ सिंह–

मान्यवर, इसलिए मैं इस मामले को पुनः उठाकर आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए केवल एक व्यवस्था रखें।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये। मैंने माननीय केदारनाथ की बात को सुना है। उनको चाहिए था कि वह पहले इसके बारे में पूर्ण विवरण लिखकर देते। मैं उसको देखता और उसका निवारण करता कि उनकी बात कहां तक सही है। इस वक्त तक यही प्रथा चली आ रही है और इसी के मातहत काम हो रहा है। फिर भी जो कुछ आपने कहा है मैं उस पर विचार करूंगा और कार्यवाही करूंगा।

(श्री राम स्वरूप वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मारकण्डेय चन्द–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। सदन की कार्यवाही इस एजेण्डे के अनुसार संचालित होती है। प्रश्नों के बाद नियम 301 की सूचनाओं को आपने लिया है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उनको बुला लिया है।

श्री मारकण्डेय चन्द–

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि किस मद में आप उनकी बात सुन रहे हैं? कौन सी चर्चा हो रही थी कि आपने माननीय सदस्य की बातों को जो श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में थी व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से सुना? किस मद में आपने माननीय सदस्य के विचारों को सुना?

श्री अध्यक्ष–

मैंने उनको सुनना स्वीकार कर लिया, इसलिये उनको सुना। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

'उत्तर प्रदेश' मासिक पत्रिका में लिखे लेख 'प्रयाग महात्म्य' के धर्म निर्पेक्षता व संविधान विरोधी होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम स्वरूप वर्मा–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नांकित तथ्य सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं:–

जनवरी, 1984 की सरकारी मासिक पत्रिका 'उत्तर प्रदेश' में नरेश मिश्रा का 'प्रयाग महात्म्य' लेख छपा है जिसमें शूद्र को भगवान रूप ब्राह्मण को सर्वस्व दान करने को कहा गया है, इससे एक जाति विशेष के प्रति अन्ध श्रद्धा पैदा करने के कारण भारत का संविधान के अनुच्छेद 51-क का उल्लंघन हुआ है। साथ ही सरकार द्वारा किसी धर्म विशेष का प्रचार करने के कारण प्रदेश के अन्य धर्मावलम्बियों में भीषण रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

अतः मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के तहत इस अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे संविधान विरोधी और धर्म निरपेक्षता को धूमिल करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत भुगतान किए गए धन की वसूली में गयादीन नामक हरिजन की मृत्यु के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त बख्श रावत–

मान्यवर, ग्राम कोल्हुआ, तहसील मिश्रिख, जनपद सीतापुर के हरिजन तथा गरीब लोगों को भागीरथ ग्रामीण बैंक शाखा के द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम में आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत बकरी पालन हेतु 16-3-81 को डल्लू पुत्र दुर्गा, अब्बासू पुत्र गुलजारी और गयादीन पुत्र मोहन को क्रमशः चेक नं0 266373, 266372, 266375 के द्वारा दो-दो हजार रुपये की चेकें दी गयी थीं जिनका भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया गया। वसूली की नोटिसें 12-11-82 से लगातार आ रही हैं बिना कर्जा दिए वसूली शुरू कर दी गयी है। उपरोक्त में गयादीन हरिजन की मृत्यु अनुचित उगाही के कारण हो गयी। जिसके कारण जनपद के समस्त हरिजन एवं निर्बल वर्ग में भारी रोष, क्षोभ एवं भय का वातावरण व्याप्त हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से मांग करता हूं कि वसूली की कार्यवाही रोक कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाय।

श्री श्याम लाल राजपेयी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, इस आदरणीय सदन में मंत्रियों के नाम पट्टिकायें लगी हुई हैं। मान्यवर, मंत्रियों को आपने जब एक स्थान निश्चित कर दिया कि वह यहां बैठेंगे, थोड़ा अगल-बगल तो हो सकते हैं, लेकिन नाम इस कोने में है और बैठते उस कोने में हैं। इस पर मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

जहां पर जिसकी तख्ती लगी हुई है, वहीं उसको बैठना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, दूसरे को वहां से हट जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

जब वह मंत्री हो जायेंगे, तो उस तरह से नहीं बैठेंगे।

लखीमपुर खीरी के बेहड़ क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा नहर के निर्माण से किसानों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, लखीमपुर जिले के फुल बेहड़ क्षेत्र में बिना सूचना के सिंचाई विभाग द्वारा एक नहर की खुदाई अकस्मात प्रारम्भ कर देने से ग्राम गौरा, प्रयाग, दली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुरवा, वसहा आदि अनेक गांवों में सैकड़ों खड़ी फसल नष्ट हो रही है। मान्यवर, भूमि तथा फसल का मुआवजा मिलना तो दूर रहा, यह भी नहीं पता लगा कि भूमि अधिग्रहीत कब की गयी। किसानों तथा ठेकेदारों से संघर्ष हो रहा है। कुछ दिन खुदाई बन्द रख कर अब पुनः प्रारम्भ कर देने से तनाव अत्याधिक बढ़ कर शान्ति व्यवस्था के लिए भी खतरा है। इस असमय खुदाई से कर्मचारियों की अवैध कमाई भी बढ़ गयी है। प्रस्तावित अधिगृहीत भूमि के चिन्ह भी गलत लगाये जाते हैं और भेंट पूजा पाकर चिन्ह बदल दिये जाते हैं।

अतएव शासन के संज्ञान में मैं यह मामला लाकर मांग करता हूं कि फसल पक कर कटने तक खुदाई का काम रोक दिया जाये। खुदाई के पूर्व भूमि विधिवत अधिगृहीत कर मुआवजा बांटा जाय तथा जोर जुल्म तथा भ्रष्टाचार के बल जबर लोगों को छोड़ कर मात्र गरीबों के ही खेत न लिये जायं।

पिलखनी डिस्टिलरी एवं फार्मेसी डेरी फैक्ट्री, सहारनपुर के गन्दे पानी से जन स्वास्थ्य को हानि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम स्वरूप निम–

मान्यवर, जनपद सहारनपुर में अम्माला देहरादून रोड पर स्थित पिलखनी डिस्टिलरी एवं फार्मेसी डेरी फैक्ट्री, के गन्दे पानी से 10–15 कि0मी0 की दूरी में पीने का पानी खराब हो गया है जिससे कि जन स्वास्थ्य को भारी हानि हो रही है और आए वर्ष उक्त क्षेत्रों में अनेक व्यक्ति हैजा जैसी घातक बीमारी से अपनी जाने गवां देते हैं। इस सम्बन्ध में शासन का ध्यान जनता ने सामूहिक एवं व्यक्तिगत, मौखिक एवं लिखित रूप से समय-समय पर आकृष्ट किया है। किन्तु अभी तक उसका कोई भी समाधान नहीं हो सका है। फलतः इसी तरह की छोटी अन्य फैक्टरियां भी गन्दे पानी को शहर के आस-पास के क्षेत्र में भरा छोड़ देती हैं, जिससे पानी पीने योग्य नहीं रहता है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए मांग करता हूं कि उक्त फैक्टरियों को आदेशित किया जाय कि इस पानी को निकालने की अविलम्ब व्यवस्था की जाय तथा सम्पूर्ण मामले की उच्चस्तरीय जांच करायी जाय ।

श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं को राज्य चीनी निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुबेर भंडारी––

मान्यवर, आज सम्पूर्ण प्रदेश में सरकारी आदेशों एवं अधिसूचनाओं का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा जारी ग्रेच्युटी भुगतान एवं वारिस रखने से सम्बन्धित अधिसूचनाओं का निजी क्षेत्रों के साथ-साथ राज्य नियंत्रित चीनी मिलों द्वारा भी अवहेलना की जा रही है । अभी कुछ दिनों पूर्व राज्य चीनी निगम के प्रबन्ध निदेशक का दौरा देवरिया जनपद के उत्तरांचल में हुआ था। वहां पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुबेर भंडारी]

उन्होंने अधिकारियों एवं श्रमिकों के बीच कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनायें असंवैधानिक हैं, हमें इसका पालन नहीं करना चाहिए। प्रबन्ध निदेशक की यह घोषणा राज्य सरकार के लिए खुली चुनौती बन गयी है एवं सरकार के अस्तित्व को ही नकारने वाली है। उनके घोषणा से प्रेरित होकर निजी क्षेत्रों के प्रबन्धकों ने भी अधिसूचनाओं का उल्लंघन शुरू कर दिया है। जनपद में श्रमिक वर्ग में भारी असन्तोष फैल गया है तथा किसी समय विस्फोटक रूप ले सकता है।

अतः मैं सरकार से उचित कार्यवाही की मांग करता हूं।

वाराणसी के दैनिक सन्मार्ग के पत्रकार श्री विन्ध्यवासिनी मिश्र को जेल में कैद किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है कि वाराणसी दैनिक संमार्ग के प्रख्यात पत्रकार श्री विन्ध्यवासिनी मिश्र पर फर्जी मुकदमा चुनार जनपद मिर्जापुर से कायम कर मिर्जापुर जेल में उत्पीड़ित किया जा रहा है। श्री विन्ध्यवासिनी मिश्र पर धारा 147, 148, 394 आई0 पी0 सी0 का मुकदमा कायम किया गया है। उनको उच्च श्रेणी तक नहीं दिया गया है। उनके परिवार को उत्पीड़ित किया जा रहा है, जिससे पूरे जनपद के विद्यालय एक दिन के लिए बन्द रहे और जनता और पत्रकार वर्ग में क्षोभ व्याप्त है।

अतः शासन से अनुरोध है कि जिला जेल मिर्जापुर में उनको तत्काल उच्च श्रेणी प्रदान किया जाय और उन पर लगाये गये निराधार और साजिशवश उक्त मुकदमों को समाप्त करें।

कृष्ण चित्र मंदिर मउनाथ भंजन आजमगढ़ के मालिकों द्वारा कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, कृष्णा चित्र मन्दिर मउनाथ भंजन आजमगढ़ के 13 सिनेमा कर्मचारियों को मालिकान ने गुण्डों के बल पर मारपीट कर दिनांक 29-9-83 को अवैधानिक ढंग से निष्कासित कर दिया। सिनेमा कर्मचारियों की मांग है कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित वेतन आदि जो प्रदेश सिनेमा कर्मचारियों को मिल रहा है, दिया जाय। इस मांग से रुष्ट होकर मालिकान ने कर्मचारियों को सेवा मुक्त ही नहीं कर दिया बल्कि धरने पर बैठे रोजी रोटी के लिये प्रोटेस्ट को दबाने के लिये दो-दो बार मारपीट कर पुलिस द्वारा गम्भीर धाराओं में जेल भिजवा दिया। कर्मचारियों का धरना जारी है। मांगों को जिले के अधिकारियों तक इन्होंने पहुंचाया परन्तु अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एक तरफ 13 कर्मचारी तथा उनका परिवार भूख से पीड़ित है, दूसरी ओर मालिकान खुल्लमखुल्ला सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व की इस गम्भीर समस्या को सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि निकाले गये कर्मचारियों को तुरन्त सेवा में लिया जाय तथा उनका बकाया आदि वेतन एवं अन्य सुविधायें दिलाने का सरकार कारगर उपाय करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैलानी लोध से सेमरा, भामनगर जाने वाली विद्युत लाइन के तारों के टूटने से हुई मृत्युओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक अत्यन्त लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । गत 18 फरवरी को ललितपुर जिला के ग्राम कचनौदा निवासी जूजु काछी व उसकी पत्नी की मृत्यु मैलानी लोध से सेमरा भागनगर जाने वाली विद्युत लाइन के टूटे तार से चिपक कर हो गयी। इस लाइन के टूटे होने की सूचना पिछले कई महीनों से अनेकों बार अधिकारियों को दी जा चुकी थी। इससे चिपक कर लगभग 10 दुधारू पशु भी मर चुके हैं परन्तु हर बार लाइन ठीक करा दिए जाने की सूचना विभाग द्वारा दी गयी ।

मृतक व उसकी पत्नी अपने परिवार का एक मात्र सहारा थे । इस दुर्घटना से नागरिकों में क्षोभ व्याप्त है अतः मांग करता हूं कि—

1—मृतक के आश्रितों को बीस हजार से कम मुआवजा न दिया जाय,
2—दोषी अधिकारियों को दन्डित किया जाय और
3—उपरोक्त लाइन अविलम्ब ठीक करायी जाय ।

सण्डीला की वनस्पति मिल का उद्घाटन श्री राजीव गांधी एम0 पी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राम आसरे वर्मा—

4 फरवरी को माननीय राजीव गांधी, एम0पी0 का कार्यक्रम जनपद हरदोई में लगा । सारी प्रशासनिक मशीनरी पलक, ...

श्री अध्यक्ष—

आप कुछ लिखकर दे रहे हैं, किस लिये आप बोल रहे हैं?

श्री राम आसरे वर्मा—

मैंने औचित्य के प्रश्न के लिये लिखकर दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

सारी प्रशासनिक मशीनरी पलक पावड़े बिछा दे इसलिये माननीय मुख्य मंत्री और कई मंत्री उनके साथ गये । चाटुकारिता की सीमा पार कर दी । एक वनस्पति मिल संडीला की है । तीन साल से कार्यरत है । चार साल पहले माननीय बनारसी दास ने इसका शिलान्यास किया था। तीन साल से काम शुरू है। जो मशीनरी है उसकी जिन्दगी आधी रह गयी है । उस मिल का उद्घाटन करने के लिये राज्य सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उस जीर्णशीर्ण मिल का माननीय राजीव गांधी से उद्घाटन कराया जाय । हजारों रुपये खर्च किये गये । वहां स्थिति यह हुई कि माननीय राजीव गांधी, एम0 पी0 ने मशीनों की स्थिति को देखा

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम आसरे वर्मा]

तो हमारे राज्य सहकारिता मंत्री जी को काफी डांट दिलाई गयी कि इस तरह की स्थिति वाले कारखानों का उद्घाटन आप कर रहे हैं। मान्यवर, यह स्थिति बनी उसके बाद उस डांट का बदला माननीय मंत्री जी अधिकारियों से निकाल रहे हैं यह उनके बीच की बात है इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। मान्यवर, एक तो माननीय मंत्री जी निर्देशित करें अधिकारियों को, ऐसे काम के लिए निर्देशित करें जो पुराने पड़ चुके हैं। दूसरी बात उद्घाटन पर शासन का हजारों रुपया व्यय किया जा रहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रसारित निर्देशों और इस उद्घाटन पर शासन द्वारा किए जाने वाले व्यय का औचित्य क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री–(श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मुझे यह निवेदन करना है कि औचित्य का प्रश्न जो नियमावली है इसके नियम के तहत उठाया जाना चाहिए। यह औचित्य का प्रश्न किस नियमावली के तहत उठाया गया है। श्री राजीव गांधी वहां गये उन्होंने उद्घाटन किया वह पुराना था या नया था इसका नियमावली से कोई सम्बन्ध नहीं है उन्होंने मंत्री को क्या निर्देश दिया ऐसी कोई चीज यहां पर नहीं आई, तो मान्यवर, वनस्पति जो फैक्ट्री थी उसका उद्घाटन हुआ इसके पहले उद्घाटन नहीं हुआ था शिलान्यास हुआ था, तो वह कर दिया गया। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जब सदन चलता है आप बहुत से निर्देश देते हैं प्रश्नों के बारे में या और तमाम चीजों के बारे में तो मेरा निवेदन है कि आप सदस्यों से कहें कि औचित्य का प्रश्न किसी नियम के तहत उठाया करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक अहम मसले को टालने की कोशिश की है। राज्य मंत्री पर सदन का उत्तरदायित्व है कि उनके क्रियाकलाप के प्रश्न सदन में हों।

श्री अध्यक्ष–

आप मुझे निर्णय देने दीजिए।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, निर्णय तो आप करेंगे ही, और वह शिरोधार्य भी होगा लेकिन मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने बात उठाई है . . .

श्री अध्यक्ष–

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने नियमों को देख लिया है। इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय घटित घटना से सम्बन्धित दिनांक 22 फरवरी, 1984 को पारित प्रस्ताव के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

जहां तक यदुनाथ सिंह जी का सवाल है, पहले आप सब बैठ जाएं, इसको मैंने अपने कक्ष में अस्वीकार कर दिया है। अध्यक्ष को सदन में इसके बारे में पूरे तरीके से निर्णय देने का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि जो माननीय अध्यक्ष के

बारे में आक्षेप लगाया गया है कि "माननीय अध्यक्ष, धर्म सिंह ने झूठ बोला" इसमें माननीय विमल चन्द्र तिवारी के प्रस्ताव को लेकर सदन के प्रस्ताव को गुमराह किया, तो अध्यक्ष पर आक्षेप पहले कभी नहीं हुआ है इसलिए मैं आज्ञा नहीं देता हूं। अपने चेम्बर में मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है।

श्री यदुनाथ सिंह–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

पहले आप इस तरह के शब्दों को वापस लीजिए।

श्री यदुनाथ सिंह–

मैं शब्दों को वापस ले रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दीजिये ।

श्री मसरूर जाफरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है जब इन्होंने वापस ले लिया तो इन्हें सुन लें।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर लाइए।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, हम क्षमा मांग रहे हैं लेकिन जो आपत्ति है उसको छोड़कर औचित्य का प्रश्न उठाना चाहते हैं ।

मान्यवर, मैं इन शब्दों को निकालता हूं। अब मान्यवर, कृपया सुन लें

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप भविष्य में इसका ध्यान रखें।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी इस तरह का कोई प्रश्न जिसमें अध्यक्ष के प्रति कोई बात की जाय, या आरोप लगाया जाय, या आक्षेप किया जाय, यहां नहीं उठाया जा सकता है। इससे ब्रीच आफ प्रिवलेज का प्रश्न उत्पन्न होता है। अतः मैं इसकी नोटिस देता हूं। बाद में लिखकर भेज दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इन्होंने उस शब्द को निकाल दिया है, इसलिए मैंने उन्हें आज्ञा दे दी है। आप बैठें।

नोट :–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, 27 जनवरी को महामहिम राज्यपाल ने सदन को समवेत आहूत किया था, किन्तु स्वर्गीय श्री बैजनाथ कुरील के निधन के कारण वह सदन आहूत नहीं हो पाया। पुनः 13 फरवरी, को विधिसम्मत व्यवस्था के अनुसार महामहिम राज्यपाल को सम्बोधित करना था। संयोग से राज्यपाल ने अभिभाषण के किसी अंश को नहीं पढ़ा, शुरू से ही नहीं पढ़ा। उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी जिन्होंने संवैधानिक कृत्यों का हवाला देते हुए कहा कि राज्यपाल ने कुछ अंश पढ़ा और उसके बाद आपने पढ़ा। जब आप पढ़ रहे थे तब तक श्री मुहम्मद आजम खां ने तो वास्तव में कोई छीना झपटी नहीं की और आपने तुरन्त कह दिया कि छीना झपटी की। तो मान्यवर, श्री विमल प्रसाद तिवारी जी का जो प्रस्ताव आया इस सदन में कि एक कमेंटी बना दी जाय और स्पीकर द्वारा बनायी जाय। तो माननीय अध्यक्ष जी जब राज्यपाल यह निर्देशित नहीं करते कि इस कमेंटी की रूपरेखा क्या हो, कौन-कौन लोग रहें, कैसे लोग रहें, तब तक उसकी संवैधानिक स्थिति नहीं रहती। दूसरी बात यह कि श्री विमल प्रसाद तिवारी जी ने संवैधानिक कृत्यों का हवाला दिया, तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 13 फरवरी को माननीय संसदीय कार्य मंत्री स्वयं झूठ बोले। सभी लोगों को यह जानकारी है कि राज्यपाल ने कुछ नहीं पढ़ा। किसी भी अंश को नहीं पढ़ा, और ये अपने त्वरित बुद्धि से बोल गये, तुरन्त झूठ बोल गये कि कुछ अंश पढ़ा। और उसके बाद आपने तुरन्त रूलिंग देना शुरू कर दिया। इस तरह से संवैधानिक औचित्य का प्रश्न उठ गया है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय गवर्नर एड्रेस करता है उस समय सदन नहीं रहता। सदन गवर्नर के अभिभाषण के बाद से होता है। उस समय सदन न होते हुए भी विमल प्रसाद तिवारी जी ने संवैधानिक कृत्यों का हवाला देते हुए प्रस्ताव दिया और इस प्रकार हमारे सदन का समय बर्बाद किया, इसलिए मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपका जो औचित्य का प्रश्न है, इस मामले पर कई बार बहस हो चुकी है और निर्णय हो चुके हैं। इसमें किन्हीं नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री कुबेर भण्डारी–

बाजपेयी जी ने व्यवस्था के प्रश्न के बीच में उठकर अव्यवस्था उत्पन्न कर दी है।

फैजाबाद, बहराइच तथा गोण्डा जनपदों के नागरिकों को साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने पर बधाई के प्रस्ताव को 5 मार्च, 84 तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री रियासत हुसैन जी ने एक प्रस्ताव दिया है, इसके द्वारा उन्होंने मद संख्या 9 पर, जो नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव आया है, यह प्रार्थना की है कि इसे किसी अन्य तिथि को रख लिया जाय। यदि यह सदन सहमत हो और या उसकी राय हो तो इसे दिनांक 5-3-84 को रख लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मेंहदी असगर तथा श्री परमाई लाल द्वारा दल परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मुझे सदन को सूचित करना है कि निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने अपने दलों की परिवर्तन की सूचना निम्न प्रकार से दी है :–

1–श्री मेंहदी असगर, सदस्य (जिला मुजफ्फर नगर) राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा से कांग्रेस (आई) तथा

2–श्री परमाई लाल सदस्य (जिला हरदोई) कांग्रेस (आई) से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा,

तदनुसार उपरोक्त दोनों माननीय सदस्यों को उपसिलिखित परिवर्तित दलों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मुझे नियम 56 के अन्तर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं—

माननीय श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वन विभाग द्वारा खदान मजदूरों की जीविका छीन लेने के सम्बन्ध में । माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की प्रदेश में अवैध रूप से आग्नेयास्त्र बनाने के कारखानों के पकड़े जाने के सम्बन्ध में, सर्वश्री सरदार सिंह, श्री कन्हैया लाल, राम सागर, जमुना प्रसाद और राधेश्याम वर्मा की गंगा और यमुना नदियों में भयंकर प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, श्री जसवन्त सिंह विष्ट की पर्वतीय अंचल में अवैध नशीले पदार्थों से कई लोगों के मरने के सम्बन्ध में। श्री माता प्रसाद पाण्डेय की बस्ती जनपद के वकीलों द्वारा हड़ताल के सिलसिले में अधिवक्ता को मारने के सम्बन्ध में, सर्वश्री मित्रसेन यादव, श्री गोपीनाथ वर्मा, खैरुल बशर, ख्वाजा हलीम और श्री मसरूर जाफरी की, सुल्तानपुर में हो रहे अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन को असफल बनाने का प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में, श्री नन्द किशोर सिंह की, देवरिया जनपद के मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय में दिनांक 22-2-1984 को हुई मारपीट के संबंध में, श्री किरनपाल सिंह की, लखनऊ के वकील श्री एस0 एस0 चौहान के घर से पुलिस द्वारा कागजात गायब करने के सम्बन्ध में, श्री यदुनाथ सिंह की, मिर्जापुर कचेहरी के वकीलों द्वारा शराब पीकर जनता के साथ दुर्व्यवहार के करने के संबंध में, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की, जनपद गोरखपुर में थाना छगड़ा के अन्तर्गत पुलिस चौकी बरछी की पुलिस द्वारा जनता के साथ अन्याय करने के संबंध में, श्री हरगोविन्द वर्मी की, सीतापुर में पेड़ों के कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री रियासत हुसैन और श्री अकबर हुसैन की, प्रदेश में बाल विद्या मंदिर कोष में म0 साहेब की तस्वीर छापने के सिलसिले में और श्री रामस्वरूप निम श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ की, काकोरी थाने के रसूलपुर गांव की एक युवक को महज संदेह के कारण पकड़ने के सम्बन्ध में है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, इस स्थिति से वहां के 4-5 लाख लोगों की जिन्दगी का सवाल उत्पन्न हो गया है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड की संस्कृति में इन वनवासी क्षेत्रों का बड़ा योगदान रहा है। आज सारा लोक साहित्य, लोक नृत्य बुन्देलखण्ड संस्कृति का इन मनुष्यों द्वारा धरोहर के रूप में है। इस स्थिति से उनके लिए एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है और इस उत्पन्न स्थिति से सारा बुन्देलखण्ड आन्दोलित है। मैं आपके माध्यम से इस विषय में शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखता हूं और इस पर व्यापक चर्चा की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, यह जो वहां पर झोपड़ियां हटायी जा रही हैं, जो पहले से रहते थे, तो अगर उसमें और कोई कारण नहीं है, जैसा कि माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने कहा है, तो यह आदेश दिये जायेंगे कि जो लोग जहां पर रह रहे थे, वे वहीं पर रहें। इसके अलावा जो यह मृत्यु हुई हैं, इसकी जांच की जायेगी और यह भी देखा जायेगा कि वहां के निवासियों का कोई उत्पीड़न न हो. इसके लिये पूरी कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि न उनके पास कोई खेती है और न कोई धंधा है, केवल वन की प्राकृतिक सम्पदा पर उनका कुल हजारों वर्ष से चल रहा है। आज उनकी रोटी का सवाल है, क्या सरकार ने उनकी रोजी रोटी के लिये कोई व्यवस्था करने हेतु योजना बनायी है?

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी बात सुन ली है। इस पर निर्णय दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

नहीं मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर जनहित में बहुत आवश्यक है।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य से इस विषय में परामर्श कर लेंगे कि इस सिलसिले में क्या कदम उठाये जायं और किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की किसान सभा का अखिल भारतीय सम्मेलन 4 मार्च को जिला सुल्तानपुर में होने जा रहा है, जिसमें बंगाल के मुख्य मंत्री, त्रिपुरा के मुख्य मंत्री तथा आन्ध्र प्रदेश, केरल, पंजाब और देश के विभिन्न भागों से राजनेता आ रहे हैं। इस सम्मेलन को असफल बनाने के लिये माननीय मुख्य मंत्री ने जानबूझकर मा0 प्रधान मंत्री का कार्यक्रम 3 मार्च को लगवा दिया है जिससे सारे आवासीय स्थल, डाक बंगले, सर्किट हाउस आरक्षित हो गये हैं, इस सम्मेलन में आने वाले राजनेताओं की सुरक्षा और आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जानबूझकर विरोधी दलों के कार्यक्रम को अपने जनपद में सफल होने देना नहीं चाहते हैं। यह उनकी घृणित साजिश है, जिसकी हम

[श्री मिश्रसेन]---

निन्दा करते हैं। अभी तक सामान्य शिष्टाचार था कि कोई भी मुख्य मंत्री या विशिष्ट व्यक्ति किसी भी प्रदेश में जाता था तो उसे सुरक्षा और आवासीय व्यवस्था वहां के शासन द्वारा प्रदान की जाती थी। अभी हाल में कांग्रेस पार्टी का महाअधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसमें सारी सुरक्षा एवं आवासीय व्यवस्था वहां की सरकार ने की थी । अतः आपसे अनुरोध है कि इस विषय को स्वीकृत करके चर्चा के लिये मौका दे दें। इस पर निर्देश दे दें कि हमारे लोगों के वहां पर पहुंचने पर असुरक्षा पैदा नहीं होगी।

*श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में श्री समर मुखर्जी, नेता, विरोधी दल, लोक सभा ने माननीय मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है । राम सुमेर यादव उत्तर प्रदेश किसान सभा के महामंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसी के साथ दो प्रान्तों के मुख्य मंत्री आ रहे हैं, जिसमें बंगाल का विशेष स्थान है। जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो 100 नई गाड़ियां और 700 रहने के स्थान ये सारी चीजें दी गयी थीं। वे हमारे मेहमान हैं। अगर उनको आवसीय सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गयी तो प्रदेश की बदनामी होगी । मैं कहना चाहता हूं कि रूलिंग पार्टी इस सभा को भंग करने के लिये और टकराव की जो राजनीति है, उसके लिये ऐसा कर रही हैं। इससे प्रदेश की बड़ी बदनामी होगी सारे भारत के अन्दर। यह सदन की मर्यादा का प्रश्न है कि इसको ठीक ढंग से होने दें। 3 तारीख को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चीनी मिल का उद्घाटन करने के बहाने अपना कार्यक्रम रखा है और सारे डाक बंगले रिजर्व करा दिये गये हैं । यह प्रदेश का एक महत्व पूर्ण मामला है, इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री मसरूर जाफरी–

यह जो 4 तारीख को सुल्तानपुर में हो रहा है, इसमें लगभग 1000 गुण्डे इन लोगों ने बुलाये हैं, बम और कट्टे मंगवाये गये हैं। त्रिपुरा के मुख्य मंत्री से इस सरकार को खतरा पैदा हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय यादव जी ने कहा कि यह कांई सम्मेलन को विफल बनाने की बात की जा रही है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि माननीया प्रधान मंत्री जी का कार्यक्रम एक महीने पहले से लगा हुआ था।

(व्यवधान)

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो मा0 मंत्री जी कह रहे हैं, उस पर मुझे बड़ा अफसोस है कि बंगाल सरकार ने उनकी पार्टी के साथ जो व्यवहार किया था, वही व्यवहार वह भी करेंगे और यह तर्क देना कि प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम एक माह पहले से था, वह तर्क संगत नहीं है, इससे यह स्पष्ट है कि यह विरोध पक्ष के लोगों को

[*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परेशान करना चाहते हैं क्योंकि आज पूरे हिन्दुस्तान में यह आम हो चुका है कि इनकी स्थिति सही नहीं है, इसलिये वह किसी प्रकार की कोई व्यवस्था करना नहीं चाहते हैं।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जो भी हमारे यहां मा0 अतिथि आ रहे हैं चाहे वह बंगाल के मुख्य मंत्री हों या त्रिपुरा के या किसी अन्य प्रदेश के हरेक को जो प्रोटोकाल में सुविधाएं दी जानी चाहिए, वह दी जायेंगी, रहने की, खाने की व सुरक्षा आदि की सब दी जायेंगी और यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि किसी प्रकार की कोई साजिश की जा रही है चुराकर, उन फाइलों से उनका घनिष्ट सम्बन्ध था और कई उसमें आपत्तिजनक सबूत थे। दूसरी बात भाई मसरूर जाफरी ने कही कि गुण्डों, कट्टे व बम आदि का इंतजाम किया जा रहा है, ऐसी किसी प्रकार की कोई सूचना हम लोगों को नहीं है चूंकि यह लोग इन्हीं मामलों में रहते हैं इसलिये इनको जानकारी भी ज्यादा रहती है। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, वह सब किया जायेगा लेकिन कोई अगर अंदरूनी खतरा हो, तो उसके लिये हम लोग क्या कर सकते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बंगाल सदन के नेता और त्रिपुरा सदन के मा0 नेता, दो-दो सदनों के नेतागण यहां आ रहे हैं, तो जब वह लोग यहां आ रहे हैं तो यह सदन भी उनके प्रति कुछ अपना उत्तरदायित्व रखता है, ऐसी स्थिति में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी जो कह रहे हैं, उनके शब्दजाल में मान्यवर, फंसने वाले हम लोग नहीं हैं, मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था इस संबंध में इस आदरणीय सदन में दें कि क्या होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी माननीय अतिथि चाहे वह सेंट्रल के हों, बंगाल के हों या किसी अन्य प्रदेश के हों हरएक को प्रोटोकाल के अनुसार सुविधाएं दी जायेंगी, चाहे ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था हो, ठहरने की हो, सवारी की हो, सरकार इसके लिये बाध्य है और सरकार को इन व्यवस्थाओं का प्रबंध करना पड़ेगा।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, 20 फरवरी को लखनऊ नरही के एक वकील श्री चौहान के यहां दो पुलिस इंस्पेक्टर्स ने धावा बोला और उनके दफ्तर से कागजात और कुछ जरूरी फाईलें चुराकर ले गये और बाद में मालूम यह हुआ जो फाइलें वह पुलिस इन्स्पेक्टर्स ले गये हैं चुराकर, उन फाईलों से उनका घनिष्ट संबंध था और कई उसमें आपत्तिजनक सबूत थे मान्यवर, इस बात को लेकर लखनऊ बार एसोसियेशन के लोग पुलिस महानिरीक्षक से मिल भी चुके हैं, परन्तु कोई मामला हल नहीं हो सका है और उन संबंधित पुलिस इंस्पेक्टर्स के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही भी नहीं हुई है, इसलिये इन लोगों में इस बात को लेकर बड़ा रोष उत्पन्न है। दूसरी बात मान्यवर, चूंकि यह घटना लखनऊ में घटी है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और आज कल सदन भी चल रहा है और दूसरी बात मान्यवर, इन वकीलों के विरुद्ध पहले भी इस तरह की बातें और भी हो चुकी हैं, इसलिये लखनऊ बार एसोसिएशन वालों ने यह धमकी दी है कि यदि इन संबंधित लोगों के प्रति शीघ्र ही कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो वह आंदोलन करेंगे और

[श्री किरनपाल सिंह]--

यह आंदोलन न सिर्फ लखनऊ में ही होगा बल्कि प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा, इसलिए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं जानता हूं कि सदन की कार्यवाही चर्चा के लिये स्थगित नहीं की जायेगी, इसलिये यह निवेदन करता हूं कि इस पर कृपया सरकार से वक्तव्य दिलाया जाय, इसके आदेश मान्यवर, आप दे दें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

पूर्वांचल में पूरा युवक समुदाय. . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। जहां तक श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सूचना का प्रश्न है यह नियम 51 के अन्तर्गत विचारणीय है, इस पर निर्णय हो चुका है इसमें नियम 51 में वक्तव्य होगा। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना का जहां तक संबंध है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री आप इनको अपने कक्ष में बुलाकर इनको सुनिये और पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद आप शासन को आदेश दें। श्री मित्रसेन यादव की एक सूचना है इसमें शासन का ध्यान उचित कार्यवाही के लिये आकर्षित करता हूं। श्री किरनपाल सिंह जी ने जो कुछ कहा है, आप विशेष रूप से इस मामले को देखें कि कौन से तथ्य हैं और कौन सब इंस्पेक्टर्स हैं, इसकी जांच विशेष रूप से की जाय। श्री रियासत हुसैन ने जो सूचना दी है, मैं शासन का ध्यान इस पर विशेष रूप से आकर्षित करता हूं। नियम 56 के अन्तर्गत जो शेष सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनको मैं अस्वीकार करता हूं।

(श्री हर गोविन्द वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, पहाड़ी क्षेत्र में शराब. . . .

श्री अध्यक्ष--

मैं कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूं जो कोई विना आज्ञा के बोलेगा, एक भी शब्द लिखा नहीं जायेगा। अब मैं मद संख्या 8 ले रहा हूं। माननीय रावत जी, आप अपना भाषण जारी कीजिये।

[समय 1 बजकर 22 मिनट]

(श्री सन्त बख्श रावत के बोलने के लिये खड़े होने पर श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये।)

श्री यदुनाथ सिंह जी, आप अपने स्थान पर जाइये।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट भी सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये।)

माननीय विष्ट जी, आप भी अपने स्थान पर जायं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

जब मेरी बात नहीं सुनी जायेगी, वहां शराब के कारण. . .

श्री अध्यक्ष--

आप अपने स्थान पर जाइये।

श्री यदुनाथ सिंह–

आप मुझे सुनेंगे नहीं, मुझ पर प्राणघातक हमला किया गया. . .

श्री अध्यक्ष–

माननीय यदुनाथ सिंह जी, आप सदन को छोड़ें अथवा आप अपने स्थान पर जायं। माननीय विष्ट जी, आप भी अपने स्थान पर जायं ।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप अपने-अपने स्थानों पर जाइये।

(श्री किरन पाल सिंह व श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ के प्रयास से श्री यदुनाथ सिंह अपने स्थान पर वापस चले गये, श्री खैरुल बशर के प्रयास से श्री जसवन्त सिंह विष्ट भी अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

माननीय विष्ट जी, आप तो बहुत पुराने आदमी हैं। आपको तो खासतौर से मैं मौका देता हूं अपनी बातों को कहने के लिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री विशेष रूप से आप इनकी बातों को देखें । माननीय यदुनाथ सिंह जी की बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें ।

श्री अम्मार रिजवी–

ठीक है ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मुझे दो मिनट सुन लें, मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है, यह 307 का मामला है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदस्य सदन में आपको जानकारी दे रहे हैं कि इनके ऊपर आक्रमण हुआ है, प्राणघातक हमला हुआ है साजिश करके। आपने अपनी बात को कहने के लिये हमेशा मौका दिया है। मैं चाहता हूं कि आप इनको भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास लिख कर आया है इसमें प्राणघातक हमला नहीं लिखा है ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मैंने अपनी हैण्डराइटिंग से नीचे प्राणघातक हमला लिखा है मान्यवर, दो मिनट के लिये हमको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, एक मिनट में आप अपनी बात को कहें ।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, यह सदन बराबर वकीलों को संरक्षण देता रहा है। विगत 15 दिसम्बर को मिर्जापुर कचेहरी में बचऊलाल गुप्ता, दिनेश सर्राफ, उपेन्द्र सिंह, प्रभाकर पाठक, दिनेश चन्द्र जायसवाल, नवल किशोर सिंह, प्रेम मोहन दूबे ये सब वकील लोग एक गैंग बनाकर व शराब पीकर कचेहरी के प्रांगण में आते हैं और वहां पर गरीब वादियों की पिटाई करते हैं। उनके साथ लूट खसोट की घटनाएं भी प्रकाश में आती रही हैं जिससे कचेहरी के अन्दर वादियों में क्षोभ व्याप्त है। इसका विरोध करने पर 15

[श्री यदुनाथ सिंह]

दिसम्बर को मेरे ऊपर उन वकीलों ने सरे आम कचेहरी के प्रांगण में पुलिस कार्यालय के सामने मुझ पर प्राणघातक हमले किये जिस पर पुलिस द्वारा मुकदमा कायम है लेकिन मैंने कोई एफ0 आई0 आर दर्ज नहीं करायी । वहां के डी0 एम0 और एडीशनल एस0 पी0 के सामने जब वे लोग मेरी पिटाई किये तो मिर्जापुर में 35 मील दूर जाकर मैं कैसे एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा सकता था क्योंकि मुझे अपनी जान का खतरा था । अतः मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर आप चर्चा करा दें।

*श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय यदुनाथ सिंह जी की सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, वह पूरी तरह से की जायेगी । लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि वहां पर वकीलों की हड़ताल चल रही है और उनका कहना है कि जब तक श्री यदुनाथ सिंह के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी, हम हड़ताल करते रहेंगे । मान्यवर, वहां की बार एशोसिएशन का यह फैसला है । **वकीलों के बारे में जो प्रतिक्रिया इन्होंने व्यक्त की है मुझे उसके बारे में** कुछ नहीं कहना है । जहां तक सरकार का माननीय यदुनाथ सिंह जी की सुरक्षा करने का सवाल है, **वह पूरी तरह से की जायेगी ।**

श्री यदुनाथ सिंह–

यदि वकील लोग गैंग बना कर हड़ताल करें तो इसके लिये मैं क्या करूं ?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय यदुनाथ सिंह जी की सुरक्षा की जायेगी लेकिन किसी भी एशोसियेशन को, किसी भी ग्रुप को, किसी भी समुदाय को प्रजातंत्र में हड़ताल करने से नहीं रोका जा सकता है । मैं यदुनाथ सिंह जी को आश्वासन देता हूं कि वह आश्वस्त रहें, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होने पायेगी ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

*श्री सन्त बख्श रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, कल मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, जिस पर विरोधी पक्ष द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, पर बोल रहा था और आज उसके आगे बोलने की अनुमति दी। मान्यवर, मैं कल कह रहा था, जो भाषण है, उस में कहा गया है कि मेरी सरकार यह करेगी, मेरी सरकार वह करेगी । इस प्रकार से तमाम चीजें कही गयी हैं । अभिभाषण में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के ग्रामीण लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए आई0 आर0 डी0 और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान चालू किए गए हैं, लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं

(इस समय 2 बजकर 31 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हुकुम सिंह पीठासीन हुए)

का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है । मान्यवर, यह जो योजनायें हैं वह ऐसी हैं जिनसे हरिजनों का शोषण हो रहा है, हरिजन उनसे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं बल्कि इस विभाग के जो अधिकारी और मंत्री हैं वह लाभान्वित हो रहे हैं। मेरे

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

†[दिनांक 22 फरवरी, 1983 की कार्यवाही से।]

पास इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है। तहसील मिश्रिख जिला सीतापुर के गांव कोलुहा का मामला है, जिसमें 3 हरिजनों को तत्कालीन सहकारिता मंत्री जी ने आई0 आर0 डी0 स्कीम के अन्तर्गत बकरी पालने के लिये चेकें दी थीं । मान्यवर, यह चेकें, डल्लू पुत्र दुर्गा, अब्बास पुत्र गुलजारी और गयादीन पुत्र मोहन को दी गयी थीं। यह 2-2 हजार की थीं। भगीरथ शमील बैंक के द्वारा दी गयी थीं। इन तीनों चेकों का रुपया इन हरिजनों को नहीं मिला है, तीनों चेकें मेरे पास मौजूद हैं । यह रुपया इन लोगों को इसलिए दिया गया था कि वे गरीबी की चेकें रेखा के नीचे थे, लेकिन उनको पैसा अभी तक नहीं मिला है ।

मान्यवर, होता क्या है, दिनांक 12-11-1982 से निरन्तर इन लोगों के पास वसूली की नोटिसें आ रही हैं और इनका उत्पीडन किया जा रहा है । जब इस प्रकार की वसूली की नोटिस गयादीन हरिजन को मिलती है तो उसका हार्ट अटैक हो गया, उसकी हृदय गति रुक गयी और वह मर गया । इस प्रकार से उनको कोई लाभ इन स्कीमों से नहीं मिल पा रहा है यह सरकार हरिजनों के नाम पर दुहाई देती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार हरिजनों की कितनी विरोधी है। अभी मैंने नियम 301 के अन्तर्गत हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी सूचना दी थी। 21-2-1984 को मैंने एक प्रश्न किया था और पूछा था कि कितने हरिजन अवर अभियंता, सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता हैं, उनकी संख्या पूछी थी और उनका प्रतिशत पूछा था, तो बताया गया कि 4.5 प्रतिशत अवर अभियंता, 7.5 प्रतिशत सहायक अभियंता, 5.2 प्रतिशत अधिशासी अभियंता और 3.3 अधीक्षण अभियंता हैं, जो हरिजन हैं । मान्यवर, यह आरक्षण की स्थिति है । जो पदोन्नति सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं की हुई है, एक आदेश 1-12-1983 का है, जिसमें अनुसूचित जाति के जो पात्र व्यक्ति थे उनको रिवर्ट कर दिया गया है। यह सरकार हरिजनों की दुहाई देती है, लेकिन उनके लिए कुछ करना नहीं चाहती है । यह सरकार कहती है कि अपराध कम हुए हैं, यह केवल प्रोपोगैन्डा है, केवल प्रचार है। पूरे प्रदेश की जनता असुरक्षित है कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है । सड़कों पर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, घरों में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, लेकिन अपराध कम बताये जाते हैं अपराध कम इसलिए बताये जाते हैं । क्योंकि इस सरकार के गुप्त आदेश एस0 पी0 और एस0 एस0 पी0 को चले गये हैं कि रिपोर्ट दर्ज न की जाये और इन लोगों ने थानों को निर्देश दे दिए हैं कि रिपोर्ट न लिखी जाये । . . . . .

श्री संत बख्श रावत–

रिपोर्ट न लिखने का कारण यह होता है कि अपराध कम दिखाई देते हैं। मान्यवर, मैंने इस संबंध में कल 301 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं दी थीं और उसी से संबंधित 6 सूचनाएं कल यहां पर प्रस्तुत की गई थी जिनमें हत्या राहजनी आदि-आदि प्रकार की घटनायें थीं। उनको देकर मैंने सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। इसी से स्वयं स्पष्ट है कि यह सरकार लोगों को सुरक्षा देने में विफल रही है और अपराधों को कम दिखा रही है क्योंकि वे पंजीकृत होती ही नहीं हैं।

[श्री सन्त बख्श रावत]--

अधिष्ठाता महोदय, इसके साथ ही मैं कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यह सरकार शहरों की हिम्मायती रही है। लखनऊ शहर में गोमती नदी पर 5/6 पुल बने हुये हैं और एक पुल और बनने का प्रस्ताव है । लखनऊ से नैपुराघाट, हैदरगढ़ (बाराबंकी) की दूरी 50 किलोमीटर है । इस बीच में कोई पुल नहीं है गोमती नदी पर । गुसांईगंज से गौरिया कला मार्ग और बाराबंकी के बीच में गोमती नदी पर एक पुल बना दिया जाय तो रायबरेली और लखनऊ के और बाराबंकी के लोगों को आने जाने का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा । लखनऊ में अब गोमती नदी पर पुल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, लखनऊ जनपद में तहसील मोहनलालगंज जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है वह बहुत ही पिछड़ा हुआ है । वहां पर 48 प्रतिशत हरिजन जनसंख्या है । वहां पर एक भी उद्योग नहीं है जो कि सरकारी क्षेत्र में खोला गया हो जिसके परिणामस्वरूप मेरे क्षेत्र के अनेकों नव-युवक, ग्रैजुयेट, पोस्ट ग्रैजुयेट, ला ग्रैजुयेट बगैर काम के पड़े हुये हैं । खेतिहर मजदूरों के पास कोई रोजी नहीं है ।

एक टेल्को का कारखाना कुर्सी रोड पर लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । एक तरफ शहर का विस्तार हो रहा है कालोनियां बन रही हैं, आवास विकास परिषद् बना रहा है, लखनऊ विकास प्राधिकरण बना रहा है, उसके लिये किसानों की जमीन ली जा रही है, शहर के निकट की सारी भूमि में कालोनियां बन रही हैं और दूसरी तरफ टेल्को का कारखाना यहां पर बनाने का प्रस्ताव है । इसीलिये इस टेल्को कारखाने को गुसांईगंज विकास खन्ड में लगाने का विचार करें । वहां के लोगों को जमीन दी जाय, जिसके कारण किसानों को और वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस संशोधन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री राम कुमार भार्गव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय बरार जी ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का जो प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, सिर्फ 5 मिनट का ही समय । मैं केवल दो बातों शांति और कानून व्यवस्था के बारे में ही अपने विचार सदन के सामने रखना चाहूंगा । महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पहले पृष्ठ पर ही यह कहा है कि सभी वर्गों के लोगों में एकीकरण की भावना लाने के लिये यह सरकार सतत् प्रयत्नशील है । यह उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि है । आज विभिन्न प्रान्तों में देश को खंडित करने की जो साजिशें चल रही हैं जिनमें विदेशी हाथ भी हो सकता है, अपने देश के अन्दर ही भाइयों को लड़ाकर जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं वहीं उत्तर प्रदेश की इस सरकार ने बड़ी विवेकशीलता के साथ यहां पर सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम किया है। एक ही लाइन में, राज्यपाल महोदय ने कहा है कि यह सरकार एकीकरण की भावना के लिये जागरूक है । यह निश्चय ही उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि है कि यहां पर इस तरह का वातावरण है ।

वाद का प्रस्ताव है उसको माननीय मुख्य मंत्री जी के हस्ताक्षर से इस टिप्पणी के साथ भेज दिया जाय कि सचिव कृपया अपने स्तर से निस्तारण कर दें ।

(श्री फखरे आलम का नाम पुकारने पर)

श्री शिव नारायण सिंह नेगी–

मान्यवर, इधर का नम्बर था, इधर से नहीं बुलाया ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई खड़ा नहीं हुआ (व्यवधान) नियमों की मुझे जानकारी है ।

*श्री फखरे आलम–

मान्यवर, मैं तो यह समझता हूं कि राज्यपाल के एड्रेस पर जो एमेंडमेंट हम लोगों ने दी है उनसे सरकार भी सहमत है । इसीलिए इस वक्त सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति मंत्रिमण्डल का यहां पर नहीं है। वे नहीं चाहते हैं कि जो राज्यपाल महोदय ने एड्रेस किया है उस पर ध्यान कोई दिया जाय । माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने एड्रेस में बहुत सी बातें कही हैं मगर जो बात कहनी चाहिये थी उस पर कुछ नहीं कहा । उन्होंने अपने एड्रेस में इस बात का जिक्र नहीं किया कि मऊ में, टांडा में, और बहराईच में बेगुनाह और निहत्थे लोगों के ऊपर पुलिस और पी0 ए0 सी0 ने गोलियां चलाईं । निहत्थे लोगों की जानें लीं, कितनी ही औरतों का सुहाग लूटा और कितने ही बच्चों को यतीम कर दिया और क्या-क्या हरकतें उन्होंने नहीं की ।

मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे राज्यपाल महोदय इस बात से बेखबर हैं कि प्रदेश में क्या-क्या और किस तरह के जुल्म हो रहे हैं, और बर्बरता की हद की जा रही है। मैं तो आशा करता था कि इनके एड्रेस में इन बातों का इशारा होता जैसे कि गरीबों के दुख को दूर किया जायेगा, उन पर जुल्म नहीं होंगे आदि आदि। लेकिन लिखा हुआ एड्रेस, जो राज्यपाल के नाम से कहा जाता है और जिसको राज्यपाल महोदय ने पढ़ा भी नहीं, यहां पढ़कर सुना दिया गया। उसी सरकार की हालत यह है कि जिस सरकार की बहुत बड़ी तारीफ इस एड्रेस में की गयी है और राज्यपाल महोदय ने बहुत कुछ कोशिश इस बात की इजहार करने की किया कि बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। मैंने एक मामूली सा सवाल यहां दिया था, जो 20-2-84 के एजेण्डे पर 37 नं0 पर, पेज 18 पर है, मेरा मूल प्रश्न था, जो 5-9-83 को भी आ चुका था और उससे पहले दिया गया था 6-11-82 को सवाल था कि क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उ0 प्र0 में प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचर्स के कितने स्थान थे और उनमें से कितने स्थानों पर नियुक्तियां कर दी गयी हैं, कितने स्थान रिक्त हैं। यदि रिक्त हैं तो क्यों? इसका जवाब दिया गया एक साल पहले की "सूचना एकत्र की जा रही है," उसके बाद सितम्बर, 83 में भी यही उत्तर आया कि "सूचना एकत्र की जा रही है," तो इस निकम्मी सरकार की तरफ से 3-11-82 को और 20-2-84 को भी एक ही जवाब दिया गया कि "सूचना एकत्र की जा रही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अब मैं कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहूंगा । माननीय नेता विरोधी दल कल बोल रहे थे और माननीय सदस्य सीतापुर की बात भी मैंने सुनी । उन्होंने बहुत लम्बी चौड़ी बातें कही हैं । वे नम्बर दो के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यह तो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ही बता सकते हैं कि नम्बर दो के काम करते हैं कि नहीं । मैं तो अपने लोगों के बारे में ही कहना चाहता हूं, नेता विरोधी दल ने तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात कही है । मान्यवर, यह एक बड़ी गलत परम्परा है कि लोग दूसरों के बारे में कहते हैं अपने बारे में नहीं कहते हैं । मैं अपने बारे में और अपने जिले सीतापुर के लोगों के बारे में कहना चाहता हूं । मैं कुछ आपको चौकन्ना कर देने वाले तथ्य बताना चाहता हूं । हम लोग जनता की सुरक्षा के लिये चुनकर आते हैं और उन्हें आश्वासन देकर आते हैं । हम लोग क्या करते हैं उस पर भी नजर डालनी चाहिये । एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा इस महीने की 6 ता0 को माननीया मेनका जी सीतापुर गयीं, माननीय वर्मा जी यहां पर बैठे हैं वह चाहें तो खण्डन कर सकते हैं, वहां पर एक ऐसे आदमी को रखा गया है जो पिछले 20 सालों से हिस्ट्री शीटर रहा है, मेरे पास सूचना है वह लगातार 20 सालों से कत्ल और डकैतियां कराता रहा है और कई बार मीसा में बंद हुआ है जिसकी वजह से कई परिवार घर छोड़कर सीतापुर से चले गये हैं, कितने बुजुर्गों और औरतों का उसने कत्ल किया है । तो ऐसे आदमी को संजय विचार मंच का जिलाध्यक्ष बना दिया गया है । उनको बुलाकर ले गये तो इस प्रकार की बात हो रही है इस पर हमें सोचना चाहिये कि हम समाज को किधर लें जा रहे हैं । आज जिनकी वजह से लोग घर छोड़कर चले जायें और पिछले 20 सालों से जो हिस्ट्री शीटर रहा हो, उसको नेता बना दिया गया तो क्या होगा ?

आज हमें यह देखना है कि हमारा कानून गरीबों की मदद में कितना सक्षम है इसके बारे में कई बार यहां पर विधान सभा में भी चर्चा हुई है कि जो वर्तमान कानून है वह कई सालों से चले आ रहे हैं उसको समय के अनुसार बदलना पड़ेगा । वक्त के के साथ-साथ कानून को बदलना पड़ेगा । इस समय की जो कानून की प्रक्रिया है उसमें अगर एक गरीब आदमी के ऊपर एक हजार रुपया बकाया है तो वह जेल चला जाता है लेकिन जिस पर लाखों का बकाया है वह कोर्ट से स्टे ले आता है । यह बात हम महसूस करते हैं और हमारे बम्बई अधिवेशन में हमारे महासचिव राजीव गांधी जी ने भी कहा कि हम गरीबों को न्याय दे सकें इसके लिए कानून में परिवर्तन करना होगा । मैं थोड़ा अपने क्षेत्र के बारे में भी कहना चाहता था लेकिन आपने लालबत्ती जला दी । तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय बरार साहब ने रखा है उसका समर्थन करता हूं और जो उधर से संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लूंगा सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा । माननीय मुख्य मंत्री जी की एक आदत है कि चाहे जिस तरह की चिट्ठी उनके पास आये, चाहे वह विधायक हो या कोई व्यक्ति हो, हर चिट्ठी पर उनके आदेश होते हैं कि सचिव कृपया अपने स्तर पर निस्तारण कर दें । तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को और उस पर जो धन्य-

है।'' तो इस निकम्मी सरकार की प्रशंसा राज्यपाल महोदय के एड्रेस के जरिए की जा रही है। तो मुझे इस बात का दुख है कि मेरी सरकार की प्रशंसा की जा रही है।

मान्यवर, हालत यह हो रही है कि मंत्रि-मण्डल का विस्तार किया गया और मंत्रियों को बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया गया। इसकी मिसाल मैं देना चाहता हूं कि एक मा0 मंत्री मुरादाबाद से श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक बनाये गये और वह इसलिये बनाये गये कि अगस्त, 1982 में ईदगाह में बेगुनाह मुसलमानों पर उ0 प्र0 की पुलिस, पी0 ए0 सी0 और सरकार ने दमन किया था, बच्चों पर गोलियां चलायी और बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया, इसलिये उनकी आवाज बंद करने के लिये श्री सिद्दीक को मंत्री बनाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, कागज पर कोई सरकार भले हो। इसीलिये आधे से ज्यादा विधायक सरकार के खिलाफ हैं और दिल्ली दौड़ में लगे हैं। मुख्य मंत्री के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध हो रहा है और आधे से ज्यादा कांग्रेस आई के विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली मैं परसों और कल भी गया था तो हमारे सामने कुछ विधायक कह रहे थे कि मुख्य मंत्री हटने वाला है।

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

दिल्ली 322 विधायक समर्थन में गये थे इनको गलतफहमी हो रही है।

श्री फखरे आलम–

यह डाक्टरी होम्योपैथी को गांव में करते हैं इसलिये आपको क्या पता है कि राजनीति क्या होती है।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग आपस में बातचीत न करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मैं माननीय विधायक जी को जानकारी देना चाहती हूं, यह सत्य से परे है कि....

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी, आप बैठें।

श्री फखरे आलम–

तो किसी की और हर चीज की एक एज होती है इसलिए मंत्री जी के लिए भी 70 साल एज रखी जाए और उसके बाद किसी को मिनिस्टर न बनाया जाए। ऐसे लोग मंत्री बन गये हैं, जिनकी उम्र 75–78 साल हो गई है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, यह महिला विरोधी है।

श्री अधिष्ठाता–

जो कुछ है इनको रहने दीजिए और आप बैठिए।

श्री फखरे आलम–

मुझे महिला विरोधी कह रही हैं, लेकिन मैं पत्नी विरोधी तो नहीं हूं, मैंने अपनी पत्नी का विरोध तो नहीं किया। फिर मैंने कौन सी महिला का विरोध किया.....

श्री अधिष्ठाता–

फखरे आलम जी, आप कृपा करके अपना भाषण जारी रखें, पत्नियों की बात भूल जाएं।

श्री फखरे आलम–

मान्यवर, मैं इस सरकार के निकम्मेपन की बात आपको बताऊं। [illegible] ग्रेजुएट्स को रोजगार देने के लिये बैंकों से ऋण दिये जाने की योजना है और इस कार्य को इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। लेकिन इसके जो अधिकारी हैं जिलों में बैठे हुए अधिकारी हैं वह स्वीकार करने के लिये रिश्वत मांगते हैं। मैं अपने जिले की और अपने क्षेत्र की निश्चित रूप से जानकारी बताना चाहता हूं कि यह अधिकारी इंडस्ट्रीज के 20 परसेंट इन लोगों से मांगते हैं। किसी को 10 हजार रुपया दिया गया तो कहेंगे कि पहले 20 परसेंट हमें चुका दो। इसके बाद बैंक वालों का हिस्सा उसमें से फिर अलग लगेगा। बिना उसको हिस्सा दिए भी उसे रुपया हाथ नहीं लगने वाला है। इसी तरह से और मामलों में भी है। जिन लोगों के मकान गिरे थे बाढ़ आदि से, जिनके मकानों की क्षति हुई थी, उनको सौ-सौ, दो-दो सौ रुपये दिये जा रहे हैं, उसमें से भी कानूनगो और पटवारी 50-50 रुपये ले रहे हैं।

मेरे क्षेत्र के तमाम ब्लाकों और खासकर कबीर चौक ब्लाक में तो राजस्व अधिकारी ऋण ही नहीं देते हैं, उनका नाम नहीं लिखते हैं और उनसे कहते हैं कि पहले हमें 50-50 रुपया फी आदमी दो। ऐसी हालत में इस सरकार को क्या हक है यह कहने का कि इस प्रदेश में कोई सरकार है, क्या हक है मंत्रियों को यह कहने का कि उनको प्रदेश में हुकूमत करने का मौका दिया जाय। इस महिला मंत्री का क्या हक है, जिसका नाम गलत तौर पर मंत्रिमंडल में रख दिया गया है, यह कहने का कि हम मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में शासन करेंगे। गरीबों के, माइनारटीज के और तमाम दबे हुए लोगों के बड़े बुरे दिन चल रहे हैं और हमारे मंत्रिगण और मुख्य मंत्री और हमारे ऐसे मंत्री जो हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वह उत्तर प्रदेश को क्या चलायेंगे, जो इस हाउस को नहीं चला सकते हैं।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप न सिर्फ इस सरकार को तुरन्त निलम्बित कर दें, बल्कि इसको डिसमिस कर दीजिये, बरखास्त कर दीजिये। उल्टे राज्यपाल महोदय ऐसी गई-गुजरी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, वह तारीफ के काबिल कतई नहीं है। आज माइनारिटीज के साथ और अछूतों के साथ तरह-तरह की ज्यादतियां हो रही हैं, उनका जीना मुश्किल हो गया है। उनको जो जमीन दी जाती है, उसको नापा नहीं जाता है। जो उनको पट्टे दिये गये हैं। उन पर उनको कब्जा नहीं मिल रहा है। हिन्दुस्तान में पार्लियामेंट के चुनाव होने जा रहे हैं मई या जून में। चुनाव होंगे इसलिए यह इंतजाम किया जा रहा है कि

सुल्तानपुर में सी0 पी0 एम0 की मीटिंग न होने दी जाए। इस प्रकार की तमाम ज्यादतियां की जा रही हैं और झगड़े पैदा किये जा रहे हैं। इसलिए यह सरकार बर्खास्त करने लायक है और जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने इस पर जो संशोधन, तरमीम दिया है, उसे मंजूर किया जाय और शुक्रिया के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया जाए। मैं बरार साहब से यह कहूंगा कि जो उनके दिली ख्याल हैं, उनको यहां रखें और उन पर वहां चर्चा करें। मैं आपका बहुत आभारी हूं।

*श्री दामोदर शर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और उसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, माननीय फखरे आलम साहब अभी यह कह रहे थे कि प्रदेश में भूख से सिसक-सिसक कर कई मौतें हुई हैं। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि इस सरकार के जमाने में भूख से किसी की भी मौत इस प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश भर में नहीं हुई है। अखबारों में भी यह खबर कहीं नहीं छपी है, उनकी जानकारी में भले ही हो।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार नाम की कोई चीज रह ही नहीं गयी है। यह भी उनका खयाल गलत है। अगर सरकार न होती तो आज हरिजनों के लिये जो तरह-तरह के काम हो रहे हैं वह कैसे होते और सरकार न होती तो डकैतों का जो आतंक इस सरकार के पहले था वह कैसे कम होता। शान्ति व्यवस्था की स्थिति में भी इस सरकार के काल में सुधार हुआ है। यह सब कुछ माननीय श्रीपति मिश्र जी की सरकार के कार्यकाल में ही हुआ है। गरीबों को भूमिहीन लोगों को भूमि भी दिलवायी गयी है। मैं यह नहीं कहता कि जिस गति से काम होना चाहिए था वह उतनी गति से हुआ है, कुछ कम हुआ है, पर हुआ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते।

मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हरिजनों के लिये दुकानें बनायी गयीं और वह उनको दी गयी हैं। मेरे यहां गांवों में हरिजनों को 20-20 दूकानें वितरित की गयी हैं। इसलिए यह कहना कि यह सरकार हरिजन विरोधी है, बिल्कुल गलत है।

यह कहा गया कि यह सरकार किसान विरोधी है। अगर यह सरकार किसान विरोधी होती तो हरिजनों को गन्ने का जो आज मूल्य मिल रहा है 20.50 रुपये पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 21.50 रुपये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वह नहीं मिल पाता। जनता पार्टी के शासन काल में गन्ना खेतों में खड़ा सड़ गया। 7-8 रुपये का भाव उनके शासनकाल में दिया गया। तो यह सरकार आज की किसान विरोधी है या जनता सरकार किसान विरोधी थी जिसने किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किरन पाल सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह बात जो कह रहे हैं माननीय सदस्य, यह गलत है।

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रश्न व्यवस्था का नहीं है, आप कृपया बैठें।

श्री दामोदर शर्मा–

आज किसानों का आलू कोल्ड स्टोरेज में रखने की उचित व्यवस्था इस सरकार ने की है, जबकि जनता पार्टी के शासन काल में वह आलू सड़ा करता था। आलू का किसान सन् 1977-80 तक तबाह हो गया लेकिन जिस दिन से उत्तर प्रदेश में हमारे दल की सरकार बनी उस दिन से जो किसान आलू बोते थे उनको उचित दर आलू की दी गयी और किसानों का आलू ऊंचे दाम पर बिका और उनको उचित मूल्य मिला। सन् 1980 से लेकर आज तक हमारी सरकार के समय में गन्ने का और आलू का मूल्य उतना जनता शासन के दौरान नहीं दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की हड़ताल हुई, उनकी जो मांगें थीं कि व्यक्तिगत/प्रबंधकीय व्यवस्था को समाप्त किया जाए। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि पहले वेतन का भुगतान नहीं होता था लेकिन अब वेतन की जिम्मेदारी शासन पर है और और 80 प्रतिशत वेतन का भुगतान कालेज से लेकर सरकारी खजाने में जमा किया जाता है तो फिर व्यक्तिगत प्रबंधकीय व्यवस्था की क्या आवश्यकता है इसको खत्म किया जाय जिससे शिक्षकों का शोषण न हो सके।

माध्यमिक शिक्षक सेवा आयोग बना हुआ है उसके बनने से बहुत सुधार हुआ है तो मेरे कहने का मकसद यह है कि व्यक्तिगत प्रबंधकीय व्यवस्था समाप्त की जाय। मान्यवर, मेरठ के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। गवर्नर साहब के एड्रेस में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 4 खाद के कारखाने लगाये जायेंगे। मैंने इसके पूर्व भी मांग की थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे मेरठ हो या सहारनपुर या मुजफफ्र नगर हो एक जगह खाद का कारखाना लगाया जाय। आज भी मैं मांग करता हूं कि मेरठ में एक खाद का कारखाना लगाया जाय। मान्यवर, आपको मालूम होगा कि परसों मेरठ में ओलावृष्टि हुई है जिससे खड़ी फसल को काफी नुकसान हुआ है और किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है तो उनको कुछ मुआवजा दिया जाय। अंत में मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बरार साहब ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं, पुरजोर समर्थन करता हूं।

*श्री विश्वनाथ–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, कानून और व्यवस्था . . . .

श्री धरमपाल–

दोनों अलग-अलग चीजें हैं जो आपकी समझ में नहीं आयेंगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं। बीच में न टोकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री विश्वनाथ–

जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, कानून व्यवस्था की उत्तम मिसाल फाजिल नगर निर्वाचन क्षेत्र का स्थल रहा है जहां से मैं चुनकर आया हूं। मान्यवर, 23-12-83 को सुबह लोग मतदान केन्द्र पर वोट डालने जा रहे थे, वोट पड़ रहे थे और कांग्रेस (आई) के लोग मतदान केन्द्रों और बूथों पर कब्जा करने, बूथ पर बलवा करने, बूथों पर हत्या करने के लिये जा रहे थे। मान्यवर, 23 तारीख को 11 बजे गुरबलिया में महातम सिंह नामक नौजवान की हत्या गोली मार कर की गयी। महातम सिंह की पत्नी को 20 दिन पहले पुत्र लाभ हुआ था। बाप ने बेटे का और बेटे ने बाप का मुंह नहीं देखा और महातम सिंह की पत्नी विधवा हो गयी, बेसहारा हो गयी। गुरबलिया में महातम सिंह की हत्या करने वाले भास्कर पाण्डेय जी इस सदन में बैठे हैं और उस पक्ष के सम्मानित सदस्य हैं।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र–

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

मिश्र जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। एक परम्परा है, संसद में और विधान मंडलों में कि जो सदस्य पहली बार बोल रहे हों उनको टोकना नहीं चाहिए।

डा0 बृज किशोर मिश्र–

मान्यवर, उनको यह पता नहीं है कि जो व्यक्ति सदन में नहीं हैं, उसका नाम नहीं लेना चाहिए।

श्री विश्वनाथ–

अच्छा हमको यह सूचना नहीं थी कि वह अब नहीं रहे। मान्यवर, 23 तारीख को 1 बजे दिन में मुगलपुरा में 5 आदमियों को गोली मारी गयी और कांग्रेस (आई) के प्रसिद्ध नेता, विख्यात नेता माननीय हरिशंकर तिवारी, अमर मणि और कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार के पुत्र श्री रविन्द्र सिंह मौजूद थे। 7 गाड़ियों में ये लोग चल रहे थे, बूथ पर कब्जा किया गया और गोलियां मारी गयी 5 आदमियों को मान्यवर गोली सुखलराव को मारी गयी, विधवा मां और विधवा चाची का सहारा था, बेटा 20-22 वर्ष का नवजवान था, उसका गौना फाल्गुन में होना था, जो सुहागिन घर में दुलहन बनकर आनी थी वह विधवा बनाई गयी। मान्यवर, बिरजन भगत को गोली मारी गयी और बेसहारे बच्चों का सहारा टूट गया, उसे गोली मारी गयी, अस्पताल में पहुंचने के पहले दम तोड़ दिया। वहां के प्रधान की पत्नी जड़ावकली को कातिलों ने गोली मारी।

कांग्रेस (आई) के लोगों ने औरत तक को नहीं बख्शा और आज वह अस्पताल में है, उसका पैर काट दिया गया। मान्यवर, मोहम्मदीन हज्जाम को गोली लगी यह सिलसिला दिल्ली से चल रहा है और मान्यवर, इन्कलाब एक फिल्म है, जिसमें अभिनेता हैं अभिताभ बच्चन, अभिताभ बच्चन जो काम कर रहे हैं, वही काम बच्चा पाठक कर रहे हैं। यह सारा काम बच्चा पाठक के नेतृत्व में हो रहा है और कत्ले आम हो रहा है। कहां पर कानून व्यवस्था है। इस तरह से मैं महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री शिव नारायण सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे श्री बरार जी द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के उपलक्ष्य में जो कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करता है, उस पर बोलने का अवसर दिया है।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, यह तरीका नहीं है कि वह कागज पढ़ें।

(व्यवधान)

श्री शिव नारायण सिंह नेगी–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो विकास के कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं और जो श्री बरार जी द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं।

मान्यवर, विरोधी पक्ष की तरफ से जो कुछ बातें कही गयीं हैं, मैं उस पर ज्यादा न कहते हुए, सिर्फ इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि वे अपने पिछले दिनों की याद करें, अपने शासनकाल में वे अपनी कमियों, खामियों और जो उनका आपस में विचार-विमर्श हुआ, उसकी ओर नजर डालें। उन्होंने कभी भी इस बात का ख्याल नहीं किया कि किस प्रकार से एक पिछड़े हुए देश का, यहां के समाज का, यहां के निवासियों का विकास कैसे हो। श्रीमन् जितनी भी बातें विरोधियों की तरफ से कहीं गयीं, मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि जब यह देश आजाद हुआ उस आजादी से पहले का ज्ञान इस देश के बारे में उनको नहीं है। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि जब मैं राजनीति में आया तो मैंने देखा अंग्रेजी शासनकाल में एक जिले में 8-10 प्राइमरी पाठशालाएं थी जो लोअर और अपर के नाम से पुकारी जाती थी, एक जिले में 2-3 मिडिल स्कूल होते थे और हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज का तो नामोनिशान नहीं था।

आज मैं उन लोगों को बतलाना चाहता हूं कि नैनीताल जिले के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 12 हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज है और साथ ही उनको यह भी समझना चाहिये कि इस प्रदेश में एक हजार करोड़ लगान से आमदनी है जिसमें से नौ सौ करोड़ अकेले शिक्षा पर खर्च होता है। यह कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने कितना विकास इस देश का किया। मैं बतलाना चाहता हूं कि सहकारी विभाग की ओर से हमारे नैनीताल में डेढ़ करोड़ रुपया आई0 आर0 डी0 स्कीम के तहत गरीबों को ऊपर उठाने के लिये दिया गया। इसके साथ यह भी बतलाना चाहता हूं कि एन0 आर0 ई0 पी0 में जितना विकास हो रहा है हरिजनों के गृह निर्माण, और उनको रोजगार देने के लिये बहुत काम हो रहा है। हमारी सरकार ने आने वाले दिनों में 10 हजार विधवाओं को पेंशन देने की घोषणा की है।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें।

श्री शिव नारायण सिंह नेगी–

मैं बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में हरिजनों के उद्धार के लिये क्या किया । उसे आप स्वयं देखें । इन शब्दों के साथ में पुनः इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री भीखालाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उस पर माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मेरी एक लाइन की प्रतिक्रिया यह है कि यह लफ्फाजी से भरा हुआ पुलिन्दा है, इसका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं है । देश की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से इसका कोई वास्ता नहीं है यह उससे परे चीज है । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के हिसाब से चारों तरफ खुशहाली है, कोई शान्ति-व्यवस्था की समस्या नहीं है, मंहगाई की समस्या नहीं है, बेरोजगारी की समस्या नहीं है । किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है । हमारे उत्तर प्रदेश के बाहर का आदमी अगर इसको पढ़े तो यही समझेगा कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य आगया है । मुझे एक लतीफा याद आ गया । एक राजा साहब का एक कारिन्दा था वह बहुत चापलूसी किया करता था और चुगली किया करता था । राजा साहब उससे खुश रहते थे एक दिन राजा साहब ने उसको एक अच्छे गाय, दे दी । कारिन्दा खुश था वह दूध, दही और मक्खन खाता था । एक दिन राजा साहब ने उससे कहा कि वह हमारी स्टेट में जाकर पता लगाये कि जनता की क्या हालत है और जनता हमारे लिये क्या कहती है । तीन चार दिन वह घर में बैठा रहा और उसके बाद वह कारिन्दा राजा साहब के पास आया और बोला मैं तीन-चार दिन पूरे इलाके में घूमा, जनता दूध, दही और मक्खन खा रही है और आपकी जयजयकार कर रही है । तो राज्यपाल महोदय गाय का दूध, दही खा रहे हैं मक्खन खा रहे हैं भले ही वह चोरी की गाय हो । लेकिन उनको यह दीखने लगा है कि प्रदेश के सभी आदमी दूध, मक्खन खा रहे हैं वह बड़े महल में रहते हैं तो वह समझते हैं पूरी आवास समस्या हल हो गयी है । उनके यहां सौ-डेढ़ सौ आदमियों का पहरा रहता है तो वह समझते है प्रदेश में असुरक्षा की कोई समस्या नहीं है ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में देश में जनतांत्रिक व्यवस्था अपनायी गयी । इसकी सराहना विदेशों में भी की गयी है । लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जनतंत्र की जड़े कमजोर हो रही हैं जनता का विश्वास उठता जा रहा है । जनतांत्रिक व्यवस्था के कुछ नियम हैं कुछ तरीके और सिद्धांत हैं, जब वह कमजोर हो जायेंगे तो व्यवस्था कमजोर हो जाएगी और व्यवस्था नहीं चल सकती । पहली बात मान्यवर, मतदान की स्वतंत्रता की है । प्रबन्ध यह है कि मतदान की स्वतन्त्रता है कि नहीं, मैं तो कहता हूं कि नहीं है क्योंकि राजनीति में गुण्डा-गर्दी आ गयी है । जिसकी वजह से मतदान की स्वतंत्रता नहीं है और यह प्रक्रिया मान्यवर, 1975-76 में इमरजेन्सी के जमाने में पैदा हुई । उस समय कांग्रेस के अन्दर एक प्रभावशाली आदमी पैदा हुए संजय गांधी जिन्होंने देश के तमाम नवयुवकों को अपने गिर्द जमा किया

[श्री भीखा लाल]

उस युवक कांग्रेस में कुछ लोग खादी का कुर्ता पाजामा पहन कर शामिल हो गये जो अराजक तत्व थे और उनका प्रयोग राजनीति में किया गया और वहीं से राजनीतिक गुण्डई की शुरूआत हो गई। मान्यवर, 1977 में कांग्रेस के मुकबले में एक जनता पार्टी बन गई तो जनता पार्टी ने भी वही हथकण्डे अपनाए जो उधर से अपनाए जा रहे थे यानी अराजक तत्वों का प्रयोग चुनाव में किया गया क्योंकि जहर को समाप्त करने के लिए जहरीली दवा ही काम देती है 1980 में कांग्रेस आई तो फिर वही प्रक्रिया अपनायी गयी और प्रक्रिया अब बढ़ती ही जा रही है और उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं है। आपने देखा कि पांच विधान सभा उप चुनाव हुए और एक संसद का, छः उपचुनाव में तीन आदमियों की हत्यायें हो गयीं जब 425 विधान सभा और 85 संसद के चुनाव होंगे तब क्या स्थिति होगी।

[redacted]

मान्यवर, सब जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो माफिया गिरोह चल रहे हैं। वह दोनों कांग्रेस के संरक्षण में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक संसद सदस्य नेता है जो दिल्ली में उपमंत्री हैं। वह भी कोशिश कर रहे हैं कि इस दो मासीय गिरोह बना लें। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन उनका नाम रविवार पत्रिका में छपा है इसलिए मैं उनका नाम बता दूं कि वह कल्पनाथ राय हैं। 1981 में कांग्रेस किसान रैली हुई तो उसके बाद कांग्रेस किसान सैल बनना शुरू हुआ। मान्यवर, बड़हलगंज जिला गोरखपुर में एक सुरेश राय सेल के अध्यक्ष हैं जिनको 1975 में चोरी में सजा हुई थी। उसके बाद 18 डकैती के मुकदमें भी कायम हुए हैं। 1983 में दो बलात्कार के मुकदमें कायम हुए। कई मामलों में लोकलाज की वजह से रिपोर्ट नहीं हुई। मान्यवर, इनके साथ श्री कल्पनाथ राय की फोटो भी छपी है मैं मान्यवर, फोटो स्टेट कापी दे रहा हूं आप सरकार को भेज दें। मान्यवर, आजमगढ़ में एक स्वतंत्रता सेनानी हैं श्री परमेश्वर नाथ गुप्त उनका निजी मकान जिसमें आधे हिस्से में वह खुद रहते हैं और आधे मकान में एक इन्जीनियर रहते हैं। अधिकारियों पर दबाव डालकर कल्पनाथ राय ने उसको अपने नाम एलाट करा लिया और पुलिस की मदद से उसे कब्जे में कर लिया है। मकान मालिक व इन्जीनियर का सामान सड़क पर फेंक दिया तथा उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया, लेकिन जिस पर स्टे मिल गया जिलाधीश को आदेश दिया गया कि मकान खाली करावें परन्तु जिलाधीश ने कोई कार्यवाही नहीं की। अतएव परमेश्वर नाथ गुप्ता ने जिलाधीश और कल्पनाथ राय के खिलाफ कन्टेपट का मुकदमा दायर किया है।

[redacted]

आजमगढ़ में तमाम गुण्डों को एकत्र कर रहे हैं। वहां थानेदार के संरक्षण में जो गुण्डागर्दी होती है, उनको समर्थन दे रहे हैं। थानेदार न मालूम कितने कत्ल करे जा रहे हैं। जिले के कांग्रेस के 10 विधायकों ने लिखकर दिया कि उसका तबादला कर दिया जाय, लेकिन वह रुकवा लेता है। अगर राजनीति में इस तरह की गुण्डागर्दी आयी तो क्या होगा।

अभी राम कुमार भार्गव जी ने कहा कि मेनका गांधी के मंच पर कोई बैठा था। तो मैं उसको गलत नहीं मानता कांग्रेस ने पहल की है। यही सबसे पुरानी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, इसी से अनेकों अन्य पार्टियां निकली हैं। इन्हीं को पहले इसको रोकने के लिए भी तरकीब करनी होगी। एक साथ बैठकर कोई तरीका निकालना पड़ेगा, ताकि इस चीज को रोका जा सके। राजनीति को प्रशासनिक तरीकों से हल नहीं किया जा सकता। मान्यवर, आज जनता की कठिनाइयों की कोई सुनवाई नहीं होती। जिला स्तर पर कोई अधिकारी सुनता नहीं और लखनऊ आइये तो भी कोई नहीं सुनता। कर्मचारी कहते हैं कि कहां जाओगे लौटकर तो यही आओगे। अभी तक यहां पर समस्याओं का कुछ हल हो जाता था, लेकिन अब मामूली सवालों का, जिनमें कोई समय नहीं लगना चाहिए, जवाब मिलता है जांच की जा रही है, सूचना एकत्र की जा रही है और फिर साल-साल भर जवाब नहीं मिलते। अगर जनता की समस्याओं की सुनवाई नहीं होती तो जनता का जनतंत्र पर से विश्वास उठ जाएगा। उसकी आस्था गिरती जा रही है। जनतंत्र के पनपने के लिये एक मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है।

यह देश का दुर्भाग्य है कि न दिल्ली में और न लखनऊ में कहीं भी मजबूत विरोधी दल नहीं है। इंदिरा जी डेमाक्रेसी का एक नया प्रयोग कर रही हैं, एक्सपेरीमेंट कर रही हैं कि हमारे सामने जो विरोधी दल बैठा है, उसकी जरूरत नहीं है, वह अपने में से ही विरोधी दल पैदा करने का प्रयोग कर रही हैं। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि, बात कड़वी जरूर है शासन पक्ष के लिये, इंदिरा जी का जनतंत्र में विश्वास नहीं है। वह यही चाहती हैं कि वह किसी तरह गद्दी पर रहें। देश की बागडोर उसके हाथ में रहे। जिस संगठन में वह हैं, उसके कभी चुनाव नहीं कराती, ब्लाक स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक सब जगह कमेटी नामिनेटेड है। उनका जनतंत्र में विश्वास नहीं है। मान्यवर, शान्ति की व्यवस्था के बारे में स्थिति बहुत खराब है। उप चुनावों में कतल हो रहे हैं, चोरियों और डकैतियों की बाढ़ आ गयी है। रोज लखनऊ में स्कूटर चोरी, मोटर चोरी, ट्रक चोरी की खबरें सुनाई पड़ती हैं। अवैधानिक हथियार लिये लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। अभी तीन दिन पहले अखबारों में निकला कि पुलिस ने एक दिन में 14 केस पकड़े। इसको आप शांति व्यवस्था कहते हैं। मान्यवर, भ्रष्टाचार की यह हालत है, चाहे कर्मचारियों के स्तर पर हो या उच्च अधिकारियों के स्तर पर, सब जगह बढ़ रहा है। मंत्रिमंडल के सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। पत्रिकाओं में निकल रहा है, अखबारों में निकल रहा है और कोई खण्डन नहीं जारी होता। जनता समझती है कि सही है। जब तक उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार को नहीं रोकते नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता।

मान्यवर, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार होता है, चाहे पुल बने चाहे सड़क बने और चाहे ड्रेन की सफाई हो, 75 प्रतिशत इंजीनियर और ठेकेदार की जेब में चला जाता है, सिर्फ 25 प्रतिशत उसमें लगता है। अगले साल वह बिल्डिंग टूट जाती है, और वह पैसा भी बेकार हो जाता है। हमारे देश की, प्रदेश की जो यह पूंजी है, सड़कें और पुल आदि, जब यही नहीं मजबूत बनाये जायेंगे और उसका पैसा दूसरी तरफ चला जायेगा तो क्या होगा? मान्यवर, अगर यह सरकार

[श्री भीखा लाल]

की नोटिस में लाओ तो सुनवाई नहीं होती। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में दो सड़कें बनाई गई थी। एक मोहान से लखनऊ और दूसरी मोहान से हसनगंज। मैंने इन दोनों सड़कों के बारे में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को लिखा कि आप इन पर टी0 ए0 सी0 की जांच करायें। पिछले सेशन में जब मैंने इस पर बड़े तीखे शब्दों में कहा कि क्या इसका आधा कमीशन आपको मिल चुका है? इस पर मंत्री जी ने कहा कि यह तो आपने मुझ पर आक्षेप लगाया है। मैंने तो इस पर जांच हेतु आदेश दे दिये हैं।

श्रीमन् मैंने जब इस असेम्बली में प्रश्न उठाया और उसकी तिथि 20 फरवरी को तय हुई, तो उसी दिन वह टी0 ए0 सी0 की टीम उस पर जांच करने के लिए यहां से गई। विधायक की शिकायत पर जब इस प्रकार सुनवाई हो रही है तो साधारण आदमी को कौन पूछेगा।

आज भारत सरकार की कई अच्छी योजनायें चल रही हैं जैसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम, आइ0 आर0 डी0 तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान आदि। यदि इनका कार्यान्वयन सही स्प्रिट में किया जाय तो ये बहुत अच्छी योजनायें हैं। परन्तु सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि ये योजनाएं कहां लागू हो रही हैं। इन सारी योजनाओं में कमीशन ए0डी0ओ0, बी0डी0ओ0, जानवरों का डाक्टर और बैंक के मैनेजर के बीच बंधा हुआ है, फलस्वरूप सारा का सारा पैसा कमीशन में चला जाता है। इससे क्या प्रदेश की गरीबी दूर होगी? इस सरकार से मांग है कि 3-4 साल से जो आई0 आर0 डी0 तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत योजनायें चल रही हैं, उसके क्रियान्वयन को देखने के लिए आप एक कमेटी बनायें। उसमें आप कुछ एक्सपर्टस भी रखें। आप प्रदेश में कुछ जिलों और उन जिलों के अन्दर कुछ ब्लाकों तथा ब्लाकों के अन्दर गांवों को रख लें। उसमें आप यह देखें कि जिन लोगों को आई0 आर0 डी0 तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत जो आर्थिक सहायता मिली है, उससे उनके जीवन में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं। उसमें यह भी देखें कि उसकी पहले स्थिति क्या थी। यदि उसकी स्थिति आर्थिक सहायता मिलने के बाद ठीक नहीं हुई है तो आप को यह सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं योजना का गलत क्रियान्वयन हो रहा है। उसे आप दूर करने की कोशिश करें।

श्रीमन् आज निर्माण कार्यों में राजनैतिक भ्रष्टाचार आ गया है। उत्तर प्रदेश शासन के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने एक विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली अपनाई थी, जिसमें जिलों को कुछ अधिकार दिए गए थे। उसमें यह कहा गया था कि आप जिले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बजट बनायें। उसका आशय सिर्फ यह था कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां ज्यादा साधन जुटाये जायं ताकि उनको विकसित क्षेत्रों के समकक्ष लाया जा सके। क्या इसमें ईमानदारी बरती जा रही है? क्या प्रदेश स्तर पर ईमानदारी बरती जा रही है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं। अब मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि क्या उनके क्षेत्र में 50 प्रतिशत उजीकरण हो चुका है? नहीं हुआ है। परन्तु रायबरेली में, जो श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, शत प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है।

आज पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है, पर्वतीय अंचल पिछड़ा हुआ है। परन्तु एक संसदीय क्षेत्र श्री राजीव गांधी की अमेठी में, दिनांक 12 को रायबरेली में श्री राजीव गांधी ने कहा कि 3 साल में वहां (अमेठी में) 11 अरब रुपया खर्चा किया गया है। क्या अन्य संसदीय क्षेत्रों में 1 अरब रुपया भी खर्च किया गया? नहीं। आज योजना के नाम पर राजनैतिक भ्रष्टाचार पनप रहा है। यदि इसे नहीं रोका गया तो यह प्रदेश में असंतोष पैदा करेगी और प्रदेश का संतुलित विकास नहीं होगा।

श्रीमन्, सरकार की नीतियों का गलत ढंग से कार्यान्वयन होने के कारण चारों ओर असंतोष है और आज किसान आन्दोलन के रास्ते पर है। जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं। आज खेतिहर मजदूर भी अपना उचित हक पाने के लिये आंदोलन कर रहा है। नौजवान बेकारी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि बेकारी की फौज बढ़ती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में असंतोष व्याप्त है, विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। अध्यापकों की समस्यायें सभी जानते हैं, कितने दिनों से उनका सत्याग्रह और आंदोलन चल रहा है। कौन सा ऐसा वर्ग है, जो संतोष में है? विधान सभा के समक्ष बीसियों पंडाल लगे हुए हैं। भूख हड़ताल, अनशन, क्रमिक अनशन पर लोग बैठे हुए हैं। जी0 पी0 ओ0 पार्क में भी कोई न कोई वर्ग आंदोलन, अनशन पर बैठा रहता है। अगर चारों तरफ संतोष है और चतुर्मुखी विकास है, तो इस तरह से जनता का असंतोष और आंदोलन प्रदर्शित नहीं होता इसलिए मान्यवर, इस अभिभाषण में जो कहा गया है, परिस्थिति उसके विपरीत है। वास्तविकता से परे है। इसलिए माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मैं देख रहा हूं, समय हो गया है। मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक शेर, जो राज इलाहाबादी का है, उसको पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

जख्म पत्ता पत्ता है दर्द डाली डाली है,
ऐ मेरे चमन बता, कौन तेरा माली है।

श्रीमती महारानी दोहरे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद का प्रस्ताव पर जो आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिये मैं आभारी हूं।

मान्यवर, किसी भी सरकार की सफलता उस सरकार के द्वारा चलायी गयी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा उस सरकार की पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनकी कार्यक्षमता पर निर्भर करती है। जब कोई भी पार्टी सरकार के रूप में आती है, तो उस पार्टी के प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता जनता तक बढ़ाने के लिये एक प्रतिनिधि का यह दायित्व होता है कि वे जनता के अधिकारों की सुरक्षा करें तथा उसके कर्तव्यों के प्रति उसकी जागरूकता किसी भी माध्यम से जन-जन में पहुंचें। यह आवश्यक होता है। पिछली कांग्रेस की सर-

[श्रीमती महारानी दोहरे–]
कार के इतिहास को देखें, तो हम उन बातों पर पूर्णरूपेण जायेंगे कि जो भी पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार का इतिहास रहा है, जो उन बिन्दु क्रमों पर जनता के बीच में चलती रही । लेकिन, हिन्दुस्तान के इतिहास में वह भी एक वक्त आया, जो हिन्दुस्तान के इतिहास के पन्ने पलट गये । यह 1977 के बाद का इतिहास आया ।

एक सदस्य–

1971 का इतिहास भी तो याद कीजिए ।

श्रीमती महारानी दोहरे–

मैं आप लोगों की बातें बड़ी शांति से सुनती हूं, इसलिए निवेदन करूंगी कि मेरी बातों को भी उसी प्रकार से शांति पूर्वक सुनें । जब 1977 का इतिहास आया, तो वह हिन्दुस्तान के इतिहास के पन्ने पलटे गये और उसमें देखा गया कि हिन्दुस्तान के इतिहास में कुछ ऐसी चीजों ने जन्म लिया, जो एक सरकार के सामने, प्रदेश के सामने, तथा देश के सामने चुनौती के रूप में था। जैसे जातिवाद, जातीय दंगे, संवैधानिक नियमों का गला घोटना, साम्प्रदायिक तत्वों को बढ़ावा मिलना तथा निर्बलों की आवाज को दबाया गया। यह ढाई तीन साल का इतिहास देश के प्रान्त के उन अक्षरों में लिखा जायेगा, जिसको जनता कभी क्षमा नहीं कर सकती ।

1980 में जब पुनः जनता ने कांग्रेस की सरकार को मौका दिया जिस समय इस प्रदेश की सरकार के हाथ में हुकूमत आयी, उस समय प्रदेश की जो जर्जर अवस्था थी, उसको देश की जनता, प्रदेश की जनता और सभी सम्मानित बुद्धिजीवी जानते हैं । यह 1980 का जो समय था, वह कांग्रेस के सामने कितनी बड़ी चुनौतियों का वक्त था । क्योंकि अगर हम 1979-80 के इतिहास को देखें, तो वहां से इस प्रदेश के ऊपर कितना दैवी प्रकोप पड़ता रहा । बड़ी भारी तादाद में 1979 और 1980 के बीच के समय में 14 जनपदों में भयंकर सूखा पड़ा और बाद में कई जिले ऐसे थे, जिनमें भयंकर रूप से बाढ़ आयी थी । उस समय हमारी सरकार थी, हमारी जिम्मेदारी थी कि हमारे प्रदेश में किसान तथा जो भी नागरिक हैं, उनके ऊपर जो आपत्तियां हैं, उनको दूर करें तथा उनको समाप्त करने के लिये पूरी जिम्मेदारी हमारे प्रतिनिधिमण्डल और सरकार की थी । मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर 1980 के बजट को देखा जाय तो श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही सरकार, उसमें परियोजनाओं को किस तेजी से चलाया गया। अगर कोई रुकावट है या क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो मैं कह सकती हूं कि हम और आप में से ही कोई जिम्मेदार है ।

(लाल बत्ती जलने पर)

अरे मान्यवर, आपने तो लाल बत्ती अभी से जला दी, अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना था । हिन्दुस्तान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसमें सुरक्षा सरकार की होती है । यह तभी हो सकता है जब जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी । हम जिन्दा रहना चाहते हैं लेकिन दूसरों को जिन्दा रहने का हक नहीं देना चाहते । हमारा सिद्धान्त यह होना चाहिये कि अगर हम जिन्दा रहना चाहते हैं तो पड़ोसी भी जिन्दा रहे।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्रीमती महारानी दोहरे–

सरकार तभी सफल हो सकती है जब उस देश की जनता सरकार को सही रूप से समर्थन दे। जब तक ऐसा नहीं होगा कोई भी सरकार जनता की सुरक्षा नहीं कर सकती है।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो चुका है, अब आप बैठें।

श्रीमती महारानी दोहरे–

मैं घड़ी देख रही हूं, आपने मुझे 3 मिनट भी नहीं दिये।

श्री अधिष्ठाता–

आपका 5 मिनट से ज्यादा समय हो चुका है, अब आप बैठें।

श्रीमती महारानी दोहरे–

ठीक है, मान्यवर, मैं एक बात कहकर समाप्त कर रही हूं।

हमारे इटावा जनपद में भयंकर स्थिति है। वनों के सम्बन्ध में सरकार ने जो कानून बनाया था सही था, कि पशुओं में नीलगाय इत्यादि को मारना कानून के विरुद्ध है, लेकिन अब वहां पर ये बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गये हैं। चार ब्लाकों की खेती इन्होंने बिल्कुल नष्ट कर दी है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि भारत सरकार को बुनियादी आधार पर लिख-कर भेजें ताकि किसानों की खेती को बचाया जा सके, जिससे कि जनता को और किसानों को राहत मिल सके। अंत में मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और बधाई देती हूं।

श्री धर्मवीर सिंह–

मान्यवर, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर विरोध प्रकट करता हूं क्योंकि यह सरकार भेदभावपूर्ण नीति अपनाये हुए है। एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे बरनावा क्षेत्र जनपद मेरठ में 1977 में एक परियोजना थी डिण्डन कृष्णा दोआब परि-योजना। यह 5 करोड़ की लागत की परियोजना थी। इसका बजट में प्राविधान कर दिया गया था। मेरे क्षेत्र में चकबन्दी चल रही है और

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरा समय बढ़ा दीजियेगा, यह तो व्यवधान चल रहा है। किसानों की जमीन भी इस परियोजना के लिये काट ली गयी है। इस समय मुझे मालूम हुआ है कि श्री विद्याभूषण जी की दखलन्दाजी से श्री वीर बहादुर सिंह सहमत हो गये हैं कि वहां के स्टाफ को हटा दिया जाय। पत्र संख्या 13450/1/8/227 दिनांक 17-10-83 द्वारा वहां के सारे स्टाफ को विघटित कर दिया गया है। मैं इस योजना की महत्ता पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(इस समय 2 बजकर 39 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री यशपाल सिंह पीठासीन हुए।)

हमारे क्षेत्र में 100 फीसदी ट्यूबवेल से सिंचाई होती है जिससे वहां हर साल पानी का स्तर नीचा होता जा रहा है, अगर सभी नलकूप चला दिये जाएं तो पानी शायद

[श्री धर्मवीर सिंह]

बिल्कुल मिले नहीं । इसलिये मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जो नहरें निकाले जाने की योजना थी। संतुलन के लिये यदि 70 फीसदी न निकाली जाएं तो कम से कम 30-40 प्रतिशत तो अवश्य निकाली जाए, लेकिन इस योजना को बन्द न किया जाए बल्कि तत्काल चलाई जाए मैं इस संबंध में कई प्रार्थना-पत्र माननीय मंत्री जी को दे चुका हूं, परन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

दूसरे मान्यवर, हमारे यहां जी0 टी0 रोड पर एक कृष्णा नदी है, जिसके दोनों तरफ सड़कें तो बनायी जा चुकी हैं लेकिन अभी पुल का निर्माण नहीं हो सका है, इसके लिए मैंने शासन को कई चिट्ठी लिखीं तो मा0 मंत्री जी ने जवाब में कहा कि धन अभाव के कारण उसका निर्माण नहीं हो सकता है । मान्यवर, धर्म का अभाव तो इसके साथ हमेशा से बना हुआ है, लेकिन मान्यवर, इन्हें सोचना चाहिए कि जो आवश्यक कार्य हैं और जिन कार्यों से जनता का सीधे संबंध है ऐसी परियोजनाओं के कार्य को प्राथमिकता दें इसलिए मेरा निवेदन है कि कृष्णा नदी का पुल बनाया जाए जो बहुत ही आवश्यक है।

तीसरी बात मान्यवर, सड़कों की मरम्मत का कार्य जिला योजना के अन्तर्गत इन्होंने रक्खा है और उसमें नेशनल हाई वे को भी सम्मिलत कर दिया है । जिला योजना में वैसे ही बहुत कम पैसा सरकार देती है और अब अगर उसमें नेशनल हाई वे भी सम्मिलत कर दिया जायेगा तो जो मरम्मत के काम थोड़े बहुत हो भी जाते हैं, वह भी नहीं हो पायेंगे । मान्यवर, जो सुझाव हम लोग यहां पर देते हैं अपने क्षेत्र के संबंध में, यह बात मैं अपने कई साल के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि उन सारी बातों की यहां पर एक किताब बन जाती है और फिर दुबारा उस को कोई मिनिस्टर साहबान देखते नहीं है और उन पर न कोई कार्यवाही होती है । मान्यवर, अगर यह अपनी बुद्धि से नहीं सोच सकते हैं तो कोई दूसरा अगर अच्छी राय दे तो उस पर अमल करना चाहिए । इसी सिलसिले में मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं जो बहुत ही दिलचस्प है । मान्यवर, "एक विद्वान लड़की थी, उसने यह तय किया कि मैं ऐसे शख्स से शादी करूंगी जिसमें 100 के 100 गुण हों । जब 100 गुणों वाला आदमी उसे नहीं मिला तो उसने कहा कि 99 गुणों वाले आदमी से शादी कर लूंगी और जब 99 गुणों वाला आदमी भी नहीं मिला, तो उसने कहा कि 98 गुणों वाले आदमी से शादी कर लूंगी। तो 98 गुणों वाला एक आदमी उसे मिला तो उसने उससे शादी कर ली। तो उस लड़की ने उस आदमी से कहा कि हे पति देव आपके 98 गुणों को कहां तक सुनूं जो आप में दो अवगुण हैं उन्हें ही बता दीजिए तो उस पति ने कहा कि हे देवी मुझ में 98 तो अवगुण हैं सिर्फ दो ही गुण हैं एक तो यह कि मुझ में अपनी बुद्धि नहीं और मैं किसी की बात को सुनता नहीं हूं और अगर सुनता भी हूं तो उस पर कुछ करता नहीं हूं।"

वही हाल मान्यवर, इस सरकार का है, एक तो यह किसी की सुनती नहीं है अगर सुन भी लेती है तो उस पर कुछ करती नहीं है, इन्हीं शब्दों के साथ इस अभिभाषण का मैं विरोध करता हूं ।

*श्रीमती किशोरी शुक्ला–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं और श्री जयदीप सिंह बरार ने जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में खड़ी हुई हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहती हूं कि आप लोग हमारी सरकार की बराबर आलोचना ही करते रहेंगे या कुछ और भी । यह चीज हम दोनों के लिए अच्छी नहीं है। यह सही है कि हमारे में कमियां हो सकती है, उन्हें दूर करने के लिए आप हमें सुझाव दें और जो काम हमारी ओर से अच्छे हों, उनको सराहें, लेकिन हमारे जो अच्छे काम होते हैं आप उनकी भी आलोचना करते हैं और माननीय विरोध पक्ष के नेता ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं । मैं इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं क्योंकि हर जगह पर विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। जब आपकी जनता पार्टी की सरकार थी, तब मैंने देखा कि आपकी सरकार हमारे इस तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों से बदला लेने की भावना रखती थी ।

लेकिन यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार विपक्ष के सदस्यों को बराबर के अधिकार दिये हुए है डिस्ट्रिक्ट प्लान की नीति में एन0 आर0 डी0 की नीतियों में और बजट भी बराबर मिलता है विकास कार्यों में हमारा कर्तव्य हो जाता है हम दोनों पक्षों के सदस्यों का कि एक बराबर विकास के कार्यों में सहयोग दें। जब हमारी सरकार बराबर समान रूप से समानता दिये हुए हैं तो हम दोनों को बराबर कार्य करना चाहिए। मैं विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहती हूं कि आप लोग बराबर कह रहे हैं कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई काम नहीं हो रहा है। आप सारे अधिकारियों की आलोचना करते हैं मैं आपसे कहना चाहती हूं कि देश व प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं, सबको आप एक तराजू में न तोलिये, यह ठीक है कि जो गलत कार्य करते हैं उन्हें दण्ड दिया जाय। मैं मानती हूं कि अधिकारी दोषी नहीं होता बल्कि व्यक्ति दोषी होता है सभी लोग एक से नहीं होते हैं।

मान्यवर, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के बारे में कुछ कहना चाहती हूं । वहां चारवां नाला पाली ब्लाक में है जिसके कारण वहां पर बराबर समस्या बनी ही रहती है इसलिये वहां पर एक बड़ा रेगुलेटर लगाया जाय। डुमरी, वाउन्डा, बरौली तथा राजाबारी में स्टेट ग्रामीण बैंक खोले जायं जिससे कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत गरीबों को राहत मिल सके। मेरे क्षेत्र सहजनवां में 21,000 की आबादी है अतः उसे टाउन एरिया घोषित किया जाय ताकि वहां की जनता को सुविधा उपलब्ध हो सके। मुझे एक बात का खेद है कि सन् 1980 से लेकर आज तक मेरे ब्लाक में एक भी ट्यूबवेल नहीं लगाया गया। मैं मांग करती हूं कि मेरे यहां 25 ट्यूबवेल लगाये जांय। मेरे क्षेत्र सहजनवां में दो ही सड़कें हैं जिस पर बसें चलती हैं, वहां 20 किलोमीटर सड़क को पक्की बनाया जाय नहीं तो बस का चलना बन्द हो जायेगा जिसे कि लाखों जनता प्रभावित होगी और स्त्रियां जो कि डिलेवरी केस के लिये गोरखपुर अस्पताल में जाती हैं, वह नहीं पहुंच सकेंगी। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र, सहजनवां को तहसील घोषित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वहां पर किराये का मकान ले कर तहसील का कार्यालय खोल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती किशोरी शुक्ला]

दिया जाय। हमारे क्षेत्र में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत ऋण के वितरण में तमाम दिक्कतें हैं इसलिये वहां पर डुमरी, बाँडा, बरौली, राजाबारी में स्टेट ग्रामीण बैंक की स्थापना अवश्य की जायं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे श्री जयदीप सिंह बरार जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं बरारजी के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और विपक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन की घोर निन्दा करती हूं।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, जो आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये मौका दिया है इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जून 80 से यह सरकार है। पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी फिर श्रीपति मिश्र की सरकार बनी, लेकिन यहां पर जो भी काम उ0 प्र0 में विकास के नाम पर हुए हैं या सुनाई पड़ रहे हैं, कोई काम नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश का घाटे का बजट हमारे सामने आया, उसको देखने के बाद पूरक बजट रखा गया, उसके बाद टैक्स भी लगाये जायेंगे। कभी-कभी ऐसा लगता है कि जहां देखों असन्तोष व्याप्त है। व्यापारियों की हड़-ताल, विद्यार्थियों की हड़ताल विधान सभा के सामने होती रहती हैं, लोग अनशन करते रहते हैं, बेरोजगारों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।

पंचानन राय के नेतृत्व में शिक्षा के राष्ट्रीयकरण करने के लिये आन्दोलन चला जिसमें 22 हजार शिक्षक जेलों में भरे गये लेकिन फिर भी अम्मार रिजवी साहेब शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करने के मत में नहीं हैं। एक तरफ हमारे यहां स्कूलों में टाटपट्टी नहीं हैं, दूसरी तरफ कानवेन्ट से शिक्षा प्राप्त करके लोग आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 बन रहे हैं। 397 परिवार ही ऐसे हैं हमारे देश में जिनके बच्चे उच्च सेवाओं में आने की सुविधा प्राप्त कर पा रहे हैं और हमारे अम्मार रिजवी जो कि अब शिक्षा मंत्री भी हैं स्कूलों को सुविधायें ही नहीं बढ़ा रहे हैं, पैसा नहीं खर्चना चाहते हैं। मेरी मांग है कि हाईस्कूल तक बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए आप भारत के संविधान का बहुत हवाला देते हैं लेकिन निःशुल्क गारंटेड शिक्षा नहीं दे पाते हैं।

मान्यवर, अबिरा का अग्निकाण्ड उस समय हुआ जिस समय मेरी गिरफ्तारी कोलना में हो रही थी। मेरी गिरफ्तारी के समय वहां पर फायर बिग्रेड की गाड़िया लगी हुई थी लेकिन आबेरा का अग्निकाण्ड जहां हो रहा था वहां फायर बिग्रेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही थीं। डी0एम0, एस0पी0 जरगो डाकबंगला में ऐश फरमा रहे थे, जिसके कारण कम से कम 15 दिन तक अन्धकूप बना रहा ।

इसी तरह से यदि आप तमाम इंजीनियर्स को देखें तो सार्वजनिक निर्माण विभाग में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ज्यादातर घाटा ही घाटा है। आपका परिवहन निगम घाटे में चल रहा है । यहां पर 57 निगम हैं जिसमें से 54 निगम घाटे में चल रहे हैं । सरकार का ज्यादा पैसा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में, आई0आर0डी0 प्लान में खर्च होता है परन्तु हासिल कुछ नहीं होता है । हर सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है

परन्तु सरकार कोई काम नहीं कर रही है। बहुगुणा जी की सरकार रही, श्रीमती सुचेता कृपालानी की सरकार रही, चौधरी चरण सिंह की सरकार रही लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे गरीब सरकार श्रीपति मिश्र की सरकार है, इससे वर्स्ट चीफ मिनिस्टर कभी नहीं हुआ । जन साधारण में शान्ति व्यवस्था नहीं है । 20 सूत्रीय कार्यक्रम का ढिढोरा पीटा जाता है लेकिन मैं कहता हूं कि केवल दो सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए तो जो ये पोलीटिकल, सोशल, इकोनामिकल तथा राजकीय अपराध हैं, वह ठीक हो जायेंगे । बीस सूत्रीय कार्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं और जयदीप सिंह बरार द्वारा रखे गये प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

डा0 बृज किशोर मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने हमारे सम्मानित सदस्य श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूं:–

"जिन्दगी अपने आईने में तुझे, अपना चेहरा नजर नहीं आता है।
जुल्म करने का हक है तुझे, मगर जुल्म सहना नहीं आता है ।।"

मान्यवर, मेरे मित्र अभी अपनी बातों को बार-बार दोहराने की कोशिश कर रहे थे। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में जो सारी चीजें हैं, उसको हम प्रस्तुत न करके, क्योंकि समय बहुत कम है, इतना ही कहना चाहता हूं कि पुराने इतिहास में न जाकर नई पृष्ठभूमि में जो कार्य हो रहे हैं, उनको वे देखें। उन्होंने कभी भी इस बात पर विचार नहीं किया । अभी माननीय भीखा लाल जी बोल रहे थे और मुझे फक्र है कि हिन्दुस्तान का सही चित्र उन्होंने यहां प्रस्तुत किया । तो उनकी उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस समय हमारे साथी मैदान में थे और 1977 का जमाना था, जब महान नेता जय प्रकाश ने एक ऐसा क्रान्तिकारी नारा दिया दिशाविहीन नारा दिया, देश के नवजवानों को दिशाविहीन नारा दिया और उस नारे के फलस्वरूप एक क्रान्ति फैली । उन्होंने नारा दिया कि पुलिस प्रशासन और आर्मी के नवजवानों तुम बाहर आओ, जिसके कारण देश में एक अशान्ति का वातावरण बन गया। मैं उनके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि यह इतिहास के गन्दे पन्नों में लिखा जायेगा, उन्होंने इतिहास गन्दा करके छोड़ दिया है। हमारी सरकार ने उस में एक नया अध्याय जोड़ा है, एक नयी जागृति पैदा की है । इस देश और प्रदेश को एक नयी दिशा दिया है । एक नयी व्यवस्था दी है ।

(श्री मुख्तार अनीस के खड़े होने पर)

आप पुराने सदस्य हैं, इसलिये और अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। आप मंत्री भी रह चुके हैं और गृह विभाग आपके पास था। आप स्वयं जानते हैं उस समय हमारे देश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उस समय जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, वह इतिहास के गन्दे पन्नों में लिखी जायेगी।

मान्यवर, अभी हमारे विश्वनाथ सिंह जी बोल रहे थे, जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, लोकदल के सदस्य हैं, उनकी बात को मैं बड़े गौर से सुन रहा था। मुझे बड़ा

[डा0 बृज किशोर मिश्र]

फक्र है कि वह निश्चित रूप से बड़े गंभीर, पढ़े लिखे और सिम्पल सदस्य विचार-धारा के सदस्य हैं। विश्वनाथ सिंह जी बोल रहे थे, मैं उनकी बात को सुन रहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे इस पक्ष में बैठने वाले चाहे उस पक्ष में बैठने वाले अवांछनीय सदस्य हों, मैं उनकी वकालत नहीं करता हूं। इस प्रकार के तमाम सदस्य हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लोकदल के हमारे जिले के एक सम्मानित सदस्य की गाड़ी पर कई अवांछनीय सदस्य बन्दूकें लेकर चल रहे थे, और घूम रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बात गलत हो तो नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से जो सजा दे देंगे, उसको मैं मानने के लिये तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का एक जज बैठा दिया जाय और इन्क्वायरी करा ली जाय।

डा0 बृज किशोर मिश्र–

मान्यवर, हरि शंकर तिवारी का नाम बार-बार लिया गया है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी उनकी मुलाकात नहीं है। यह सही है कि हरि शंकर तिवारी फाजिल नगर गये थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनका नाम गलत घसीटा जा रहा है। बच्चा पाठक मंत्री की हैसियत से गये थे, गांव-गांव वोट मांग रहे थे, लेकिन [* * *] जो वोट किया है, गलत वोट किया है, उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। यह हमारी सरकार की उपलब्धि को क्या देखते हैं।

अभी हमारे साथी और हमारे विरोधी दल के नेता लड़कों की तरह से हम लोगों से पूछ रहे थे कि कौन सा ऐसा सदस्य है जो यह बता दे कि 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है और वह कैसा होता है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्य-क्रम इंदिरा कांग्रेस का कार्यक्रम है जिसको हमने एक पाठ की तरह से पढ़ा है और जिस पर हमारे श्रीपति मिश्र जी की सरकार ने चार चांद लगाया है और जिससे वह 20 सूत्री कार्यक्रम उभर उठा है और निर्बल वर्ग उभर उठा है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं माननीय बरार साहब ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

(श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र का नाम पुकारे जाने पर तथा विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

दल का ध्यान रखा जाना चाहिए। आपके दल के कई सदस्य बोल चुके हैं।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे यह व्यवस्था का प्रश्न बड़े दुखः के साथ उठाना पड़ रहा है कि आज इस अभिभाषण पर चर्चा का अंतिम दिन है और मैं स्वयं जनता पार्टी का नेता होने के बावजूद भी उसमें भाग नहीं ले रहा हूं। मैंने आपके पास अकबर हुसैन का नाम भेजा है। अन्तिम समय आ रहा है। इस पर अभी मुख्य मंत्री जी बोलेंगे, बरार साहब बोलेंगे, नेता विरोधी दल बोलेंगे। मुझे इस बात का दुखः है कि मेरे दल के लोग बोलने के लिये खड़े होने के बाद भी आपकी कृपा दृष्टि उन पर नहीं हो रही है, इसलिये मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

नोटः–यह अंश भी अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो बात कही है। मैंने दुर्गा प्रसाद मिश्र को बुला लिया है । उसके बाद आपने जो नाम दिये होंगे और जो भी खड़े होंगे, आपकी पार्टी को पूरा समय मिलेगा ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, आपने महामहिम राज्यपाल के तथाकथित अभिभाषण पर समुचित रूप से चल रही चर्चा में बोलने के लिये मुझे अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका अनुग्रहीत हूं और कृतज्ञ हूं । मान्यवर, मैंने मोटी तौर पर महाभारत को पढ़ा है। उसमें मैंने यह देखा कि जब कौरवों का राज्य होगा तो धृतराष्ट्र की आंखें अन्धी हो जायेंगी। लेकिन यहां पर तो उससे भी आगे हो गया कि इनके कान बहरे भी होने लगे हैं । इसका नग्न सत्य उस दिन यहां पर दिखाई दिया जब महामहिम राज्यपाल महोदय, अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे और उसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय रिजवी साहब सुन रहे थे तथा मान्यवर, आपकी कुर्सी पर बैठने के नाते माननीय अध्यक्ष महोदय उसे देख रहे थे । क्या यह अभिभाषण वास्तविक था । आने वाले वर्षों में देश और प्रदेश की जनता आपके द्वारा दी जाने वाली यह व्यवस्थायें मोटे तौर पर एक मिसाल होगी जिन पर हम यहां सदन में बैठकर चर्चा करते हैं । सत्ता में बैठने वाले लोग प्रदेश की जनता के लिए कितनी कृतज्ञ है और किस तरह की व्यवस्था वह उन्हें देना चाहते हैं यह उसका एक जीता-जागता उदाहरण है ।

मान्यवर, मोटे तौर पर महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में एक चीज की चर्चा नहीं की है जो उत्तर प्रदेश की जनता में ही नहीं अपितु देश के जन-जन में एक चर्चा की चीज बन गई है । इस माननीय सदन के भूतपूर्व नेता माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के विषय में कहा जाता था कि माडा के राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह डकैतों के पीछे पड़ गये हैं । मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय श्रीपति मिश्र जी और उनकी सरकार के विषय में लोग कह रहे हैं कि वह स्वयं अपनी सरकार के साथ डकैतों से आगे निकल गये हैं । आज सुरक्षा और संरक्षण तथा सुव्यवस्था की दृष्टि से वर्तमान व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था और सुरक्षा डकैतों से आम आदमी कर रहा है। यह आपकी व्यवस्था की मोटी मिसाल है। लोकतंत्र की द्रौपदी का चीर हरण उस समय देखने को मिला जब कि फाजिलनगर (देवरिया) का चुनाव हो रहा था और आपके दल के लोग दो नाली बंदूक लिये हुए घूम रहे थे और गुंडों को संरक्षण दे रहे थे।

मान्यवर, इनसान की हत्या हो जाय कोई माने नहीं रखती लेकिन जब इमान और इंसानियत की हत्या हो रही थी तो यह लोग हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रहे थे। मैं मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक देवरिया ने फाजिल नगर के जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट की है उस पर गुप्तचर विभाग से जांच कराने का क्या औचित्य है? सिवाय इसके कि उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही में विलम्ब हो और बाद में उनको छोड़ दिया जाय। आज इनके द्वारा सामान्य जन जीवन को कोई सुरक्षा नहीं है । सांप्रदायिक एकता के नाम पर मीटिंग्स चल रही हैं । पिछले दशहरे और मुहर्रम के अवसर पर जो सुरक्षा और एकता का परिचय आपने दिया मैं कहूंगा कि उस एकता और सुरक्षा के प्रकरण का प्रदर्शन समाज के चौराहे पर कभी न हो । हमारे पूर्व वक्ता ने जिस प्रकरण का संकेत मऊ, बहराईच और टांडा की घटना का दिया यही सत्ता पक्ष के द्वारा सांप्रदायिक एकता की व्यवस्था है जिसमें हरिजन और मुसलमानों को सुरक्षा देने की बात है।

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र]

मान्यवर, मैंने एक बात यहां पर कही थी आप सदन में रहे होंगे कि भ्रष्टाचार का निवारण यहां पर कैसे किया जा रहा है। हमारे जनपद में बांध प्रखण्ड में एक सहायक अभियन्ता गिरधर धर दूबे हैं पिछले डेढ़ वर्षों से उनको सफल संरक्षण माननीय सिंचाई मंत्री दे रहे हैं जिसमें विजिलेंस की जांच हुई है लेकिन 6 वर्षों से वह सहायक अभियन्ता वहां पर कार्यरत है। उनके स्थानान्तरण के आदेश बार-बार निरस्त किये जाते हैं। मैंने डाकूमेंट्री प्रूफ देकर कहा था कि यह सहायक अभियन्ता कहता है कि मैंने माननीय सिंचाई मंत्री को पैसा दिया है और जब तक देता रहूंगा यहां पर ही रहूंगा। उसका प्रतिपादन उन्होंने नहीं किया अगर किया होता तो उस सहायक अभियन्ता के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करनी चाहिए थी, उसे निलम्बित करना चाहिए था।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय दुर्गा प्रसाद जी जिस बात का प्रमाण न दे सकें ऐसी बातों को न कहें सुनी हुई या अखबार की बात को न कहें, अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो पहले देना चाहिए था।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। मैंने इस संबंध में प्रश्न भी किया है प्रश्न संख्या 142 इसी सत्र के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित था। मैंने अपने पत्र के बिन्दु 6 पर लिखा है कि गिरधर धर दूबे ऐसा कहते हैं।

मान्यवर, इस अभिभाषण में गांव को तरक्की देने और गांव के लोगों के जीवन को उठाने की बात नहीं की है उसका इसमें कोई प्रारूप नहीं है। शहरों की एक निश्चित सीमा है इतनी दूर तक और इतने समय तक शहर में रहने वाले लोगों की आवासीय समस्या की व्यवस्था हो सकती है . . . .

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया। समय बहुत कम है बहुत सारे लोगों को बोलना है। अभी रियासत भाई ने एक एतराज उठाया है . . .

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

इतने में तो मैं बोल लिया होता। मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय खत्म हो गया है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, जब चांद रोता है तो फूल उसके आंसुओं से श्रृंगार करते हैं, जब सागर आह भरता है तो धरती की चाह पूरी होती है।

यहां सत्ता पक्ष के लोग बैठ कर हंसते हैं सामान्यजन रोते हैं और जब सामान्यजन कराहते हैं तो यह हंसते हैं। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते हुए इसकी निन्दा करता हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी बात माननीय नेता विरोधी दल के भाषण से शुरू करता हूं

जिनका मैं बहुत आदर करता हूं। मैं उनके जिले से आता हूं आपने अपने भाषण में कहा कि इन्दिरा गांधी का तो बस तीन सूत्रीय कार्यक्रम है—चुनाव, सत्ता और उसके बाद में देश। तो मान्यवर, वह भूल गये जिनके नेतृत्व में वह कार्य कर रहे हैं, चौधरी साहब के, तो वह इस मामले में सबसे आगे हैं और इक्सपर्ट हैं। सबसे पहले 1967 में जब सी0 बी0 गुप्त की सरकार 18 दिन की थी तो सबसे पहले चौधरी साहेब ने उसको तोड़ा था। वर्ष 1977 में बनी सरकार, जिसमें लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने शपथ दिलायी थी 7 सूत्रीय कार्यक्रम की, तो जनता सरकार को सबसे पहले चौधरी साहेब ने तोड़ा था और उन्होंने चुनाव कराये। तो यह वह तथ्य है जो मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि देश की राजनीति कह रही है। जिस बात को नेता विरोधी दल, श्री राजेन्द्र सिंह, श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिये कह रहे हैं—चुनाव, सत्ता और देश, तो इस मामले में चौधरी साहब देश के सभी नेताओं से आगे हैं।

अब मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ बातें श्री भीखा लाल ने कहीं, तो यह एसा कोढ़ पैदा हो गया है जो समाज में बस गया है। चाहे जो सरकार थोड़े-थोड़े समय के लिए रही हों वह भी इसमें कोई सुधार का काम नहीं कर सकीं थीं, इसका मतलब यह नहीं कि सुधार नहीं करना है, सुधार तो करना है लेकिन भ्रष्टाचार आज समाज में घुस गया है और समाज का एक रोग बन गया है और इसमें सुधार तभी हो सकता है जबकि समाज का हर व्यक्ति इसका डटकर मुकाबला करे।

मान्यवर, जहां तक भीखा लाल जी ने कहा कि आई0 आर0 डी0 स्कीम हो या एन0 आर0 इ0 पी0 स्कीम हो या विकेन्द्रीकरण की बात हो जिले के अधिकारी इन सभी योजनाओं को फेल कर रहे हैं और उनमें भ्रष्टाचार है। तो इसमें देखने और विचार करने की बात है कि चाहे जो योजनायें हों जिनमें धन लगा है उनको हम जनप्रतिनिधि होने के नाते जब देखेंगे और लगेंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार कम होगा।

मान्यवर, उधर से मा0 धर्मवीर ने कहा कि विकेन्द्रीकरण योजना में कुछ और बजट पहुंचना चाहिये किन्तु श्री भीखा लाल ने कहा कि विकेन्द्रीकरण योजना गलत है और अधिकारी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मैंने एसा नहीं कहा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

यदि आपने एसा नहीं कहा है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

मान्यवर, यह विकेन्द्रीकरण की योजना अच्छी योजना है क्योंकि हम जिले में बैठकर तय करते हैं कि कहां अस्पताल होगा, कहां सड़क होगी और कहां स्कूल होगा, इसलिये मैं तो इसका समर्थन करता हूं लेकिन जो किसानों के नेता बनते हैं वह कहेंगे कि इतना नहीं दे पाये हैं।

[श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान]

हमारी सरकार ने गन्ने के अच्छे भाव किसानों को दिये जिसको सभी स्वीकार करेंगे। मान्यवर, अब मजबूरी है कि ओबरा में आग लग जाने से बिजली का संकट है लेकिन जब किसानों को विद्युत की आवश्यकता हुई तो उनको 14 से 16 घंटे तक बिजली उ0 प्र0 की सरकार ने दिया। इसी प्रकार श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में भी बिजली दी गयी थी। गन्ने के अच्छे भाव दिये गये थे और जो गन्ने का किसानों का बकाया था उसको अदा किया गया। मान्यवर, इस समय 5 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये बेरोजगारों को लोन देने की योजना चलायी जा रही है। इसी प्रकार रबी की फसल में मुफ्त बीज और खाद दिया गया है और एक ब्लाक में 40 से 50 लाख रुपये का क्राप लोन वर्तमान सरकार ने दिया। इस प्रकार हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का सर्वांगीण, बहुमुखी और चौमुखी विकास हो और 20 सूत्री कार्यक्रम देश और प्रदेश में इस विकास की आधारशिला है। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री अकबर हुसैन–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। यह जो पुस्तिका महामहिम राज्यपाल के भाषण के नाम से मंत्रिपरिषद् द्वारा तैयार करके माननीय सदस्यों को वितरित की गई है, इसके ऊपर किसी न किसी रूप में 3-4 दिन से लगातार सदन में चर्चा चल रही है। मैं इस भाषण अथवा पुस्तिका के सम्बन्ध में आपको एक नई जानकारी मान्यवर, देना चाहता हूं। इसमें जो बातें सरकार के कार्यकलापों के बारे में मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, उसके बारे में मुझे निश्चित जानकारी है, जिसे सत्ता पक्ष के तमाम सदस्यों ने मुझे बताया है कि जो उन्होंने अपनी आसानी के लिए भाषण की प्रति नहीं पढ़ी या पढ़ने की इजाजत नहीं दी, तो महामहिम राज्यपाल ने किसी मजबूरी में या बीमारी के कारण ऐसा नहीं किया है, बल्कि वह वास्तव में इस पुस्तिका से असन्तुष्ट हैं। जो इसमें दर्शाया गया है वह इससे सन्तुष्ट नहीं हैं, सहमत नहीं हैं। राज्यपाल महोदय का कहना है कि इसमें जो भी बातें दर्शायी गयी हैं वह सत्य से परे हैं, एकदम झूठी हैं और इसमें उनसे कोई राय नहीं ली गई है। इसीलिए उन्होंने अपनी जुबान से इसे पढ़ने की जरूरत नहीं समझी।

इसलिए मैं इसके बारे में कुछ न कहकर अपने क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ मसलों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कई बार मैंने अपने क्षेत्र की नगरपालिका बिलारी और कुन्दरकी, जिसमें 16 हजार की जनसंख्या है के बारे में लिखा कि इसमें केवल लाइट कनेक्शन ही दे दिया जाए। लेकिन मंत्री जी द्वारा हमें जवाब यह दिया गया कि विद्युत की कमी है 8 घंटे से अधिक बिजली इस कस्बे को नहीं दी जा सकती है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जब उस कस्बे के एक व्यक्ति ने अपनी प्राईवेट लाईन बनवा ली तो उसको 24 घंटे बिजली दी जा रही है। तो जब आपके पास बिजली की कमी है, ऐसी हालत में उस धनी व्यक्ति को आप कहां से दे देते हैं, वह अब आपके पास कहां से आ गयी। मान्यवर,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बड़ा ढिंढोरा सत्ता पक्ष के लोगों ने पीटा है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं तहसील हसनगंज, थाना हसनगंज में चार हरिजन लड़कों को मार डाला गया, जिनके अभी मूछें भी नहीं निकली थीं। बेचारे 16-18 साल के ऊपर नहीं थे। आपके ही सत्ता पक्ष के एक माननीय विधायक श्री जितेन्द्रपाल जी इस ज्यादती के विरोध में अनशन पर बैठे लेकिन केवल जांच चल रही है। थानाध्यक्ष के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। नियम 301 में पिछले बार मैंने अपने क्षेत्र का एक मसला उठाया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलारी पर एक महिला दवा लेने गयी थी, तो डाक्टर ने उसे धक्के दे देकर बाहर निकाल दिया यह कहकर कि तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है। इस घटना की रिपोर्ट उसके पति ने लिखाई किन्तु उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। जब मैंने कहा कि डाक्टर महोदय ने ऐसा नहीं किया, यह कम्पाउन्डर ने किया था। डाक्टर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। बिलारी नगरपालिका, जिसकी आबादी लगभग 30 हजार है और सहसपुर में जिसकी आबादी केवल 4 हजार है वहां पर जिला परिषद और पी0 एच0 सी0 के दो-दो चिकित्सालय हैं किन्तु बिलारी में एक भी किसी तरह का चिकित्सालय नहीं है। उसका कारण यह है कि वहां पर आबादी अंसारी मुसलमान लोगों की है। जिसमें मुस्लिम अंसारी अधिक रहते थे, वहां कोई अस्पताल नहीं है। अन्त में मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्रीमती पुष्पा चौहान—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अत्यधिक आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव का विरोध करती हूं, उसका खंडन करती हूं।

जहां तक प्रदेश में चल रही भिन्न-भिन्न योजनाओं का सम्बन्ध है उसके बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया है, अन्य माननीय सदस्यों ने भी उसका जिक्र किया है जहां तक मैं अपने क्षेत्र के बारे में निश्चित रूप से यह कह सकती हूं कि हमारे यहां के लिए हर विभाग की बहुत सी उपयोगी योजनायें स्वीकृत हुई हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है उन्हें शीघ्र पूरा कराया जाये। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सिकन्दराराऊ में 30 बेड्स का अस्पताल खोला है नगला बीर सहाय में भी स्वीकृत है उसके लिये मैं और हमारे क्षेत्र की जनता उनको धन्यवाद देती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी हमारे यहां काफी सड़कें स्वीकृत की हैं। अन्य विभागों ने भी काफी काम किये हैं। फिर भी मेरी मांग है कि हमारे यहां नगला जलाल से बाजीदपुर की एक सड़क बहुत उपयोगी है उसे शीघ्र बनवाया जाये। एक दूसरी सड़क नगरिया पट्टी से देवरी तक की भी बनना बहुत जरूरी है। मथुरापुर भरतपुर होते हुए हुसायन तक की एक सड़क भी बहुत जरूरी है। इनको सरकार अतिशीघ्र बनवाने का प्रयास करें।

[श्रीमती पुष्पा चौहान]

सभी जानते हैं कि हमारा क्षेत्र विरोधी दल का क्षेत्र रहा है और यहां की जनता यहां की गन्दी राजनीति की गन्दगी में पिसती रही है। मुझे तो सभी कुछ मिल गया (व्यवधान) एक ऐसा खजाना मिल गया, पेट्रो-केमिकल का कारखाना मिला है जिससे हजारों भूखों को रोटी मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और उसके लिये हमारे क्षेत्र की जनता जनम जनम तक सरकार का गुणगान करती रहेगी।

माननीय सिंचाई मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में सिंचाई के भी काफी कार्य किये हैं, सिंचाई की व्यवस्था करायी है। पर हमारे यहां की जनता एक मांग जो बहुत ही आवश्यक है उसे माननीय ग्राम्य विकास मंत्री पूरा करने की कृपा करें और वह यह है खिजपुर व आसपास के गांव के लिए पीने के लिए पानी की टंकी बनने की। इससे पीने के पानी की समस्या हल होगी।

जहां तक ला एण्ड आर्डर की स्थिति की बात है, मेरे क्षेत्र में वह काफी गंभीर है। यह सही है कि हमारे सिकन्दराराऊ में सरकार ने बहुत से अपराधी तत्वों को समाप्त किया और अब वहां काफी शान्ति है (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप कृपया बैठें।

श्रीमती पुष्पा चौहान–

मान्यवर, हम जनमत के आधार पर जिस लोकतंत्र को जिन्दा रखना चाहते हैं, तो वह कौन है जो बन्दूक की नोंक पर उसी लोकतन्त्र का गला घोंटना चाहते हैं। सन् 1977 में जो तत्व सिर उठा रहे थे तो इस वक्त वह कौन हैं जो उनको शरण दे रहे हैं। ला-एंड-आर्डर का प्रश्न केवल हमारी सरकार का है आपका नहीं हैं? यह आपसे भी सम्बन्धित है क्योंकि इसमें गरीब जनता पिसती है। सन् 1977 में जो बड़े-बड़े गुंडे थे वह खत्म हो गये हैं। अभी भूरा गैंग हसायन ब्लाक में समाप्त हुआ है। लेकिन सन् 77 में जो तत्व सिर उठा रहे थे तो इस वक्त वह कौन हैं जो उनको पनाह दे रहे हैं, वह कौन हैं, हम हैं या ये हैं, इसका निर्णय मैं उन्हीं पर छोड़ना चाहती हूं। वह मुझे सदन में या बाद में जवाब दे सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप अब समाप्त करिये।

श्रीमती पुष्पा चौहान–

हमारी नेता माननीया इंदिरा गांधी हैं, हमारे पास तो विश्व स्तर की नेता हैं लेकिन इनके पास तो उत्तर प्रदेश स्तर का कोई नेता नहीं है। यदि हैं तो बता दें, किसी एक का नाम लेते ही यह दल ततैये के छत्ते की तरह बिखर जायगा।

श्री श्याम नारायन तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय,

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, इनका तो उनके साथ एलायंस है।

श्री अधिष्ठाता–

इनको बोलने दीजिए।

[समय 3 बजकर 25 मिनट]

श्री श्याम नारायन तिवारी–

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। अभिभाषण पर चर्चा के समय परिवार पूजा की चर्चा हुई है, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहता हूं। स्वर्गीय पंडित मोती लाल नेहरू आजादी के महान योद्धा थे। उनके सुपुत्र पंडित जवाहर लाल नेहरू जब तक जिन्दा थे इस देश के प्रधान मंत्री थे और उनको समय-समय पर गुप्त मतदान द्वारा उनको इस देश को जनता ने मोहर लगाकर प्रधान मंत्री बनाया था। इसलिये नहीं कि पूरा जीवन उन्होंने जेलों में गुजारा था बल्कि उन्होंने औपनिवेशिक पिछड़ेपन को दूर करने में, देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए कृषि सुधारों को लागू किया था, मूल उद्योगों को स्थापित करके देश को गौरवान्वित किया था और शान्ति के लिये लड़े थे ऐसा रास्ता उन्होंने स्थापित किया था जिसके लिये आज भी हमारे समाज में संघर्ष हो रहा है. इसलिये इस देश के वह नेता थे। यह परिवार पूजा नहीं थी। इस देश की जनता के ऊपर परिवार पूजा का आक्षेप लगाया जाना उनका अपमान करना है। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जो सन् 1977 की पराजय के बाद सन् 1980 में दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुई थीं इस देश की जनता ने उनको गुप्त मतदान द्वारा भेजा था इसलिये कि पंडित नेहरू के रास्ते पर चलने का उन्होंने साहस किया। उन्होंने बड़े साहस के साथ इस देश को प्रगति के रास्ते पर, नेहरू मार्ग पर तमाम कठिनाइयों के बावजूद, ले जाने के लिए संघर्ष किया और वह संघर्ष आज भी जारी है। मान्यवर, अगर माननीय राजीव गांधी, जो इस देश के सम्मानित संसद सदस्य हैं और जो गुप्त मतदान द्वारा आये हैं, उन्हीं रास्तों के लिए संघर्ष करने को कटिबद्ध हैं। तो इस देश की जनता परिवार पूजा की शिकार नहीं है बल्कि उस परिवार की सेवा के प्रति आभार प्रकट करेगी।

(मेजों की थपथपाहट)

मैं स्पष्ट कर दूं कि परिवार सेवा के शिकार वे लोग हैं जिनकी पत्नियों के बिना बैठे लगता है कि संसद चलेगी ही नहीं। ऐसे लोग परिवार सेवा के शिकार हैं। ऐसे लोग देश की प्रगति में बाधक हैं, जो हर चीज को छोड़कर अपने परिवार को बढ़ावा देना चाहते हैं। यही परिवार सेवा है।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

श्री श्याम नरायन तिवारी–

मान्यवर, यह बात संदर्भित थी, इसलिए मैंने इस बात को कहा है। अन्त में महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने सरकार की प्रमुख नीतियों और उनके द्वारा किये गये कार्यों की संक्षेप में रूप-रेखा प्रस्तुत किया है, मैं इसमें कुछ आलोचना प्रस्तुत करना चाहता हूं, मेरा सुझाव भी है।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, इनको कत्ल में छुड़वाया था इंदिरा गांधी जी ने. इसीलिए ये बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप उन्हें बोलने दीजिए, व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

मान्यवर मैं तो धन्यवाद देता हूं कि एक आदमी तो उधर से सही बोलने के लिए खड़ा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, बक रहा हूं जनूं में क्या-क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई।

श्री श्याम नरायन तिवारी–

मान्यवर आल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी का मात्र मैं सदस्य हूं।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, इन्होंने कत्ल किया और यहां आ गये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठें। बैठ जाइये आप।

श्री श्याम नरायन तिवारी–

मुझे कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में एक निवेदन करना है जनपद देहरादून में साहित्य सदन नाम की दूकान थी, जो श्री चिन्तामणि विद्यालंकार, पालीरत्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र की थी और 48 से चल रही थी. 10 जुलाई, 83 को जबरदस्ती कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। 11 जुलाई को माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर गये थे, इन्होंने जांच के आदेश पारित किये, जांच हुई, 8, 9, 10 अगस्त को उस मंडल के आयुक्त ने जांच की लेकिन अब तक उसके बारे में क्या किया, कुछ पता नहीं। यह एक उदाहरण है कानून-व्यवस्था के लचरपन का। मान्यवर, जनविश्वास के ठोस आधार 20 सूत्र की बात है उसका पहला सूत्र है खेतों को पानी देने का। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में नहर और नलकूप नहीं के बराबर हैं, सिंचाई के साधन के नाम पर। मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर समन्वित विकास के लिए नये नलकूप लगवाये जायं। इसी के साथ-साथ मैं देवरिया की चर्चा करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें।

श्री श्याम नरायन तिवारी–

मान्यवर, मुझे निवेदन यह करना है कि यह फैशन हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी जरायम हो, गोरखपुर से श्री हरिशंकर तिवारी का नाम

लिया जाता है, कांग्रेस (आई0) को बदनाम करने के लिए और दबाव का वातावरण लोकदल में लाने के लिए तैयार किया जाता है। इस सम्बन्ध में एक उदाहरण इस सदन के सदस्य और लोक दल के नेता माननीय मोहन सिंह के बारे में देना चाहता हूं। उनको देवरिया के कवि अटल जी की हत्या के अपराध में षड्यंत्र केस में फंसाया गया है, शायद यह फैशन ही हो। अब मेरा समय खत्म हो गया, मैं आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, ये खुद ही कत्ली हैं।

(श्री अजीत सिंह सेठी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मुख्तार अनीस–

जनता पार्टी को मौका नहीं मिला।

श्री अधिष्ठाता–

सबको मौका मिलेगा।

श्री अजीत सिंह सेठी–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री मुहम्मद आजम खां–

हमें सबसे ज्यादा हक है इस अभिभाषण पर बोलने का।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें।

*श्री अजीत सिंह सेठी–

मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस धरती पर हमेशा से लोग सूरज को पूजते आये हैं और राजा को पूजते हैं। सूरज को इसलिये पूजते हैं कि उससे जीवन मिलता है गरमी मिलती है। राजा तो अब रहा नहीं लेकिन राजा की शक्ल में विधान सभा या लोक सभा बन गई। जनता इसकी पूजा करती है। जिस प्रकार से लोग सूरज की तरफ देखते हैं, पहली बरसात की एक बूंद पानी के लिए पपीहा की तरह तड़फते रहते हैं, मोती बनाने के लिये, उसी तरह से हमारे प्रदेश की जनता विधान सभा की तरफ देखती है।

13 फरवरी को जब यह सदन बैठा, उस दिन जो हादसा हुआ उससे इस प्रदेश की जनता मोती बनायेगी या कूड़ा बनायेगी। जिस प्रकार से संविधान के अधिकार के अनुसार हमको यहां बैठने का हक है जनता हमको चुनती है। उसी तरह से महामहिम राज्यपाल को विधान सभा को सम्बोधित करने का अधिकार है। अगर हमारे अधिकारों में कोई विघ्न पड़ता है तो हम कितने दुखी होते हैं लेकिन महामहिम राज्यपाल को जो अधिकार संविधान के अनुसार प्राप्त है उसकी हमको इज्जत करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। इसको हम लफ्जों में कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अजीत सिंह सेठी]

रहे हैं या अमल में यह देखने की बात है। मैं तो महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सहजता के साथ शान्ति के साथ सदन को सम्बोधित किया।

श्री किरन पाल सिंह--

वरना क्या करते?

श्री अजीत सिंह सेठी--

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो मुद्दे हैं, वह इस प्रदेश के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की पहली सीढ़ी है। इस प्रदेश की सबसे बड़ी पीड़ा आर्थिक है। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिक सद्भावना की बात कही है। जब तक यह नहीं होगा हमारे प्रदेश का उत्थान नहीं होगा। राष्ट्रीय एकता की जो बात कही गई है, जो आह्वान किया गया है उसकी पहली सीढ़ी को हम सब पकड़ें। मैं समझता हूं कि अगर हम इसको पकड़ सकते हैं तो वेदना ठीक हो सकती है। एक बात मैं अपने जनपद के बारे में कहना चाहता हूं। विकेन्द्रीयकरण नीति के तहत योजनायें जिले प्लान के रूप में जिलों में पहुंची। सत्तापक्ष उसमें काम करना चाहता है, विरोध पक्ष उसमें मदद करेगा तभी उत्थान संभव है। अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होगा तो एक आवाज उठेगी कि कुछ काम नहीं हो रहा है। मेरे जनपद में बाई पास की योजना पहुंची लेकिन कुछ योजनायें ऐसी भी जिला प्लान में शामिल कर दी गई जिस पर बहुत अधिक पैसे का खर्च है और जिला प्लान के तहत वह काम नहीं हो सकता है। मेरा सुझाव है कि बड़ी योजनाओं को प्रदेश लेवल पर लेकर उस पर विचार करना चाहिये। मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, जितने भी कांग्रेस सदस्यों ने भाषण दिया उन सबके बारे में एक शेर कह दूं यह मिर्जा गालिब का है--

बक रहा हूं जुनूं में क्या-क्या कुछ,
कुछ न समझे खुदा करे कोई।

मान्यवर, इसका भय सारे देश में बढ़ रहा है क्योंकि देश की यह दृष्टि है कि यहां शान्ति व्यवस्था नहीं होगी, चोरी डकैती होगी तो समूचा देश इससे प्रभावित होगा। मान्यवर, स्थिति आज क्या है सबसे पहले विधायक बैठें हैं तो मैं कहूंगा कि हमारी नैतिकता क्या है वह सोचें। हम लोग कानून बनाते हैं और अपने द्वारा बनाए गये कानून का कितना दुरुपयोग करते हैं जनता शासन की लाख बुराई की जाए लेकिन ढाई साल में उसने 17 लाख के कूपन इस्तेमाल किए हैं जबकि आपने तीन साल में 49 लाख कूपन इस्तेमाल किया है। कितना दुरुपयोग किया है विधायकों ने विधायकों से आगे बढ़िये तो मुख्य मंत्री पर बात आती है।

मान्यवर, बहुगुणा जी ने कानून बनाया कि प्रदेश के मुख्य मंत्री को राजधानी के अन्दर दो कमरों का मकान दिया जाना चाहिए। मुख्य मंत्री बहुगुणा जी दो कमरों के मकान में चले गये । मुख्य मंत्री बनारसीदास जी ने मकान नहीं लिया और आपके

मुख्यमंत्री की 20 लाख की कोठी है आप कहते हैं पहले वह कोठी साढ़े तीन सौ, तीन सौ के किराये की थी, वह 900 रुपये किराये में ले लिया है। मैं कहता हूं कि रेन्ट कन्ट्रोल किया जाए। और उसकी जांच की जाए। दूसरे मुख्यमंत्री आये हैं इन्होंने आते ही सुन्दर बंगला पाया कहते हैं, मेरी इतने दिनों की इच्छा पूरी हुई दूसरा आदेश दिया, यह कोठी श्रीपति मिश्र के नाम एर एलाट कर दी जाए। तो मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि पहले हम अपने को टटोलें।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जो हमारा उत्तरदायित्व वहन करते हैं उन्होंने कहा गजरिया फार्म से नैनीताल फार्म से गायें मंगाई गयी हैं यूनीवर्सिटी की रिसर्च से गायें मंगा लीं उनका दूध पिया जा रहा है। क्या कोई आदमी, जो 80-81 वर्ष का हो, कच्चा दूध पीकर 20 साल का लड़का बन सकता है। मान्यवर, आप देखिए मैं यू0 पी0 निवास के अन्दर जब गया तो वहां एक महिला जो वहां की परिचायिका हैं उन्होंने और दो चार लोगों ने मुझे घेर लिया उन्होंने कहा, हमें मां बहन की गालियां दी जाती है, तो मान्यवर, जब इतने ऊंचे पद पर आसीन होकर ऐसा होगा तो क्या आशायें की जा सकती हैं ?

यदि गुण्डागर्दी का आदर्श होता तो आज जितने गुण्डे हैं, लोग उनको अपने साथ लेकर चलते । लेकिन आज वह भी हो रहा है। मुख्य मंत्री जी सभाओं में उनको साथ लेकर घूमते हैं । आप शान्ति व्यवस्था की बात करते हैं । आज शान्ति व्यवस्था बिगड़ी है, जन-जीवन त्रस्त हो गया है । जब मुख्य मंत्री गुण्डों को साथ लेकर घूमेंगे तो पुलिस क्या करेगी । शान्ति व्यवस्था गड़बड़ हो जायगी । आप कहते है कि विरोधी दलों ने गड़बड़ की है। हम कहां गड़बड़ कर रहे हैं। हमारे दो साल के शासन में उत्तर प्रदेश में क्या कोई आन्दोलन हुआ, कोई शान्ति व्यवस्था गड़बड़ हुई। आपके 57 निगम हैं, उनमें तीन हजार करोड़ रुपया लगा है और तीन सौ करोड़ रुपये का हर साल घाटा है। उनकी कोई जांच होती है, कोई रिपोर्ट होती है? इसीलिए स्थिति बिगड़ी है, शान्ति व्यवस्था बिगड़ी है। भाई-भतीजावाद चल रहा है, जातिवाद चल रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि रिटायर होने वाले लोगों को तरक्की नहीं दी जायगी, उनको रखा नहीं जायगा, लेकिन चूंकि बिरादरी का आदमी है, इसलिए उसको रखा है। कोई विधायक मिलने जाता है तो काम नहीं करते हैं। उनको डंके की चोट पर डी0 जी0 बना रखा है। जब यह हाल है उत्तर प्रदेश का, तो जब उत्तर प्रदेश बर्बाद हो जायगा तो फिर सम्भलने वाला नहीं है। आप आचरण की कहते हैं। पहले मुख्य मंत्री ने एक मंत्री को जो अफीम की स्मगलिंग करते थे, उनको मंत्रिमंडल से निकाला, आपने ले लिया। एक 707 बीड़ी बनाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने म्युनिसिपेलिटी में थे तो तम्बाकू पर से चुंगी हटाई, उनको परिवार नियोजन दे दिया । उनके 11 बच्चे हैं इसलिए फिर राजस्व दे दिया। आज सारा मंत्रिमण्डल भ्रष्टाचार में डूबा है। सारे प्रदेश में गुण्डागर्दी हो रही है। बाजपेयी जी, इसी राज्यपाल के अभिभाषण पर पहली अप्रैल, 1967 में सरकार गिरी थी, इस सरकार को गिराने का शुभ कार्य आप कर दीजिये। बाजपेयी जी, आपके हाथों से यह काम हो जायगा और फिर मुख्य मंत्री की सीट आपकी पक्की है।

***श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–**

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मान्यवर, मैं जल्दी-जल्दी अपनी बात कहूंगा। पहली बात यह कहना चाहता हूं कि जबसे मैं यहां विधायक बन कर आया, यहां सबसे पहली बात यह कही थी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों में स्वीपर दवा बांट रहे हैं। उस समय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा था कि माननीय सदस्य ने जो कहा यह बात सही है। मेरे पूछने पर कि इसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि शीघ्र चिकित्सकों की व्यवस्था कर रहे हैं। हर अस्पताल में चिकित्सक रहेगा। चार वर्ष होने जा रहे हैं, अभी तक इस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। यह बात नहीं कि चिकित्सक नहीं हैं, यहां पर्वतीय क्षेत्रों के पढ़े लिखे चिकित्सक घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी पर नहीं रखते हैं।

दूसरी बात यह कि हमारे ग्रामीण अंचलों में माध्यमिक या हाई स्कूल जो हैं, उनमें अध्यापक नहीं हैं, विज्ञान वर्ग के अध्यापक नहीं हैं, न कोई सामान है और इसकी वजह से हमारा जो क्षेत्र है वहां की हालत बड़ी खराब हो रही है। वहां की पढ़ाई खराब हो रही है। तीसरी बात यह कि आज आम आदमी अपना जीवन सुरक्षित नहीं पा रहा है और न समझता है। आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में कभी लूट, डकैती या चोरी नहीं होती, लेकिन इन तीन-चार वर्ष के बीच मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में 19 लाशें हो गयी हैं।

मान्यवर, मैंने पिछलीबार भी इस सदन में नियम 301 के अन्तर्गत एक रिटायर्ड हवलदार श्री लाल सिंह की हत्या के बारे में उठाया था। रात के साढ़े छः बजे उनकी हत्या कर दी गई और उनका शव उनके घर से आधा किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। हत्या करने वालों ने उनकी बन्दूक छीन ली, रेडियो छीन लिया, टेप छीन लिया तथा कुछ नकदी भी ले गये, लेकिन हत्यारे आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं।

श्रीमन् 14 तारीख को हैड़ाखान बाबा मृत पाये गये। जिन लोगों ने उनको देखा, वे लोग कहते हैं कि उनके मृत शरीर को देखने से ऐसा लगता था कि उनको कोई जहरीली चीज पिलाई गई है। उनके कई भक्त हैं, जिसमें विदेशी लोग भी हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय भी उनके भक्त रहे हैं। जब उनको पता चला तो राज्यपाल महोदय वहां गये। वहां कमिश्नर, डाक्टर आदि लोग उपस्थित थे। जब उनके शरीर के पोस्ट-मार्टम की बात आई तो राज्यपाल महोदय ने कहा कि पोस्ट-मार्टम की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें दफना दिया गया। आज प्रदेश में किसी भी वर्ग की, चाहे वह लड़की हो, गरीब हो, जवान हो या बूढ़ा हो, सुरक्षा नहीं है। ऐसी व्यवस्था शायद इस प्रदेश के लोगों को कभी देखने को मिली हो। मैं चाहूंगा कि आप इस मामले को हल करें। आज हम देखते हैं कि यह सरकार बिलकुल अंधी हो गयी है बिलकुल बहरी हो गई है न ही किसी की बात को सुनती है और न देखती है। फाजिल नगर के चुनाव के बारे में यहां पर कहा गया। उस चुनाव में जिन हत्यारों ने लोगों की हत्या की, उनको आप संरक्षण दे रहे हैं। मैं उनके नाम बताना नहीं चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, पर्वतीय क्षेत्र में, जैसाकि कल भी कई माननीय सदस्यों ने कहा, वन संरक्षण अधिनियम की वजह से कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है, सभी निर्माण कार्यों में अवरोध पैदा हो गया है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वन संरक्षण अधिनियम को समाप्त किया जा रहा है।

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज पढ़े-लिखे लड़के रोजगार के चक्कर में मारे-मारे फिर रहे हैं। आज बेरोजगार लड़कों को इस प्रदेश में इस तरह से लूटा जा रहा है। जैसे नौकरी के लिए सरकार विज्ञापन देती है और उसमें 40 रुपया, 50 रुपया या इससे भी अधिक का पोस्टल आर्डर लगाना होता है, लड़के पोस्टल आर्डर लगाते हैं, किन्तु उन्हें इसके बावजूद भी नौकरी में नहीं लिया जाता है। कहीं पर तो यह कहा जाता है कि इम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज से आप नाम निकलवाइये। जब लड़के नाम निकलवाने जाते हैं, तो वहां पर उनसे रुपया लिया जाता है, जो रुपया नहीं दे सकता है, उसका नाम वहां से नहीं निकल सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था आपकी सरकार की हो रही है।

(इस समय 3 बज कर 52 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय नेता विरोधी दल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं तथा माननीय श्री ज्यदीप सिंह बरार जी ने जो प्रस्ताव, धन्यवाद का राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज अभिभाषण पर चर्चा का अन्तिम दिन है। मैं उठते-बैठते काफी थक चुका हूं। मेरे ख्याल से इस अभिभाषण पर चर्चा करने का सबसे ज्यादा हक मेरा है। मुझे अभी तक इस बहस में शरीक होने का अवसर नहीं मिला है, इसलिए आप मुझे इस अभिभाषण पर बोलने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री रियासत हुसैन भी यही कह रहे थे कि उन्हें इस पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिला है और यही आप भी कहते हैं, इसमें मैं क्या करूं।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आप तो मेरा मामला जानते ही हैं।

श्री गोरे लाल शाक्य--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैंने कई विरोधी दल के नेताओं को सुना, उन्हें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। जब महामहिम राज्यपाल महोदय, एक साथ समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित कर रहे थे, तो माननीय अध्यक्ष जी की अवमानना की गयी। परन्तु विरोधी दल के नेता कहते हैं कि उस समय सदन की कार्यवाही स्टार्ट नहीं हुई थी,

[श्री गोरे लाल शाक्य]

इसलिये यह अवमानना नहीं मानी जाएगी । मैं कहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय का राजभवन से पद रखने के साथ ही जो कार्यवाही होती है, वह संवैधानिक होती है, परन्तु इसे हमारे विरोधी भाई संवैधानिक अवमानना नहीं मानते हैं ।

मान्यवर, उनका सदन के अन्दर आना ही नहीं, बल्कि जब वह सदन के लिये अपने घर से चलते हैं, तो वह भी संवैधानिक है । आज यह लोग इसको भी, संविधान के अन्दर प्राविधानित नियमों के तहत राज्यपाल के द्वारा यहां आने और यहां अभिभाषण देने की प्रक्रिया को भी संवैधानिक नहीं मानना चाहते हैं । इस तरह से यह सारे विरोधी दल के लोग बाजारू बातों को लेकर हमारी जनता को गुमराह करना चाहते हैं, कहते हैं दैवी आपदा आ गयी, बाढ़ आ गयी, सूखा आ गया, शुल्क माफ करो, आबपाशी माफ करो, टैक्स माफ करो यही नहीं मान्यवर, कहते हैं डकैतों को मार दिया, तो डकैत नहीं मारे जायेंगे, और कौन लोग मारे जायेंगे ? इसलिए, यह इन बाजारू टाइप की बातों को लेकर, घटिया किस्म की बातों को लेकर, जनता को गुमराह करते हैं ।

इन लोगों को यह फिक्र नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश के आदमी कहीं तालाब या नदी से तो पानी भरकर नहीं पी रहे हैं। यह लोग यह नहीं देखेंगे। इस चीज को देख कौन रहा है, कांग्रेस सरकार, इंदिरा कांग्रेस की सरकार कि हमारे नागरिक कहीं तालाब से या नदी से पानी न पियें । और, हजारों की संख्या में हैण्ड पम्प और कुंए इस दिशा में गांवों में और शहरों में जगह-जगह बना दिये गये हैं, और बन रहे हैं । इसकी आपको चिंता नहीं है, इसका आप लोग अभियान नहीं चला रहे हैं । इसकी चिन्ता केवल कांग्रेस को है, और उसने इसे एक अभियान के रूप में अपनाया है । आपको यह चिंता नहीं है, आप यह अभियान नहीं चला रहे हैं कि कहीं कोई बंधुआ मजदूर तो नहीं है, उनकी मुक्ति के लिये । लेकिन, हमारी सरकार इसका अभियान चला रही है फिर हमारा दृढ संकल्प है कि हम एक भी बंधुआ मजदूर नहीं रहने देंगे और कहीं कोई बंधुआ मजदूरी की सूचना होगी, तो उसे मुक्त करायेंगे और जो लोग इस तरह के कार्य में संलग्न हैं, उनको जेल भिजवायेंगे ।

आपका तो यह कहीं अभियान नहीं चल रहा है कि गरीब तबके के पास खेती-हर जमीन है या नहीं या निर्बल वर्ग के लोगों के पास आवासीय सुविधा है कि नहीं उनके पास आवासी भूखंड हैं या नहीं । लेकिन, इंदिरा कांग्रेस का यह अभियान है और हमारा दृढ संकल्प है कि ऐसा कोई भी गरीब तबके या निर्बल वर्ग का व्यक्ति नहीं रह जायेगा जिसके पास खेती योग्य जमीन और आवास के लिये भूखंड न हो जाय । इसकी बाबत आपको चिंता नहीं है, इसके लिये आपका कहीं अभियान नहीं चल रहा है । आपका अभियान जो चल रहा है, वह केवल इसीलिये चल रहा है कि सेल्स टैक्स माफ कर दो, आमदनी शुल्क माफ कर दो, सिंचाई शुल्क माफ कर दो । तो, जब सारा खजाना ही आप माफ करा देंगे, तो प्रदेश का विकास कैसे हो सकेगा । मान्यवर, इसलिये यह जनता को इन बाजारू बातों से गुमराह करते हैं ।

नागरिक संरक्षण अधिनियम की बाबत तो आप में से किसी ने यह नहीं कहा है फलां बिरादरी के लोग उत्पीड़ित किये जा रहे हैं, फलां व्यक्ति परेशान है या फलां वर्ग अपमानित हो रहा है, उसे नागरिक संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जाय न आपकी इसकी बाबत विधान सभा के अन्दर कोई बात आयी और न ही विधान सभा के बाहर आपका इस तरह का कोई अभियान चल रहा है। लेकिन, हम लोग इसकी बाबत अभियान चला रहे हैं कि जहां भी कोई अपमानित होता है, जाति के नाम से अपमानित होता है या धर्म के नाम से अपमानित किया जाता है, तो उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षण दिलाया जा रहा है। और, मैं बताना चाहूंगा कि इसी परिप्रेक्ष्य में सैंकड़ों लोगों को जेल भेजा गया है। यह हमारा कांग्रेस सरकार का अभियान राज्यपाल महोदय के निर्देशन में, इन्दिरा गांधी के निर्देशन में सफलतापूर्वक चल रहा है।

मान्यवर, यह लोग कहते हैं कि एशियाड पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, बम्बई के समुद्र में लाखों-करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, अन्टार्कीटिका में बर्फ पर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। मान्यवर, यह इन्हें व्यर्थ दिख रहा है। मान्यवर, एशियाड के आयोजन से हमारे देश का नाम कितना ऊंचा हुआ है। अगर बम्बई के समुद्र में खर्च किया गया है, तो वहां से तेल निकल रहा है। बाम्बे हाई से लाखों टन तेल हमारे देश को प्राप्त हो रहा है, कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है। मान्यवर, यह इनकी शार्ट साइटनेस है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि माननीय सदस्य ने शार्ट साइटनेस शब्दों का इस्तेमाल किया। या तो इस शब्द का हिन्दी में तर्जुमा करा दें या इसे कार्यवाही से निकलवा दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय दिवाकर विक्रम सिंह के होते हुए उसके तर्जुमें की जरूरत नहीं है।

श्री गोरे लाल शाक्य–

उसको अदूरदर्शिता कहते हैं। मान्यवर, एक ओर यह आलोचना इनकी ओर से की जाती है कि इंदिरा गांधी की सरकार बर्फ में पैसा खर्च कर रही है। लेकिन, यह नहीं समझते कि जब वहां भूगर्भ से तांबा, पीतल, सोना चांदी और तमाम खनिज मिलेंगे, तो उसका देश के हित में कितना अच्छा होगा। तो, इसे आप बर्फ में खर्चा न समझें। कृषि की बात कही जाती है, मैं कहता हूं कि जिस तरह से मनुष्य के शरीर के लिए फेफड़े, हृदय और शरीर के अन्य अंगों का स्वस्थ होना आवश्यक है, उसी तरह से देश में केवल कृषि ही आवश्यक नहीं है, बल्कि औद्योगीकरण की भी आवश्यकता है, बड़े-बड़े उद्योगों की आवश्यकता है, भूगर्भ में छिपी खनिज सम्पदाओं को बाहर निकालने की आवश्यकता है, लोहे

[श्री गोरे लाल शाक्य]

की, तांबे की, पीतल की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य यही है सभी क्षेत्रों में बराबर विकास हो, तभी देश तरक्की कर सकता है, प्रदेश तरक्की कर सकता है।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, थोड़ा समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री गोरे लाल शाक्य–

अन्त में, मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह भी निवेदन करता हूं कि विरोधी दल के लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे।

श्री मुहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता, विरोधी दल के प्रस्ताव की हिमायत के लिए खड़ा हुआ हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं कुछ शैर अर्ज है–

वजाहाए बे रिन्गाए गुलजार कहूं तो क्या हो,
कौन है कितना गुनहगार कहूं तो क्या हो,
तुमने जो बात सरे बज्म न सुननी चाही,
मैं वही बात सरे दार कहूं तो क्या हो।

मैं अपनी बात 13 तारीख के तारीखी वाकये से शुरू कर रहा हूं। कोशिश करूंगा कि मेरी बात उस वाकये तक ही महदूद रहे। हम गुलामी की जंजीरों से आज तक जकड़े हुए हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद–

देखे थे हमने जो वो हसीन ख्वाब क्या हुए,
वो वादा-ए अतलसी कमख्वाब क्या हुए।

हमें ख्याल था कि अंग्रेज जब इस मुल्क से चले जायेंगे तो गुलामी की दास्ताने उसी के साथ चली जायेंगी, लेकिन आज 35-36 साल के बाद भी गुलामी की जीती जागती यह तस्वीर जो न बोल सकती है, न खड़ी हो सकती है, जिसकी जिन्दगी उसके वजूद पर बोझ है, जो सदन में घुसती है और गिर जाती है, पूरे मुल्क की जम्हूरियत की तौहीन करती है। गुलामी की निशानी को जायज करने के लिये सत्ता पक्ष एक गूंगे सख्श को जुबान देता है और कहता है कि जो नहीं कहा गया उसे भी सुना गया और माना जाय। गवर्नर महोदय की जुबान से एक शब्द नहीं निकला लेकिन सुना गया। दस्तूर के तहत कुछ नहीं कहा गया था, इसलिए कुछ नहीं सुना गया और उस दिन जो कार्यवाही हुई, वह कानून के दायरे में नहीं थी, वह जाब्ते के दायरे में नहीं थी। एक मन्सूबा बन्द साजिश है मेरे

खिलाफ ताकि मैं यह न कह सकूं कि यह सरकार और यह मुख्यमंत्री कातिल है कमजोर वर्गों का, गरीब वर्गों का, हरिजनों का और मुसलमानों का। मैं कहता हूं कि जब तक श्रीपति मिश्र इस प्रदेश का वजीर आला है, इस प्रदेश के मुसलमान, इस प्रदेश का गरीब हरिजन अपने आपको महफूज नहीं समझता।

(घोर व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

आप गलत बात कहते हैं, आप साम्प्रदायिकता को भड़काना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मुहम्मद आजम खां—

पंजाब से लेकर आसाम तक मेरठ से टांडा तक इस सरकार ने खून की होली खिलवाई है। यह सरकार इस सदन में उन आवाजों को दबा देना चाहती है, जो सही बात को कहना चाहते हैं। ये कहते हैं कि इस प्रदेश का मुसलमान नुमाइन्दा इसलिये खामोश कर दिया जाय ताकि वह इनकी काली करतूतों का परदाफाश न कर सके। मैं इल्जाम लगा रहा हूं, ये जो कानून की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, इन्साफ की बात करते हैं। इन्हें कोई कानूनी हक नहीं बनता है सरकार में रहने का। मुरादाबाद के फसादियों को इनाम दिया गया। मुरादाबाद की ईदगाह में हजारों बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ, हजारों लाशें रौंद दी गयीं। ढाई हजार लाशों पर विजारत का ताजमहल तामीर हुआ। सियासत की तराजू के एक पलड़े में ढाई हजार लाशें एक पलड़े में और एक वजीर दूसरी तरफ तौल दिया गया यह है इन्साफ। यह सरकार इस देश की दुश्मन है, यह सरकार दुश्मन है हरिजनों की और गरीबों की और यह इरादतन साजिश है मेरे खिलाफ। यह सरकार कानून की सरकार नहीं है। जाब्ता दस्तूर आईन की सरकार नहीं है। इस सरकार के खिलाफ मेरा एलाने बगावत है। मैं उन लोगों में से हूं जिनको अंग्रेजी साम्राज्य में फांसी के हुक्म से पहले और फांसी लगने के वक्त तौला था तो कुर्बानी की खुशी से वजन बढ़ गया था। यह मुख्य मंत्री यह सरकार इस्तीफा दे। न किसी जाब्ते की यह सरकार है बल्कि यह हकपरस्तों के साथ ना इंसाफी करने वालों की सरकार है, इल्जाम लगाने वालों की सरकार है, डकैतों और जालिमों की सरकार है और फिर कहूंगा कि यह सरकार कातिल है हकपरस्तों की, इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाषण का न सिर्फ विरोध करता हूं, बल्कि उसकी धज्जियां उड़ाता हूं।

(शोर)

श्री हरदेव—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अक्षेपात्मक शब्द इस कार्यवाही से निकलवाये जायें।

श्री अध्यक्ष—

मैं पहले इसे देखूंगा और बाद में जो अंश ऐसे होंगे उन्हें निकलवा दूंगा।

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)–

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज कई दिनों से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर...

श्री अध्यक्ष–

जब नेता सदन बोल रहे हों तो नेता विरोधी दल को भी यहां पर रहना चाहिए।

कई सदस्य–

वह मान्यवर, कहीं गये नहीं हैं, यहीं पर हैं अभी आ रहे हैं।

श्री उदल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी कहा कि जब नेता सदन बोलें तो नेता विरोधी दल को यहां पर रहना चाहिए। यह मान्यवर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। शिष्टाचार और परम्परा के अनुकूल है कि जब नेता सदन यहां पर बोलें तो नेता विरोधी दल को यहां पर रहना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी होना चाहिए कि जब नेता विरोधी दल बोलें तो नेता सदन को भी यहां पर रहना चाहिए और जहां तक मुझे याद है कि कई बार आपकी पीठ से इस तरह के निर्देश दिये जा चुके हैं और रूलिंग भी है। लेकिन मान्यवर, देखने में यही आया है कि नेता विरोधी दल परसों भी बोले और कल भी बोले परन्तु दोनों दिन माननीय नेता सदन यहां पर उपस्थित नहीं थे, इस बात को मैंने पहले भी उठाया था माननीय अधिष्ठाता महोदय के सामने, लेकिन उन्होंने इस पर कोई समुचित उत्तर नहीं दिया। इसलिये जब आपने इस बात की व्यवस्था दी, तभी मैंने इस बात को आपकी व्यवस्था के लिए उठा दिया।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं संसदीय परम्पराओं का सबसे अधिक पूरा करने के लिए हामी हूं और अगर हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो उसको दूर करने के लिए इस सदन का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हमेशा नत-मस्तक हूं।

जिस दिन माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे मैं यहां बैठा हुआ था प्रारम्भ से जब तक वे बोल कर नहीं समाप्त किये, मैं यहां रहा। दूसरे दिन नेता विरोधी दल के बोलने के समय जो कि दो या सवा दो बजे के करीब आता है, तक तक आ गया था परन्तु इस बीच में मुझको यह सूचना मिली, मैं जब तक आया, आपका भाषण हो चुका था। परिस्थितियां जैसी होती हैं उसमें नियत देखी जाती है, दौड़-धूप की बात नहीं होती है, यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। आपने कहा मैं भी उसी लहजे में कह रहा हूं कि मैंने दो घण्टा उनको सुना है, आप मात्र 45 मिनट ही मुझको सुन लें।

मान्यवर, तीन तरह की बातें संशोधन के प्रस्ताव में नेता विरोधी दल ने रखीं और अन्य विरोधी पक्ष के नेताओं ने रखी हैं और उनके संबंध में जो भाषण मुख्य रूप से दिया गया उसमें नेता विरोधी दल ने तीन तरह की बातें कहीं। एक तो पहले उन्होंने कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नीतियों संबंधी बातों पर आलोचना की जैसे कि जो उपक्रम हैं वह ठीक से नहीं चल रहे हैं, उनमें लाभ नहीं हो रहा है । कुछ उन्होंने ऐसी बातों पर ध्यान दिलाया कि हमारी जो कार्यप्रणाली है, जो हमारी क्षमता कार्य करने की है उसके अनुसार उतनी उपयोगिता से कार्य नही हो रहा है, कुछ इस तरह की नीतियों के संबंध में जो कि शासन की हैं और उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, बात कही । तीसरी बात जो उन्होंने उठायी कुछ घटनाओं के बारे में । बलिया जिले से लेकर दिल्ली तक पूरा प्रदेश फैला हुआ है उसमें कहां-कहां घटनाएं हुई हैं छोटी से लेकर बड़ी तक, उनका जिक्र किया। जिन घटनाओं का नेता विरोधी दल ने ठीक समझा, अपने भाषण में उनका जिक्र किया।

लेकिन मैं समझता हूं कि उन घटनाओं का जिक्र तरह-तरह के सवालों में पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में अनेकों तरह से प्रश्न करके नियमों के अनुसार दिये हुए हैं । इसके लिये अनेकों नियम हैं जिनमें इन सवालों के उत्तर आते हैं और उन नियमों में सवाल लिये जाते हैं। हर घटनाओं के बारे में प्रश्नों के लेने से बड़ी भारी पोथी बनती है। राज्यपाल का अभिभाषण एक नीति की बात है, उसमें इस तरह की बातों का जिक्र करना घटनाओं का उल्लेख करना, मैं समझता हूं कि अधिक से कहीं अधिक हो गया, एक गाथा हो गयी, एक सूचिका बन गयी। इसलिए उन सबका जवाब एक-एक करके देना मैं जरूरी नहीं समझता हूं । जो मौका है उसमें अधिकांश का उत्तर दूंगा।

तीसरी बात मैं बड़े दुख और अदब के साथ कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत आरोपों के संबंध में कि अखबार में भी बहुत कुछ लोगों ने कहा, बहुत से लोग कहते रहते हैं उसको, बहुत सी जगहों पर छपा था, मैं ध्यान भी नहीं देता । मैं उसमें विश्वास करता हूं करने में, लोग क्या कहते हैं उसमें ध्यान नहीं देना चाहिये, खुद क्या करते हैं उस पर ध्यान रखना चाहिये । लेकिन मुझे दुख है कि जिसकी मैं इज्जत करता हूं जब उन्होंने आरोप लगाया उन बातों के बारे में, पहले मुझसे पूछ लेते, मेरे किसी सदस्य से पूछ लेते, उन बातों का हवाला कागजात में मिल सकता है, उनका हवाला रजिस्ट्री दफ्तर में मिल सकता है, जिनको देखा जा सकता है। नेता विरोधी दल ने उन बातों का यहां पर जिक्र कर दिया, मात्र रविवार में देख कर ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मेरे पास फोटो स्टेट कापी है ।

श्री श्रीपति मिश्र–

कहने दीजिए । और उस बात को मैं कहना चाहता था, मैं अपने जवाब में बता दूंगा । जिस चीज को समझता हूं कि कहना चाहिए, मैं उत्तर देना चाहता हूं । कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं । कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में बात करने के लिए हवाला दिया और उस हवाले में यह कहा कि कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है । मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि कानून और व्यवस्था अच्छी हुई है, अच्छी हुई है और बैटर हुई है।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भण्डारी–

आपने गोली चलवायी है, फाजिलनगर में . . .

श्री श्रीपति मिश्र–

वो मान्यवर, मैं कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में कह रहा था . . .

(व्यवधान)

श्री मोती लाल दहेलवी–

यह सब गलत कह रहे हैं। . . . .

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री श्रीपति मिश्र–

कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उन बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में जिन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उस पर ध्यान दिया गया कि नहीं, अगर ध्यान दिया गया तो उनका कोई परिणाम निकला कि नहीं। मैं कहता हूं कि कानून और व्यवस्था अच्छी हो गयी और आप कहते हैं कि बुरी हो गयी, इससे नहीं फैसला होता है। फैसला इससे होता है कि कानून और व्यवस्था को ठीक रखने के लिए जिन बातों को किया गया कि बुरी हो गयी, इससे नहीं फैसला होता है। फैसला इससे होता है कि कानून और व्यवस्था को ठीक रखने के लिए जिन बातों को किया गया है उनकी एनालिसिस होनी चाहिए, उनका विश्लेषण किया जाये। उनके विश्लेषण के आधार पर आंका जाये कि कानून और व्यवस्था ठीक हुई है या नहीं। कानून और व्यवस्था के लिए सबसे पहली बात है जो उस के लिए जिम्मेदार है, उसका संगठन है, उसकी कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने की बात है, उसको सुविधा देने की बात है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इसका संगठन किया गया है। 81 राज पत्रित कर्मचारी और 509 अराजपत्रित कर्मचारियों की वृद्धि की गयी है पुलिस संगठन में, इतनी वृद्धि की गयी है। और इसके साथ 1304 कुल पुलिस स्टेशन इस प्रदेश में थे जिनमें अच्छे ढंग से कार्य हो सके इसके लिये उनमें से 1294 पुलिस स्टेशन पर यह प्रबन्ध किया गया कि वहां जीप उपलब्ध हो और जीप उपलब्ध करायी गई ताकि कार्य क्षमता में वृद्धि हो, ये लोग ठीक ढंग से अपना कार्य कर सकें, ठीक ढंग से अपनी ड्यूटी निभा सकें। इसके लिए उनको आवासीय सुविधायें, उनके लिए मेसिंग की व्यवस्था जो आवश्यक थी, उनके लिए की गई। इस तरह से जो एक बुनियादी बात थी, उनके लिए वह किया गया। अभी हमारे एक माननीय सदस्य कहने लगे कि इससे क्या हुआ।

मैं बताना चाहता हूं कि उससे यह हुआ कि अगर आप इस हाउस में आये और कपड़ा पहनने को न हो, गाड़ी न हो, पैदल आना पड़े, खाने के लिए कोई साधन न मिले तो परेशानी होती है। जो दिन भर काम करता है जो हजरतगंज या किसी अन्य थाने में काम करता है, रात के 12 बजे तक काम करता है यदि उसके पास आवासीय व्यवस्था न हो, 7 किलोमीटर जाना पड़े और 6 बजे सुबह ड्यूटी देनी पड़े तो वह नहीं जा सकता है, ठीक से काम नहीं कर सकता

है। इसके लिए उसे सुविधा देना आवश्यक है। इसका परिणाम मान्यवर, यह हुआ कि 128 वे कारखाने जिनसे अवैध शस्त्र उन अवैध लोगों को मिलते थे, बदमाश लोग जिनका इस्तेमाल करते थे वे पकड़े गये। उससे यह हुआ कि 2378 बन्दूकें और राइफलें मुठभेड़ों में पकड़ी गईं । उनसे यह हुआ कि 13,401 बन्दूकें, पिस्तौल और राइफलें पकड़ी गईं, 54 हजार कारतूस पकड़ी गईं और करोड़ों की चोरी गई हुई सम्पत्ति बरामद हुई। उससे यह हुआ कि करोड़ों रुपयों का सामान बरामद किया गया। इससे यह हुआ कि उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हुई।

एक सदस्य–

उनको मंत्री बना दीजिए जो मेज थपथपा रहे हैं।

श्री श्रीपति मिश्र–

मंत्री वे ही बनेंगे जो इधर बैठे हैं, वे नहीं बनेंगे जो उधर बैठे हैं ।। (व्यवधान)। माननीय, ऐसी हालत में जो मुठभेड़े हुई मैं आंकड़े नहीं देना चाहता कि कितने लोग मारे गये कितने ग्रामीण सुरक्षा समिति के लोग मारे गये और कितने लोगों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से अपनी वीरता के लिए विभूषित किया गया। यह भी हुआ। लेकिन अन्ततोगत्वा यह परिणाम निकला कि डकैती में 7 फीसदी, लूट में 7 फीसदी, हत्या में 5 फीसदी, दंगे में 12 फीसदी....

श्री विजय सिंह राना–

यह सब फर्जी आंकड़े हैं।

श्री श्रीपति मिश्र–

फर्जी क्या है यह मैं आपको बताता हूं। कम्युनल हारमोनी की बात करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि टांडा में दंगे हुये थे । माननीय रियासत हुसैन से कहना चाहता हूं कि टांडा में जो दंगे हुये उनके नेता जानते हैं कि उस दंगे को करने वाले लोग इधर नहीं उधर बैठते हैं और नाम लिया गया था, खुल्लमखुल्ला बयान में कहा गया था, नाम लेकर कहा गया था, मैंने नहीं कहा था। तब भी हमने सम्भाला था। उन्हीं के लोगों ने कहा था, उनके नेताओं ने कहा था, मैं नाम नहीं लेता हूं केवल इशारा कर रहा हूं ।मान्यवर, यह हमने नहीं कहा है.

श्री विजय सिंह राना–

मेरठ में आपने खुद देखा..

श्री अध्यक्ष–

आप बोलें नहीं, बीच में।

श्री श्रीपति मिश्र–

बात हमारी सच है या आपकी सच है इसका इजहार हो चुका है आप कल जब यहां पर बोल रहे थे तो आप हंस रहे थे। जब माननीय सदस्य को कहा जाता है कि जो बोला जाता है उसको सही मानना चाहिए तो आप हंस रहे थे।

[श्री श्रीपति मिश्र]

कहा जा रहा था कि अध्यक्ष जी ने थमा दिया, छीना नहीं था। छोड़िये इन बातों को कि क्या सही है क्या नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें माननीय नेता विरोधी दल ने कही उनमें से दो तीन बातों के बारे में कहूंगा। एक आपने ऊर्जा के सम्बन्ध में कहा, दूसरा आपने सिंचाई के सम्बन्ध में कहा, तीसरा आपने सार्वजनिक उद्योगों के सम्बन्ध में कहा। तो सार्वजनिक उद्योगों के सम्बन्ध में पहली बार इस सरकार ने श्वेत पत्र निकाला है इसके पहले कभी नहीं निकला है कि सभी सार्वजनिक उद्योगों का परीक्षण किया जाय और परीक्षण करने के बाद जो भी उद्योग ठीक ढंग से नहीं चल रहे हैं उन्हें बन्द करने की कार्यवाही की जाय। तो यह इस सरकार ने ही किया है और कहा है कि उनका परीक्षण किया जाय।

ऊर्जा की जो बात आपने कही है मैं कहना चाहता हूं कि ऊर्जा में हमारी क्षमता पहले से बढ़ी है। ओबरा में आग लगी जरूर लगी। आप भी मंत्री के रूप में रह चुके हैं और कार्यवाहियां भी की होंगी लेकिन हमने कमीशन बैठाया केन्द्र और यहां के लोगों का। मुझे कोई बता दे इतने कम समय में जितने समय में ओबरा के सम्बन्ध में कमीशन ने रिपोर्ट दी हो। एक महीने के अन्दर कमीशन ने रिपोर्ट दे दी। इतिहास में कोई भी ऐसा कमीशन नहीं है जो इस तरह का बैठा हो और इतने समय में किसी ने रिपोर्ट दी हो। उस कमीशन ने रिपोर्ट दी और उसमें यह आया कि इसमें कुछ खराबियां हैं, गलतियां हैं। जब कमीशन ने रिपोर्ट दी और उसमें यह आया कि इसमें कुछ खराबियां हैं, कुछ गलतियां हैं। जब कमीशन की रिपोर्ट और खराबियां नजर आईं तो तत्काल कार्यवाही की गयी। लोगों को सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी और जब संदेह बढ़ा तो सी0 बी0 आई0 को जांच के लिये दे दिया गया। आज ओबरा का मामला सी0 बी0 आई0 के पास जांच के लिए है जो जांच कर रहा है।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

कमीशन की रिपोर्ट नहीं मानी और सी0 बी0 आई0 को मामला दे दिया।

श्री श्रीपति मिश्र--

कमीशन की रिपोर्ट तत्काल मांगी गयी और यह इस सरकार की क्षमता का परिचायक है तथा यह रिपोर्ट आई। आपने कहा कि सी0 बी0 आई0 को क्यों दे दिया। तो उस रिपोर्ट से जो पता चला उसके हिसाब से कार्यवाही कर दी गयी और मालूम हुआ कि इसमें सी0 बी0 आई0 की जांच की जरूरत है तो जांच के लिए सी0 बी0 आई0 को भेज दिया गया। मान्यवर, ओबरा में आप जानते हैं कि 2 प्लांट तो जल गये थे और तीन प्रभावित हुए थे जिनके लिये घोषणा की गयी थी कि तीनों के बनने में साल और उससे ज्यादा लग सकता है लेकिन दो के बारे में कहा गया था, वायदा किया गया था कि जनवरी तक तैयार हो जायेंगे लेकिन उनको वायदे से पहले ही 9 दिसम्बर को चालू कर दिया गया। इस प्रकार प्रदेश में जो बिजली का संकट कुछ दिनों के लिए पैदा हो गया था और जो कटौती थी वह समाप्त की गयी और आज बिजली में कोई प्रदेश में कटौती नहीं है।

मान्यवर, इसके अलावा अन्य कई बातें कहीं गयीं। जिस समय नेता विरोधी दल हवाला दे रहे थे कमाड एरिया की बात का तो उस समय मैंने उनसे पूछा कि कौन किताब है, उन्होंने पढ़कर किताब का नाम सुनाया था। वह एक सेमिनार की किताब आयी थी उसमें एक लेखक का अपना विचार था जिसको स्पष्ट किया गया था लेकिन जो कमांड एरिया का सरकारी विचार और जो सरकारी प्रोग्राम है उसके अनुसार कमांड एरिया की उपयोगिता में इतनी वृद्धि हुई है और आगे वृद्धि होने की आशा है। जो उसमें काल्पनिक बात 175 वर्ष की बात कही है तो वह कोरे लेखक की कल्पनामात्र है उसका सरकारी बात से कोई सरोकार और वास्ता नहीं है।

मान्यवर, अब मैं 2-3 बातें और कहना चाहता हूं। एक तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में, इस पूरे प्रदेश में इंडस्ट्रियल वातावरण पहले से कहीं बेहतर हुआ है। आज हर इंडस्ट्री का आदमी महसूस करता है कि जो गुजरात और महाराष्ट्र में सुविधायें हैं वह उत्तर प्रदेश में हैं, इस लिये वह वहां न जाकर उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने का प्रार्थना पत्र देता है और उसको लाइसेंस मिले हैं और मिल रहे हैं, नये उद्योग लगे हैं और लग रहे हैं। उनके साथ सबसीडीयरी इंडस्ट्री लगाने की बात तय हुई है और वह लग रही हैं। इस प्रकार उद्योग का वातावरण बनाया गया है।

अब मैं एक बात और निवेदन कर दूं वैसे चाहता नहीं था लेकिन कुछ व्यक्तिगत आरोपों के बारे में पहले कह दूं अन्यथा देर न हो जाये और वे छूट जायं और कहें कि जानबूझकर छोड़ दिया।

मान्यवर, एक बात यह कही गयी कि मेरे लड़कों के नाम मकान है जो कई लाख का है, हालांकि जो बताया गया है यदि उसका आधा भी देने को तैयार हों तो जमीन और मकान ले जायं, मुझसे कोई उसका वास्ता नहीं है। (व्यवधान) आप लोग सुनें।

मान्यवर, संयोग से यह मकान, यह जमीन तब ली गयी थी, जब मैं मुख्य मंत्री या अध्यक्ष तो क्या एम0 एल0 ए0 या एम0 एल0 सी0 भी नहीं था, केवल मात्र एक वकील था। और न मेरी पार्टी की गवर्नमेन्ट उस समय थी। यह सन् 77 की जमीन है और यह ली इसलिए गयी थी कि मैं जो 7 नम्बर मकान कालीदास मार्ग में रहता था, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो राजनीतिक लोगों की आंख गोटी हो जाती है ओहदे पर आकर और जैसे हकवा किया जाता है उसी तरह से हमारे साथ हुआ। सन् 77 के चुनाव हारने के बाद जब मैं डिप्टी चेयरमैनशिप पर था जो प्लानिंग की थी, उस पद से इस्तीफा दे दिया था, उससे हकवा किया जा रहा था कि मैं किसी तरह से मकान से निकल जाऊं। ऐसी स्थिति में मैं 4 बजे तक अपनी वकालत करता था और 4 बजे के बाद से मकान ढूंढ़ता था। आज अध्यक्ष जी कुर्सी पर बैठते हैं वह भी हकवा के शिकार हुए हैं। जब मोहसिना जी का सामान निकालकर फेंका गया तब यह जरूरत पड़ी कि किसी दिन ....(व्यवधान) (श्री मुख्तार अनीस के खड़े होने पर व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठें । माननीय मुख्तार अनीस जी आप बैठिए । मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । आप अपने स्थान पर बैठें । यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री श्रीपति मिश्र--

जब निकाल कर फेंका जा रहा था, तो दर-दर भटक कर मैं मकान ढूंढ़ता था । सन् 62 से लखनऊ में हूं किसी न किसी कैपिसिटी में । मेरे पास न किराये का मकान है न जमीन, पर उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि कोई जमीन मरने जीने के लिये अवश्य हमारे पास होनी चाहिए। मैंने लोगों से इसका जिक्र किया था। मेरे एक परिचित दोस्त एम0 पी0 सिंह स्पीड मोटर्स में हैं । उनसे मुझे मालूम हुआ कि राजा साहब बहराइच की कोई 11,200 वर्गफुट जमीन बिकाऊ है। मैंने उसे खरीदना चाहा, खरीदने की कोशिश की, मगर मैं इतनी जमीन अकेले नहीं खरीद सकता था । इसलिये हमने उस जमीन को तीन पार्टियों के साथ मिलकर खरीदा । मेरे तीन लड़कों के नाम 6 हजार वर्ग फुट, एक अन्य पार्टी के नाम 3 हजार वर्गफुट और दो भाई जो सिंह ब्रदर्स–यहीं एम0 पी0 सिंह इनके नाम 2200 वर्गफुट जमीन रही । इतनी-इतनी जमीन हम तीन पार्टियों ने मिल्कर उस जमीन को पूरा खरीद लिया। वह बटलरगंज में जमीन पड़ती है, जिसका मूल्य सरकारी रिकार्ड में 4 रुपया फी स्क्वेयर फिट के हिसाब से लगा हुआ है, क्योंकि वह नदी के किनारे बाढ़ एरिया की जमीन है कहा यह जाता है कि इसका रजिस्ट्रेशन यहां नहीं हुआ । मैं कहना चाहता हूं कि यहीं लखनऊ में सब रजिस्ट्रार के यहां उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया है न कि बहराइच या कलकत्ता में। इसके अलावा मकान मालिक का वहीं टेनामेंट था जो 1963 में बना था और यह लिखाया गया था 1977 में । कहा यह जाता है कि इसमें 15 साल पहले जालसाजी की गयी थी और 15 साल पहले मुख्तारनामा करा लिया गया था । जो सही है वही सही लिखा गया है, कहीं किसी प्रकार का गड़बड़ नहीं किया गया है । उसके बाद यह कहा जाता है कि उसका इन्द्राज जबरदस्ती कराया गया ।

मान्यवर, उस जमीन का दाखिल-खारिज भी आपकी (विरोध पक्ष) हुकूमत के समय में हुआ था। वह जमीन 11200 फुट से ज्यादा थी, उसका बंटवारा उसके मालिक ने 1969 में कराया था । उस पट्टे में यह शर्तनामा जरूर था कि अधिकारी उसका बंटवारा कर सकते थे । हम लोगों ने, 3 लोगों ने मिलकर जमीन ली थी । जब यह जरूरत महसूस हुई कि मकान बनवाया जाए तो बंटवारा हुआ। बंटवारे की दरख्वास्त दी गयी। 12-6-82 को मिस्टर सुनीत बनर्जी ने उसका बंटवारा किया। (व्यवधान) आप सुनिए, कृपया बैठ जायें। उसके बाद भी वह मकान नहीं बना..... (व्यवधान) मुझे अपनी सफाई देने का हक है, कृपया मुझे सुनें । (व्यवधान)

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, कृपया बैठें । जब माननीय नेता सदन खड़े हैं तो मैं इजाजत नहीं दे सकता, कृपया बैठें ।

श्री श्रीपति मिश्र–

मैं इसको शार्ट किये देता हूं। आप नहीं सुनना चाहते तो संक्षेप में कहता हूं। 12-6-82 को बंटवारे के बाद भी मकान नहीं बन सका। मेरी हैसियत उस समय ऐसी नहीं थी कि मैं मकान बना सकता। लेकिन एक मकान को भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मेरे लड़के के नाम एलाट करने के आदेश दिये, मगर उसके बाद भी वह मकान मुझे नहीं मिला, वह फिर एक ऐसे व्यक्ति को मिला (व्यवधान) जिसके पास खुद का मकान था और 8 हजार रुपये जिसका किराया आता था। वह मकान एलाट होने की फोटो खींची गयी, (व्यवधान) जब वह मकान भी यह हो गया कि नहीं मिलेगा, तो फिर यह सोचा कि किसी तरह अपना मकान ही बनवाया जाय। मेरे 3 लड़के हैं, वे चोरी नहीं कर सकते, वे डाका भी नहीं डाल सकते, आखिर उनको रहने के लिए मकान चाहिए। क्या उनके लिए मकान बनवाने का मुझे हक नहीं है? (व्यवधान) जब जरूरत महसूस हुई तो उसको बनवाना शुरू किया, वह मकान आज भी बन रहा है। वह आप की आंख के सामने बन रहा है, जो भी चाहे उसे देख सकता है कि क्या चीज उसमें लग रही है क्या नहीं लग रही है और कितना बना है तथा कितना नहीं बना है। मान्यवर, यह तो मकान की हालत है उसके बाद दो बातें जो और कही गयी हैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

एक सदस्य–

समधियाना है।

श्री श्रीपति मिश्र–

हां समधियाना है मेरा जहां से विदाई मिली है, ऐसा नहीं है कि पैसा देकर लुगाई लाया हूं। (हंसी)

मान्यवर, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2 समितियों का हवाला दिया गया है। एक समिति "संजय समिति" तथा दूसरी "त्रिवेणी समिति" का नाम बताया गया है। संजय समिति में बताया गया है कि योगेन्द्र नारायण, के0 सी0 मिश्रा, प्रमोद मिश्र, आर0 एन0 त्रिवेदी, के नाम बताये गये हैं संजय समिति में। अगर आप लोग कहते हैं कि योगेन्द्र नारायण जो मेरे सचिव हैं, अगर के0 सी0 मिश्र से आपका मतलब मेरे यहां के कार्य अधिकारी से है, अगर आर0 एन0 त्रिवेदी का मतलब हमारे डी0 एम0 से है तो मैं बताना चाहता हूं, अगर प्रमोद मिश्र का मतलब मेरे लड़के से है, तो ऐसी कोई संजय समिति नहीं है जिसमें ये लोग सदस्य हों। ऐसी समिति नहीं बनी है न कोई कल्पना की जा सकती है।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, जहां तक त्रिवेणी समिति का सवाल है, त्रिवेणी समिति की कोई कल्पना नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूं। आपने ऐसा कोई हवाला नहीं दिया जिससे मैं ढूंढ़ कर आपको बताता। मान्यवर, इसके अलावा एक डी0 डी0 ओ0 का हवाला दिया गया है जिसको मेरे किसी अधिकारी के सम्बन्ध में बताया गया है कि वह किसी अधिकारी का रिश्तेदार है। तो वह सन् 1973 में सर्विस में एब्जार्ब हो गया था। उसका प्रमोशन हमारी उदारता से नहीं आपकी उदारता से

[श्री श्रीपति मिश्र]

सन् 1979 में हुआ था जब आपकी सरकार थी। उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार में कोई प्रमोशन नहीं हुआ। वह प्रमोशन ठीक हुआ है, सही हुआ है लेकिन आपकी सरकार में हुआ है। मान्यवर, एक अरुण के बारे में,. जिसके बारे में आपने कहा कि दसवीं पास है और उसको कुछ बना दिया गया है। तो वह कहीं दूसरी जगह कार्य करता था, उसके पास होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा था। गोमती होटल में वह डेपूटेशन पर आया। उनकी अनें से कार्य में वृद्धि हुयी है। उसका भी यहां के मैनेजमेंट से कोई सरोकार नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं एक दयाराम मिश्र है, जीप का नाम लिया गया है कि उसने जीप खरीदी। जो दयाराम मिश्र की बात कही गयी है तो वह यहां एक विद्यार्थी था। दयाराम मिश्र का, उस आन्दोलन में जो यहां हो रहा था आपकी सरकार के समय, उसका सर फोड़ दिया गया था और वह अस्पताल में भर्ती था। केन्द्र के मंत्री धर्मवीर, उनके कमरे में वह पड़ा रहता था। वह एक विद्यार्थी था यहां पड़े रहकर उसने एम0 ए0, एल0 एल0 बी0 पास किया। जिसको ठेकेदार बताया जाता है उसके बैंक बैलेंस में शायद 2 हजार या 4 हजार रुपया भी नहीं होगा। उसने जीप खरीदी, हर आदमी जीप खरीदता है, उसने जीप फाइनेन्स कराकर खरीदा है तो कौन सा गुनाह हो गया। उस नौजवान ने जीप खरीदी तो कौन सा गुनाह हो गया?

एक सदस्य–

आप भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। बैंक से लोन लेकर ले सकते हैं।

श्री श्रीपति मिश्र--

मान्यवर, मेरे लड़के ने एम्बेसडर कार ली है, कोई धोखा नहीं हुआ है। मैं सन् 1950 से, जबसे मैं वकालत में आया हूं, आपकी मेहरबानी से टूटी फूटी, चलती हुई कभी बिगड़ती हुई कार पर चलता रहा। पैदल नहीं चला, (मेजों की थपथपाहट।) और मेरे लड़के ने एम्बेसडर कार, और इलाहाबाद बैंक ड्राफ्ट से 40 हजार रुपये पर सेकेण्ड हैण्ड कार खरीदी है। अगर कोई गुनाह हुआ है, तो आप ही फैसला कर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

घोर जातिवाद होने का आप पर आरोप लगाया गया है, मान्यवर, ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये।

श्री श्रीपति मिश्र--

यह व्यक्तिगत रूप से, यह आरोप मेरे पास आया था, मैंने उन आरोपों के बारे में तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश की। अब आखिर में, आप कहते हैं, तो चलिये इसका भी समापन हो जाय। आपने जातिवाद की बात कही है। तो इसका भी समापन हो जाना चाहिए और तब जरूर हो जाना चाहिए, मैं गुनाहगार जरूर हूं, किस बात का, उस बात का गुनाहगार हूं, उस पौधे में पानी डालने का

गुनाहगार हूं, जिसने जातिवाद को जन्म दिया इस प्रदेश में, उतनी गुनाह मेरे भी सिर पर लगती है, जिसने पूरे प्रदेश में ऐसा कर दिया है कि आप कुछ करते हैं और हम भी कुछ करते हैं, तो इसकी जांच होती है कि जातिवाद में तो नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जातिवाद तो योगेन्द्र नारायण चला रहा है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सभी लालाओं को डी0 एम0 बना दिया।

श्री श्रीपति मिश्र–

इससे ज्यादा कोई गुनाह मेरी नहीं है, वरना कृपा करके उन लिस्टों को देख लीजिए, जो आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0 की लिस्टें हैं, जो चुने हुए लोगों की लिस्टें आती हैं, उनको देख लीजिए यहां कहना मुनासिब नहीं है, चलके, बैठ के देख लीजिए और देख के अंदाजा लगा लीजिए कि कितना है उस लिस्ट में कौन कितना है फील्ड में और अनुपात से आपको पता लग जायेगा कि जातिवाद नहीं फैला है। आखिर में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मानें, आप स्वीकार करें या न स्वीकार करें, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने जो कुछ भी बात यहां कही है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कश्मीर में या आंध्र में या देश के किसी और कोने में, कहीं पर कोई भी घटना हुई हो, मैं किसी का समर्थन नहीं करता, जो घटना डेमोक्रेसी के प्रतिकूल हुई है, उसके लिए जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। लेकिन इस सदन में जो घटना हुई है, उसके बारे में, इस सदन में क्या हम, आप इस तरह की परम्परा स्थापित कर सकते हैं, जो यहां से एक मिसाल पैदा करें, इस प्रदेश में और दूसरे प्रदेश में।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी–

आप क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री श्रीपति मिश्र–

आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, जिनके दिल है, दिमाग है, सोचते हैं, समझते हैं।

(सत्ता की तरफ से माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं।)

हमको यह देखना चाहिए। हम ऐसी परम्परा कायम नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी–

नेता सदन इस तरह से बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री श्रीपति मिश्र–

मैं माननीय नेता विरोधी दल से, मैं सभी माननीय नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग कुछ भी, किसी भी तरह की बातों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, मगर अगर प्रजातांत्रिक परम्पराओं की स्थापना करना है, तो हमको

[श्री श्रीपति मिश्र]

किसी न किसी तरह इस बात को मानना पड़ेगा कि हम अपनी वाणी का प्रयोग काबू में रख के करें। और अपने हाथों को तो बन्द ही कर दें। आपने हवाला दिया मैं नहीं देना चाहता हूं। पर्चे छपे। उस पर्चे में किसी का नाम था मेरा नाम छपा कि फलां दिन आवेंगे। किसी का नाम नहीं छपना चाहिए था। लेकिन मान्यवर, पर्चे में नाम छपा तो आपको एतराज है।

श्री कुबेर भंडारी–

आपके साथ घूमे हैं।

श्री श्रीपति मिश्र–

मेरे साथ कोई नहीं घूमा।

श्री अध्यक्ष–

आप बेकार क्यों बोल रहे हैं?

श्री श्रीपति मिश्र–

उस पर क्या कहेंगे जब आपकी पार्टी के सदस्यों की सभा की अध्यक्षता की हो, आपकी पार्टी के लोगों में झगड़ा हुआ हो कि इनकी अध्यक्षता में क्यों बैठे, और उनके साथ बैठे और चाय पिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। आप स्वयं सोचें किसने चाय पिया और किसने उनकी अध्यक्षता में बैठक की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अपने दामन को देखकर दूसरे के दामन पर छींटें डालना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल 10 मिनट का समय आपके लिये है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, प्रश्न कुछ ऐसे आ गये हैं। अध्यक्ष महोदय, जिन बातों को मैंने दबी जुबान से शालीनता के साथ कहा था आज उनको तथ्यों के साथ मुझे कहना पड़ेगा यह मेरा कर्तव्य हो गया है। मान्यवर, राजनीतिक जीवन में मैं स्वच्छता का हामी हूं और मेरे नेता भी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें।

श्री राजेन्द्र सिंह–

दिल थाम कर बैठो और सुनो, ऐसे नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपना भाषण शुरू करने से पहले संसदीय कार्य मंत्री से कहा था आप कार्यवाही उठाकर देख लें, मैंने कहा था कि नेता सदन इस समय नहीं है तो मैं अपने भाषण के अन्त में कुछ चीजें कहूंगा मैं चाहूंगा

कि उस समय वह सदन में आ जाय। नहीं आ सके परिस्थिति हो सकती है। मैंने बड़ी शालीनता से कुछ बातें कहीं थी कि इसका जवाब आ जाय। यह चीजें हवा में है, धरातल में नीचे बहुत जल्दी उतरने वाली है। एक बात मैंने मकान की कही थी। मुख्य मंत्री ने उसको बड़ी सफाई से घुमा दिया जो तथ्य है मान्यवर, उसके फोटो स्टेट मेरे पास है। मुख्य मंत्री जी इस विभाग के मंत्री हैं इसकी दो चीजें पढ़ना चाहता हूं। जो कार्यवाही लिखी गई श्री प्रभुनाथ मिश्रा, सचिव 4-11-81, 82 की टिप्पणी नजूल भूमि पर जो निर्माण कार्य कराये जाते हैं उनमें निम्नांकित दो बातों का अवलोकन आवश्यक हो जाता है:—

कि नजूल भूमि के पट्टे में इस प्रकार का प्राविधान है कि भूमि का बंटवारा अथवा सबडिवीजन किया जा सकता है कि नहीं,

2—भूमि का लेआउट प्लान पहले से ही स्वीकार करा लिया गया है कि नहीं।

ओरिजनल सेलडीड की सर्टिफाइड कापी मेरे पास है। इसके अन्दर दिया हुआ है कि एक प्लाट पर एक रिहायशी हाउस बन सकता है। नेता सदन ने भूमि को पैसा देकर खरीदा। बहुत से घूमते हैं दलाल। मैं कहना चाहता हूं कि जी0 ओ0 है सरकार का, यह 67-68 में हुआ है इसको बदला नहीं जा सकता है। मैं यह नहीं कहता कि माननीय नेता सदन कि आपने नहीं खरीदा या पैसा देकर नहीं खरीदा मैं इससे कोई सरोकार नहीं रखता। लेकिन जिस चीज का बंटवारा नहीं हो सकता था वह किस विचौलिये ने आपको गलत बता दिया है। तो उसको करने का आपको अधिकार नहीं है। श्री ए0 पी0 सिंह के पास, मान्यवर, जब उनके पास पत्रावली आई, तो उन्होंने कहा "अभी तक तो किसी केस में ऐसा नहीं किया गया है फिर यह प्रस्ताव किस आधार पर है।"

मान्यवर, आगे कहता हूं, "मैं समझ नहीं पा रहा हूं यह विशिष्ट प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत कैसे कर दिए जाते हैं जिसे हम चाहें भी तो जस्टीफाई न कर सकें।" यह नोट उनका है। मान्यवर, 4-7-83 की बात है पी0 एन0 मिश्र साहब द्वारा 120 दिन का मानचित्र स्वीकार हो जाता है। 120 दिन के लिए मकान बनाने की स्वीकृति कैसे हो सकती है लाइफ लांग समय के लिये होती तो भी ठीक था लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कुछ अधिकारियों ने आपको धोखा दिया है उसका इलाज आपको करना है। मेरे पास फाइल और फोटोस्टेट कापी है मान्यवर, दबाव हुआ होगा तो उसका ट्रांसफर 10 दिन बाद कर दिया गया। मान्यवर, फिर बहुत सफाई से इसको घुमा दिया गया। मान्यवर, दो समितियों के नाम मैंने लिए थे मैंने कहा था सूचना पूरी होनी चाहिए लेकिन आपने एक समिति के सदस्यों की बात कह दी और दूसरी समिति के सदस्यों को यह कह रहे हैं कि नाम नहीं है तो मैं दोनों समितियों के नाम बताता हूं एक के बारे में आप चुप हो जाते हैं यह त्रिवेणी समिति है इसका रजिस्ट्रेशन नम्बर भी है।

श्री श्रीपति मिश्र—

मेरी जानकारी में न तो कोई त्रिवेणी समिति है और न कोई संजय।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, एक दयाराम मिश्र हैं मैं नहीं कहता कौन हैं एक जीप की बात कही गई एक जीप जो राकेश गुप्ता, पुत्र एस0 सी0 गुप्ता ने मारन्ती की है, जिस दूसरी गाड़ी की आप बात करते हैं वह एस0 सी0 गुप्ता की है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज की बात स्वीकार कर लीजिए।

श्री श्रीपति मिश्र–

सुप्रीम कोर्ट की बात जाने दीजिए मैं आपको स्वीकार करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं किसी चीज को कह रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि उन तथ्यों को जो मैंने रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर दें, सही बात सामने आ जायगी। मैं राजनीतिक जीवन में स्वच्छता का हामी हूं। आपने कहा कि एक व्यक्ति का नाम लिया गया है। हरी शंकर तिवारी का नाम लिया गया है, आज मैं कहता हूं कि हर नारायण सिंह हेलीकाप्टर में बैठकर आपके साथ बांदा गये थे। वह बुन्देलखण्ड कांग्रेस (आई0) यूथ के अध्यक्ष हैं। दो मर्डर के केस उन पर लग चुके हैं। वह मीटिंगों में आपके साथ थे। हम कहते हैं कि हम अपने को देखेंगे, लेकिन सत्ता आपके हाथ में है। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने 20–25 साल से ज्यादा शासन किया है। तीसरी बात आपने कमाण्ड एरिया के बारे में कही। इस प्रदेश के मुख्य मंत्री ही यह कहने की हिम्मत कर सकते हैं। श्री रामानुज भारत सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी हैं। इस देश में 26 जगह कमाण्ड एरिया हैं, उसको कोआर्डिनेट करते हैं। आप कहते हैं उन्होंने लेख लिख दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस किताब को छापा। उसमें आंकड़े दिये हैं, आप फर्जी कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह अधिकारी आपको भ्रम में डाल रहे हैं। आप उस अधिकारी से पूछ सकते हैं। वह तो सरकार के आदमी हैं, भारत सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने यह लिखा है। रामगंगा के बारे में फिगर्स नहीं मिलीं। एक श्वेत पत्र आता है। होगा क्या उससे? जैसी बद से बदतर स्थिति होती जा रही है, कितने ही श्वेत पत्र निकाल दिये जाँय। तमाम निगम घाटे में चल रहे हैं। आपने ओबरा जांच के संबंध में अपनी तारीफ की। उसमें माननीय नेता सदन 8 में से 5 व्यक्ति आपके थे। आपकी डायरेक्ट जिम्मेदारी थी। आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर कहना चाहता हूं कि स्वच्छता लाने के लिए जो बातें आपके बारे में कही हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाय और वहां के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी जाय। यदि मेरी बातें गलत पायी गयी तो राजनीतिक जीवन से मैं सन्यास ले लूंगा।

श्री जयदीप सिंह बग्गर–

श्रीमन्, पिछले चार दिन से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती रही, उसके लिये मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। श्रीमन्, इसमें विशेष रूप से हमारी सरकार ने जो नीतियों की घोषणा इस अभिभाषण के माध्यम से कीं, उनका सभी नेताओं ने और लगभग सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया। कहीं-कहीं उनके कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतें जरूर आयीं। लेकिन मुझे खुशी इसी बात की है कि जिन नीतियों की बात की गयी, सभी ने उनका समर्थन किया और स्वागत किया। श्रीमन्, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां मुझे इस बात की खुशी है कि इन्होंने नीतियों का समर्थन किया

है, वहीं थोड़ा दुख भी है। श्रीमन्, हम जब इस सदन में आते हैं तो कम से कम जो तथ्य यहां प्रस्तुत होते हैं, उनके बारे में उन्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना चाहिये। मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कुछ बातें रखी थीं। पिछले 4 वर्ष के आंकड़े चाहे वह कृषि क्षेत्र की प्रगति के हों, चाहे रोजगार संबंधी अवसर के सृजन के संबंध में हों या और कोई, लेकिन मैंने जब ये आंकड़े सदन के सामने रखे थे। लेकिन विपक्ष की ओर से कोई तर्क ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया तो इन आंकड़ों की कमी बताते। वास्तविकता यह है कि विपक्ष इस स्थिति में नहीं है कि इनका प्रतिवेदन करके आलोचना करने से वह न तो कृषि की प्रगति को देखकर खुश है, न उद्योग की प्रगति को देखकर खुश है, न मिटती हुई बेरोजगारी को देखकर खुश है और न ही वह बढ़ते हुए वृक्षारोपण को देखकर खुश है। वह इस बात से खुश नहीं है कि प्रदेश की प्रगति हो और नागरिकों को सुविधायें उपलब्ध हों, जिनकी कल्पनायें हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी।

मान्यवर, कानून-व्यवस्था के बारे में अन्त में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का यह विशेष कर्तव्य है कि अराजक तत्वों के खिलाफ चाहे वह इस सदन के बाहर हो या सदन के अन्दर, हमारा द्वन्द चलता रहेगा। इस सदन के अन्दर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय जो अराजकता का परिचय यहां पर दिया गया वह खेद जनक है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि, अराजक तत्वों के ऊपर जिस प्रकार हमारी पार्टी की इस सरकार ने सदन के बाहर सफलता पायी उसी प्रकार इस सदन में भी हम सफलता पायेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी आंकड़े उपस्थित किए, हमने क्राइम कन्ट्रोल में विशेष तौर पर संगठित अपराधों के मामले में अभूतपूर्व सफलता पायी है हमने इनकी तरह समझौता करके सफलता नहीं पायी। यह सफलता हमने अपने पुलिस के पराक्रम और शौर्य से तथा अपने दृढ़ निश्चय से पायी है। मुझे विश्वास है कि उसी प्रकार आज हमें इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारण में सफलता प्राप्त होगी।

मान्यवर, अन्त में मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। एक तरफ महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक में स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है तो दूसरी तरफ विपक्ष से 42 संशोधन हमें प्राप्त हुए हैं एक मोटी पुस्तक बन गयी है। हम जानते हैं कि यह एक पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी का प्रोसीजर है, संशोधन रखना, परन्तु यदि वे इन 42 संशोधन को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं और एक संशोधन नही दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें इस प्रकार अभिभाषण लिखने व पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा और उन्हें इसी प्रकार संशोधन रखने का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा।

अन्त में मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने अपनी नीति की स्पष्ट घोषणा करती है कि कोई भी रूढ़ि अथवा रीति, कोई भी व्यर्थ अथवा निहित स्वार्थ इस प्रदेश की प्रगति की राह में नहीं आने दिया जायेगा। मैं अन्त में माननीय नेता विरोधी दल से आग्रह करूंगा कि वे अपने इस अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल आप अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं?

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न विषयों का उल्लेख नहीं किया है–

प्रदेश की राजनीति में असामाजिक तत्वों, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों तथा गुण्डों की साझेदारी में वृद्धि हुई है, कई जिलों में कांग्रेस (इ) ने अवांछनीय व्यक्तियों को अपना दलीय पदाधिकारी बनाया है साथ ही दिसम्बर, 1983 के विधान सभा तथा लोकसभा उप चुनावों में ऐसे व्यक्तियों को ही अपने संगठन का आधार बन कर चुनाव जीतने की साजिश हुई जिसका परिणाम हुआ कि फाजिलनगर उप चुनाव नीति से निकाल फेंकने की दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए।

प्रदेश स्तर पर आर्थिक पुनर्निर्माण की दिशा में शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। अभी तक प्रदेश की वार्षिक योजना नहीं तैयार हो सकी। प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार को अपना पक्ष समझा नहीं सकी जिसके कारण अपेक्षित धन नहीं मिल पाया। बहुत दिनों से प्रदेश में 6 खाद के कारखाने बनाने का प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हो सका, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, एकीकृत ग्राम विकास योजना और स्वरोजगार योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए शासन ने कोई कारगर प्रयास नहीं किए। नतीजा यह हुआ कि प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। बैंकों से सहयोग दिलाने के लिए कोई प्रयास न होने से इन सभी योजनाओं का पैसा बिना रिश्वत के गरीबों को नहीं मिल सका। प्रदेश के समस्त सार्वजनिक संस्थान घाटे में चल रहे हैं उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन का धन बर्बाद हो रहा है और गत वर्ष इसके लिए आवंटित धन का केवल 55 प्रतिशत खर्च हो सका। परिणाम यह हुआ कि गरीबी और बेरोजगारी दोनों में बेतहाशा वृद्धि हुई है।

वितरण प्रणाली दोषपूर्ण होने से न तो किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिला और न तो उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो सकी। विगत वर्ष का ही प्रदेश के गन्ना काश्तकारों का 70 करोड़ रुपया बकाया है और गेहूं के मूल्य का निर्धारण अभी तक नहीं हो सका। सभी पंचायत स्तर पर सस्ते मूल्य के उपभोक्ता सामग्रियों के वितरण हेतु मूल्य की दुकानों को नहीं खोला जा सका है जिससे प्रदेश के किसान और उपभोक्ता दोनों की कमर टूट गयी है।

एक तरफ देश की आर्थिक स्थिति जर्जर है वहीं दूसरी तरफ सरकार की फिजूल खर्ची में वृद्धि हुई है। केन्द्र सरकार के निरंतर निर्देश के बावजूद खर्चीले कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दो करोड़ रुपये स्टेट प्लेन खरीदने

में व्यर्थ का नष्ट किया गया। लिफ्ट लगाने और ऐय्याशी के सरकारी उपकरणों की खरीद में करोड़ों रुपये नष्ट हुए हैं वहीं दूसरी तरफ सिंचाई विभाग पर करोणों रुपया बकाया पड़ा है जिससे सिंचाई और बिजली के ठेकेदारों ने अपना काम बन्द कर दिया है। सरकार की अकर्मण्यता से ओबरा तापीयविद्युत ग्रह में भीषण अग्निकाण्ड हुआ। जिसके फलस्वरूप लगभग 30 करोड़ रुपये की क्षति हो गई। लेकिन प्रदेश की अक्षम सरकार इस दुर्घटना के असल कारणों का अभी तक पता नहीं कर सकी है। विद्युत की बड़ी योजनायें नानपारा, ङलमऊ, दोहरी घाट आदि को अभी तक पूरा न कर सकने के कारण अपने प्रदेश में विद्युत संकट है। सिंचाई की वृह्द योजनायें भी अभी तक पूरी नहीं हो सकी। विश्व बैंक की नलकूप निर्माण की योजनायें कार्यान्वित नहीं हुई हैं। सरजू नहर, टेहरी परि-योजना, जिस त्वरित गति से चलनी चाहिए, वह तीब्रता नहीं होने से प्रदेश विद्युत और सिंचाई के क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है।

प्रदेश में कानून व्यवस्था नष्ट हो गई है। सरकार की पकड़ कानून व्यवस्था से समाप्त हो गई है। बहुचर्चित मगरासा काण्ड का आज तक खुलासा नहीं हो सका। विधायकों की हत्या में सम्बन्धित जितने भी मामले गुप्तचर को जांच के लिये थे, उसमें जांच पूरी नहीं हो सकी और चार-चार वर्ष से मामले बिना निस्तारण के पड़े हैं सरकार पुलिस महानिरीक्षक की तलाश तक नहीं कर पा रही है। किसी भी कर्मचारी को सेवा में विस्तार न दिये जाने की स्पष्ट नीति के बावजूद जाति-वादिता के चलते एक अक्षम पुलिस महानिरीक्षक को अपने पद पर बिठा रखा है। सम्पूर्ण पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन ने शासन द्वारा जाति-वादिता की दुर्गध फैलाकर वफादार कर्मचारियों में असंतोष की भावना पैदा कर दी गयी है।

इस प्रदेश के जागरूक बेरोजगार छात्रों को मार्ग दर्शन करने पर लाठियों से पीटा गया। अधिकांशत: घायल अवस्था में नव युवक और छात्र लखनऊ की जेल में सड़ रहे हैं। विगत एक महीने से प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं और 50 हजार के करीब जेल भी जा चुके हैं। इसी महीने प्रदेश के विश्वविद्यालय के अध्यापक ने हड़ताल की तथा 16 फरवरी से महाविद्यालय के अध्यापक हड़ताल करने जा रहें हैं। मार्च महीने से राज्य कर्मचारियों ने भी हड़ताल की सूचना दी है तथा समस्त अभियन्ताओं ने भी अपनी हड़ताल चलायी। प्रदेश की सरकार युवक, शिक्षक, कर्मचारी, किसान, किसी की भी समस्या हल नहीं कर पा रही है।

सत्ताधारी पार्टी के आपसी द्वन्द से प्रदेश में शासन का प्रशासकीय दखल समाप्त हो गया है । मंत्रिपरिषद् के कतिपय सदस्यों की ताकत में वृद्धि करने में भ्रष्ट अफसरों का मनोबल ऊंचा हो गया है। इस मंत्रिमण्डल के मंत्री और उनके आश्रय में पलने वाले अधिकांश अधिकारी प्रदेश की सामान्य जनता का अहित कर रहे हैं। एक तरफ अध्यादेश के द्वारा बिक्री कर दाताओं को अतिरिक्त कर तथा मण्डी शुल्क बढ़ाकर किसानों को लूटा गया, वहीं दूसरी तरफ बिना बजट के ही बस भाड़ों में वृद्धि हुई। नतीजा यह है कि कर दाता तबाही के कगार पर हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

शेष संशोधन जो उपस्थित किये हुए माने गये थे, वे भी अस्वीकार समझे जायेंगे।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 13 फरवरी, 1984 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है?.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(मेजों की थपथपाहट)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत आज 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें पहली सूचना है श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री किरन पाल सिंह की बस्ती के वकीलों द्वारा हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में, उसके आगे श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की नेपाल सीमा पर खाद्यान्न वस्तुओं की तस्करी में परिवहन निगम की बस का पकड़ा जाना। उसके आगे श्री सरदार सिंह की, सुन्दरीकरण के नाम पर नगरपालिका, मथुरा के कर्मचारियों द्वारा वहां के दुकानदारों से की जा रही जबरिया वसूली के सम्बन्ध में। उसके आगे श्री लटूरी सिंह की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उप विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में है– उसके आगे श्री शरीयतुल्ला की जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना की गांव के पदाधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग उसके आगे श्री रियासत हुसैन तथा श्री अकबर हुसैन की सूचना है जनपद हरदोई के थाना मल्लावां के अन्तर्गत देवमनगर गांव के रहने वाले अनुसूचित लोगों को अन्य वर्ण लोग द्वारा परेशान किया जाना–उसके आगे श्री मित्रसेन यादव की गोण्डा में ट्रक दुर्घटना से कई लोगों के मरने के सम्बन्ध में है। मैंने इसमें श्री माता प्रसाद पाण्डेय श्री किरन पाल सिंह की बस्ती के वकीलों द्वारा हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में दी गयी सूचना को स्वीकार किया है। बाकी सब को अस्वीकार किया है।

चमोली में भोटिया जनजाति के लोगों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 6-2-84 को तहसीलदार कर्णप्रयाग अपने स्टाफ के साथ वसूली के कार्य हेतु लंगासू में रुके हुए थे। उसी समय भोटिया जाति के लोगों की एक बारात उसी रास्ते से गुजर रही थी। बताया जाता है कि बारात के कुछ लोग जो नशे में थे, उन्होंने जीप को रास्ते से हटाने को कहा। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में आपस में कहा-सुनी और हाथा पाई हो गयी और इस हाथा पाई में अधिकारियों को चोटें भी आईं। जीप चालक के जीप चला देने से एक व्यक्ति को जो जीप में घुसने की कोशिश कर रहा था, चोट आई। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कर्ण प्रयाग में लिखाई गई जिसके आधार पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना को लेकर राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा दिनांक 8-2-84 को

एक जुलूस निकाला गया तथा उन्होंने कलेक्ट्रेट में जाकर एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को दिया। उपरोक्त अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए भी बाध्य किया गया।

2—दिनांक 9-2-84 को श्री नारायण सिंह राणा, अधिवक्ता ने भोटिया जाति के लोगों को एकत्र कर नन्द प्रयाग के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ मुख्य मार्ग पर बने हुए पुल के दक्षिण की ओर सड़क के बीच में बड़े-बड़े लोहे के गार्डरों को लगा दिया जिससे दोनों ओर का यातायात बन्द हो गया। इस सूचना के प्राप्त होते ही चमोली के थानाध्यक्ष सिपाहियों को लेकर मौके पर गये परन्तु भीड़ ने उनके साथ मार-पीट कर, उन्हें भगा दिया। जब इसकी सूचना परगनाधिकारी, चमोली को मिली तो वे भी मौके पर आ गये। इन लोगों ने उग्रवादी भीड़ को समझाने और अवरोध हटाने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु श्री राणा ने भीड़ को हिंसात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रेरित किया जिस पर भीड़ ने पुलिस पर अचानक भारी पथराव करना शुरू कर दिया। इस पर परगना मजिस्ट्रेट, चमोली ने चेतावनी देने के बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अश्रु गैस का प्रयोग करने का आदेश दिया जिसका भीड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीड़ हिंसा पर उतारू होकर पुल तथा सामने की पहाड़ी से पथराव करने लगी, जिसके कारण मौके पर उपस्थित आर0एस0आई0 श्री कालू राम तथा अन्य कांस्टेबिलों को चोटें आईं। श्री कालू राम को सबसे गंभीर चोटें आईं और वे भूमि पर गिर गये। यह देखते ही श्री नारायण सिंह राणा,, अधिवक्ता, जो कि भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, तुरन्त उनकी ओर लपके और वह आर0एस0आई0, से रिवाल्वर छीन कर भागने में सफल हो गये। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परगना मजिस्ट्रेट, चमोली ने गोली चलाने के आदेश दिये। गोली चलने से एक आदमी जिसका नाम फतेह सिंह रावत बताया जाता है, की मौके पर मृत्यु हो गयी। मौके पर 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें दो महिलायें भी हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से 18 को चोटें आईं। घायल हुए पुलिस कर्मचारियों की संख्या 21 बताई गई है।

3—स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरन्त ही शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी।

4—उप पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल दिनांक 11-2-84 को गोपेश्वर पहुंचे और आयुक्त गढ़वाल मंडल भी 12-2-84 को वहां पहुंचे। 13-2-84 को आयुक्त तथा उप पुलिस महानिरीक्षक ने लोगों से विस्तारपूर्वक बात-चीत की तथा उनसे शान्ति का वातावरण बनाये रखने के लिए प्रशासन की सहायता करने के लिए अनुरोध किया।

5—आयुक्त, मृतक की धर्मपत्नी से मिले और उसे एक हजार रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिए। इसके अतिरिक्त मृतक की विधवा को शासन की ओर से 4000रु0 की आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया गया है। कमिश्नर स्वयं अस्पताल में जाकर घायल व्यक्तियों से मिले। घायलों का अस्पताल में उपचार ठीक प्रकार से किया जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देहरादून द्वारा इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। घटना के संबंध में गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और स्थिति नियंत्रण में है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, सौभाग्य से माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस वक्त सदन में मौजूद हैं। मुख्य मंत्री जी जो आपने वक्तव्य दिया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर अगर स्थिति को कंट्रोल में नहीं किया गया, यह चमोली वाला जो मामला है इस पर ज्ञापन भी दिया था तो मान्यवर, वहां स्थिति बड़ी गंभीर हो जायेगी, समस्या विकराल हो जायेगी। वहां साम्प्रदायिक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। क्योंकि वहां के ए0डी0एम0 ने एस0 डी0 एम0 के खिलाफ और एस0डी0एम0 ने ए0डी0एम0 के खिलाफ एफ0आई0आर0 लाज कर रखी है। अगर यह झगड़ा वहां समाप्त नहीं हुआ, तो वहां गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर तत्काल उन्हें वहां से नहीं हटा दिया जाता है, तो स्थिति गंभीर हो जायेगी। आप कृपा करके यह आश्वासन देंगे कि उनको तत्काल वहां से हटा दिया जायेगा जिससे वहां की स्थिति ठीक हो सके?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, माननीय सदस्य के जो सुझाव हैं, उन पर हम लोग पूरी तरह से गौर कर चुके हैं। शासन के दो मंत्री भी वहां जा चुके हैं। वहां अभी आवश्यकता ऐसी नहीं देखी जा रही है कि उनका तुरन्त स्थानान्तरण किया जाय। लेकिन, जब सालाना स्थानान्तरण होंगे, तब उस पर विचार कर लेंगे।

*श्री कुंवर सिंह नेगी–

हमने जैसा, अभी नौटियाल जी ने कहा है, इस घटना के तुरन्त बाद हम मुख्य मंत्री जी से मिले और एक ज्ञापन दिया और हम उस दिन भी अवगत किये थे कि ए0डी0एम0 जो वहां पर हैं, अनुसूचित जाति का है और एक प्रोबेशनर पी0सी0एस0 भोटिया जाति का है। मान्यवर, जनवरी के दूसरे हफ्ते की बात है, उन्होंने लिखकर दी उनके खिलाफ रिपोर्ट, ए0डी0एम0 ने एस0डी0एम0 के लिये अनटचबिल्टी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी और इसी तरह से उन्होंने उनके खिलाफ करा दी। जिनमें आपस में इतना भी नहीं है कि एक दूसरे के प्रति कद्र का भाव हो, कद्र का भाव नहीं है। सीनियर आफिसर की प्रतिष्ठा, उसकी छवि, खत्म हो गयी है। यह चीज वहां पर एक साम्प्रदायिक विवाद का विषय बन गयी है। मान्यवर, अगर उसमें कोई तत्काल कार्यवाही नहीं की जायेगी, तो खराब वातावरण हो जायेगा।

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस घटना के दिन भी 9 तारीख को, जिस दिन यह घटना घटित हुई थी ए0डी0एम0, डी0एम0 के चार्ज पर थे, डी0एम0 वहां पर नहीं थे। ए0डी0एम0 घटना स्थल के बजाय 4 किलोमीटर दूर रह गये सलणा स्थान में ही रह गये।

घटनास्थल पर यदि वे जाते तो स्थिति पर नियंत्रण हो सकता था, लेकिन उन्होंने अदूरदर्शिता दिखायी। जानबूझकर वे पीछे रहे और उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया। एस0डी0एम0 आ गये, लेकिन उनका जूरिसडिक्शन नहीं पड़ता है। आर0आई0 भट्ट पुलिस को लेकर वहां पर आ गये, जब कि समझौता वार्ता चल रही थी। उन अधिकारियों ने स्थिति पर नियंत्रण करने के बजाय गोली चलाने के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रेरित किया। हमारी मांग है कि आर0आई0, पुलिस मिस्टर भट्ट, एस0डी0एम0, कर्णप्रयाग, ए0 डी0 एम0, चमोली, इन पी0सी0एस0 आफीसर्स का अविलम्ब स्थानान्तरण कर दीजिये। भोटिया जनजाति के लोग सीमा पर तैनात हैं, दूसरी रक्षा पंक्ति का काम करते हैं। चमोली जिला उन्हीं से बसा हुआ है। उनका कहना है कि इनको बदल दिया जाय। आप किसी के प्रभाव में न आयें और निष्पक्ष निर्णय लेकर वहां के हित में, जनता के हित में इन अधिकारियों का अविलम्ब स्थानान्तरण कर दें।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिये ना।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

फतेहसिंह को एक हजार रु0 मुआवजा दिया है, मेरी मांग है कि उनको एक लाख रु0 मुआवजा दिया जाय। इसके अलावा हमने न्यायिक जांच की मांग की थी कि हाई-कोर्ट के जज से जांच करायी जाय। आप एक पी0सी0एस0 अधिकारी से जांच करा रहे हैं, वह प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ क्या जांच करेंगे। हमारी मांग है कि हाई-कोर्ट के जज से जांच करायें, हमें निष्पक्ष जांच चाहिये।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

यह वक्तव्य आप देखें इसमें यह लिखा गया है कि बारात के कुछ लोग नशे में थे उन्होंने जीप को रास्ते से हटाने को कहा। इसका मतलब है कि अधिकारियों ने जीप रास्ते में ऐसी जगह लगा रखी थी कि उसे हटाने के लिये कहना पड़ा। मैं स्पष्ट चार्ज लगाना चाहता हूं कि उन्होंने रास्ता क्यों नहीं खोलने को बात की। इससे जाहिर होता है कि अधिकारियों ने जानबूझकर झगड़ा मोल लिया और यह काण्ड हो गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह निर्देशित करें कि हमनें जो मांग की थी कि इस काण्ड की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से करायी जाय, तो इन्हें इसमें क्या आपत्ति है?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

जो अभी जांच हो रही है इसका निष्कर्ष देख लें। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो विचार कर लेंगे।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

यह जो ए0डी0एम0 है कुंवर राम शिल्पकार यह झूठे मुकदमें बनाते हैं। 1974 में इन्होंने एक गांधीवादी कार्यकर्ता सुरेन्द्र भट्ट के खिलाफ अफीम का मामला बना दिया था। अब आप देखें कि यह चमोली में जो केस हुआ है। कहा गया है कि श्री नारायण सिंह राणा, ने आर0एस0आई0 का पिस्तौल छीन लिया। ऐसा अधिकारी जिसका पिस्तौल छिन जाय वह सर्विस में रहने लायक नहीं है। तो यह बात सरासर गलत है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच एस0 डी0 एम0 कर रहे हैं, उनसे न करवाकर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से करवाने की व्यवस्था करें ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और जिससे वहां की जनता सतुष्ट हो सके और इस प्रकार की जांच से वहां की जनता संतुष्ट नहीं है क्योंकि नन्द प्रयाग में इस मामले को लेकर दो गढ़ बन गये हैं और उनमें आपस में झगड़े हो रहे हैं लिहाजा इस

[श्री विद्या सागर नौटियाल–]

सिलसिले की मेरी पहली मांग यह है कि वहां के समस्त अधिकारियों का स्थानान्तरण जिलाधिकारी को छोड़कर कर दिया जाए। यदि जिलाधिकारी वहां पर मौजूद होते तो मैं फिर कह रहा हूं कि यह बात वहां पर पैदा ही न होती। इसलिए स्थिति वहां पर नियंत्रण में रहे यह उचित होगा कि इस मामले की जांच हाई कोर्ट के किसी जज द्वारा करवाई जाए।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

श्रीमन्, माननीय सदस्य को इस मामले में ज्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, जांच चल रही है और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो भी जांच होगी वह निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ होगी, जहां तक आप ने श्री राणा के रिवाल्वर छीनने की बात के बारे में कहा और पथराव की वजह से जो लोगों को चोटें आयीं, इसमें सही स्थिति क्या है, इन सारे बिन्दुओं को देख लिया जायेगा। ताकि वहां की जनता पूरी तरह संतुष्ट रहे।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, पहाड़ एक संवेदनशील जगह है, जहां हर स्थान पर सरकार की जिम्मेदारी है शान्ति बनाये रखने की वहां पर इनकी जिम्मेदारी पहाड़ों पर भी शान्ति बनाये रखने की है। इस सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी के सम्मुख सिर्फ दो बातें स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं कि वहां पर इस मामले को लेकर जो स्थिति है, जिसे वहां के जिलाधिकारी काबू में नहीं ला पा रहे हैं तो ऐसे स्टाफ का जो इस मामले से संबंधित है उसका तुरन्त स्थानान्तरण कर दिया जाए और दूसरी बात जांच करने वाला अधिकारी जब उसी के स्तर का है तो जांच भी निष्पक्ष नहीं हो सकेगी, इस लिए जांच किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करवाने की आदेश दें ताकि वहां की जनता संतुष्ट हो सके।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, आप अपना प्रश्न फिर दोहरा दें।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, दो बातें साफ-साफ हैं एक तो अधिकारियों का तबादला, ताकि वहां की स्थिति सामान्य बनी रहे और दूसरे यह कि जब एक ही स्तर के दोनों अधिकारी हैं, जिसके विरुद्ध जांच हो रहे हैं और जो जांच ए0डी0एम0 कर रहे हैं दोनों एक ही रैंक के हैं, इसलिए कि जांच निष्पक्ष हो और उससे जनता संतुष्ट रहे तो यह जांच उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से करवाने के आदेश देने का कष्ट करें।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, जो जिलाधीश की रिपोर्ट आयी है उससे यही मालूम हो रहा है कि वहां पर स्थिति ठीक है और वहां पर सारे कार्य ठीक ढंग से हो रहे हैं, इसलिए वहां के स्टाफ के स्थानान्तरण की कोई जरूरत नहीं देखी जा रही है। जो मैजिस्टीरियल जांच हो रही है, वह बिल्कुल निष्पक्ष और सही होगी।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

मैं बड़ी विनम्रता से माननीय मंत्री जी से और इस सदन से भी जानना चाहता हूं कि वहां की गंभीरता को गंभीरता की तरह से नहीं देखा जा रहा है। वहां पर स्थिति

ऐसी है, दो अधिकारी एस0डी0एम0 और ए0डी0एम0 दोनों एक दूसरे के खिलाफ एफ0आई0आर0 लिखायी है, जिसके कारण वहां पर एक साम्प्रदायिक वातावरण बन गया है, स्थिति टेन्स हो गयी है, अगर उसको सुधारा नहीं गया तो एक भयानक स्थिति पैदा हो जायेगी। बताया गया है कि ए0डी0एम0 देहरादून को इसकी जांच के लिए नियुक्त किया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि एक ए0डी0एम0 दूसरे ए0डी0 एम0 के विरुद्ध कैसे जांच कर सकता है। अगर इसको समय रहते न देखा गया तो वहां का वातावरण शान्त नहीं होगा, इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस संबंध में अपना वक्तव्य दें और किसी हाईकोर्ट के जज द्वारा उसकी जांच करवा लें उसको करवाने में आप को क्या आपत्ति है? मैं समझता हूं कि इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सामने स्थिति को रख रहा हूं और जो केस बनाया गया है वह बिलकुल झूठ है। पुलिस के पास गोलियां हैं और कहते हैं कि छीन कर ले गए, मैं जानना चाहता हूं कि कितने राउन्ड की गोलियां थीं और कितनी पुलिस वहां पर थी। आप कृपा कर इसकी जांच करा दें और ऐसे अधिकारी को तत्काल हटवा दें। हम शान्ति के पक्षपाती हैं।

मुख्यमंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)–

माननीय सदस्य से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मजिस्टीरियल जांच हो रही है और उस तरफ से कहा गया है कि दो अधिकारियों के बीच में आपस में खींचातानी है। एक दूसरे के खिलाफ कहा सुनी हो गयी है और रिपोर्ट भी हुई है उसके उत्तर में कहा गया है कि मैजिस्टीरियल जांच हो रही है जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। तत्काल कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है, तो माननीय सदस्य ने चाहा कि वहां की गंभीरता को देखते हुए उसका स्थानान्तरण कर दिया जाये और तत्काल जुडीशियल इंक्वायरी करायी जाये। इस संबंध में दो चीजें हैं। एक तो घटना है और दूसरी दो अधिकारियों के आपस की खींचतान और झगड़ा। जुडीशियल इंक्वायरी किसी घटना के संबंध में तो हो सकती है, लेकिन उनके बीच के झगड़े के बारे में नहीं हो सकती है। दो जाति के लोग हैं। वहां पर हमारे मंत्री गये थे और अधिकारी भी गये थे और सारी स्थिति को समझ कर कोई उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी, जहां तक घटना का सम्बन्ध है, अगर माननीय सदस्य मैजिस्टीरियल जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो जुडीशियल इंक्वायरी करा दी जायेगी।

फाजिल नगर (देवरिया) विधान सभा क्षेत्र में उप चुनाव के दौरान तीन लोगों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव–)

देवरिया में फाजिल नगर विधान सभा में उप चुनाव दिनांक 23-12-1983 के लिये निश्चित हुआ था । उस दिन इस क्षेत्र में दो हिंसक घटनाओं के सम्बन्ध में अपराध पंजीकृत हुए थे ।

2–थाना सेवरही में 23-12-83 को एक अभियोग संख्या 98/83 भा0द0वि0 धारा 147, 148, 149, 302, 114 के अन्तर्गत 5 नामित और 5–7 आज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । प्रथम सूचना के अनुसार उस दिन गुरुवलिया पोलिंग बूथ के सामने श्री महातम सिंह नामक व्यक्ति को गोली मारी गयी थी जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गयी ।

[श्री रणजीत सिंह जूदेव]

3–दूसरी घटना के विषय में थाना पटहेरवा अपराध संख्या 94/83 धारा 147, 140, 149, 114, 302, 307/171 (ग) के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ। प्रथम सूचना के अनुसार श्री सुखल राव नामक व्यक्ति जब वोट डालकर वापस जा रहा था अभियुक्तगण ने उसे गोली मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । साथ ही अन्य 3 व्यक्ति गोली लगने से घायल हुए जिनमें से वीरभन पुत्र भोला की मृत्यु हो गयी ।

4–थानाध्यक्ष तुर्क पट्टी ने घटना स्थल पर भीड़ में श्री कन्हैया लाल चौबे ग्राम-खजूहिया को 12 बोर की दूनाली बन्दूक के साथ धारा-144 जा0 फौ0 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार करके उसके पास से 12 बोर का चला हुआ एक खोखा कारतूस तथा दो जीवित कारतूस बरामद किये । ग्राम-मुगलपुरा की घटना से संबंधित एक नामित अभियुक्त रवीन्द्र राव को दिनांक 27-12-33 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ।

5–इन अभियोगों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग के सुपुर्द कर दी गई है । जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा घटना की मजिस्ट्रीयल जांच भी कराई जा रही है ।

6–मृतकों के प्रत्येक परिवार को तथा घायलों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है । मृतकों के आश्रितों को एक-एक कम्बल दिया गया ।

7–यह कहना सही नहीं है कि देवरिया के कांग्रेसी कार्यकर्तागण सुखल राव तथा भगत के परिवार वालों को लगातार आतंकित करते आ रहे हैं तथा उन्हें समाप्त करने की धमकी देते रहे हैं । दोनों मृतकों के परिवार वालों को उठा कर उनसे जबरन शपथ पत्र दिलवाये जाने व उन्हें जबरन नोटों की थैलियां दिये जाने की बातें भी सही नहीं है । यह भी प्रमाणित नहीं हुआ कि मंत्रियों द्वारा धनसंग्रह किया गया ।

8–पूर्वांचल के अपराधी विरोह के व्यक्तियों द्वारा निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद अस्त्र-शस्त्रों से लैश होकर क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान से पूर्व डराने धमकाने व मतदान के दरमियान मत पेटियां लूटने आदि के आरोप जांच से असत्य पाये गये ।

9–यह कहना भी सही नहीं है कि इन घटनाओं के कारण सम्पूर्ण प्रदेश में भय एवं आतंक का वातारण व्याप्त हो गया है ।

श्री नन्द किशोर सिंह––

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो वक्तव्य आया है यह एकदम सत्य से परे है । मैं सिर्फ दो बातें पूछना चाहता हूं । पहली बात यह है कि थाना सेवरही में जो रिपोर्ट दर्ज करायी गई उनमें कितने लोगों के नाम है और कितने बजे रिपोर्ट लिखाई गई ? दूसरी बात यह है कि फाजिलनगर में 1000 राइफलें और बंदूक किसके आदेश से वहां गई थी जबकि वहां पर धारा 144 लागू थी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव––

मान्यवर, सूचना की तारीख 23-12-83 है जो साढ़े 11 बजे दी गई और घटना की तारीख 23-12-83 है जो कि 11 बजे हुई ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि दो घटनायें घटी। दो में एफ0 आई0 आर0 हुई । दोनों में मुल्जिमों के नाम क्या हैं । दूसरे मैंने यह पूछा कि 1 हजार राइफलें और बंदूक फाजिलनगर में किसके आदेश से गईं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, जो पहली एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई उनमें अभियुक्तों के नाम इस प्रकार हैं—श्री हरिशंकर तिवारी पुत्र भोला तिवारी, श्री भाष्कर पांडेय पुत्र कमला पांडेय, विधायक रुद्रपुर, श्री रूदल सिंह, ब्लाक प्रमुख भुलअनी, श्री मोहन सिंह, देवरिया, श्री संतोष सिंह निवासी सोनाड़ी जिला देवरिया तथा 5–7 अन्य व्यक्ति जिन्हें देख-कर पहचाना जा सकता है। दूसरे रिपोर्ट के अभियुक्त इस प्रकार हैं श्री अमर मणि त्रिपाठी, श्री रवीन्द्र राव, श्री हरिशंकर तिवारी जिनका नाम लिखा गया है।

श्री भोला पाण्डेय—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पहली घटना उन्होंने बताई महातम सिंह के संबंध में तो वह किस प्रवृत्ति के आदमी थे क्या वे अपराधी प्रवृत्ति के आदमी थे । क्या जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय वह शराब के नशे में थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है ? क्या महातम सिंह शराब के नशे में थे और गोली उन्होंने खुद चलायी थी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

शांति से बैठिये ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

उनका काफी अपराधी जीवन रहा है । जहां तक पोस्टमाटम रिपोर्ट की बात है वह मेरे पास नहीं है कि वह शराब पिये थे कि नहीं ।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब नाम जद रिपोर्ट थी तो फिर कौन सी परिस्थितियां थी जो सी0 आई0 डी0 से जांच कराने के आदेश दिये गये?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मामले की गंभीरता को देख कर दिया गया ।

श्री कृपेर भंडारी—

वहां पर मतदाताओं को धमकाया गया और मत पेटियां लूटी गयी मैंने खुद 23 ता0 को 10 बजे इसकी सूचना दी है । मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी बतायें वह क्या है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है । जांच रिपोर्ट में यह बात आयेगी ।

श्री कुबेर भंडारी–

मैंने एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी थी । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–––

उसका उत्तर उन्होंने दे दिया है ।

श्री शिव नरेश–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि महातम सिंह आर0 पी0 एफ0 में नौजवान थे और वहां से 30 बोर की राइफल लेकर

श्री कुबेर भंडारी––

मेरा उत्तर नहीं आया । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–––

उनको भी सवाल करने का अधिकार है (व्यवधान) आप अपना सवाल दोहरा दें ।

श्री शिव नरेश–––

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि महातम सिंह आर0 पी0 एफ0 में इंस्पेक्टर थे और 30 बोर की राइफल लेकर फरार हुए थे, और शराब के नशे में पकड़े गये थे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव––

श्रीमन्, इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री रियासत हुसैन–––

श्रीमन्, महातम सिंह क्या थे इससे सदन का कोई वास्ता नहीं है । सिर्फ इतना वास्ता है कि महातम सिंह गोली से मारे गये थे । यह जो वक्तव्य आया है इसमें कृपा करके मंत्री जी बता दें कि यह जो दो रिपोर्ट लिखाई गयी दो अलग-अलग थानों में उसमें जो नाम बताये हैं उसमें एक नाम कामन है तो इन थानों में किस-किस ने रिपोर्ट लिखाई और उनका मजमून क्या है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–––

यह बात थाना सेवरही की कर रहे हैं कि लेकिन जो पोलिंग बूथ पर घटना हुई उसको सेवरही थाने में रिपोर्ट लिखाई गयी लेकिन बाद में मालूम हुआ कि दूसरे थाने में यह पोलिंग बूथ है इसलिये बाद में दूसरे में रिपोर्ट लिखाई ।

श्री रियासत हुसैन–––

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर साफ नहीं दिया । मेरा सवाल था कि दोनों रिपोर्ट में एक में 5 और दूसरे में 3 नाम बताये, इनमें एक नाम कामन है । आप कह रहे हैं कि सेवरही की रिपोर्ट दूसरे थाने में ट्रान्सफर कर दी गयी जबकि इसमें कह रहे हैं कि दूसरी घटना । तो इनके कहने का मतलब क्या एक ही घटना थी और ट्रान्सफर की गयी । तो मैं जानना चाहता हूं कि 5 के बजाये 3 मुल्जिम कैसे रह गये हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव––

मान्यवर, एक घटना स्थल है मुगलपुरा थाना पटहेरवा और दूसरी घटना है थाना सेवरही की जिसको परिवर्तन करके थाना तुर्कपट्टी लाया गया है ।

श्री सुखवीर सिंह गहलौत—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि श्री महातम सिंह की मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम हुआ और उससे साफ है कि 315 की राइफल से गोली लगी तो वह रायफल कहां है।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, मौके पर केवल खोका पड़ा मिला है।

श्री अकबर अहमद—

मान्यवर, इमरजेन्सी के शासनकाल में जब इन्हीं की सरकार थी, तो हरी शंकर तिवारी कितनी बार मीसा और डी0 आई0 आर0 में बन्द हुआ उसके खिलाफ आज कितने मुकदमें चल रहे हैं।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री अकबर अहमद—

मान्यवर, जो नामजद एफ0 आई0 आर0 है उसमें हरी शंकर तिवारी का नाम दोनों एफ0 आइ0 आर0 में आता है, वह तस्कर है, वह कांग्रेस शासनकाल में इमरजेन्सी में कितनी बार बन्द हुआ और कितने आज मुकदमें उसके खिलाफ चल रहे हैं यह बता दें ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

डा0 बृज किशोर मिश्र—

मैं जानना चाहता हूं कि सेवरही थाने पर और तुर्कपट्टी थाने पर किसने रिपोर्ट खिलाई है।

(व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

थाना सेवरही और तुर्क पट्टी में रिपोर्ट श्री राम प्रवेश सिंह पुत्र श्री कृष्ण देव सिंह ने लिखाई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें।

श्री भीखा लाल—

एक सवाल श्री पाण्डेय जी ने पूछा था कि महातम सिंह मृतक है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसका अपराधिक इतिहास क्या था?

(व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, इसके बारे में कुछ कहना अभी ठीक नहीं होगा चूंकि सी0 बी0 आई0 की इंक्वायरी चल रही है।

(श्री अकबर अहमद और श्री कुबेर भंडारी ने वक्तव्य की प्रतियां फाड़कर सदन के फ्लोर पर फेंकी तथा श्री कुबेर भंडारी सदन से उठकर चले गये।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा–

श्रीमन्, आप इस प्रश्न को स्थगित करा दीजिए और इसे फिर से लीजिए।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

अभी मंत्री जी ने यह कहा जब भीखालाल जी ने प्रश्न किया था, कि इस पर कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि सी0आई0डी0 की इंक्वायरी चल रही है। तो मैं यह जानना चाहता हूं, जैसा भीखालाल जी की भी मंशा है कि इनका पुराना इतिहास क्या है? इसकी तो कोई सी0 आई0 डी0 जांच नहीं चल रही है? क्या यह पुराने हिस्ट्रीशीटर हैं और इन पर मीसा लगा हुआ था? इसके कागज और सारे सबूत सरकार के पास हैं, वह क्यों नहीं बता देते हैं?

दूसरा प्रश्न यह है, अभी मंत्री जी ने बताया कि साढ़े 11 बजे एक रिपोर्ट लिखाई गई, लेकिन दूसरी रिपोर्ट एटहरेवा थाने पर कितने बजे और किसके द्वारा लिखवाई गई है?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

जैसा मैंने निवेदन किया वह रिपोर्ट परिवर्तित की गई है और वह रामप्रवेश सिंह पुत्र कृष्णदेव सिंह ने लिखवाई है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं दूसरी रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा हूं?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

अगर आप मंगलपुर थाने के बारे में पूछ रहे हैं, तो वह 23-12-83 को लिखाई गई है।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी–

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि दोनों रिपोर्टों में एक कामन आदमी है तो दोनों घटनाओं का समय क्या है? उन रिपोर्टों से सारा क्लियर हो जाता। आप बता दें घटना का समय क्या है? दूसरा सवाल यह है कि रामप्रवेश सिंह, जिसने एक जगह रिपोर्ट लिखाई है, वह क्या हार्डेन्ड क्रिमिनल है या नहीं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

उसका भी क्रिमिनल जीवन रहा है।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा अभी मंत्री जी ने कहा कि बयानहल्फी जबरदस्ती लिखवाई गई, तो दोनों रिपोर्ट में आपके दल के ही हरीशंकर तिवारी शामिल हैं, तो क्या हरीशंकर तिवारी अपराधी प्रवृत्ति के हैं? और इनको दूसरा जबरदस्ती बयानहल्फी लिखवाई गई ताकि बाद में मामले को

तिवारी के द्वारा उनसे जबरदस्ती बयानहल्फी लिखवाई गई ताकि बाद में मामले को दबाया जाए।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

हरीशंकर तिवारी, हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं और 28 तारीख को बैठेंगे।

इसके बाद सदन 5 बजकर 53 मिनट पर मंगलवार, 28 फरवरी, 1984 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
23 फरवरी, 1984

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

परिशिष्ट "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1096 पर।)

जांच आख्या

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा द्वारा की गयी जांच से यह ज्ञात हुआ है कि श्री मित्तल की नसबंदी जबरदस्ती नहीं की गयी है । और न ही डा0 रामबाबू सिंघल ने उनकी नसबंदी की है । श्री मित्तल की नसबंदी से कोई जटिलता नहीं हुई है अपितु उन्हें हाथ पैर कांपने की बीमारी है जिसका नसबंदी से कोई संबंध नहीं है। श्री मित्तल के प्रार्थना-पत्र इत्यादि से यह इंगित होता है कि वे वित्तीय सहायता चाहते हैं । चूंकि वित्तीय सहायता का कोई प्राविधान नहीं है, अतः इन्हें अनुमन्य नहीं की गयी । डाक्टरों के व्यवहार इनके प्रति अनुकूल ही रहे हैं जो श्री मित्तल द्वारा विभिन्न स्तरों पर भेजे गये पत्रों से स्पष्ट है । जहां तक इनकी बीमारी का प्रश्न है राजकीय चिकित्सालय में यथासाध्य इनकी उचित चिकित्सा व्यवस्था की जाती रही है।

श्री मित्तल के 2 बच्चे, नसबन्दी के लिए आवेदन-पत्र पर दर्शाये गये हैं, जिनका सत्यापन श्रीमती जयन्ती देवी द्वारा किया गया है, अतः इन्हें अविवाहित मानने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

नत्थी "ब"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1106 पर।)

चतुर्थ अस्थायी निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, स्वरूप नगर, कानपुर के वर्क-चार्ज कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत मांगों की सूची।

1–हमारी प्रथम मांग यह है कि स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग (एल0 एस0 जी0 ई0 डी0) के समय से प्रारम्भ वर्कचार्ज की परम्परा का लिखित संविधान तथा सेवा शर्तें मुख्यालय से मंगाकर, वर्कचार्ज कर्मचारियों को वितरित करायें ताकि वे वर्कचार्ज की पूरी परिभाषा जान सकें और श्रम न्यायालय को अवगत करा सकें। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश जल निगम का पुराना नाम (एल0 एस0 जी0 ई0 डी0) है।

2–हमारी शाखा के सभी कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक के ही हैं। संभव है कि विभाग द्वारा किसी कर्मचारी की शाखा द्वारा सेवाओं को तोड़ा मरोड़ा गया हो। इसकी गोपनीय जांच श्रम निरीक्षक द्वारा करा लें, हमें तत्काल नियमित किया जाये।

3–लगभग एक वर्ष से वर्कचार्ज के सभी कर्मचारियों से जो बारह-बारह घंटे की ड्यूटी ली जा रही है। उसके ओवर टाइम का भुगतान करके अधिकृत ड्यूटी पर रोक लगाई जाये अन्यथा आठ घंटे के बाद किसी भी कर्मचारी की जिम्मेदारी न होगी।

4–साप्ताहिक अवकाश देने के बजाय पूरे दिन ड्यूटी लेने के बाद जो दो रुपया भीख दी जाती है हम उसे लेने से इन्कार करते हैं। हम साप्ताहिक अवकाश लेंगे तुम्हारी भीख नहीं।

5–अन्दर ही अन्दर बनायी जा रही छटनी की योजना के बारे में लिखित बयान दें कि आप ऐसा करने नहीं जा रहे हैं।

6–आई0टी0आई0/वर्षों पुराने वर्क एजेण्ट्स को अब तक सुपरवाइजर का ग्रेड वर्षों नहीं दिया गया। शीघ्र ही प्रदत्त किया जाये।

7–जब तक हमारा फैसला न्यायालय से न हो जाये, हमें कानपुर के बाहर न भेजा जाये।

8–हमारा फंड एवं बीमा नियमित कर्मचारियों की भांति काटा जाये।

9–बेगार को तत्काल रोका जाये तथा अमृत लाल की दुर्घटना का मुआवजा दिया जाय।

10–हम सभी कर्मचारियों को यदि जल संस्थान में भेजा जाये तो नियमित कर्मचारी के रूप में बगैर पद अवनति के, अन्यथा हम वहां नहीं जाना चाहेंगे।

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1107 पर।)

बांदा विधान सभा क्षेत्र में जून, 1980 से नवम्बर, 1983 के मध्य निम्नलिखित योजनायें स्वीकृत की गई तथा उनके समक्ष अंकित धन व्यय किया गया:—

स्वीकृत योजनायें	धनराशि
1—जिला चिकित्सालय बांदा में ई0 एन0 टी0 विभाग की स्थापना।	रु0 46780.52 पै0 प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण व्यय नहीं हुआ।
2—राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी कुष्ठ केन्द्र का उन्नयन।	रु0 35806.85 पै0
3—जिला तथा महिला चिकित्सालयों में रोगी शैया की वृद्धि।	रु0 59400.00 पै0
4—उपकेन्द्रों की स्थापना—(9)	प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव में
5—आई0 सी0 डी0 एस0 (समन्वित बाल-विकास योजना) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महुआ, बिसंडा में 1983-84 में लागू की गई है।	योजना पर अभी व्यय नहीं हुआ है।

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1111 पर।)

श्रीमान जिला निबन्धक महोदय, सहकारी समितियां उ0प्र0 जनपद उन्नाव द्वारा श्रीमान् सहायक विकास अधिकारी (सह0) विकास खण्ड–हसनगंज।

सेवा में,

निवेदन है कि साधन सहकारी समिति लि0 औरा कुइयां मदारपुर के सचिव श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा समिति में वर्ष 81-82 में धन का अपहरण किया गया है, उन गड़बड़ियों का निराकरण आज तक सचिव द्वारा नहीं किया गया है और धनराशि भी सम्पूर्ण नहीं जमा किया है।

सचिव द्वारा जो अपहरण कर लिया गया है वह निम्न प्रकार है :–

(1) सचिव ने रु0 2,000.00 माह जून 82 में फर्जी दिखाकर तहवील कम कर लिया है यह स्पष्ट सचिव द्वारा अपहरण किया गया है।

(2) खाद यूरिया के सम्भार में कम अवशेष दिखा करके अपहरण किया है, उक्त स्टाक जो कि कम लिया है उसकी कीमत रु0 1380.91 पैसा होती है।

(3) खाद जो बेची गयी वह बिक्री दर से कम लिया है जिसका मूल्य 676.46 पैसा होता है।

(4) जो चेक बैंक द्वारा वापस हुये हैं उन चेकों पर खाद सदस्यों को दी जा चुकी है परन्तु चेक न तो समिति में मिले हैं इनकी कीमत 1149.28 पैसा होता है।

(5) 27-3-82 को रु0 48.65 पैसा तहबील पुनः खारिज करके अपहरण कर दिया है।

(6) 81-82 में समिति में खाद का व्यापार किया गया है स्टाक रजिस्टर खाद के आधार पर पी0 सी0 एफ0, उन्नाव से खाद ला करके सदस्यों को ऋण रूप में व नकद बेचा है उक्त स्टाक में हेरा फेरी करके रु0 15,425.37 पैसे की गड़बड़ी कर रखा है।

अतः श्रीमान् जी से पुनः प्रार्थना है कि राजेन्द्र प्रसाद सचिव ने कुल 20,680.67 पैसे की गड़बड़ी कर रखी है। सचिव ने आज तक उपरोक्त गड़बड़ियों की धनराशि बैंक में नहीं जमा किया है।

श्रीमान् जी की सेवा में उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रतिलिपि–श्रीमान्–सचिव जिला सहकारी बैंक लि0, उन्नाव को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–श्रीमान् ए0 डी0 ओ0 (पी) हसनगंज को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0/–क्षेत्रीय सुपरवाइजर

31-10-83

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1117 पर।)

रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश सरकार

नगर भूमि अनुभाग (धारा–20 सेल)

संख्या–1856 जी/49-511 (900) यू0 सी0/79

लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर, 1979

राज्यपाल महोदय नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा–20 के अन्तर्गत मेसर्स जगजीत काटन टेक्सटाइल मिल, वाराणसी के ग्राम–जैतपुरा की भूमि जिसका क्षेत्रफल 1–67 एकड़ तथा ग्राम चौकाघाट की भूमि जिका क्षेत्रफल 6–14 एकड़ कुल क्षेत्रफल 7–81 एकड़ अर्थात् 31,600 वर्गमीटर (इक्तीस हजार छः सौ वर्गमीटर) कृषिकोपयोगी भूमि को धारण करने की छूट एतद्द्वारा लोकहित में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1–भूमि का उपयोग केवल कृषि के लिये किया जायेगा।

2–भूमि का प्लाटिंग कर विक्रय अन्तरण नहीं किया जायेगा परन्तु कृषक प्रयोजन हेतु विक्रय अन्तरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा।

3–कृषक प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये बन्धक-अन्तरण अधिनियम की धारा–19(1)(3) में उल्लिखित किसी बैंक या वित्तीय संस्था अथवा केन्द्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित/विनिर्दिष्ट किसी वित्त निगम या वित्तीय संस्था के पक्ष में किया जा सकेगा।

4–छूट प्राप्त भूमि यदि बेची जाती है तो नये भू-स्वामी पर भी उपरोक्त शर्तें लागू होंगी।

2–शासन द्वारा प्रदान की गयी छूट उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन होगी जिनका उल्लंघन होने पर दी गयी छूट उक्त अधिनियम की धारा–20 की उपधारा (2) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस ले ली जायेगी।

यज्ञ दत्त सहगल
संयुक्त सचिव

सेवा में,

मेसर्स जगजीत काटन एण्ड
टेक्सटाइल मिल लि0
फागवारा, पंजाब।

संख्या 1856 जी (1)/49-511 (900) यू0 सी0/79 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण निदेशालय, 941, जवाहर भवन नवीं मंजिल लखनऊ।

2–सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, चन्द्रिका कालोनी, सिगरा, वाराणसी।

आज्ञा से,
यज्ञ दत्त सहगल,
संयुक्त सचिव।

नत्थी "च"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–131 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1145 पर।)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय का नाम	डाक्टरों के रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महुआ	2
2–" " " जसपुरा	2
3–" " " शिवरामपुर	2
4–" " " मउ	2
5–" " " जौरही	1
6–" " " कमासिन	1
7–" " " बबेरू	1
8–" " " मानिकपुर	1
9–" " " पहाड़ी	1
10–" " " रामनगर	1
11–" " " तिन्दवारी	1
12–" " " रसिन	1
13–जिला अस्पताल, बांदा	1
14–टी0बी0 क्लीनिक बांदा	1
15–जिला कारागार, बांदा	1
16–नगर स्वास्थ्य अधिकारी, बांदा	1
17–पुरुष चिकित्सालय, करवी	1
18–राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय राजपुर	1
19–" " " सरैंया	1
20–" " " फतेहगंज	1
21–" " " सिन्धनकलां	1

1	2	
	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय	
22–"	" " बारामाफी	1
23–"	" " मारकुन्डी	1
24–एस0 ए0 डी0 सरधुवा (इन्टीग्रेटेड)		1
25–"	" " लोहदा	1
26–"	" " ऊंचाडीह	1
27–आई0 सी0 डी0 एस0 मानिकपुर		1
28–चिकित्सा अधीक्षक महिला अस्पताल, बांदा		1
29–महिला अस्पताल, बांदा		3
30–"	" नरैनी	1
31–"	" मऊ	1
23–"	" बबेरू	1
32–"	" बबेरू	

नत्थी "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–139 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1147 पर।)

सिस्टर्स व स्टाफ नर्सेज की सूची

1–श्रीमती बी0 डेनियल
2–श्रीमती टी0 सिंह
3–श्रीमती एस0 सी0 लाल
4–कु0 पी0 मचई
5–श्रीमती पी0 के0 ओवेडायाह
6–कु0 रेखा बनर्जी
7–श्रीमती जी0 पी0 पाठक
8–कु0 रत्नयम्मा
9–कु0 आर0 रोशन
10–श्रीमती पंकज श्रीवास्तव
11–श्रीमती आई0 वी0 रोबिन्सन
12–श्रीमती ज्वाय जासेफ
13–श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता
14–श्रीमती डी0 जोशी
15–श्रीमती उमा सिन्हा
16–श्रीमती माया अहमद
17–श्रीमती शर्मा डान
18–श्रीमती मैरी मैनुअल
19–श्रीमती वी दयाल
20–कु0 वायला गार्लिस
21–श्रीमती पी0 ओंकार
22–श्रीमती विद्या श्रीवास्तवा
23–कु0 जान्सन
24–कु0 अनिता सिंह
25–के0 वी0 साइमन
26–कु0 पी0 फेंकलीन
27–श्रीमती उमा पाल
28–श्रीमती अनिता सरोजवाला
29–श्रीमती टी0 सिंह

पी0एस0यू0पी0–एल0 441 वि0 सभा–(768)-1984-813।